छत्तीसगढ़ विधान सभा

की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

द्वितीय सत्र

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 01, शक सम्वत् 1945)

[अंक 11]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-1, शक संवत् 1945) विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई (अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, सब वापस आ गये हैं क्या?

श्री विक्रम मण्डावी :- आप चिंता मत करिये। सब हैं।

श्री राम विचार नेताम :- नहीं है। सब दिल्ली चक्कर काट रहे हैं कि हम भी भाजपा में आने वाले हैं। (हंसी)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप ही लोग तो कल दिल्ली से वापस आये हैं।

श्री राम विचार नेताम :- लेने के आवेदन लंबित है। उस पर पुनर्विचार चल रहा है। बघेल जी, आपका क्या इरादा है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आदरणीय मंत्री जी, अभी जो 67 सांसद हैं, वह कांग्रेस से जाकर बने हैं। श्री सुशांत शुक्ला :- क्या आप नहीं बन पा रहे थे, इसलिए आप बने हैं न? अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। श्री बघेल लखेश्वर।

बस्तर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गौण खनिज के द्वारा डी.एम.एफ. के तहत प्राप्त राशि [खनिज साधन]

1. (*क. 1841) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ. अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्रामों से वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में खिनजों से प्राप्त राशि व प्राप्त राशि के विरूद्ध संबंधित ग्रामों को निर्माण अथवा अन्य कार्य हेतु आबंटित राशि की जानकारी दें ? (ख) क्या सरकार प्रत्यक्ष ग्रामों से डी.एम.एफ. के तहत् प्राप्त राशि का ज्यादातर अंश उन्हीं ग्रामों में खर्च करने हेतु कोई कार्ययोजना बना रही है अथवा इस पर विचार कर रही है? कृपया बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ. अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्रामों से वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 (जनवरी, 2024 तक) 204.754 लाख रूपये डी.एम.एफ. मद में प्राप्त हुआ है। उक्त अविध में दंतेवाड़ा जिला खिनज संस्थान न्यास से बस्तर जिला खिनज संस्थान न्यास को 43056.69 लाख रूपये प्राप्त हुआ। प्राप्त राशि के विरूद्ध संबंधित ग्रामों को निर्माण अथवा अन्य कार्य हेतु 3406.006 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) प्रधानमंत्री खिनज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 अंतर्गत विविध निर्देशों सिहत डी.एम.एफ. में प्राप्त राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों में व्यय किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। उक्त के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ जिला खिनज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खिनज के द्वारा डी.एम.एफ. के तहत प्राप्त राशि के संबंध में प्रश्न पूछा था, लेकिन इसका जो उत्तर आया है, उसमें जानकारी गलत है। मैंने सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए थे और कितनी राशि स्वीकृति हुई थी? इस संबंध में उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बस्तर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हैं और कितनी राशि स्वीकृत हैं?

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री के प्रश्नों के उत्तर श्री ओ.पी. चौधरी, माननीय वित्त मंत्री जी देंगे। वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ. अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्रामों से वर्ष 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 (जनवरी, 2024 तक) डी.एम.एफ. मद में कुल 2 करोड़ 4 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। उक्त अविध में दंतेवाड़ा जिला खिनज न्यास से बस्तर जिला खिनज संस्थान न्यास को 430 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था। बस्तर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध संबंधित ग्रामों को निर्माण अथवा अन्य कार्यों हेतु 34 करोड़ 6 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो पूरी सूची है, वह मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दंगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ बस्तर विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रश्न पूछा है। आप जितने करोड़ की बात कर रहे हैं, उतने करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर विधान सभा क्षेत्र, जोिक माननीय सदस्य का विधान सभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 34 करोड़ रूपये 6 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत हुए हैं। मैं पूरी सूची सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी, स्वीकृत राशि में से जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्या ऐसे काम निरस्त हुए हैं? यह जरा बताने का कष्ट करेंगे। श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के विभाग की ओर से एक बार शासी परिषद की बैठक बुलाकर उसका निर्णय किये जाने का एक निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर से किसी कार्य को अस्वीकृत नहीं किया गया है। केवल शासी परिषद की बैठक बुलाकर उसको री-चेक करने के लिए बोला गया है। कोई कार्य मेरे संज्ञान में नहीं है कि वहां पर कोई कार्य अस्वीकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको कोई और प्रश्न पूछना है? आप तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा था कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो अस्वीकृत हुए हैं, उसको बताने का कष्ट करेंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, वहां पर शासी परिषद की बैठक लेने के लिए पूरे प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं और उसी में तय किया जाना है। वहां पर कोई काम अस्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है? इस संबंध में मैं सम्माननीय सदस्य को कल तक जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चितये, वह कल तक आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती चातुरी नंद। नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में कहेंगे। चलिये, ठीक है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली बार जो शासी परिषद की बैठक हो चुकी है, उसमें जो काम स्वीकृत हो गये हैं, वह काम स्वीकृत माने जायेंगे या नये सभी कलेक्टर द्वारा अभी शासी परिषद की कोई 21 तरीख को, 22 तारीख को, कोई 23 तारीख को बैठक बुला रहा है, उसमें मिक्स कर देंगे या उस काम को भी खत्म कर देंगे, इसके बारे में भी आप जानकारी दिला दीजिये

श्री ओ.पी. चौधरी: - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को अवगत कराना चाहूंगा कि शासी परिषद बैठक बुलाने का यह आशय नहीं है कि सभी के सभी कामों को निरस्त कर दिया जायेगा या पुराने कामों को पूरी तरह से अमान्य कर दिया जायेगा। शासी परिषद में बैठकर अगर कोई काम कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो या कोई बहुत प्राब्लमेटिक हो या कुछ हो तो उस तरह की चीजों में शासी परिषद वहां निर्णय ले सकता है और उस शासी परिषद की बैठक में सभी सम्माननीय विधायकगण उसमें उपस्थित होते हैं और अगर कोई बात हो तो शासी परिषद में रख सकते हैं। अभी जो शासी परिषद की बैठके हो रही हैं वह आगामी कार्ययोजनाओं की दृष्टि से हो रही हैं। जो बेसिक गाईडलाईन है उसी के अनुरूप उसमें डिवीजन कि हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना, प्राथमिकता वाले सेक्टर में कितना इसको मूल रूप से तय करने के लिये अभी शासी परिषद की बैठकें हो रही हैं तािक अभी जो और रािश आयी है तथा लगातार आ रही है उसको भविष्य में और स्वीकृत करके विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके यह उद्देश्य है। जो अप्रारंभ कार्य हैं, उसका एक-बार पुर्नपरीक्षण कर लिया जाये इस तरह के कई शासी परिषदों ने समीक्षा की है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर पर यह जानना चाहता हूं कि पहले माननीय मंत्रीगण अध्यक्ष हुआ करते थे, अब माननीय कलेक्टरगण अध्यक्ष हो गये हैं तो यदि कलेक्टर इस तरह से कोई कार्य करना चाहे कि सभी को निरस्त कर दे तो उसके ऊपर किसको शिकायत की जाये ? आपको या माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्थात् इसकी शिकायत कहां पर होगी ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कलेक्टर अकेले में निर्णय नहीं लेते कि कार्य को निरस्त करना है । शासी परिषद में निर्णय लेना है और शासी परिषद में सम्माननीय सदस्यगण भी उपस्थित हैं और अगर कहीं पर ऐसा मामला आता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे शासी परिषद में निरस्त कर दिया गया है उसे कार्य कराने की आवश्यकता है तो आदरणीय विभाग को देखने वाले मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं तो उनको भी बता सकते हैं। जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी कह सकते हैं और एक लोकतांत्रिक सेटअप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ?

श्री लखेश्वर बघेल :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप फिर से वापस लौटकर आ गये।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह निरस्त वाली बात है। शासी बैठक के बाद ही निरस्त हो गया । मेरी जानकारी में दिनांक 02.01.2024 को हमारे बस्तर जिले में 5 काम निरस्त हुए हैं । बैठक में नहीं हुआ, कलेक्टर ने स्वयं निर्णय लेकर उसको निरस्त किया है । आप कह रहे हैं कि बैठक में समीक्षा के पश्चात् वह निरस्त हो गयी लेकिन कलेक्टर के द्वारा यह 6 काम जो अपने स्टॉपडेम वगैरह का काम बंद था, जो कि सिंचाई योजना से संबंधित है उन कार्यों को जो काम सितम्बर में 4 करोड़ 61 लाख रूपये का स्वीकृत था उसको दिनांक 02.01.2024 को निरस्त किया गया ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कलेक्टर ने निरस्त किया भी होगा तो उसे शासी परिषद में अनुमोदन लेना अनिवार्य है । शासी परिषद में अनुमोदन लेंगे तभी वास्तव में वह निरस्त की श्रेणी में आयेगा । यदि वे अनुमोदन नहीं लेंगे तो उचित नहीं होगा, यदि किसी कलेक्टर ने शासी परिषद में निर्णय लिया है तो वह अनुमोदन लेंगे ही लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह हो रहा है कि कलेक्टर जो डी.एम.एफ. के अध्यक्ष होते हैं और जो एम.एल.ए. और अन्य सदस्य होते हैं वह सब एक मीटिंग लेते हैं । मीटिंग में अभी हम लोग बिलासपुर में ताजा-ताजा चूंकि उसमें अटल श्रीवास्तव जी भी थे, मैं भी था, सारे लोग थे । जो पुराने काम हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं उसकी उपयोगिता, गुणवत्ता, आवश्यकता को ध्यान में

रखकर उस काम को बदला जा सकता है यह निर्णय सर्वसम्मित से हुआ है । कलेक्टर ने कोई अपना निर्णय नहीं लिया है, इसमें सदस्यों ने निर्णय लिया है और यदि सदस्यों ने निर्णय लिया है तो उसे बदला ही जायेगा । हमको नहीं लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो काम पहले मंजूर किये गये हैं वह ठीक हैं तो उसको बदलकर दूसरा काम दे देंगे । काम तो कलेक्टर को ही देंगे, कलेक्टर मंजूरी देंगे लेकिन उसमें हम लोग निर्णय करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, आखिरी पूछ लीजिये । आप भी पूछ लीजिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब शासी परिषद में प्रस्ताव पारित होंगे, एक्शन प्लान तैयार होगा तो कितने परसेंट सदस्यों का सुझाव या प्रस्ताव से सिम्मिलित होंगे और चूंकि उसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं तो कलेक्टर महोदय का कितने प्रतिशत रहेगा ? आप कृपया सामान्य भाषा में प्रतिशत में बता दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिशत-प्रतिशत वाला मामला हमारी सरकार में नहीं चलता है । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप उस स्वरूप में मत लीजिये न । आप सवाल को घुमा रहे हैं । हमारे सुझाव, हमारे प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जायेगा, कितना सिम्मिलित किया जायेगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो निरस्त हुआ है वह 15 परसेंट का ही चक्कर है । इसलिए इसे निरस्त किया जा रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, धर्मजीत भैया, ठीक है न। वह चक्कर तो खत्म हो गया। जो आप बोल रहे हैं। ये नये चक्कर में क्या है? कलेक्टर का प्रस्ताव होगा या केवल हम लोग वहां बैठे रहेंगे?

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में प्रतिशत चलता था तो क्या अब परसेंट चलेगा? ये बता दें। (हंसी)

श्री राजेश अग्रवाल :- यादव जी, के परसेंट चाहिए तुहूं ला, पहले ए बतावव।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं जो बोल रहा हूं, आपके पक्ष के विधायक साथियों के साथ भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। आप कृपया सदन में स्पष्ट कर दीजिए..।

अध्यक्ष महोदय :- परसेंटेज का मामला खत्म हो जाएगा न?

श्री दवारिकाधीश यादव :- हो जाएगा, आप सदस्यों के हिसाब से..।

श्री राजेश अग्रवाल :- आपको कितना परसेंट चाहिए? आप तो क्लियर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- परसेंट का मामला पूरी जगह से समाप्त हो जायेगा। आप ये बता दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं नगदी नहीं बोल रहा हूं। विकास कार्यों में विधायकों को कितने प्रतिशत उनके एक्शन प्लान में सम्मिलित होगा। मैं कार्यों में बोल रहा हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आदरणीय सदस्य की मंशा को मैं समझ रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि कितना टोटल कार्य स्वीकृत होगा, उसमें कितने अमाउंट का कार्य विधायक की अनुशंसा से स्वीकृत होगा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सदस्यों का और कितने अध्यक्ष का?

श्री ओ.पी. चौधरी :- लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई विधायक के कहने पर कितना, कलेक्टर के कहने पर कितना, जिला पंचायत सदस्य के कहने पर कितना, ऐसा कोई विषय नहीं होता। शासी परिषद् एक कलेक्टिव निर्णय लेती है। सामुहिक निर्णय लेती है और उसमें निश्चित रूप से सभी सदस्यों के ओपिनियन, अभिमत का ध्यान रखा जाता है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, इसे आप धरातल में आकर देख लीजिए। जब आप अगले सदन में आयेंगे, आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, इसमें धरातल में यही होगा कि कलेक्टर के सारे प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, स्वीकृत होंगे और हम लोग दस्तखत करके आ जायेंगे। यह धरातल में यही होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सुनिए, कुछ नहीं होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, तो चलिए न। अगली बार आप आ जायेंगे न। मैं इंतजार कर रहा हूं न।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आप बोल लीजिए न। कोई दिक्कत नहीं है। श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी 8 -15 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें 1 करोड़ रूपये का काम मुझे भी देने के लिए प्रस्ताव देने के लिए बोला गया और 1 करोड़ रूपये श्री अटल श्रीवास्तव जी को भी देने के लिए बोला गया। इसमें कहां का भेदभाव हो गया? (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती चात्री नंद। काफी हो गया। 12 मिनट हो गये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सुनिए न, आप अपने हिसाब से मत देखिए न। वरिष्ठ हैं। सीनियर हैं। नयों के साथ क्या होगा, आप देखिएगा।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय मंत्री जी, सक्ती मेरा जिला है। कलेक्टर वहीं रहते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप 1 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भेज दीजिए। ठीक है। उन्हें भी 1 करोड़ का दिया। मगर मेरे लोक सभा, कोरबा में मेरी पत्नी है। वहां के कलेक्टर ने कहा कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए। जबकि कोरबा जिले के 4 विधान सभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिशत का

मतलब ये है कि साथी विधायक, आपके सांसद, आपके सदसयगण इन्हें कुछ आपने कुछ ऐसा तय किया है कि इनके 20 परसेंट, 25 परसेंट, 40 परसेंट, कितना-कितना काम देंगे? काम के बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं या पत्नी जी की चिंता कर रहे हैं। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूं कि सांसदों का क्या हिस्सा है? विधायकों का क्या हिस्सा है?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा गाइडलाइन में, नियम में कहीं पर ऐसा नहीं है कि कलेक्टर का प्रस्ताव कितना होगा? विधायक का प्रस्ताव कितना होगा? अनौपचारिक स्तर पर..।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपने बता दिया था। रामविचार जी कुछ बोलना चाहते हैं। कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। अध्यक्ष महोदय :- सुझाव । आप प्रश्न नहीं सुझाव कर सकते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, ये जो शासी परिषद् बना, इसके पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। प्रभारी मंत्री आपकी सरकार के समय में नियम कानून को ताक में रखकर प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया। उन्हें नामित किया। और डी.एम.एफ. में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से खेल चला और कहीं से वो अध्यक्ष महोदय, उसकी शिकायत हम लोगों ने मिलकर भारत सरकार से की और बैठक में किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के आधार पर इसमें पूरा निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो और पूरी क्षेत्रीय समस्या, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां क्या जरूरत है, उसे देखते हुए ये निर्णय कर सके, इसलिए चेंज किया गया है। ये गइबडियां तो आपके समय में हुई हैं। हमारे समय में गइबड़ी नहीं होगी और इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले जो गइबड़ियां हुई हैं, उसकी पूरा निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ा क्षमा चाहता हूं । अगर आज इन मंत्रियों को अपने विधायक और अपने सांसद से ज्यादा विश्वास कलेक्टर पर है तो मुझे कुछ नहीं कहना । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कलेक्टर व्यवहारिक रूप से जिसको जितना देना है, काम का, उतना दे दें । बाकी आप जांच करवा लीजिए, हमारे पांच साल का, फिर हम 15 साल का जांच कराएंगे।

महासमुद जिले में राइस मिलों द्वारा धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क. 918) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुंद ज़िला अंतर्गत कितनी राईस मिलें स्थापित हैं ? राईस मिल का नाम, स्थान सहित विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) माह मार्च, 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक कितने राईस मिलों द्वारा, कितनी मात्रा में विपणन संघ (मार्कफेड) से धान का उठाव किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) धान उठाव पश्चात कितने राईस मिलों द्वारा, कितना चावल, किस अनुपात में शासन को दिया गया? जानकारी देवें? (घ) क्या यह सही है कि कुछ राईस मिलों द्वारा धान का उठाव पश्चात अनुपात से चावल जमा नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे राईस मिलों पर क्या कार्यवाही की गई है? राइस मिलों के नाम सहित की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2023-24 में महासमुंद जिले में स्थापित राईस मिलों का नाम, स्थान की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अविध में विपणन संघ (मार्कफेड) से धान का उठाव करने वाले राईस मिलर्स की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र	.वर्ष		धान उठाव की मात्रा
1	2020- 21	167	311827.45
2	2021- 22	173	731901.54
3	2022- 23	178	794731.71
4	2023- 24	196	441260.92

(ग) उपरोक्त वर्षों में मिलरों द्वारा उठाये गये धान हेतु शासन द्वारा निर्धारित अनुपातिक अरवा चांवल जमा हेतु 67 प्रतिशत एवं उसना चावल जमा हेतु 68 प्रतिशत, फोर्टिफाईड अरवा 67.67 एवं फोर्टिफाईड

उसना 68.68 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है। प्रश्नांकित अविध में वर्षवार राईस मिलर्स द्वारा जमा चावल की जानकारी निम्नान्सार है:-

क्र.	वर्ष	राईस मिलर्स की संख्या	जमा चांवल की मात्रा (टन में)
1	2020-21	167	210706.19
2	2021-22	168	493009.53
3	2022-23	178	539149.48
4	2023-24	206	60620.26

(घ) जी हाँ। खरीफ वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जमा हेतु शेष चांवल मात्रा की राशि राईस मिलर के कस्टम मिलिंग देयक से वसूली कर समायोजन कर लिया गया है। खरीफ वर्ष 2023-24 में धान उठाव एवं चांवल जमा का कार्य जारी है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।खरीफ वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक आनुपातिक रूप से चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबले पहिली मैं आप ला प्रणाम करत हौं । ओखर बाद सदन के जम्मो सदस्य मन ला भी मैं प्रणाम कर हौं । मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा मोर सवाल के जवाब दे गे हे एमा जानकारी दे हावय कि साल 2020-21 मा 36 राईस मिलर्स, 2021-22 मा 63 राईस मिलर्स, साल 2022-23 मा 34 राईस मिलर्स मन धान उठाव के पश्चात् आनुपातिक रूप से चावल जमा नइ करय हावय । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहत हौं कि 3 साल मा कुल कतका मेट्रिक टन चावल जमा नइ के गे हावय अउ निर्धारित समय के बावजूद चावल जमा नइ करवइया मिलर्स मन के ऊपर मा का कार्रवाई के गे हावय ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2021-22 में 7.44 टन, 36 मिलरों के द्वारा, जिसकी कीमत होती है 2 लाख, 63 हजार । 2021-22 में 1.41 लाख, 63 राईस मिलरों के द्वारा, इसकी कीमत 48 हजार 123 रूपए । 2022-23 में 1.12 टन, 34 राईस मिलरों के द्वारा, जिसकी कीमत 48 हजार । अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा थी । इसके एवज में हमने उन राईस मिलरों पर कार्रवाई की है । बिल की राशि से वसूली कर ली गई है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताइन के छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग उपार्जन आदेश 2016 के तहत कार्रवाई की गई है । लेकिन मैं ये जानना चाहत हौ कि असली राईस मिलर्स के ऊपर मा का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करे गिस हे । और अगर कार्रवाई नइ करे गिस हे तो काबर नइ करे गिस हे, तैं जानना चाहत हौं ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रावधान के तहत् ही किया गया है । बहुत ही कम कम चावल बचा था । जैसे कि यहां 36 राईस मिलर्स का मात्र 7.44 टन, इसमें लॉट नहीं बनता । चूंकि यह बहुत छोटा-छोटा सा है । कहीं 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो । इसके लिए कार्रवाई कर दी गई है, बिल की राशि से वसूली कर ली गई है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- अभी 14 फरवरी, 2024 को खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी मन के द्वारा मेसर्स राजवंश एसोसिएशन्स बागबाहरा अउ मेसर्स लक्ष्मी राईस इंडस्ट्रीज बागबाहरा के जांच करे गिस । कस्टम मिलिंग बर उठाए गे धान अउ जमा करे गे चावल के भौतिक सत्यापन करे गिस जेमा मेसर्स राजवंश एसोसिएशन्स बागबाहरा मा 13146 कट्टा धान अउ मेसर्स लक्ष्मी राईस इंडस्ट्रीज़ बागबाहरा मा 3442 कट्टा धान कम मात्रा मा मिलिस । त मैं यह जानना चाहत हों कि दोनों मिलर्स के ऊपर मा कार्रवाई करे गिस हवय के नइ करे गिस हे अउ अन्य जिला मा भी ये सब धांधली होवत है । अन्य जिला के मिल मन मा भी का भौतिक सत्यापन कराया जाही ?

श्री दयालदास बघेल :- जी हां, जहां कोई भी राईस मिल की शिकायत है, दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, दूसर राज्य से आए धान, चावल ला खपाए के खेल चलत हावय । मिलर्स मन मिलके बड़े पैमाने में ये खेल ला खेलत हावय । एमन के मिली भगत से ये काम चलत हे । मोर विधान सभा मा अभी 28 प्रकरण बने हे । जेमा 1007 क्विंटल धान जप्त करे गे हावय । का खाद्य विभाग द्वारा सभी राईस मिल के भौतिक सत्यापन करे जाही ? ये जवाब मंत्री महोदय दे दिन । मैं ये जानना चाहत हों कि कोनो राईस मिल के चावल का एफ.सी.आई. द्वारा रिजेक्ट करे गे हावय ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी जानकारी और ऐसी शिकायत नहीं मिली है। कोई भी शिकायत होगी तो मैं दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एफ.सी.आई. के द्वारा रिजेक्ट किये गये हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी चाह रही हैं।

श्री दयालदास बघेल :- ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको जानकारी नहीं है।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, में शुरू से कह चुके हों कि ये खेल नाका से ले करके एफ.सी.आई. गोदाम तक चलत है। बड़े पैमाना में धांधली होवत है। बाहर से चावल मंगाए जात है और सस्ते दाम में ए चावल मांगत है। जेमा राईस मिलर्स और एफ.सी.आई. के अधिकारी मन मिल करके ए काम ल करत है। ये जो धांधली चलत है, ऐमा स्टीकर, मार्कर, कनकी और क्वालिटी बर एफ.सी.आई. के द्वारा 6900 रूपए ए लॉट में लिए जात है। कहीं न कहीं ए बाहर से सस्ता चावल मिला

के किसान मन से कनकी चावल खरीद के ए जो धांधली मचात हे, ये निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदायी ए। हमर जनता तक जो चावल पहुंचत हे, वो साफ सुधरा नई पहुंचत हे, ओमे कनकी मिला के भेजे जात है। में एक निवेदन करन चाहत हौं कि ऐमे क्वालिटी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर तथा अन्य अधिकारी के उपर में का कार्रवाई होही ? अगर कार्रवाई होही तो भौतिक सत्यापन बर एक और निवेदन रखना चाहत हौं कि जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, स्टेट वेयर हाऊसिंग अधिकारी और राजस्व अधिकारी के सिम्मिलित रूप से टीम बना करके सभी मिलर्स मन के भौतिक सत्यापन कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- सभी मिलरों का भौतिक सत्यापन कराएंगे क्या ? मूल प्रश्न यह है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी मिलरों का माननीय विधायक जी के पास कोई भी शिकायत हैं तो बता दें, मैं उनका भौतिक सत्यापन करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी कोई शिकायत है तो दे दीजिए। धन्यवाद।

श्रीमती चातुरी नन्द :- मैं आप ला उपलब्ध करा देंहा। बहुत सारा मिलर्स मन हे, जेकर लिस्ट आप मन दे हो, ये मिलर्स मन के भौतिक सत्यापन होना चाहिए और एक चीज और कहना चाहत हौं, जेन मिलर्स मन चावल जमा नई करे हे, ए मन के उपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए अउ ए मन ला दोबारा मिलिंग के मौका नई देना चाहिए। ये नियम कथे।

अध्यक्ष महोदय :- जो जमा नहीं किए हैं उनके उपर कार्रवाई करिए। ठीक है।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने चावल जमा नहीं किया है, मैंने उसके संबंध में बता दिया है। कोई भी राईस मिल की शिकायत हो, आप बता दीजिए, उसमें भौतिक सत्यापन करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, धन्यवाद।

जिला जांजगीर-चांपा में रेत खदान तथा उत्पादन

[खनिज साधन]

3. (*क. 1740) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा क्षेत्र में संचालित रेत खदानों का स्थान, रकबा, वार्षिक उत्पादन तथा खदान संचालनकर्ता का नाम क्या-क्या है ? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? (ख) उपरोक्त खदानों में से किसमें-किसमें, रेत के खनन के लिए और लोडिंग के लिए मशीनों का प्रयोग करने की अनुमित है? (ग) क्या उक्त रेत खदानों के संचालकों द्वारा शर्तों का विगत दो वर्षों में उल्लंघन करने के कितने प्रकरण प्रकाश में आए है यदि हां,तो उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में 01 रेत खदान ग्राम पंचायत बोरसी, तहसील चांपा में 5.000 हेक्टेयर पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 75000 घन मीटर हेतु श्री वैभव सलूजा को स्वीकृत/संचालित है। जिले में प्रश्नाधीन अविध में संचालित रेत खदानों से वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ 03 लाख 95 हजार 200 तथा वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक 30 लाख 90 हजार रूपये रायल्टी प्राप्त हुई। (ख) खनिज विभाग द्वारा रेत के खनन के लिए और लोडिंग के लिए मशीनों का प्रयोग करने की अनुमित दिये जाने का प्रावधान नहीं है। रेत खदान संचालन हेतु प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति में मानवीय संसाधन से खनन की अनुमित दिया गया है। (ग) जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्तमान में संचालित रेत खदान बोरसी के संचालकों द्वारा रेत शर्तों का विगत 02 वर्षों में उल्लंघन किये जाने के संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अपितु औचक निरीक्षण के दौरान पट्टेदार द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन पाये जाने पर अवैध उत्खनन का 01 प्रकरण दर्ज किया जाकर 72,000/- रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रथम बार निर्वाचित विधायक हूं, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिखित में जवाब दिया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, इसमें मेरा प्वाईंटेंड प्रश्न है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अवैध रेत उत्खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। औचक निरीक्षण में एक प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 72,000 रूपए समझौता शुल्क वसूला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे अतारांकित प्रश्न क्र. 39 के परिशिष्ट संख्या 47 में उसी अविध में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में उत्तर स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से कौन से उत्तर को मैं सही मान्।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वर्तमान में अभी जांजगीर चांपा जिले में एक रेत खदान ग्राम बोरसी में चल रहा है, आज की तारीख में उसी को अनुमित प्राप्त है। 1 और रेत खदान के लिए अभी 15 फरवरी को प्रोसेस हुआ है। यह जानकारी दी गयी है। 72000 रूपए का समझौता शुल्क वसूल किये जाने का एक प्रकरण खनन क्षेत्र से बाहर किये जाने के कारण हुआ है, वह इसी से संबंधित है। जबिक जांजगीर चांपा में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अवैध रेत उत्खनन के, परिवहन के अवैध उत्खनन का अलग केस बनता है और परिवहन का अलग केस बनता है। सारे खदानों को हम इस अविध में एड करें तो रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में 22 प्रकरण दर्ज कर राशि 18,26,848 रूपए समझौता शुल्क वसूल की गयी है, । रेत के अवैध परिवहन के कुल 733 प्रकरण दर्ज करके 68,53,224 रूपए की समझौता राशि वसूल की गयी है। जो 72,000 रूपए लिखा गया है, वह रेत उत्खनन का है। माननीय सदस्या को उत्खनन से

संबंधित प्रश्न ड्रॉफ्ट किया है, उसमें उत्खनन वर्ड लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसपोटेशन के केस का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन रेत खदानों में रेत के खनन के लिए लोडिंग और मशीनों के प्रयोग की अनुमति है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से किसी भी खदान में मशीन से रेत की लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमित नहीं है। यह अनुमित पर्यावरण विभाग द्वारा दी जाने वाली Environment Clearance में mention होता है। इनमें से किसी भी खदान में मशीन के उपयोग की अनुमित नहीं है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी खदानों में मशीन से रेत निकाली जा रही है। सारे मापदण्डों को किनारे करके और अधिकारियों की मिली-भगत से सब लोग उसमें शामिल हैं। इसमें बोरसी के एक रेत खदान को indicate किया गया है। उसमें दिया गया है कि रेत खदान स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। किसी को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं मिली है। जबिक मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शिवरीनारायण में देवरघटा और तनौद में एक दिन में कम से कम 80 से 100 हाईवा रेत निकाली जाती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वहां पर किसकी अनुमित से रेत निकाली जा रही है और उसको कहां से अनुमित या स्वीकृति मिली है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बिना अनुमित के रेत का परिवहन हो रहा है तो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह है कि क्या आप उसपर कठोर कार्रवाई करके उसकी जब्ती करेंगे ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रकरण में अनुमित है। जो बिना अनुमित या बिना Environment Clearance के रेत का परिवहन कर रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का केवल यही प्रश्न है कि आप उसकी जब्ती कीजिए और उनपर कठोर कार्रवाई करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल जांजगीर-चांप जिले का नहीं है। यह पूरे प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा रेत की खदानों को टेण्डर में लेकर मनमानी करने की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि अभी आप हैलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहां से नदी के ऊपर चिलये। यदि आपको 200 पोकलेन और बुल्डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न यह है कि यदि उनको अनुमति नहीं है तो बिना अनुमति के वह रेत खदान को कैसे चलाते हैं ? आप अभी चिलये और अपने अधिकारियों को ऑर्डर कीजिए कि यदि नदी के अंदर 50 पोकलेन नहीं

मिलेंगे। प्ल के नीचे गोड़ा तक को खोदकर बर्बाद कर दिया गया है। बिलासप्र में अरपा नदी को नोंचकर क्या-क्या बना दिये हैं ? माननीय मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप अपने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देष देंगे कि वह लगातार 15 दिनों तक मुहिम चलाकर पोकलेन को जब्त करें। इससे 15 दिनों तक उनका व्यापार तो बंद होगा। उसको मेनुअल करना पड़ता है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रदेश की जनता पर कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि रेत का ठेका लेने वाले तमाम बाह्बलियों को इस व्यापार को करने से रोकेंगे और ग्राम पंचायत के सरपंचों को जैसे पहले व्यवस्था थी, वैसी व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा या बुरा होगा कि वह जो बाह्बली तहसीलदार को दौड़ाते हैं, वन विभाग वालों को पीटते-मारते हैं और खनिज विभाग वालों को तंग करते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह की घटना तो नहीं होगी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप 15 दिनों तक हर घाट की चेकिंग करवाएंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस प्रकार के ठेके को निरस्त करने पर विचार करेंगे ? इससे 200-250 करोड़ रूपये से ज्यादा राजस्व नहीं मिलता है, परंतु तमाशा पूरा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और कहा गया कि A ठेकेदार है, लेकिन B उसमें 50 प्रतिशत पार्टनर रहेगा। वहां मंत्रालय से डायरेक्ट फोन जाता था। यह बिल्क्ल सच बात है। एक और स्थान में इसी तरह से नेता भेजे गये। आप इन सब विकृतियों को दूर कीजिए। यदि आप वही-वही जवाब देंगे कि सरकारी लिखा-पढ़ी और नियम में यह नहीं है। वहां पर कोई जब्ती नहीं हुई है। आप 70,000 रूपये में लाइये और 70,000 रूपये लेते जाइये। मैं रोज जाकर उल्लंघन करके रेत निकालूंगा तो आप क्या करेंगे ? यह इसका कोई हल नहीं ह्आ। आप कोई हल निकालिये और रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिये। ताकि इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जांजगीर-चांपा जिले की रेत खदान के संबंध में चर्चा हो रही है। शेषराज दीदी ने यहां पर रेत से संबंधित प्रश्न उठाया है। निश्चित रूप से यह रेत के विषय में है। अभी नवापारा, अमोंदा, पिथमपुर और गाड़ापाली की सड़क बन रही है। एक तरफ दिन में सड़क बनाते हैं और रात में बड़ी-बड़ी हाइवा उस सड़क को खराब कर रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसपर तत्काल रोक लगाइये। वहां पर एक भी खदान स्वीकृत नहीं है तो फिर सड़कों पर बड़ी-बड़ी हाइवा और पोकलेन क्यों चल रही हैं ? कृपा करके अतिशीघ्र इसका निर्णय हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी, आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 2021-22 से 2023-24 तक रेत के अवैध उत्खनन के कुल 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़, 23 लाख रूपए तथा अवैध परिवहन में 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़, 65 लाख रूपए वसूल की गई है । माननीय सदस्यों ने अवगत कराया है,

चाहे वह शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत सिंह जी हों, चाहे ब्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री आदरणीय रामविचार जी भी इस पूरी प्रक्रिया से त्रस्त रहे हैं । जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाये, जो गलत कर रहे हैं । विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्कार्ट है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए हम लोग आगामी 15-20 दिन लगातार अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा पखवाड़ा चलाईए और जैसा कि धर्मजीत जी बोल रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कठोर कार्रवाई हो और उनको सीधा संदेश पहुंचना चाहिए कि इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा । आपने जवाब ठीक दिया हे । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना स्न्दर जवाब आ गया, इतना बड़ा जवाब आ गया ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । अभी दिनांक 17.2.2024 को पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरघटा कमरीद में अवैध रेत के परिवहन कर रहे एक ट्रेक्टर से कुचलकर 16 वर्षीय छात्रा चंचल केंवट की मौत हो गई, वह परीक्षा दिलाने स्कूल जा रही थी । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहीं से घोषणा कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- रिकेश सेन जी अपना प्रश्न करें ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दूसरा प्रश्न है और मैं पहली बार प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बधाई हो ।

श्री रिकेश सेन :- धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे समाज से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है । उन्हें मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं । दूसरा, पूरे भारत वर्ष में पहला विधायक हूं, जो सेन (नाई) समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं केन्द्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब रेत उत्खनन में आ जाईए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं कि पूरे देश में एक ठाक्र च्नकर आये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कर्प्री ठाकुर जी हमारे यहां आये हैं, हम आपका स्वागत करते हैं । अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक बार फाईनली यह जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या आप इस पर कुछ करने वाले हैं ? यह बताईए ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता है कि इसमें बाहुबली लोग शामिल हो गए हैं । पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था । मैं कहना चाहता हूं कि रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और बहुत जल्द उचित निर्णय लेगा ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष जी, रिकेश जी पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी उन्होंने प्रश्न शुरू नहीं किया है । पहली बार शेषराज जी ने प्रश्न पूछा है । उन्होंने आपको एक बात याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दबकर मर गई है तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, उसकी घोषणा कर दीजिए ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है, वह तो हम सुनिश्चित करेंगे ही और नियम से ईतर स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम से हम उचित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

सरगुजा संभाग अंतर्गत रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन

[खनिज साधन]

4. (*क्र. 1040) श्री रिकेश सेन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन के 12 एवं अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज है। (ख) प्रश्नांश-"क" अनुसार दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं ? रेत के अवैध

_

¹ परिशिष्ट "एक"

उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है ? मैंने जिलेवार इसकी जानकारी चाही है।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत माननीय सदस्य ने तीन जिलों का जिक्र किया है-सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर जिला । इन तीन जिलों में रेत अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं । उत्खनन और परिवहन के अलग-अलग मामले दर्ज होते हैं । उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं । जो जिलावाईस पूरा विस्तृत जानकारी है, उसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में जो अवैध खनिज जप्त किया गया है, उसे कहां-कहां रखा गया है और क्या यह सही है कि थाना रामचन्द्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफियाओं द्वारा डम्प किया गया है और कितने की अनुमित ली गई है और जहां-जहां डम्प है, उमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिम्पंग की अलग से अनुमित कलेक्टोरेट के मायनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य की कोई चिंता है, उनको शंका है कि कहीं पर गलत डिम्पग हुआ है, तो वह हमें बता दें। उसको निश्चित रूप से चेक करवा लेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यकीन है। क्योंकि मैं जिले की बात सदन में नहीं कहता। मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में जितनी भी जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्यवाही की बात कही है, उसी में वह सारा चीज दर्शाता है। अगर डम्प किया गया है तो आपके उत्तर में इस बात का उल्लेख है कि खिनज को भी जब्त किया गया है। अगर खिनज जब्त किया गया है तो खिनज कहां है ?

अध्यक्ष महोदय :- जवाब तो आने दो, मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब तो आने दो। (प्रश्न पूछने हेतु अन्य माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खिनज परिवहन या उत्खनन के जो प्रकरण दर्ज होते हैं, उसमें जो वसूली की जाती है, वह राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है उसमें उस खिनज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खिनज का मूल्य और उसके साथ फाइन, दोनों को सिम्मिलित करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा, पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उसे उस खिनज को दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो भण्डारण के स्वीकृत प्रकरण हैं, वह तीनों जिला मिलाकर 43 प्रकरण हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओ.पी. चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है, तो जो आपने उल्लेख किया

है कि खिनज जब्त किया गया है, उसमें आपने यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उनसे खिनज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है। आपने साफ शब्दों में कहा है कि खिनज को जब्त किया गया है। तो खिनज कहां है ? मैं यह जानना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रेत के विषय पर माननीय सदस्यों ने लगातार अपनी बात कही है। इसे लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों के दौरान इस प्रदेश में हुआ है। खिनज को जब्त करने के बाद खिनज को भी गैर कानूनी रूप से विक्रय कर दिया गया है, इसिलए मेरी चिंता है। मेरे प्रश्न पर चिंता करना आवश्यक है। क्योंकि यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है। मुझे इस सरकार पर पूरा यकीन है कि रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे। उसमें जिस प्रकार से खिनज की अवैध बिक्री हुई है, वह भी नहीं होगी। इसिलए मुझे इसका अवश्य जवाब चाहिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि जैसे कि एक ट्रक पकड़ा गया तो उस ट्रक में जो भी खनिज है, उसमें पेनाल्टी impose करते हैं, उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जोड़ा गया है। लेकिन खनिज कहां है ? वह खनिज कहां गया ?

अध्यक्ष महोदय :- खनिज कहां रखा है ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश भर में जो खिनज जब्त किया गया है, वह खिनज कहां है ? क्या उसे नीलाम किया गया ? क्या उसका आक्शन बुलाया गया या उसे अधिकारियों ने अवैध रूप से बेच दिया ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात रखना चाह रहा हूं। उस खिनज को जो अवैध रूप से उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है, वह उसी को ही दे दिया जाता है। लेकिन उससे पेनाल्टी भी वसूली जाती है और उसमें उस खिनज का मूल्य भी वसूला जाता है। जब राशि जमा हो जाता है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन और खिनज दोनों को छोड़ा जाता है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी, आपके दस्तावेज में यह कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि उसे वापस उस व्यक्ति को दे दिया गया है या बेच दिया गया। मुझे मालूम है कि इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है, यह चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बस यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध खिनज जब्त हुआ है और उसका अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? क्या आप इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ? क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा संदेश इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे, जो अवैध कारोबार करते हैं ? क्या ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं, उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम इस सदन के माध्यम से करेंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से उसी बात को रख रहा हूं कि जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं तो उसके खिनज को वापस लेकर ऑक्शन करना, यह सब नहीं होता है। उसको वापस उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। लेकिन खिनज का कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूला जाता है। जब राशि जमा हो जाता है, तब उसको वापस दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सम्माननीय सदन है, सम्माननीय सदस्य को कहीं भी चिंता है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है, जहां उनको लगता है कि अवैध हुआ है, गलत हुआ है तो वह मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें। माननीय विभागीय मंत्री जी को रखकर हम एक हफ्ते के अंदर उसमें कार्यवाही स्निश्चित करेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक रूप से सदन में जांच की मांग करता हूं कि सरगुजा संभाग अन्तर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर और रामानुजगंज तथा सूरजपुर में जितने भी खिनज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के कार्य हुए हैं, जो भी खिनज जब्त हुए हैं, उसकी जांच की मांग करता हूं। आप इस विषय पर जांच करवा दीजिये और अगर दोषी पाये गये तो इस पर कड़ी कार्रवाई करिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये जवाब दे दीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी रेत पर प्रश्न लगा हुआ है । मेरा प्रश्न पीछे हैं । माननीय मंत्री जी ने यह बताया है ...।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सदस्य जी एक बार जांच के लिये बोल दे, उसके बाद मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- इनकी आत्मा की शांति कर दो । (हंसी)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा डिस्पोज कैसे होता है, मैंने माईनिंग डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को रखा है । माननीय सदस्य को कोई भी विषय है, उसे सदन के समक्ष रखना चाहिये । डिपार्टमेंट के रूप में बताना चाहें तो डिपार्टमेंट के रूप में रख दें । कहां-कहां पर गड़बड़ है, उसकी सूची दे दें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरी सूची दे दीजिए ।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी सूची दे दी है । मैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत चाह रहा हूँ, उसकी जांच हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरी सूची दे दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रिकेश सेन :- मैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत चाह रहा हूँ, उसकी जांच हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- दे दीजिए । जांच कर लेंगे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आप सूची दे दें, हम निश्चित रूप से जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इन्द्रशाह मंडावी जी । रेत में बह्त हो गया, आपका प्रश्न आयेगा तो देखेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, बिलासपुर का मामला है, अरपा का कुछ ...।

अध्यक्ष महोदय :- कहां, सरगुजा से अरपा आ गया ? चलिये, छोटा प्रश्न कर लीजिए । आप प्रश्न लगाईये ना ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में बताया है कि 12 अवैध उत्खनन के केस रजिस्टर्ड किये गये हैं और 652 में प्रकरण में अवैध परिवहन है, इस प्रकार से अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन क्या है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे ? सरकारें जो खदानें दे रही है, जिनको लीज पर दे रही है, एस.ई.टी. की परिमशन है, सरकार लायसेंस इम्प करने की भी परिमशन दे रही है कि आप रेत इम्प कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, अवैध परिवहन के नाम पर जो छोटे-छोटे किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनसे गांव-गांव में अवैध वसूली की जा रही है, गांव अगर पंचायत के कामों के लिये एक ट्रैक्टर निकालता है तो उसको 10 हजार रूपया फाईन हो रहा है । इस नाम से अवैध वसूली का कारोबार जो अधिकारियों द्वारा किया गया है, इस पर सरकार क्या कर रही है ? यह अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन है, उसको क्लैरिफाई करें और इसके नाम पर सिपाही से लेकर 108 के ड्राईवर तक वसूली कर रहा है । आम किसान परेशान हो रहा है, जिसक पास ट्रैक्टर है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इसके लिये क्या व्यवस्था देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जवाब दीजिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कंसर्न रखें हैं, अभी तक जितना डिबेट चल रहा था, वह दूसरे साईड में है । उन्होंने पहला चीज जो रखा है वह उत्खनन और दूसरा है परिवहन, उन्होंने दोनों के केस डिफरेंस करने की बात कही है । जैसे कहीं पर बिना लीज के उत्खनन किया जा रहा है, कहीं जे.सी.बी. लगा हो, डम्फर लगा हो, वहां लीज ही नहीं है, वहां इन्वायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं है, यदि वहां पर खोदा जा रहा है या जो भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है, उससे बाहर खोदा जा रहा है, उसमें अवैध उत्खनन के प्रकरण बनते हैं । अध्यक्ष महोदय, यदि कोई टूक चल रहा है, कोई डंफर चल रहा है, वह बिना रायल्टी के चल रहा है, उसको जब सड़क पर पकड़ते हैं, उसमें अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज होता है। इन दोनों में थोड़ा टेक्नीकली डिफरेंस हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेकण्ड कंसर्न रखा है कि छोटे-छोटे ट्रेक्टर वाले या जो भी लोग हैं, उनको प्रताडित न किया जाये । अध्यक्ष महोदय, हम दोनों विषयों पर निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे । अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले बड़े-बड़े बाहुबली और माफियाओं पर सख्त कार्यवाही हो, यह विष्णु देव साय जी की सरकार है, यहां कोई बाहुबली नहीं बचने वाला है । यह हम सुनिश्चित करेंगे और दूसरी ओर जो छोटे-छोटे ट्रेक्टर वाले हैं, ग्राम पंचायत के काम के लिये रेत ले जा रहा है, कोई स्थानीय उपयोग के लिये ले जा रहा है, इस प्रकार से माईनिंग अधिनियमों में जो छूट का प्रावधान है, उसके

तहत रेत का उपयोग किया जा रहा है, यदि अनावश्यक रूप से जाकर उसको तंग करेगा तो वह भी हम नहीं होने देंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में एक भी मुरूम की खदान विधिवत तौर पर नीलामी में नहीं है । पिछले पांच सालों से सरकारी कामों में मुरूम की सप्लाई हो रही है । अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टतौरी पर अवैध उत्खनन में आता है । स्थिति ऐसी है कि बेलतरा विधान सभा के ग्राम खैरा और बामू के बीच में हाई टेंशन लाईन गिरने की स्थिति है । दूसरा, लछनपुर में एक रेतघाट है, वह आचार संहिता के दौरान प्रक्रिया में आती है, आचार संहिता के दौरान उसको इन्वायर्नमेंट क्लियरेंस मिलता है, 6 बजे से 6 बजे तक उत्खनन का मामला है, लेबर से कराना है, पोकलैण्ड में खुदाई हो रही है या अवैध भण्डारण हो रहा है, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई है । रेत घाट से ऐसे ही अन्य मामले...।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री स्शांत श्क्ला :- जी । अरपा प्ल की ख्दाई कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी को जानकारी दे दीजिए ।

श्री स्थांत श्क्ला :- इतने सारे प्रश्न । अब लास्ट, नेता प्रतिपक्ष ।

श्रीमती लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लास्ट प्रश्न है, जहां पर रेत खदान लीज में नहीं दिया गया है...।

श्री स्शांत श्क्ला :- पूरे अरपा प्ल के पिल्हर की ख्दाई कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को जानकारी दे दीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला - जी।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, इतने सारे प्रश्न न पूछे। अब एक आखिरी प्रश्न नेता प्रतिपक्ष जी पूछेंगे।

स्श्री लता उसेंडी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक छोटा-सा प्रश्न है।

डॉ. चरणदास महंत :- लता जी, आप प्रश्न कर लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, लता जी, आप प्रश्न कर लीजिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई सारे इलाके हैं, जहां पर रेत खदानें लीज पर नहीं दी गयी है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कोण्डागांव जिला का ही मामला है। वहां पर छोटे-छोटे कामों के लिये जैसे, प्रधानमंत्री आवास के लिये हो या अन्य कार्यों के लिये ट्रैक्टर और ट्रकों में रेत ले जायी जाती है और उन्हें आये दिन रोज पकड़ा जाता है। वहां अधिकारियों से सीधे-सीधे यह कहा जा रहा है कि आप हमारा ट्रांसफर ही करवायेंगे और क्या कर लेंगे ? क्या आप नियम के

तहत कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे कि जहां-जहां पर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, वहां तत्काल लीज में दिया जाये ताकि लोगों को स्विधा हो सके।

अध्यक्ष महोदय :- यह भी ठीक स्झाव है। मंत्री जी, जल्दी से लीज पर कर दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सदन में कई महत्वपूर्ण कंसल्ट आये हैं। जैसे छोटे-छोटे गांव वालों को रेत यूज करने के लिये क्या करना है ? मान लीजिये यदि गांव वालों को स्वयं के उपयोग के लिये रेत की आवश्यकता है। यदि कोई घर बना रहा है या जो पांच साल तक प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनने चालू हो गये है। इस तरह के जो उपयोग है, वे उसके लिये रेत का उपयोग कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने उनको प्रधानमंत्री आवास के लिये नि:शुल्क रेत ले जाने की अनुमित दे दी है या इसके लिये विभाग तैयारी कर रहा है ? यदि इसकी तैयारी कर ली गई है तो आप इसकी घोषणा कर दीजिये। यह बहुत बड़ी बात हो जायेगी। इसके तहत 18 लाख आवास बनने वाले हैं (मेजों की थपथपाहट)। क्या उनको रेत ले जाने की अनुमित दी जायेगी ? यदि आप सहमत है तो आज बोल दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये छोटे ट्रेक्टरों के माध्यम से जितनी भी रेत की आवश्यकता होगी, उसके लिये हम लोग उनको नि:शुल्क रूप से रेत उपलब्ध करवायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। बह्त बड़ी बात हो गयी। अब नेता जी का आखिरी प्रश्न है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास के लिये मुख्य रेत की व्यवस्था की है। यह प्रश्न नहीं है मगर एक सोचने की बात है। पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है। क्या रेत से तेल निकलता है ? (हंसी) यदि हां, तो यह बता दीजिये कि एक टन रेत से कितना तेल निकलता है? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- बह्त अच्छा प्रश्न है। श्री इंद्रशाह मंडावी जी।

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन आंगनबांड़ी केंद्र भवन निर्माण [महिला एवं बाल विकास]

5. (*क. 383) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्रामों के आंगनबाड़ी केंन्द्र भवन जर्जर/अति जर्जर होने के कारण अन्य स्थान पर संचालित हैं, कृपया संख्या बतावें तथा नवीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेत् क्या कार्यवाही की गयी है ? नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेत् शासन को

कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? (ख) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम के जर्जर/अति जर्जर आंगनबाड़ी भवनों हेत् नवीन भवन का निर्माण कब-तक कर लिया जावेगा ?कृपया बताने का कष्ट करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े): (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 67 ग्रामों के 67 आंगनबाड़ी केंन्द्र भवन जर्जर/अति जर्जर होने के कारण अन्य स्थान पर संचालित हैं। मनरेगा अभिसरण से नवीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भारत शासन से रुपये 12.00 लाख प्रति भवन के मान से 3900 भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से मनरेगा अभिसरण अंतर्गत राशि रूपये 8.00 लाख एवं विभागीय अंशदान राशि रूपये 2.00 लाख (60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश सहित) व्यय किया जाना निर्धारित है। शेष 2.00 लाख रूपये की 15वां वित आयोग मद (कोई अन्य अनटाईड मद) से व्यवस्था की जानी है। उपरोक्त स्वीकृति के अनुक्रम में 3646 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु आयुक्त मनरेगा को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है एवं पी.एफ.एम.एस. अंतर्गत विभागीय अंशदान की लिमिट जारी की गई है। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु शासन को पूरे प्रदेश से 3646 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें विधानसभा मोहला-मानपुर के 59 केन्द्रों के प्रस्ताव शामिल है। (ख) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम के जर्जर/अति जर्जर आंगनबाड़ी भवनों हेतु नवीन भवन के निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कितना तेल निकल रहा है, कम से कम उसको तो बता दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रेत से तेल, शराब से तेल, चावल से तेल, कोयला से तेल निकालने वाले वैज्ञानिक तो यहीं बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, रेत से कहां-कहां पर तेल निकल रहा है, वह स्थान बता देंगे तो मालूम हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सब वैज्ञानिक तो यहीं बैठे हैं, रायपुर में भी बड़े-बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं। यह झारखण्ड में भी बताने गये थे कि तेल कैसे निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसकी चर्चा बंद करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यहां बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। इन्होंने 05 साल तक वहीं काम किया है।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, यह झारखण्ड में तो प्लांट देखने के लिये विजिट करने गये थे।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- कौशिक जी, अब पांच साल तक आप लोगों को करना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह अभी जिस बात को उठा रहे हैं, यह अभी का नहीं है, यह 05 साल तक वही काम किये हैं। सही बात तो यह है कि रेत के इतने बाहुबली हो गये कि अधिकारी भयभीत थे और जो भी अधिकारी इनको रोकने गये तो 05 सालों में अधिकारियों की पिटाई हुई है। उसके कारण यह सब मामला हुआ है। रेत का तेल निकालने वालों के ऊपर अब शिकंजा कसने का समय आ गया है।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से प्रश्न किया था, मुझे उसका उत्तर तो मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- इतना काफी है। बहुत सारे सुझाव आ गये। अब नया प्रश्न आने दीजिये। चित्रये, इंद्रशाह मंडावी जी।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 67 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है। आपको विदित है कि मोहला मानपुर में रहने के लिये घर नहीं है। हालांकि अभी 18 लाख आवास बनेंगे तो चल जायेगा। वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने के लिये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है परंतु अभी बताया जा रहा है कि मनरेगा से उसको पास कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, जी। मैं आज दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि वहां एक साल से आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्टिंग नहीं हुई है। उसकी पोस्टिंग कब तक कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मंत्री जी, बताईये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रही बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तो यदि वहां आवेदन गया होगा ।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, आवेदन जमा हुए साल भर हो गये हैं। अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, चिलये, इसमें जो विभागीय अधिकारी परियोजना तय करते हैं, उनसे बातचीत करके मैं उस कार्य को जल्दी करवाती हूं।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- जी, जल्दी आदेशित करने की कृपा करें।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री फूल सिंह राठिया जी।

रामपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई जन शिकायतों का निराकरण [जन शिकायत निवारण]

6. (*क्र. 1521) श्री फूलिसंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक कितने जन प्रतिनिधियों द्वारा जन शिकायत के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ख) प्राप्त आवेदनों में कितनों का निराकरण किया गया तथा कितने आवेदनों का निराकरण शेष है? यदि निराकरण नहीं हुआ है तो कब तक निराकरण हो पाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला-कलेक्टर कोरबा को प्रश्नाविध में 02 जनप्रतिनिधियों से, कुल 08 आवेदन शिकायतों के प्राप्त हुए हैं।(ख) प्राप्त 08 आवेदनों में से 07 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। निराकरण के लिए 01 (एक) आवेदन शेष है। लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जायेगा।

श्री फूलिसंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं िक रामपुर विधान सभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक कितने जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की और कितने आवेदनों का निराकरण हुआ ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, रामपुर विधान सभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर कोरबा को प्रश्नाविध में दो जनप्रतिनिधियों से शिकायतों के कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से 07 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और एक प्रकरण का निराकरण शेष है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, आप और कोई प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री फूलिसेंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां अभी तक कोई आवेदन का निराकरण नहीं हुआ है। मैंने वहां खुद शिकायत किया था जो वहां साप्ताहिक बाजार है, आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है और हमारे सरतबंदिया से ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। यह पहली बार सदस्य बने हैं, उन पर थोड़ा...।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं ? आप केवल इतना बता दीजिए ?

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि वहां के साप्ताहिक बाजार में सुबह 7.00 बजे से 6.00 बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री की जाए।

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 8 आवेदनों और उनके निराकरणों की डिटेल है तो मैं माननीय सदस्य को वह उपलब्ध करवा ही दूंगा। इसमें वह विषय नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। उनका जो कंसर्न है, माननीय सदस्य की बातों के अनुसार निश्चित रूप से हम उसमें कार्यवाही स्निश्चित करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप उनको और मुझे यह भी बता दीजिएगा कि दो साहिबान कौन हैं जिन, जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के पास इसकी शिकायत की है? और एक निराकरण के लिए बच गया है, वह कौन सा कार्य, शिकायत है, 5 सालों में जिसका निराकरण नहीं हो पाया ?

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 2 जनप्रतिनिधियों ने सारे विषय रखे हैं उनमें श्री ननकीराम कंवर जी और पूर्व विधायक आदरणीय श्याम लाल कंवर जी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया।

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विषय पेंडिंग है, मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को उसकी डिटेल उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री फूलिसंह राठिया :- माननीय मंत्री महोदय जी, मैं यह जानना चाहता हूँ। मैंने खुद शिकायत की है। वहां रिसदी चौक से बरबसपुर तक जो राखड़ सड़कों में पड़ा हुआ है वहां बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जनहानि हो रही है। मैंने आवेदन दिया था जिस पर मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं दी गई है।

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्ट्रेड में जो डिटेल प्राप्त हुए हैं, यहां पर उसकी डिटेज भेजी गई है। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होगा तो हम कलेक्टर को निर्देशित कर देंगे कि माननीय सदस्य का और कोई विषय होगा तो उसका भी निराकरण कराना स्निश्चित करें।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, वहां राखड़ की शिकायत को शिकायत नहीं माना जाता है। कोई कलेक्टर राखड़ की शिकायत को नोट नहीं करता। वहां कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब आप बता दीजिए, वहां आदेश भेज दीजिए। यहां इस प्रदेश में विष्णु देव जी की सरकार है। यदि कोई राखड़ के बारे में आवेदन दे, शिकायत करें तो उसे भी शिकायत का दर्जा मान लिया जाए।

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का जो बिन्दु है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो विषय लंबित का रखा है मैं, उनको वह भी प्रस्तुत कर दूंगा। पिछले कार्यकाल में राखड़ के विषय को शिकायत नहीं माना जाता रहा होगा, यह हो सकता है। निश्चित रूप से हमारी विष्णु देव साय जी की सरकार उसे शिकायत मानेगी और ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी 5 सालों के कार्यकाल से बड़े दुःखी थे। तो निश्चित रूप से इस बार उनको दुःखी नहीं होना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुःखी नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय :- इसमें पर्याप्त उत्तर आ गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत ही पवित्र आसंदी में बैठे थे वहां वहां तो कुछ ऐसा नहीं रहता है। श्री उमेश पटेल :- भईया, यह प्रश्नकाल है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ रहता है इसी तरफ रहता है। उसके कारण वह जानते थे कि यदि आप राखड़ की शिकायत करेंगे तो उस समय जो पूजा पाठ करते थे वह बड़े-बड़े लोग राखड़ का ठेका लेते थे। उस समय कोयले के ठेके की जूस सेंटर में 40 रूपये टन वाले की रशीद कटती थी। उसी को ठीक करना है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वहां उन्होंने इसकी खुद शिकायत की है अभी कलेक्ट्रेड में वह शिकायत नहीं है जैसा आपने बताया। अगर एक विधायक ने शिकायत की है उसका कोई वापस रिफरेंस, जवाब नहीं मिलता तो इसमें क्या कोई कार्यवाही का प्रावधान है ? और यदि कोई कार्यवाही का प्रावधान है तो आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोला भी ए में प्रश्न करना है। ओ ह ए में जवाब ला दे दिही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला कहात हों कि जब ले आप मन के सरकार बने हे तब ले मोर इहां रायगढ़ से राखड़ हा आवत है। में एखर शिकायत भी करए हों कि रायगढ़ के फैक्ट्री के, आप धन्य हौ, आप हमरे इहां भेजत हावव। में ओखर शिकायत करे हौं। मोर आपके माध्मय से निवेदन हे कि मोर इहां रायगढ़ जिला के राखड़ हा कइसे आही ? ओ राखड़ हा मोरे विधान सभा क्षेत्र में आवत है। आपसे निवेदन हे कि ओला आप रोक लगावा।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, इन्द्रकुमार साहू प्रश्न करें। इसमें बहुत प्रश्न हो गये हैं। श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय :- आपके यहां नदी है, रेत कहां है ? कवर्धा में न नदी है, न रेत है। श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, उसका जवाब दे दिया।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोय, मेरा निवेदन है यह है कि प्रश्नकाल में मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न आ पाते हैं। जो प्रश्न पीछे रहते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता। इसमें चर्चा का विषय अलग से सुरक्षित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आपका ठीक सुझाव है। चलिये, इन्द्र कुमार साहू जी प्रश्न करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद शिकायत की है। उसका उत्तर तक नहीं मिल रहा है। इस विधान सभा में अगर हम लोग विधायक के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो कहां कर पायेंगे ? अध्यक्ष महोदय :- हो गया, जवाब आ गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष जी दो बार बोल चुके हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उनके अधिकार का मामला है। अगर एक विधायक यहां पर अपनी बात नहीं रख पायेगा, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पायेगा, तो वह कहां पर पायेगा? यह खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने शिकायत खुद की है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में एक केबिनेट मंत्री ने।

श्री रामकुमार यादव :- आप ओला रायगढ़ जिले के राखड़ और चन्दरपुर के राखड़ के बात बताये हो।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उनके अधिकार का मामला है, वह खुद बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये न। उनका अधिकार है तो वह खुद बोलेंगे। आप बोलिये, आपको क्या बोलना है ? आप क्छ तो बोलिये। आप क्छ बोलेंगे तो उसकी जांच करा देंगे।

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं शिकायत की है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसको किया जाये।

श्री फूलिसंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि तत्काल कार्रवाई की जाये। अध्यक्ष महोदय :- बस, यह पूछ रहे हैं कि कार्रवाई की जाये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य का जो विषय है, उसको दिखवा लेंगे और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल कार्रवाई की घोषणा करवा दीजिए। वह माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हो गये या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें बह्त प्रश्न हो गये।

श्री उमेश पटेल :- यह विधायकों के अधिकार का मामला है।

श्री रामक्मार यादव :- माननीय मंत्री जी रायगढ़ जिले के राखड़ की बात है, तेला बताओ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं बैठे हुए एक मंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि अधिकारी को निलंबित किया जायेगा, उसके बाद भी वह निलंबित नहीं हुआ। आप कलेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप हर चीज में वही बात करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे सदस्य के अधिकारों का सवाल है। अध्यक्ष महोदय :- इसमें बह्त प्रश्न हो गये। श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विधायक जब यह खुद कह रहा है कि उनकी शिकायत का उत्तर तक नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- उसका जवाब आ गया, माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये। आप खड़े होकर वकालत कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें संतुष्ट कराया जा रहा है, वह संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनको तत्कालीन प्रक्रिया चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पहली बार प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न का जवाब आ गया। इसमें बहुत प्रश्न हो गये। अब आप बैठिये। इन्द्र कुमार साहू जी आप प्रश्न करिये।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभनपुर विधान सभा क्षेद्ध अंतर्गत शराब विक्रय के संबंध में मैंने प्रश्न किया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है। मंत्री कितने बार बोलेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने शिकायत की है, उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये न, आप थोड़ी प्रश्नकर्ता हो। आपका क्या प्रश्न है, चलिये बोलिये। वह चार बार संतुष्ट हो गये। आप उनको खड़ा करते हैं।

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज तक मेरी शिकायत का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न बताईये। आपका क्या प्रश्न है, आप साफ-साफ बताईये। आप बैठिये।

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राखड़ के संबंध में है। अध्यक्ष महोदय :- बस, ठीक है। माननीय मंत्री जी, उत्तर बता दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो भी विषय है, उसको निश्चित रूप से दिखवा लिया जायेगा और उस पर नियमान्सार कार्रवाई स्निश्चित की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, बह्त अच्छा। इन्द्र कुमार साहू जी।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

7. (*क. 826) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 तक अवैध शराब विक्रय के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गए हैं ? (ख) दर्ज प्रकरणों में से ऐसे कितने आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध एक से अधिक बार कार्यवाही हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 तक अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	01.01.2019 से	
1	31.03.2019 तक	70
2	2019-20	1
3	2020-21	4
4	2021-22	1
5	2022-23	11
6	2023-24 (दिसंबर	34
O	2023 तक)	J 4

(ख) दर्ज प्रकरणों में से 01 आरोपी के विरूद्ध एक से अधिक बार कार्यवाही हुई है।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब विक्रय के संबंध में मैंने जानकारी चाही है। जिसमें माननीय मंत्री जी ने जनवारी 2019 से दिसंबर 2023 के मध्य लगभग 05 वर्षों की जो जानकारी गई है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। वर्ष 2019-20 में 01, 2020-21 में 4, 2021-22 में 1, 2022-23 में 11, 2023-24 (दिसंबर 2023 तक) में 34 अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरणों की संख्या की जानकारी दी है। यहां प्रतिदिन अवैध शराब बिक्री के 7-8 प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। इसमें गलत जानकारी दी गई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतनी कम संख्या की जो जानकारी दी गई है या तो यह विभाग की उदासीनता दर्शाता है या फिर इस मामले में क्या कार्रवाई करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- समय खत्म हो रहा है, आप जल्दी प्रश्न कर लीजिए।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूं कि इतन कम जानकारी कैसे दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप प्रश्न करके बैठ जाईये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 ਕਤੇ

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- अध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना। श्री गजेन्द्र यादव जी।

समय :

12:01 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा बिना किसी मशीनरी के स्थापना एवं एकत्रित कचरे के समुचित निष्पादन किये बिना कार्य एजेंसी को भुगतान किया जाना

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा बिना किसी मशीनरी के स्थापना एवं एकत्रित कचरे के समुचित निष्पादन किये बिना कार्य एजेंसी को भुगतान किये जाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) जी का ध्यान आकर्षित करना चाहंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेगे।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण आ गया है। चलिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा निगम क्षेत्र के कचरे को संकलित कर ग्राम पोटिया में एकत्रित करने का कार्य विगत वर्षों से किया जा रहा है, जिसके कारण 8-10 एकड़ क्षेत्र में कचरे का पहाड़ बन गया है। कचरे के सड़ने एवं दुर्गन्ध से आसपास के रहवासियों का दैनिक जीवन प्रभावित है तथा संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। सब्जी मार्केट का कचरा एकत्रित होने से आसपास के पालतू जानवर गाय, बैल भोजन की तलाश में एकत्रित होते हैं, जो कचरे के साथ प्लास्टिक एवं मेडिकल वेस्ट भी खा रहे हैं, जिससे जानवरों में बीमारियां तथा गौवंश आकस्मिक मौत के शिकार हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्य्नल के आदेशान्सार कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन हेत् कचरे को छंटनी करने का प्लांट, मशीनरी, वाहन इत्यादि आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा तैयार की गई योजना लागत राशि रूपये 599 लाख की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गयी है, जिसकी निविदा दर की स्वीकृति भी राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022 में दी जा चुकी है तथा इस हेतु NACOF INDIA LTD BHOPAL को कार्य एजेन्सी नियत किया गया है किन्त् दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी स्थल पर कचरे को छंटनी करने का प्लांट, मशीनरी, वाहन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है एवं न ही स्वीकृत योजनान्सार कचरे का निष्पादन किया गया है। बिना मशीनरी की स्थापना किए एवं कचरे के समुचित निदान के कार्य एजेन्सी को लभगभ 5.89 करोड़ का भ्गतान कर दिया गया है। इसमें निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय राशि में अनियमितता की गई है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल, 2016 का उल्लंघन करते हुए नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों एवं ठेका एजेंसी द्वारा करोड़ों रूपये के कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे वायु, मिट्टी एवं जल-प्रदूषण के कारण आसपास के रहवासी दुर्गन्धमय वातावरण में रहने को मजबूर हैं तथा गौवंश की आकस्मिक एवं दर्दनाक मृत्यु हो रही है। इससे स्थानीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि नगर पालिक निगम, दुर्ग के द्वारा निगम क्षेत्र के कचरों का संकलन कर ग्राम पोटिया में एकत्रित करने का कार्य विगत वर्षों से किया जा रहा है, जिसके कारण 8-10 एकड़ क्षेत्र में कचरे का पहाड़ बन गया है। नगर पालिक निगम, दुर्ग शहर का 15-20 वर्ष पुराना ठोस अपशिष्ट (लिगेसी वेस्ट) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देश अनुसार निष्पादन किये जाने के निर्देशानुसार प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया था। राज्य शासन के आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2020 के अनुसार नगर पालिक निगम, दुर्ग के लिए राशि रूपये 599.38 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के परिपालन में निविदा की कार्यवाही की गई। जिसमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम निविदा में भाग लिए गये निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तकनीकी प्रस्ताव में अपात्र पाये जाने के कारण षष्ठम निविदा दिनांक 27.12.2021 को पुनः आमंत्रित किया गया है। जिसमें भाग लिए गये निविदाकार पात्र

पाये जाने के कारण न्यूनतम दरदाता की एकमुश्त दर राशि रूपये 588.98 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया । राज्य शासन द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2022 को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त स्वीकृति के परिपालन में निविदाकार से अनुबंध निष्पादित कर 07.09.2022 को कार्यादेश जारी किया गया । उक्त कार्यादेश के तारतम्य में अनुबंधित एजेन्सी-nacof india ltd. Bhopal द्वारा निविदा के आर.एफ.पी. में उल्लेखित लिगेसी वेस्ट एरिया 10.38 एकड़ की मात्रा 1,80,000.00 क्यूबिक मीटर का निष्पादन आवश्यक मशीनरी एवं संसाधन लगाकर नियमानुसार किया गया है । अनुबंधकर्ता द्वारा समय-सीमा में अनुबंध अनुसार कार्य संपादित किया गया है । अनुबंधकर्ता द्वारा किए गये कार्य के अनुसार भुगतान किया गया है, वर्तमान में संबंधित एजेन्सी का स्रक्षा निधि एवं रोकी गई राशि रूपये 55,90,907.00 का भुगतान किया जाना शेष है ।

नगर पालिक निगम, दुर्ग, पोटियाकला ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डम्प लिगेसी वेस्ट निष्पादन कार्य के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि लिगेसी वेस्ट के निष्पादन हेतु वर्ष 2020 को 1,80,000 (अक्षरी-एक लाख अस्सी हजार) क्युबिक मीटर की गणना के आधार पर वर्ष अक्टूबर 2020 को प्रथम निविदा आमंत्रित की गई । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम निविदा में भाग लिए गये निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तकनीकी प्रस्ताव में अपात्र पाये जाने के कारण षष्ठम निविदा दिनांक 27.12.2021 को पुन: आमंत्रित किया गया । षष्ठम निविदा के अनुसार सितम्बर 2022 में प्रकरण स्वीकृत हुआ है । अनुबंधकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ के दौरान प्रश्नाधीन क्षेत्र का अनुबंध की कंडिका 6 (Scope of work) के अनुसार प्रस्तुत टेस्ट सर्टिफिकेट वाल्यूम रिपोर्ट में 11.90 एकड़ पर कचरे की मात्रा 227550.80 क्यूबिक मीटर होना पाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि निविदा के आर.एफ.पी. में उल्लेखित क्षेत्रफल से 1.52 एकड़ तथा मात्रा से 47550.80 क्यू.मी. अतिरिक्त होने के कारण कचरे का निष्पादन कार्य शेष है ।

पोटिया टेंचिंग ग्राउण्ड में अनुबंधित एजेन्सी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम तथा अनुबंध अनुसार 1,80,000.00 क्युबिक मीटर (10.38 एकड़ भूमि पर) कचरा (लिगेसी वेस्ट) का निष्पादन नियमान्सार किया गया है । नगर निगम, दुर्ग की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि आपने मशीनरी की स्थापना नहीं की है तो आपने कौन सी विधि से उस कचरे का निष्पादन किया ? आपने जवाब में दिया है कि वहां मशीनरी की स्थापना हुई है लेकिन चूंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मैं वहीं पर रहता हूं, वह मेरे पडोस का वार्ड है । उस जगह में आज तक किसी भी प्रकार की किसी मशीनरी की स्थापना नहीं हुई है । यदि मशीनरी की स्थापना नहीं की है तो आपने कौन सी विधि से और कैसे इस कचरे का निष्पादन किया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त स्थान पर चेन माउंटेन मशीन, डम्पर, माउंटेन लोडर, जे.सी.बी., हाईवा, ट्रक-ट्रेक्टर, ट्रॉली, वाईब्रेटर्स, सीव स्क्रीनिंग (Sieve screening), रोलम मशीन (Rolam machine), बेलिंग यूनिट (Baling unit), बॉयो कल्चर, बेलिस्टिक सेपरेटर (Ballistic Separator) इन सभी मशीनों का उपयोग वहां पर किया गया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को पूर्णतः गलत जानकारी दी जा रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां जितने भी मशीन का नाम माननीय मंत्री जी ने यहां घोषित किया है, कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी मशीन का उपयोग उस कचरे के निष्पादन में नहीं लाई गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज भी आपने अपने लिखित जवाब में बोला कि 2 एकड़ का अतिरिक्त है। आपने टेंडर अवधि में 1.80 लाख का अनुमान बताया है और बाद में उसमें आपने लिखा कि 1.52 एकड़ का अतिरिक्त है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि आज भी पूरे 12 एकड़ में कचरा एज इट इज जैसा है, वैसे ही इंप है। माननीय मंत्री जी, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए गलत जानकारी दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चूंकि यह जन सामान्य का मामला है। कागज में पूरा काम हुआ है। जब आपने इतनी सारी मशीनों का उपयोग किया तो कहीं भी भौतिक सत्यापन हुआ क्या? कोई फोटोग्राफ हुआ क्या या कोई भौतिक सत्यापन हुआ क्या? यह 5 करोड़ का मामला है। कचरा निष्पादन का मामला है। इसमें पूरे केन्द्र सरकार की राशि है। इसमें क्या संबंधित राज्य स्तर का कोई अधिकारी ने वहां जाकर भौतिक सत्यापन किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, completion certificate भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा दिया गया है और दो साल से यह प्रक्रिया चल रही है। सितंबर, 2022 में यह काम complete हो गया था और आप यदि चाहते हैं तो हम inspection कराकर देख लेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, सवाल परीक्षण का नहीं है। सवाल जन सामान्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे दुर्ग की कल्पना करते हैं। पूरे शहर में कचरे को यहां वहां कहीं भी जितने भी पाँस काँलोनी हैं, वहां उन कचरों को रखा जा रहा है। वहां पर दुर्गंधयुक्त 12 एकड़ में एक ट्रक भी वहां पर कचरा निष्पादन नहीं किया गया। ऐसी ही घटना भिलाई निगम में भी 4-4 साल पहले हुई। संबंधित अधिकारी ने भिलाई में लिपा-पोती किया और वहां जब जांच हुई तो वह अधिकारी वहां से अपना ट्रांसफर कराकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग बन गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अरूण साव :- अभी जो लिगेसी वेस्ट एरिया है, 1.52 एकड़ का क्षेत्र बचा हुआ है, जिसमें लिगेसी वेस्ट की मात्रा 47550.80 क्यूबिक मीटर बचा हुआ है, उसके निष्पादन के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है। आपके द्वारा यह बताया जा रहा है कि 1.52 एकड़ में कचरा अभी बचा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस स्थान का आप बोल रहे हैं, वहां पर 12 एकड़ में आज कचरा डंप रखा है। क्या आप उसमें कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दिखवा लीजिए।

श्री अरूण साव :- मैं दिखवा लूंगा, जैसा आदरणीय ने कहा है।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, सवाल दिखाने का नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा हूं शासन का 5 करोड़ 88 लाख रूपये बिना वर्क के नगर-निगम का वाहन है, नगर-निगम का कर्मचारी है, जो आपने जितने मशीनों की बात कही, सारे नगर-पालिक निगम, दुर्ग के जे.सी.बी., रोलर और नगर-निगम के ट्रेक्टर इवन नगर-निगम के सफाई कर्मचारी का उपयोग करके आपने कचरे को एक जगह इकट्ठा किया है और उन्हें आप दिखाकर 5 करोड़ 88 लाख रूपये का भुगतान किया है, उस संबंध में क्या आप प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री अरूण साव :- देखिए, मैंने जैसे बहुत स्पष्ट कहा कि completion certificate भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। निष्पादन के लिए एरिया और मात्रा भी आपको बताया गया है और इसलिए इस तरह की बात नहीं है। जो बचे हुए एरिया है, उसके निष्पादन के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो completion certificate की बात कही, उसी में मुझे आपित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्क हुआ नहीं है। कागज वर्क हुआ है। आप कैसे उसे completion certificate दे रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं। क्या उस आधार पर आप कार्रवाई करेंगे?

श्री अरूण साव :- मैंने जैसे कहा कि टेंडर के हिसाब से estimated 10.38 एकड़ का लिगसी वेस्ट एरिया था, और estimated मात्रा थी 1 लाख 80 हजार क्यूबिक मीटर। इतने का निष्पादन हुआ है और कार्य आदेश के पूर्व टेस्ट सर्टिफिकेट वाल्यूम रिपोर्ट तीसरी पार्टी से लिया गया और तब पता चला कि लिगसी वेस्ट एरिया 11.90 एकड़ है और लिगसी वेस्ट की मात्रा 227550.80 क्यूबिक मीटर है। तो जो टेंडर था आर.एफ.पी. के हिसाब से उसका निष्पादन हो गया है। रेस्ट एरिया के लिए निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं । आप कह रहे हैं कि 2.54 एरिया बचा है । मैं कह रहा हूं कि पूरे 10 एकड़ में कचरा बचा है । माननीय मंत्री जी, आपको गलत जानकारी दी जा रही है । अधिकारियों के द्वारा इस सदन को गलत

जानकारी दी जाती है और हमारे मंत्री जी के ऊपर प्रश्नवाचक चिहन लगाया जाता है । मैंने जो आपको जानकारी दी है, उस आप कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- आपने जो विषय कहा है । उसे मैं संज्ञान में लूंगा । यदि इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से विभाग ।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, दिखवाने से काम नहीं चलेगा । यह ऐसा प्रभारी अधिकारी है जो कुछ वर्ष पूर्व भिलाई में भी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- इसकी शिकायत मैं माननीय मंत्री जी से कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बोल रहे हैं दिखवा लेंगे, जांच करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- आप सदन में घोषण करवा देंगे ।

श्री अरूण साव :- इस काम का मैं इंस्पेक्शन करवा लूंगा और यदि कोई त्रुटि पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- बह्त अच्छा ।

(2) विकासखंड गुरूर के ग्राम पलारी में नियम विरूद्ध उसना राईस मिल निर्माण के लिए अनुमित दी जाना.

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- अध्यक्ष महोदय, बिदामी फूड्स खसरा नम्बर 181/5 में उसना राईस मिल का निर्माण कराया गया है । जबिक इस खसरा नम्बर के लिए कोई एन.ओ.सी. ही जारी नहीं की गई है । पंचायत राजस्व विभाग, उद्योग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके नियम विरूद्ध बसाहट क्षेत्र में राईस मिल निर्माण करने में सहयोग प्रदान किया है । उक्त उसना मिल से होने वाली स्वास्थ्यगत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण स्कूली बच्चों, शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्यों द्वारा कलेक्टर जिला बालोद एवं अनुभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर को उक्त राईस मिल निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए संयुक्त हस्ताक्षारित आवेदन पत्र दिया गया । लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने पर ग्रामीणों, स्कूली बच्चों एवं आसपास के लोगों के द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2023 को धरना, प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम भी किया गया । उक्त राईस मिल निर्माण का शुरू से ही विरोध करने के बाद भी शासन, प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण वे आक्रोशित हैं एवं आगे उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं । विषय की गंभीरता, जनभावना एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाना न्यायसंगत होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत

विकासखंड गुरूर में ग्राम पलारी में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के पास उसना राईस मिल के निर्माण का ग्रामवासियों द्वारा प्रारंभ से ही विरोध किया जा रहा है । माध्यमिक शाला से इसकी दूरी मात्र 78 मीटर की, बसाहट से से इसकी दूरी मात्र 19 मीटर है । इस उसना राईस मिल के आसपास शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेवा सहकारी समिति कार्यालय का भवन, जिला सहकारी बैंक एवं पटवारी कार्यालय व बसाहट क्षेत्र है । जिससे आने वाले समय में स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को राईस मिल से निकलने वाले जहरीले धुंआ, बदबूदार गंदा पानी, मिल और गाडियों के शोर से, मिल से निकलने वाली इस्ट से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । जिससे ग्रामीणों में रोष है । अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत पलारी के द्वारा 9.10.2021 को पंचायत की बैठक में पूर्व में दिए गए एन.ओ.सी. को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से पारित किया गया था लेकिन सरपंच सचिव द्वारा मनमानी करते हुए फर्जी तरीके से एन.ओ.सी.जारी किया गया । बिदामी फूड्स को उसना राईस मिल के लिए अनापति प्रमाण पत्र दिया गया । इससे ग्रामीणों में बहुत ज्यादा रोष है मैं मंत्री जी से उत्तर चाहती हूं ।

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही नहीं है कि संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पलारी विकासखंड गुरूर में बसाहट से मात्र 19 मीटर एवं माध्यमिक स्कूल से मात्र 78 मीटर की दूरी पर खसरा क्रमांक 181/5 में नये उसना राईस मिल बनकर चालू होने को तैयार है । सारे नियमों को ताक में रखकर उक्त राईस मिल निर्माण के लिए सर्व संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्जी प्रतिवेदन दिया गया । ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी अनापित प्रमाण पत्र दे दिया गया, अपितु तथ्य यह है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पलारी स्थित खसरा क्रमांक 181/5 में नवनिर्मित उसना राईस मिल बसाहट से लगभग 700 मीटर एवं माध्यमिक स्कूल से लगभग 130 मीटर दूरी पर स्थित है। उक्त राईस मिल निर्माण के लिए संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार का फर्जी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। वस्तुत: ग्राम पंचायत पलारी के द्वारा विधिवत पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 25.09.2021 को पारित कर अनापित प्रमाण पत्र दिया गया है एवं इसी के आधार पर संबंधित राईस मिल द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई, जिला-दुर्ग से सम्मित प्रमाण पत्र दिनांक 01.02.2023 लिया गया है।

यह कथन सही है कि राईस मिल से फैलने वाले विभिन्न प्रदूषणों के कारण ग्रामीणों, पालकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा शुरू से ही यहां पर राईस मिल निर्माण किये जाने का विरोध किया गया एवं ग्रामीणों के द्वारा जिला कार्यालय बालोद में शिकायत कर निर्माण रोकने की मांग भी कर चुके हैं तथा विरोधस्वरूप धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम भी इनके द्वारा किया गया, किन्तु ग्रामीणों के द्वारा निर्माण रोकने की मांग तथा विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम करने पर प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति

में दिनांक 25.09.2023 को तहसीलदार गुरूर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा कार्यवाही करते हुए राईस मिल से स्कूल एवं आबादी से दूरी नाप कर बतायी गई, जिससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट हुए।

अतः उक्त राईस मिल के निर्माण होने से ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21.09.2023 को यह पहला प्रस्तावित था जो पंचायत में खसरा नंबर 186/8 हेक्टेयर में था। दूसरा, 186/8 हेक्टेयर में प्रस्तावित को पंचायत द्वारा निरस्त किया गया। तीसरी बार 25.09.2021 को खसरा नंबर 181/4 में कुल 4 हेक्टेयर में उसना मिल का प्रस्ताव किया गया जिसमें राईस मिल बना है, उसमें 181/5 खसरा नंबर है, इसमें खसरा नंबर ही फर्जी है। दूसरी बात, पहली बार स्कूल की दूरी 900 मीटर बताया गया बल्कि दूसरी बार जांच ह्ई, जनमानस में हड़ताल किया और उसके बाद टीम के साथ जांच किए तो 78 मीटर की ही दूरी निकली। आपके अनुसार आबादी की दूरी 700 मीटर बताया गया, वहां पर जाकर डबल जांच किया गया तो दूरी 19 मीटर ही है। सड़क से दूरी डेढ़ किलोमीटर बताया गया है लेकिन सिर्फ 50 मीटर ही है। शुरू से लेकर पूरी फर्जी जानकारी दी गयी है। पंचायत ने एन.ओ.सी. दी, एन.ओ.सी. भी फर्जी था। एन.ओ.सी. लेकर सभी लोगों ने पैसे का गोलमोल किया, एन.ओ.सी. लेकर जब गांव वालों दवारा विरोध किया गया तो वह पंचायत और पंच बॉडी के सभी लोग घूमने निकल गये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट है, अगर आप बोलेंगे तो मैं पटल पर रखने को तैयार हूं। पूरा नक्शा खसरा है। साथ ही जो मीटर की दूरी दी गयी है, जिसमें बाद में जांच हुई है, सिर्फ 78 मीटर है, पूरी घनी आबादी है। पलारी गांव मेरे विधान सभा का गुरूर ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। वह गांव पूरे रोड से लगा हुआ है। वहां पर स्कूल है, वहां पर आबादी है, वहां पर आस-पास प्रदूषण फैलने का चांस है। मैं निवेदन करती हूं, इन सभी में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और ध्यानाकर्षण करना चाह्ंगी, जब नक्शा खसरा एन.ओ.सी. दिया गया तो उस राईस मिलर्स के पास उनकी स्वयं की जमीन पर उसका कोई रजिस्ट्री भी नहीं ह्आ है। आपने उस जमीन पर बिना रजिस्ट्री के एन.ओ.सी. दे दी। पहली बात, यह पंचायत की लापरवाही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पृछिये।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रही हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह से कोई फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। यदि आपका आदेश हो तो मैं एक बिंदु में बताना चाहता हूं कि एक हेक्टेयर में एकड़ में डायवर्सन 2.47 डिसमिल, खसरा क्रमांक-181/5 टुकड़ा में और क्रय दिनांक 28.03.2022 को, ग्राम पंचायत की N.O.C. दिनांक 25.09.2021 को, उद्यम आकांक्षा की N.O.C. दिनांक 21.03.2022 को, डायवर्सन दिनांक 10.10.2022, स्टाम्प इ्यूटी छूट दिनांक 25.03.2022, पर्यावरण की सहमति दिनांक 01.02.2023 को उत्पादन दिनांक आवेदन अपात्र हैं। पॉवर कनेक्शन दिनांक 16.01.2024 को और उसमें 4 करोड़, 2 लाख

रूपये की अनुमानित लागत लग रही है। कस्टम मीलिंग का एग्रीमेंट दिनांक 19.01.2024 को संपादित हुआ है। यदि आपका आदेश हो तो मैंने सभी विभागों की N.O.C. मंगा ली है तो उसके प्रमाण पत्र सही हैं। पंचायत ने भी जो N.O.C. जारी की है तो सभी पंचों की उपस्थिति में पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है। इसमें किसी भी तरह से कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने स्वयं वहां पर जाकर जांच करके उनको पर्यावरण की स्वीकृति दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाए तो यह संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र का बहुत ही संवेदनशील मामला है। वहां पर जिनके नाम पर रजिस्ट्री पेपर नहीं है, उनको N.O.C. दी गई है। लोगों के द्वारा शिकायत करने पर व गांव वालों के द्वारा चक्काजाम करने के बाद पहले दी गई को N.O.C. को निरस्त किया गया। दूसरी बार पुन: N.O.C. दी गई तो जिस दिन N.O.C. दी गई तो लोगों ने उसका विरोध किया। उस दिन सरपंच को पैसे दिये गये थे तो सरपंच, पंच व सभी लोग घूमने चले गये। सबसे पहली बात यह है कि आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। आप अभी उसको नपवा लीजिए। उसमें स्कूल की दूरी 900 मीटर बतायी गई है जबकि उसकी दूरी 78 मीटर है। स्कूल के बच्चों का क्या होगा ? वहां के बच्चों का स्वास्थ्य कितना बिगड़ेगा ? आप सरकार में बैठे हैं। आपके अनुसार 700 मीटर की दूरी बताई गई है जबिक उसकी दूरी 19 मीटर है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर की दूरी बतायी गयी है लेकिन वह 500 मीटर की दूरी पर है। आप इससे कैसे इंकार कर सकते हैं ? आपको सबसे पहले तो सरपंच के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, राजस्व निरीक्षक ने मीटर दूरी का जो अंतर बताया है तो आपको उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, जिस राजस्व निरीक्षक ने उसे प्रमाणित करके प्रमाण पत्र दिया है, उसपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे मांग करती हूं कि उन तीनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम राईस मिलर का विरोध नहीं कर रहे हैं। राईस मिल खुले, लेकिन कम से कम वह घनी आबादी से दूर तो रहे। हम यह मांग करते हैं कि उसको निरस्त किया जाए और उसकी दूरी बढ़ा दी जाए। उस राइस मिल को वही व्यक्ति किसी अन्य स्थान में 2 किलोमीटर दूर खोले। हम उससे इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वह राईस मिल सघन आबादी के बीच में स्थित है इसलिए उसको निरस्त किया जाए। पंचायत बॉडी और राजस्व निरीक्षक द्वारा उसको जितने भी प्रमाण दिये गये हैं, उनको बर्खास्त किया जाए और उनपर कार्रवाई की जाए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत की N.O.C. मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई आरंभ हुई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री लखन लाल देवांगन :- एक मिनट। बहन जी, मुझे बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय कह रही हैं कि पंचायत के सरपंच और राजस्व निरीक्षक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई की गई है, चाहे पंचायत के द्वारा की गई हो, चाहे तहसीलदार के द्वारा की गई हो या अन्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई हो तो नियम के तहत् ही उसपर कार्रवाई की गई है और उसको पात्रता दी गई है। जैसा कि बहन जी कह रही हैं कि उनकी जमीन में फजीवाड़ा हुआ है तो यदि जमीन में फर्जीवाड़ा हुआ होता तो उसका डायवर्सन कैसे होता ?वह डायवर्टेड जमीन है। उस जमीन में राईस मिल लगी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, फर्जी डायवर्सन हुआ है, सब कागज फर्जी है । मैं पटल में रखने को तैयार हूं । मेरे पास पूरे पेपर है, मैं सब चीज लेकर आई हूं । शुरू से लेकर अंत तक फर्जी है । जहां एन.ओ.सी. दिया गया । जहां पास में स्कूल है, पास में आबादी है, पास में बैंक है तो एन.ओ.सी. कैसे दे देंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इसकी कार्यवाही शुरू हुई, उस समय इन्हीं की सरकार थी और इनके सरकार में फर्जीवाड़ा करने का काम हुआ है । उस समय आप स्वयं विधायक थीं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की बात कर रही हूं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इसमें कार्रवाई की जाये ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जीवाड़ा नहीं ह्आ है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, उस समय जब हमारी सरकार थी तो हमने विरोध किया था, हमने सड़क पर चक्का जाम किया था, हमने सड़क पर पूरे गांव वाले के साथ चक्का जाम किये थे क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, स्कूल के बच्चों का मामला है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चक्का जाम हुआ, धरना-प्रदर्शन हुआ और वहां पर तहसीलदार, आर.आई, पटवारी ने जाकर उनके समक्ष नापिंग की और जब नाप हुआ, उसके बाद में वहां के धरना प्रदर्शनकारी संतुष्ट हो गए और फिर उसके बाद कोई विरोधाभाष नहीं हो रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- अब तुंहर सरकार आ गे त निरस्त कर दो न भई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करती हूं और मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । इसमें आपित की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जांच करने बोल रही हैं तो आप जांच करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या प्रश्न कर रही हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों का काम नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, बालोद जिले का मामला है, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी उसी जिले में है । श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात दूरी की है । अब आज की तिथि में आप चीफ सेक्रेटरी की कमेटी से या विधान सभा के सदस्यों से कमेटी गठित कर जांच करवा दीजिए । आप यह बताईए कि उसना राईस मिल खोलने के लिए बस्ती की घोर बसावट से शासन की नीति के अनुसार कितनी दूरी की आवश्यकता है ? जैसे पोल्ट्री फार्म के बारे में में जानता हूं कि बस्ती से एक किलोमीटर दूरी होनी चाहिए । आप यह बताईए कि उसना राईस मिल लगाने के लिए बस्ती से कितनी दूरी हो और आप इसको निष्पक्ष लीजिए । माननीय सदस्या जो बता रही हैं, वह दूरी सही है या प्रशासन की जांच में जो जानकारी आई है, वह सही है ? पहली मामला दूरी है । दूसरा, अगर कुटरचना करके राईस मिल खोला गया है तो उसके 4 करोड़ रूपए के लोन की चिन्ता पको नहीं करनी चाहिए । जो धान उठाव हुआ है, उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी चिन्ता करनी चाहिए और बहुत सारी बात अपने ऊपर लेकर देखनी चाहिए । मंत्री जी, यदि आपके बंगले के बाजू में यही परिस्थिति हो जायेगी तो वहां से 10 मिनट में वह राईस मिल हट जाएगी । सवाल इस बात का है कि दूरी के कारण सदन को गुमराह किया जा रहा है । दूरी की जांच होनी चाहिए, आप दूरी की जांच करवाईए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक प्रकरण गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के पैरी का है । मैंने बीच में आपके माध्यम से उठाया था। यह पर्यटन स्थल है । जहां पर राईस मिल खुला है, वहां पर बगल में 100 मीटर की दूरी में वैदिक सेवा आश्रम स्कूल भी संचालित है । आज से वहां मांघी पुन्नी मेला भरना भी चालू हो गया है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और मुख्य मार्ग में वह राईस मिल स्थापित है । मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिसने भी उसको एन.ओ.सी. दिया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? वह एक पर्यटन स्थल है और वहां पर एन.ओ.सी. कैसे दिया गया, यह एक सोचनीय बात है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह खुला कब है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- दो महीना पहले से खुला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो महीने पहले शुरू हुआ होगा, उसको अनुमति तो दो-तीन साल पहले मिला होगा न ।

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- अभी वर्तमान में एन.ओ.सी. मिला है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग क्या कर रहे थे ?

श्री कंवर सिंह निषाद :- अभी उसको लेटेस्ट में एन.ओ.सी. मिला है ।

श्री रामकुमार यादव :- अब रोकवा दौ न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी धान कटाई शुरू हुआ होगा । अनुमति तो तीन साल पहले यही लोग दिए थे न । आप लोगों ने कैसे अन्मति दे दी थी । श्री कंवर सिंह निषाद :- उनको अनुमति अभी मिली है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो-तीन महीने में राईस मिल कैसे खुल जाएगा ? आप लोग क्या बात करते हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बहुत फास्ट गति से हुआ है । अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठ जाईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण विभाग के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वहां पर पूरा क्षेत्र प्रदूषित होगा । वहां पर स्कूल है, वहां पर आबादी है । पर्यावरण विभाग का कहना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते है, जिसमें दूषित जल क्लीयर होता है । मैं बताना चाहती हूं कि बिजली बिल बचाने के चक्कर में सिर्फ 5 या 10 प्रतिशत राईस मिलर्स लोग इसका उपयोग करते हैं, कोई चालू नहीं करता। थोड़े दिन चालू करता है, उसके बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है । मैं पर्यावरण विभाग, राजस्व निरीक्षक और पंचायत विभाग के सरपंच पर कार्रवाई चाहती हूं और राईस मिल तुरंत बंद किया जाये, इसका आदेश चाहती हूं ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राईस मिल चालू कराने में जो भी प्रक्रिया हुई है, यह पुरानी सरकार के समय में सब कुछ हुआ है। बाकी, माननीय सदस्य महोदय कह रहे हैं कि राईस मिल लघु उद्योग की श्रेणी में है और पर्यावरण की दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। पर्यावरण के मान से उसकी दूरी का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य महोदय कह रहे हैं उसको फिर से नाप करा दें तो हम फिर से उनकी उपस्थिति में नाप करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नाप करा दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से नहीं हो सकता। एक बार नाप हुआ है। आपकी 900 मीटर की दूरी 78 मीटर में निकला है, वह भी गांव वालों के सामने निकला है। साथ ही बसाहट की दूरी 19 मीटर निकला है, जो 700 मीटर दूर बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास सब जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, मैं इसे पटल पर रखने को तैयार हूं। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको और जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको त्रन्त कार्यवाही करना चाहिए, उसको त्रन्त बंद किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो प्रश्न किया है उस पर नाप करा लेंगे, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। चलिये, बैठ जाईये।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी उपस्थिति में फिर से नाप करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बह्त अच्छा। आपकी उपस्थिति में नाप हो जायेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप आदेश करिये, जो फर्जी पेपर दे रहा है, उसके ऊपर क्यों अभी कार्यवाही नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- जब तक जांच नहीं होगा, कार्यवाही कहां करेंगे ? जांच करवा लेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांच की कॉपी पटल पर रख रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सब रख दीजिये। धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सरंक्षण चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके सारे प्रश्न आ गए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जांच होने तक राईस मिल को खुलने देंगे या रोक कर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच के बाद ही कार्यवाही होगी।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाप की दूरी का ध्यानाकर्षण लगाया है। आपकी उपस्थिति में नाप करा देंगे। उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। उसमें किसी ना अधिकारी ने फर्जी प्रमाण-पत्र दिया है और ना ग्राम पंचायत ने फर्जी प्रमाण-पत्र दिया है। सबकी उपस्थिति में हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत को फर्जी आवेदन किया गया है और उसका एन.ओ.सी. भी फर्जी है, सब चीज फर्जी है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, आप पूरे प्रशासन को फर्जी बता रहे हैं। पूरा प्रशासन फर्जी नहीं हो सकता है। हमारे पास कलेक्टर की रिपोर्ट है। सही, नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरपंच को फर्जी बता रहा हूं, जो पैसे के लेन-देन ..।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जांच की मांग की थी, उसकी जांच के लिए मंत्री जी सहमत हो गये हैं। जांच के बाद आगे कार्यवाही होगी। इसलिए पर्याप्त प्रश्न हो गया।

समय :

12.38 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

- 1. श्री बघेल लखेश्वर
- 2. श्रीमती रायमुनी भगत
- 3. श्री रामकुमार टोप्पो

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया स्विधा अन्सार भोजन ग्रहण करें।

समय

12.39 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

मांग संख्या	3	पुलिस
मांग संख्या	4	गृह विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	5	जेल
मांग संख्या	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग
मांग संख्या	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वितीय सहायता
मांग संख्या	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

अध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से एक आग्रह करूंगा कि आज दो विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। तो मैं चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपनी बात 10 मिनट में संक्षिप्त रूप में रखें। ताकि दोनों विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा और उसका पारण हो सकें। मैं श्री रामक्मार यादव को चर्चा के लिए आमंत्रित करूंगा।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग अउ पंचायत विभाग के अन्दान मांग रखे हे, मैं ओखर विरोध मा बोले बर खड़े हंव।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एखर खातिर विरोध नइ करत हव कि हमन विपक्ष मा हन तो सिर्फ विरोध करना हमर उदेदश्य है। जब प्लिस के बात किये जाथे तो हमर महाप्रूष मन, हमर नेता मन बात कर के गय हे, ओ बात मोला याद आथे। हमर नेता मन बोल के गय हे - "जय जवान, जय किसान" ये दो चीज कोई भी देश अउ परदेस ला आगे बढ़ाय बर महत्वपूर्ण कड़ी होथे। अध्यक्ष जी, ओ जवान, जेन जवान बरसात मा, ठंड मा, गर्मी मा अपन जान ला जोखिम मा डाल के ये धरती के सीना ला चीर के अन्न उपजाथे। हम और आप जैसन नेता हो, अभिनेता हो, गरीब हो या किसान हो, सब के पेट मा चारा के व्यवस्था करथे, वो किसान है। ओ किसान के सम्मान हे, हम देखे हन कि 5 साल मा किस प्रकार से उनखर कर्जा माफ कर सम्मान किये गय है। ताकि ओ किसान एक बार मजबूती के साथ खड़े हो जाय, सोचकर हमर सरकार हा कर्ज माफी करे रहिस है। अध्यक्ष महोदय, जवान के बाद करे जाय, हमन लईका रहेन, आप सबो मन जानथव, मैं याद दिलात हंव । गांव में प्लिस आवय, हमन लईका रहान, त डर मा हमन सपड़ जावन । डर मा, याने वोतका वोखर महत्व रहाय । प्लिस ला कोई डरन नहीं, लेकिन वोखर वोतका महत्व रहिस हावे । पुलिस के पैर के धमक ला देखके, बड़े-बड़े अपराधी मन थर-थर कांपै । लेकिन जैसे ही समय आवथे, प्लिस विभाग के जो धमक हे, प्लिस विभाग के जो गरिमा हे, वोहा धीरे-धीरे कम होत जाथे । माननीय अध्यक्ष जी, प्लिस विभाग के स्विधा के बात करे जाय, उह् मन इंसान ए । आज बड़े-बड़े संगठन के कर्मचारी मन लोग-लइका के अधिकार के नाम से पुलिस विभाग के कमी-बेशी पर आंदोलन कर लेथे, लेकिन वोहा अइसना विभाग ए कि आंदोलन भी नई कर सकय । हमर बहिनी हा, वोखर लिये बह्त अच्छा मुद्दा उठाय रहिसे, वोला आप मन घलो धन्यवाद देहव । अध्यक्ष महोदय, मैं वो विषय में जाना नई चाहथंव, लेकिन अतका जरूर कईहंव, जेन खाय रहि तेन लड़ही । अऊ प्लिसे ला भरपेट खाना नई देहव, वोला नाश्ता नई देहव, त कैसे बनही ? हमर गृह मंत्री शर्मा जी बह्त विद्वान हे, पहली विधायक ए अऊ पहली बार गृह मंत्री बने हे, ऐसे लगथे कि बह्त सीनियर नेता ए।

समय

12.43 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध कुमार मिन्ज) पीठासीन हुये)

सभापित महोदय, हमर गृह मंत्री ला तजुर्बा हे, मैं निवेदन करिहंव कि जो हमर मन के सेवा करथे, रक्षा करथे, वोखर जरूर हमन ला चिन्ता करना चाहिये। ए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहथंव। माननीय सभापित महोदय, पुलिस के बारे में जब भी देखिहव, एक आम भाषा ए, कोई प्लिस के बारे में उल्टा-सीधा बात करना, आम आदमी भी ला पुछिहव, पुलिस अपन जान ला जोखिम में

डालके हम सब के स्रक्षा करथे । आज वोखर लिये भी हम सब ला चिन्ता करना है। सभापति महोदय, मैं हमर म्ख्यमंत्री जी ला एक बात अऊ कहना चाहथंव, जब आप प्लिस के ट्रांसफर करिहव, ए बात के आप जरूर ध्यान रखिहव कि पति-पत्नी वो दोनों के व्यवस्था एक जगह हो जाना चाही । वह् बिचारा मन बंदूक ला धरे, धरे 10 किलोमीटर किंजरत रहिथे, अऊ पति अंते हे पत्नी अंते हे, जैसे राम भगवान ला चौदह बरस के वनवास मिले रहिसे, दोनों पति-पत्नी राम सीता एक जगह रहिसे, जैसे ही वनवास ले सीता माता ल हर के ले जाथे, रामों भगवान के मित बिछा गे रहिसे । पित-पत्नी ला जरूर एक जगह रखे के प्रयास करे जाय अऊ मोर स्झाव हे कि जब ट्रांसफर होवय त देखथन कि कई ऐसन ज्गाडू प्लिस रहिथे, प्लिस अधिकारी रहिथे, वोहा अपन जीवन भर मैदानी एरिया म रहि । कोन जनी कहां ले जुगाड़ कर लेथे । अऊ कई अइसना पुलिस रथे, जेखर पूरा जिंदगी हा जंगल म सड़ जाथे, दोनों ला ख्याल करते ह्ये, काबर कि वो भी हा इंसान ए, दोनों ला समन्वय बनाके, दोनों तरफ के ख्याल करते हुये आप ला ट्रांसफर करना चाही । मैं आदरणीय उपमुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहथंव, सभापति जी हमर अध्यक्ष हा बोल के गे हे कि मोटा-मोटा बात ला मैं कहना चाहथंव, मैं अगड़ा के बात नई करंव । वोमन के सुविधा के बात, साधन के बात करहूं । कभू कभार, 15 अगस्त अऊ 26 जनवरी में हमर थाने के प्लिस जवान मन बंद्रक ला निकालथे त वोहा मुरचा चरे कस हो जाय रहिथे । काबर एति मैदानी एरिया म भगवान करै तो जरूरत नई पड़य, झन पड़य । हर थाना में गाड़ी नइ ए । जैसे मोर क्षेत्र मा गाड़ी नई ए, मालखरौदा म आय दिन बड़े-बड़े बड़े कारखाना हे, चक्का जाम, धरना, लड़ाई झगड़ा होत रहिथे । कोनो जगह में गाड़ी भी हावे, गाड़ी के दशा ले देखके मोला हांसी आथे । आपो मन देखत होहव, चोरी करने वाला मर्सिडीज कार म 120 के स्पीड में भागत हे, प्लिस के गाड़ी हा, वोखर चक्का हा, कब हिट के फेंकाही, ऐसे लागत रहिथे । मंत्री महोदय, अगर चोर ला पकड़ना हे त वोखर समकक्ष गाड़ी दिहव त तो बनही । पुलिस हा वो गाड़ी ला बोह के थोड़ी कूदही । सभापति महोदय, चोर मन ला भी ऐसे लगना चाही कि विजय शर्मा उप म्ख्यमंत्री बने हे त चोर से भी मजबूत गाड़ी प्लिस के हे । तब जाके वो पुलिस जवान गाड़ी म जाके बैठही अऊ स्वाभिमान के साथ चोरी करने वाला ला पकड़ही । ए मोर आपसे निवेदन हे । सभापति महोदय, प्लिस विभाग के साथ में पंचायत विभाग के मोटा-मोटा बात कर देथंव । सभापति जी, काबर के हमन ला समय के ख्याल ला जानथन। टाईम इज मनी। सब के भावना के कद्र करते ह्ए में हा ज्यादा समय नइ लेवव। में हा पंचायत विभाग के बारे में बोलना चाहत हव। जब ये देश हा आजाद होइस। वर्ष 1947 के पहली तो हम सब मन गुलाम रहेन अउ हमन के पुरखा मन बेगारी के काम करे हन। चाहे विजय शर्मा जी हन, चाहे सभापति जी हन, चाहे स्वयं रामक्मार यादव हन, सब के प्रखा हन ग्लामी करत रहेन। आज बड़े-बड़े अधिकारी बने हन, बड़े-बड़े नेता बने हन, 1947 में यदि देश आजाद नइ होये रितस तो तुंहर अउ हमन कहां रथेन। मे हा तमाम जतका नेता मन हे, सब ला प्रणाम करत हव, चाहे महात्मा गांधी जी हन, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी हन, चाहे खुदीराम बोस जी

हन, चाहे शहीद भगत सिंह जी हन अउ चाहे बिस्मिल्लाह खां जी हन, ओ तमाम नेता मन ला प्रणाम करे हन जे मन देश ला आजाद कराइस अउ आजाद करे के बाद मा चिंता करे हन। आजाद तो हो गे लेकित ये मन के ऐसे हन के अब आजाद तो हो गिस अब राजा के राज चलही, तो कोन हा चलाही ? तो ये मन कानून बनाइस अउ कानून बनाये के साथ गांव के भी बह्त चिंता करे हन। काबर के बड़े-बड़े आदमी मन, बड़े-बड़े विद्वान मन गांव में रहथन, तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे कि "अपन पतरी में खचवा सब करथे"। जैसे मे हा जेन बेर रहिया ओ बेर ज्यादा देख-रेख करिहा। लेकिन जो अंतिम छोर में जो गांव बसे हवय, ओ गांव के चिंता कोन करही ? तेखर खातिर त्रिस्तरीय पंचायत बनाये गिस तािक वहां के भी पंचायत में पंच, सरपंच, बी.डी.सी., जिला पंचायत, ओ मन ये कानून बना करके वहां के देख-रेख करे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार आथे अउ चले जाथे। आज 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहिस, पांच साल हमर कांग्रेस के भी सरकार रहिस, ओकर पहले भी तीन साल कांग्रेस के सरकार रहिस, लेकिन आज गांव की स्थिति ला देखा जाये। आज शहर तो दिनोंदिन चमकथे जाथे। एक प्रूत के रोड हा तीन प्रूत हो गे हे। हमन लड़का-लड़का रहेन अउ जब रायप्र आ के देखे हन तो यहां स्न्ना रहे लेकिन आज तीन मंजिल, चार मंजिल, दस मंजिल बन गे हे, रोड ऊपर रोड बन गे है। लेकिन आज भी गांव जा के देखिहा, हमर लोग, लड़का मन ला, ओ मन के भी एक ठन वोट हे अउ बड़े आदमी के भी वोट है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी हा वोट के अधिकार दिस तो गांव के रहने वाला गरीब के भी एक ठन वोट, तो राजमहल में रहने वाला राजा के भी एक ठन वोट। लेकिन आज ओ गांव के एक ठन वोट देने वाले के का दशा है ? आज ओकर लोक-लड़का मन हा चिखला मा रेंगथै। ओ गांव में सुविधा नइ हावय। उप मुख्यमंत्री जी, एखर खातिर बह्त अच्छा कड़ी हे, आप ला पंचायत विभाग के जवाबदारी मिले हे। आपके मां-बाप धन्य हे, जो आप जैसे बेटा हा पैदा करे हन, अउ आप ला अतका बड़े जवाबदारी हा मिले हे। मे हा आप से निवेदन करना चाहत हव कि जब आप हा पंचायत विभाग में पइसा जारी करिहा तो जरूर ओ बात ला याद रखिहा कि जहां रोड के सुविधा नइ हे, आप ओ मेर ज्यादा रोड पह्ंचाये के प्रयास करिहा। उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में एक ठन अउ कहावत हे, "भरे ला भरे अउ ज्छा ला ढरकाये"। आप इस बात के याद करिहा अउ आप ओ गांव के विकास जरूर करिहा।

सभापति महोदय, गांव में मिहला है। आप ओ मिहला मन ला कई ठन ट्रेनिंग देवय के काम करथन। एक बात मोला याद आथे कि आपकी योजना के द्वारा मिहला मन फिनाईल बनाये के काम करथे। आप हा दुनिया भर के संगठन बनाये हन, जैसे बिहान योजना हन, ओ मे मिहला मन फिनाईल बनाये के काम करथन।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, 10 मिनट हो गये हैं। आपने ही कहा है कि टाईम इज मनी। आप विषय पर बात रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, टाईम इज मनी हे। लेकिन मोर बात बहुत जरूरी हे। मे हा गरीब के बात करथव। सभापति जी, आप मन स्निहा, ये तोहरो क्षेत्र के अउ सब के क्षेत्र के बात हन। में हा महिलाओं द्वारा फिनाईल बनाये के बात करथन। आप हा गांव के महिला मन हा फिनाईल बनाये बर सिखा दिहा। जेला आप अउ हमन संडास कहथन, बाथरूम कहथन, जे हा फिनाईल से साफ होथे। ओ गांव के गरीब महिला हर बहुत कलाकार हे लेकिन ओखर मार्केटिंग नइ हे। वहीं फिनाईल हा अक्षय क्मार आथे अउ टिडिंग ले दरवाजा के घंटी ला बजाथे। ओ मन कहाथे कि मे हा आपके बाथरूम ला देखना चाहत हव। आईये लेडिस, अउ ओ मन फिनाईल ला ऐसे करथे अउ पूरा साफ हो जात हे। मे हा चैलेंज के साथ कहथव के मोर एरिया मा महिला मन हा जो फिनाईल बनाथे, ओ अक्षय कुमार के फिनाईल ला ज्यादा मोर क्षेत्र के मोर महिला दीदी मन बनाथे। लेकिन ओ हा गरीब हे, ओकर बर मार्केट नइ हे। ओ मन बना के कहां धरे ? ऐसे महिला समूह बर कोई ऐसे योजना बनावव ताकि ओ मन के साब्न हा, ठाक्र साहब, साब्न कै प्रकार के बनथे ? अभी बाबा रामदेव हा का कहाथे कि नीम, ओ का के धत्रा, ओकर ले बढ़िया हमर लड़का हे स्रता करिहा नीम बिनहे जावन अउ नीम ले बिन कर साब्न बनावय, ख्जली खसर्रा होथे, तहान साब्न ला च्परा दे सपक, सब हा छूट जाये। आज भी ओ महिला समूल मन ला नीम के तेल, जाड़ा के तेल, करंज के तेल के साब्न बनाथे। अगर ओ ला बढ़िया से साब्न बनाकर के ओ महिला मन के सामान के मार्केटिंग करा दिहाँ तो मैं चैलेंज के साथ कहात हाँ कि माननीय विजय शर्मा जी के ए प्रदेश ला तो छोड़व, पूरा देश में नाम हो जही। इहां के महिला तुंहर फोटो के पूजा करही। ए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हौं, लेकिन ऊंकर बनाए समान के मार्केटिंग होना चाही।

माननीय सभापित महोदय, आज मैं युवा साथी मन के बात करना चाहत हों, माननीय ठाकुर साहब, अगर युवा साथी मन ला गांव में रोजगार मिल जाए तो कौन ला जम्मू कश्मीर जाए के शौक हे, इहां कोई ला शौक नहीं हे, लेकिन आज ए प्रदेश में उंकर जिस प्रकार के ट्रेनिंग होना चाही, जो आई.टी.आई. अउ टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाही। उंकर क्षेत्र के जो फैक्ट्री हे ओ मन ला पहली प्राथमिकता में नौकरी देना चाहिए तािक ओ मन ला गांव में रोजगार मिल जाए, अपन क्षेत्र के पाॅवर प्लांट में रोजगार मिल जावए। अगर ओ मन अपन क्षेत्र के पाॅवर प्लांट में ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिल जही तो आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद दिही। मैं समय के बात ला समझथव, एखर खातिर मोर क्षेत्र के कुछ मांग है। मैं ओला रख देथी। ओ ला हमर शर्मा जी अउ ओखर अधिकारी मन हा नोट कर लिही। काबर मोर एरिया हा सड़क बर बहुत पीछे एरिया रिहिस है। मय एकर पहिली विधान सभा में पूछे रेहेव कि ..।

सभापति महोदय :- आप अपने क्षेत्र की मांग को रखिये। आप अपनी मांगें बता दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी में आ रहा हूँ। में पहिली विधान सभा में पूछए रेहेव कि मोर क्षेत्र में कतका अकन सड़क नइ बने हे। तो अभी तक उहां बहुत सारा गांव सड़क से वंचित है। एखर खातिर मय मांग करत हीं कि मोर एरिया में पुलिस विभाग में एक ठोक मांग करहूं कि पुलिस चौकी सक्कर्रा, पुलिस चौकी टुण्डरी ए दोनों के प्रशासकीय स्वीकृति हो गे हावए, काबर कि ओ हा कंपनी एरिया है, उहां बाहर-बाहर के व्यक्ति मन आके नौकरी करत है। उहां आये दिन लड़ाई झगड़ा होवत रहिथे, ए दोनों के प्रशासकीय स्वीकृति हो गे हे, ए ला जल्दी से जल्दी चालू करा देवा। बस, आप दस्तखत करिहौ तहान उहां पुलिस चौकी चालू हो जही। मालखरौदा में सब डिवीजन बन गे हे, राजस्व । उहां एखर खातिर पुलिस के सब डिवीजन बिठाए के, मैं आपसे ए नया मांग करत हौं। दूसरा, मय पंचायत विभाग में रोड के मांग करत हौं। मैं खुद जमगहन जे गांव में रहिथी, ओ जमगहन गांव से बड़े पारामुड़ा तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क के मांग करत हौं। कटेकोहनी से खर्राखाई इहां आज तक रोड नइ हे, मैं ओकर लिये मांग करत हौं। अण्डा से लिमगांव दिरनमुड़ा तक आज तक सड़क नइ हे, मैं एकर मांग करत हौं। एक ठन आखिरी मांग हे कि खरकेना से खैरागांव तक सड़क के मांग करत हौं।

माननीय सभापित महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, मोला हमर मुख्यमंत्री जी ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं आपसे जायज मांग करे हीं, मैं ज्यादा मांग नइ करए हांवव। ए ला आप स्वीकार करिहौ। अगर उहां के महिला मन ला रोजगार मिल जहीं ता आप मन के जय-जयकार हो ही।

माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, ओखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापित महोदय, मैं, आज गृह, पंचायत, तकनीकी शिक्षा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी के जो अन्य विभाग हैं, उनकी मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापित महोदय, मैं पहले गृह विभाग से ही चर्चा करना प्रारंभ करना चाहता हूँ। माननीय रामकुमार जी, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। हम आपका भाषण पूरा सुन रहे थे। आप भी सभी सदस्यों का भाषण सुना करिये। किसी भी प्रदेश के विकास का सबसे मूल मंत्र होता है कि उस प्रदेश में शांति है या नहीं? माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में पूरी तरह से शांति का वातावरण बना हुआ है। अब दो महीने इस सरकार को बने नहीं हुआ। एक ऐसी, नक्सल समस्या में आये दिन पिछले 20, 30 सालों से घटनाएं घटित हो रही हैं। वहां हमारे जवान गोलियों के शिकार बन रहे हैं। उस क्षेत्र में हमारे जवान नक्सलियों को भी गोली से मार रहे हैं। वहां पर विषम परिस्थितियों में खड़े होकर, वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। यहां हम बैठे-बैठे नक्सली समस्या की सफलता और असफलता के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक नेता को सुकमा जाना होता है तो कम से कम 700 जवानों की ड्यूटी लगायी जाती है अगर वहां माननीय रामकुमार जी जाएंगे तो वहां आर.ओ.पी. (रोड ओपनिंग पार्टी) लगेगा। वहां हर 100-100 मीटर में पुलिस के जवान पहाड़ की तरफ मुंह करके खड़े होते

हैं और सर्चिंग करके वह रास्ता क्लीयर करते हैं तब आप जा पाते हैं। हमारे वह बहाद्र जवान जो यह नहीं जानते हैं कि इसमें कहां पर आई.ई.डी. फिट है, कौन से झाड़ में बंम लगा ह्आ है, कौन से टीले में नक्सली बैठे ह्ए हैं और उनके ऊपर अधाधुंध फायरिंग होती है, फिर भी वह जान की बाजी लगा करके इस प्रदेश की हिफाजत करने के लिए अपने प्राणों की आहृति दे रहे हैं, उनके बारे में इतना जल्दी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आप शायद नहीं थे। इस सदन में नक्सली समस्या के बारे में क्लोज डोर मीटिंग ह्ई थी। उसमें न कोई अध्यक्षीय दीर्घा में था, न कोई दर्शक दीर्घा में था, न कोई अधिकारी थे, न कोई पत्रकार थे। सिर्फ हम लोग आपस में बैठे थे। इसलिए बैठक हुई थी कि उस क्लोज डोर मीटिंग में नक्सली क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक हैं, वह नक्सलियों के बारे में कुछ चाहते हैं तो वह खुलकर अपनी बात भी नहीं कर पाते। क्योंकि यहां पर जो भी कार्रवाई होती है वह 15 मिनट के अंदर उस स्दूर बस्तर में मामला पहंच जाता है और वह टारगेट में आ जाते हैं। हमको, आपको इसका अनुभव नहीं है। लेकिन जब बस्तर में जाओ और वहां के बारे में जब स्ने रहो तो यह खौफ के वातावरण को खत्म करने का काम श्री विष्ण् देव साय जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। इस काम के लिए हमारे बहाद्र जवानों को जितना सलाम किया जाये, प्लिस विभाग के लोगों की जितना सराहना की जाये और उसके लिए जितनी स्विधा दी जाये, सब कम है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बस्तर इतना बड़ा भूभाग है कि इतना बड़ा केरल प्रदेश नहीं है। श्रीलंका में जाफना में भी यही समस्या थी। जाफना में भी आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ था। जो द्निया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में प्रभाकरण का नाम है, वह जाफना बस्तर का 1/10 प्रतिशत है। 10 प्रतिशत के भूभाग में उसको कब्जाकरने के लिए तमाम सेनायें, वाय् सेना, थल सेना, द्निया भर के बारूद, बंम, गोले लगाकरके, मानवाधिकारों का उल्लंघन करके, उनको कुचल करके कब्जा कर पाये हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसे बह्त से पुलिस के जवान, अधिकारी हैं जिनके ऊपर मानवाधिकार का केस चल रहा है। जब कोई ऐसी घटना दुर्भाग्य से या धोखे से जाती है तो आप और हम उनका सहारा बन करके इस मामले को तूल देने का प्रयास करते हैं। इस पर भी पूरे राजनीतिक दल के लोगों को विचार करना चाहिए। बस्तर की समस्या का भी निराकरण हो और गांधी जी टाइप का सब काम भी हो जाये तो यह तो संभव नहीं है। क्योंकि धोखा तो हो जायेगा, क्योंकि वह कोई अलग वेश-भूषा, अलग देश के अलग पहचान के लोग नहीं होते हैं। वह भी वही के हैं और जब कोई गोली चलती है तो वह पहचान नहीं करती है। अगर कोई बीच में आया, धोखे से कुछ हो गया तो वह मामला चला गया, हमारे जवान मर गये, वह अलग हो गया और मानवाधिकार का मामला उठ जाता है।

माननीय सभापित महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पुलिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पुलिस के बारे में इनसे ज्यादा ज्ञान हमको, आपको, यहां बैठे हुए किसी को भी नहीं है। क्योंकि अभी जिस सरकार के यह मंत्री हैं, इसी सरकार के अधिकारियों ने इनको 10 बार जेल भेजा है। सरकार आपकी थी, आप लोगों ने इनको 10 बार जेल भेजा है। पुलिस के बारे में इनको

बताने की जरूरत नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे होता था, कैसे atrocity act लगता था, कैसे इनको दंगा-फसाद भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया। यह जिस चीज को जानते हैं, चखे हैं, स्वाद पाये हैं तो उसके बारे में वह जरूर अच्छी कार्रवाई करेंगे। ऐसी उम्मीद करना चाहिए।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापित महोदय, मैं आपकी अनुमित से कुछ बोलना चाहती हूं। हमारे बड़े भैया जी अभी बोले कि जवान लोग मरते हैं। जवान लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। उनको हम सम्मानपूर्वक शहीद बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहत हीं कि विष्णु देव साय जी के सरकार के बाद जवानों के कैंप में हमला होय है। ओखर लिये हमर विष्णु देव साय जी की सरकार के का योगदान रहिस। दूसरी बात आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आये के बाद एक मंत्री के बंगला में एक आरक्षक अपने आप ला खुद गोली मार दे है।

समय : 1:00 बजे

अइसे सूचना मिलीस, लेकिन आपके सरकार ये जानने के कोशिश करिस कि ओ आरक्षक अपन आप ला खुद गोली मारे हे, ककरो दबाव में आ के मारे हे या कोई मरवाय गे हे? एखर बारे में कोई छानबीन करेओ या नइ करेओ? काबर कि उहूं एक इंसान हे, ओहर भी कोई मां के बेटा है। सभापित महोदय, मैं इही सदन के माध्यम से जानना चाहत हों कि ओखर ..।

सभापति महोदय :- आप सुनिये न, यह प्रश्नोत्तरी नहीं है। अभी अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आप अपनी बात को अलग से गृह विभाग से बोल दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापित महोदय, गृह विभाग का 6313 करोड़ रूपये का बजट है जोिक पिछले साल से 16.16 प्रतिशत अधिक है। मतलब सरकार संवेदनशील है। हमारे जवानों को सुविधा देनी है, उनकी व्यवस्था करनी है, उनको भर्ती करनी है और वगैरह, वगैरह के लिए व्यवस्था करनी है। आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों और सशस्त्र बल में 132 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। बहुत सी पदों की स्वीकृतियां दी गई हैं तािक हमारे स्टॉफ के लोग बढ़ सकें, सेना तैयार हो सके, सैनिक तैयार हो सके, सिपाही तैयार हो सके। बहन जी, राज्य के विभिन्न थानों में 547 महिला डेस्क की स्थापना की गई है। वहां पर महिला डेस्क अलग से है। वहां पर महिला थानेदार या उनके जो भी अधिकारी बैठेंगे, आपकी समस्या के लिए थानेदार के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपकी समस्या का महिला डेस्क के अधिकारी के पास जाकर सुनवाई होगी। उसको और बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे जवानों को एल.डब्ल्यू.ई., जो नक्सलवाद क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए योजना है, उसमें 43 सड़कों का 1732 किलोमीटर सड़क का निर्माण उस दुर्गम जगह में बनी है, जहां पर लोग मशीन जला देते हैं, पोकलेन जला देते हैं, डोजर जला देते हैं, रोलर जला देते हैं, ट्रक जला देते हैं, अगुआ कर लेते हैं। उस विषम परिस्थित में 1732 किलोमीटर की सड़क का निर्माण प्लिस विभाग के लोगों ने ही किया है। जब कुछ

काम अच्छा किया है तो उसको अच्छा भी बोलिये। जैसे गृह मंत्री जी को 10 बार जेल भेजे थे तो हमने उसकी भी चर्चा की है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सब काम खराब ही हो रहा है। अच्छा काम भी तो हुआ है। मैं Night landing के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर ईमरजेंसी में कोई मामला आ गया, अगर कोई फोर्स को भेजना है तो कोई रिमोट एरिया में जंगल के नक्सली गढ़ में हेलीकॉप्टर Night landing कैसे करेगा? आपके चंद्रपुर में Night landing नहीं हो सकती, हमारे बिलासपुर में Night landing नहीं हो सकती। सिवाय रायपुर के कहीं Night landing की व्यवस्था नहीं है। वहां पर भी 64 जगह Night landing के लिए हेलिपेड बनाने का काम स्वीकृत हुआ है, जिसमें 55 हेलिपेड का निर्माण पूरा हो चुका है। बी.एस.एफ. का जो बड़ा हेलीकॉप्टर है, वह जवानों को गोला, बारूद, खाना-पीना, डाक्टर, यह सब Help करने के लिए वहां पर भेजा जा रहा है।

मंत्री जी, अब बस्तर में पुलिस के जवानों की भर्ती के कुछ नियम-कायदे हैं। बहुत अच्छा नियम है। जवान-जवान लड़के तीन साल बस्तर में हिम्मत से जाते हैं। वह यह सोचकर जाते हैं कि हम यहां पर तीन साल खूब सेवा करेंगे और तीन साल की बात है फिर हम मैदानी इलाके में आ जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको आपको रिट्यू करना चाहिए। आज भी जो लोग वहां वर्षों से पड़े हैं, वह पड़े ही हैं। किसी की सिफारिश नहीं है, वह वहां से नहीं आ सकता और सिफारिश वाले यहां से जाते नहीं हैं, वे यही रहते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बस्तर के तनाव वाले माहौल में जो वर्षों से अपनी सेवायें दे रहे हैं, उनको भी एक अवसर प्रदान करिये और उनके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए ताकि वह आ जाए। प्लिस जवानों को जितनी भी स्विधा देने के लिए बजट का प्रावधान करना हो, वह आप जरूर करियेगा। आप बोल रही थी न कि मंत्री के यहां प्लिस का जवान स्वयं गोली चलाकर मर गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले बस्तर में भी कई जवान तनाव के कारण राइफल के ट्रिगर में पैर की उंगली से दबाते हैं और गोली सिर के ऊपर से निकल जाती है। इस तनाव को दूर करने के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। हमारे जवान सवेरे, शाम, दोपहर, उठते, सोत-जागते, उसको कभी भी पांच मिनट के अंदर में तैयार होकर दौड़ना पड़ता है। वह कितना तनाव में रहता होगा। आप और हमको कभी स्कमा और दादी का विधान सभा क्षेत्र कोंटा भेज दिया जाय तो हम लोग टेंशन में 24 घंटे डरते रहेंगे कि इस प्ल में थोड़ी न ब्लास्ट होगा, उस प्ल में थोड़ी न ब्लास्ट होगा । वे लोग कैसे जाते होंगे ? आप थोड़ा बस्तर जाकर घूमकर आईये न । आपके यहां भी तो है, आपका भी कोई बह्त ज्यादा दूर नहीं है । आपके नजदीक में ही है और वहां पर वे लोग सब ठीक कर रहे हैं । आपके पास ही, बालाघाट के मईहर के पास ही मलांजखण्ड (Malanjkhand) है, मलांजखण्ड का जो कॉपर प्लांट है वहीं पर है । हम लोग कान्हा जाते हैं तो देखते हैं और स्नते हैं । जुआं-सट्टा-कट्टा यह प्रचलन पहले 5 साल बहुत पनपाया गया । खुलेआम जुआं हो रहा था, अभी भी हो रहा है उसको आपको रोकने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापित महोदय, महादेव एप सट्टा में तो सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है । करोड़ों रूपये का सट्टा हो गया । यदि सरकार का संरक्षण नहीं होता तो क्या यहां पर इतने करोड़ों रूपये का सट्टा हो जाता ? लेकिन आपकी सरकार के लोगों का संरक्षण था इसीलिये यहां पर महादेव सट्टा एप चला । लेकिन वह तो अच्छा हो गया, चूंकि दुबई में सब फिल्म स्टार लोग गये थे, उस शादी में डांस कर रहे थे, वहां बड़ी-बड़ी हीरोईन भी थीं । कोई बताया कि आलिया भट्टा भी थीं, किसी ने बताया कि रणवीर कपूर भी गये थे तथा और भी कई-कई लोग गये थे तब पता चला कि यह दुर्ग का कौन महापुरूष है जो दुबई में जाकर शादी कर रहा है। आप बताईये हम दुबई घूमने नहीं जा पाये हैं । वह 500 लोगों को वहां शादी करने ले गया । उप मुख्यमंत्री जी, पता कराईये कि कौन है ? इसमें कौन-कौन है ? आप कुछ और कराईये, मत कराईये । मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप एक दिन स्टेट प्लेन लेकर चिलये, हम भी आपके साथ चले चलेंगे । योगी बाबा से फार्मूला पूछ-पाछकर आ जाओ, बुल्डोजर भेजो, जो-जो पकडाये हैं । 1-1 करोड़ वाले बड़े-बड़े वकील आयेंगे, उनसे हमारा पुलिस विभाग कहां पुरेगा ? धड़ाधड़-धड़ाधड़ तोड़ो, ऐसे लोगों को सजा दो । यही उनकी सजा है । नहीं तो यहां पर बड़े-बड़े 1-1 करोड़ वाले वकील आ जाते हैं और बड़े-बड़े अपराधियों को बचाकर छुड़वा देते हैं, वे जमानत में घूम रहे हैं, अभी तक कोई अंदर भी नहीं हुआ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन आप जो बोल रहे हैं न कि उत्तरप्रदेश जाना है करके तो उसकी शुरूआत बिलासप्र से हो गयी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छी बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- बिलासपुर से उसकी शुरूआत हुई है तो इससे अब लोगों के मन में यह आ गया है कि यदि गड़बड़ करेंगे तो बचेंगे नहीं । इसकी शुरूआत हो गयी है लेकिन इसमें तेजी लाने के लिये थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिये, मैं विजय शर्मा साहब को अच्छे से जानता हूं । हमारे छोटे भाई भी हैं । हम लोग एक जिले के रहने वाले हैं । ये जंजीर पिक्चर के अमिताभ बच्चन टाईप हैं । आप लोगों ने जंजीर पिक्चर देखी है कि नहीं ? रामकुमार जी, आपने जंजीर पिक्चर देखी है ? जंजीर पिक्चर का अमिताभ बच्चन थानेदार ।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, मैं देखे हंओं लेकिन मोला दोनों के बीच में तुंहर रोल हा प्रेम चोपड़ा असन लागथे । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापित महोदय, बहुत पहले सन् 1980 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक प्रयास किया था कि जनता-पुलिस के संबंध की कमेटी बनायी थी । एक बहुत बड़े पत्रकार उसके चेयरमेन थे । यह कमेटी पब्लिक रिलेशन और पुलिस रिलेशन के बीच में कैसा सामंजस्य रहे, पुलिस और पब्लिक रिलेशनिशिप पर यह कमेटी बनी थी । आप

इस तरीके का छोटे लेवल में प्रयास कर सकते हैं । सभी अच्छे लोग प्लिस को सहयोग करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि होली के दिन ही शांति सिमति की बैठक हो । अगर कोई भी घटना-दुर्घटना हो तो आप आम आदमी से ब्लाकर बोलिये, आम लोगों से सहयोग मांगिए । प्लिस वेरीफाई कर ले, मोहल्ले के लड़के रातभर तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, वह प्लिस को सहयोग करेंगे, आपके साथ घूमेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे, अपराधियों के बारे में बतायेंगे । जो सरकारी नौकर हैं या सरकार के जो कर्मचारी हैं यह केवल उन्हीं का काम नहीं है अगर हमारी जानकारी में है तो हमको भी पुलिस को इन्फार्म करना चाहिए तब पुलिस वहां तक पहुंच पायेगी । आपकी राय में मकान में किसी को रख रहे हैं, उसका वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, प्लिस को जानकारी नहीं दे रहे हैं । प्लिस को जानकारी दीजिये क्योंकि पता नहीं कौन अपराधी कहां से आकर रूका है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ? हमको उसकी जानकारी देनी चाहिए । अगर जनता का संबंध पुलिस से मधुर हो जाये, उनका डर खत्म हो जाये तो आपको जनता से भी बह्त से फीडबेक मिल सकते हैं और हम प्लिस की मदद कर सकते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं प्लिस विभाग के बारे में दो मांग करके फिर आगे बढ़ता हूं। आपने भी सकर्रा की मांग की है, मैंने भी सकर्रा की मांग की है। उप मुख्यमंत्री जी मेरी तरफ देख रहे थे। कौन सकर्रा है वही वाला है, मेरा वाला या आपका वाला? यह अलग वाला है। मेरा अलग वाला है। ये सकर्रा तखतप्र विधान सभा क्षेत्र में है। ये वर्तमान में हिरीं थाने में आता है। वहां से दूर है। मैं भी दौरे पर गया था। गांव वाले ने मुझसे कहा कि साहब एक प्लिस चौकी खोल दीजिए। मैं कोई प्लिस थाना, आई.जी. रेंज ये सब नहीं बोल रहा हूं। प्लिस चौकी आपके लिए, गृह मंत्री के लिए बह्त छोटा सा मामला है। आप चाहें तो यहां घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आप सदन में आज पहली बार जवाब देंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमने यहां बड़ी-बड़ी घोषणाओं को बनाया है तो ये तो आप कर ही देना। मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं बोलकर आया था कि विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं। वो तो कर ही देंगे। हमारे मित्र भी हैं। हमारे जिले के हैं। हमारे परिचित हैं। तो आप कृपया करके इसे जरूर कर दीजिएगा। आज ही सदन में कि खोला जायेगा। भले आगे-पीछे खुल जाये कोई दिक्कत नहीं है। जूना पारा में बह्त समय से पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जो पहले स्पीकर थे, उनका गांव है। वहां एक ग्राम पंचायत में थाना चल रहा है। साहब, वहां एक अच्छा थाना भवन बनवा दीजिए । वो ग्राम पंचायत का टूटा-फूटा भवन जहां पर ठीक से न थानेदार के बैठने की जगह और न वहां के स्टाफ के बैठने की जगह है तो उसके लिए भी मैं आपने मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, समय का ध्यान रखें। 15 से 17 मिनट हो गये हैं। 18 सदस्य लोग हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापित महोदय, मैं आज पहला वक्ता हूं। बाकी को कम कर देना। मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। 1 पेज का छोटा-छोटा है। साहब, इनका विभाग भी बड़ा-बड़ा है न। तो अब क्या करें बताइए। 5-5 विभाग तो इनके पास है। एकाध विभाग हो तो 5 मिनट में निपटा देते। आप मदद करिएगा। आप तो हमारे संरक्षक हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापित महोदय जी, मैं ध्यानाकर्षण करना चाह रही थी। महतारी वंदन योजना का पोर्टल बंद हो गया है और लोग लंबी लाइनें लगाकर रखे हैं। तो आज 6 बजे तक अंतिम तिथि है तो उसे बढ़ा दिया जाये। उसमें वृद्धि कर दी जाये। यह हम आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि महतारी वंदन योजना की जो तिथि है, वह 1 सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय :- चलिए, इसके लिए बात कर लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। इनके विभाग का सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी निर्णय हुआ है वह है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय माननीय मंत्री जी के विभाग ने लिया है। माननीय म्हण्यमंत्री जी ने लिया है। भाई, आप क्या कर रहे थे?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, ये प्रधानमंत्री आवास ला तुमन शुरू करे हव कि ओहा पहली ले चलत आथे। हमन आज तक सुनत आथन। अइसे लागत हे कि तुमन अभी पैदा करे हो। अभी नई योजना चलत हे तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- पैदा जिसने भी किया..।

श्री रामकुमार यादव :- आप बहुत सीनियर नेता हो। लेकिन ए सरकार ला अइसे गुमराह कर देथव..।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बैठो तो। अरे, पैदा जिसने भी किया उसे खिलाने-पिलाने का काम तो हम ही कर रहे हैं न। 18 लाख लोगों को आवास देने का काम ये सरकार कर रही है। 5 साल आपको मौका मिला था। आपने गरीबों के सिर से छत छिन लिया। आपने बनने नहीं दिया। और इसलिए नहीं बनने दिया कि इसमें नाम प्रधानमंत्री का है। नरेन्द्र मोदी जी की फोटो है। पिछले सदन में भी आप थे, मैं भी था, बहुत से लोग नहीं रहे होंगे। यहां पर बैठे हुए एक मंत्री ने कहा था कि उसमें दाढ़ी वाले की फोटो है, इसलिए हम नहीं बनने देंगे। अब बताइए जब आपकी सोच इतनी खराब हो कि कोई दाढ़ी वाले का है या कोई क्लीन शेव वाले का है, उसकी फोटो तो आपको पसंद नहीं है तो आपने 18 लाख लोगों को वंचित कर दिया।

श्री रामकुमार यादव :- मार्केटिंग वाला हो। सभापित जी, ये योजना हा पहली से चलत आथे, सिर्फ एमन फोटो लगाथे। अइसे लागथे कि खेत बेचके नया अभी योजना चलाथन। तुम्हर पहली भी योजना चलत रहिसे। कल भी चलही। सरकार के खजाना के पइसा हे भैया। पहली से चलत आथे। कोई अभी पैदा नहीं करे हे।

सभापति महोदय :- चलिए, रामकुमार जी, बहस का विषय नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, बोलने दीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापित महोदय, पिछले 5 साल नहीं बनाये, ठीक है। 75 साल से नहीं बना तो 5 साल और सही। अब बना लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापित महोदय जी, उसमें वाकई जो उसके लायक है, उनको दिया जाये। आपकी सर्वे सूची वर्ष 2011 की चलती है और उनके पास जमीन जायदाद है। जिन्हें वास्तविक रूप से घर की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ कीजिए तािक 18 लाख आवास उन्हें मिले।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह एक अलग विषय है। किसको दिया जाये, किसको न दिया जाये, किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, लेकिन आपने नहीं बनाने का निर्णय लेकर जघन्य अपराध किया है। इस प्रकार की गरीब जनता के साथ जघन्य अपराध। (मेजों की थपथपाहट) और इसलिए जनता ने आपको माफ नहीं किया और लाकर यहां पटक दिया। आप यहां आ गये न। कभी सोचते थे अब कि बार 70 पार।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमने बनाया है । आवास योजना हमने दिया था लेकिन आपके दवारा बीच-बीच में राशि को रोक दिया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए, मेरी और आपकी बहस का कोई मतलब नहीं है । जनता ने निर्णय लिया । अबकी बार 75 पार । मैंने इस विधान सभा में बोला था, यह जो आपकी सरकार थी, वह अहंकारी सरकार थी । किसी के मान सम्मान का ख्याल नहीं था । आप सत्ता के नशे में चूर थे, अंधे थे और माननीय बघेल साहब अहंकार जब सिर चढ़ जाए तो याद रखिए, एक बहुत विद्वान् आदमी ने कहा है अहंकार के वृक्ष में विनाश का ही फल पैदा होता है । वही विनाश आपकी पार्टी का हुआ जो सामने बैठा है और 2 महीने में ही आपको सारी खामियां दिखाई दे रही हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 2018 में क्या ह्आ था ?

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, बार-बार छेड़ रहे हैं इसलिए बोलना चाहता हूं । आपने 2 लाख बोला, कर्जमाफी बोला ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर ही यह आपस की चर्चा नहीं है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दो लाख कर्जा माफ कर देते तो उपकार हो जाता।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन कहे रहेव, कर्जा माफी होही, 15 लाख सबके खाता मा आही । वो प्रधानमंत्री दाढ़ी वाला बाबा पूरा देश विदेश मा किंजरथे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापित महोदय, दोनों पक्ष के सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं । जिन माननीय सदस्यों को बोलना है उनको पर्याप्त अवसर दे रहे हैं । जब अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात रखिए । बीच में टोका टाकी न करके, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनकी अपनी बात रखने दीजिए । इसके बाद आपका अवसर आएगा तब अपनी बात रखिएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोल लिए अच्छी बात है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सब एक साथ खड़े होकर टोकाटाकी मत करो ना जी, किसने क्या बोला समझ में ही नहीं आया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, गर्म भोजन और ठंडे भोजन में अंतर रहता है । तात्कालिक बात पर जवाब देने का अलग ही असर रहता है । मैं एक बात ही बोलना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी और नाम हैं । आपकी तरफ से भी नाम है उस समय उस विषय पर बोल लीजिएगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक सेकेंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा । माननीय धर्मजीत भइया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार घमंड के पेड़ पर थी । आप उस समय उस दल में नहीं थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 15 साल वाली सरकार, जब 15 सीटों पर आई, वह कौन से पेड़ पर सवार थी ? आप बुद्धिमान हैं, हमको 5 साल का घमंड था, लेकिन आपकी सरकार के बारे में बताओ ना, थोड़ा जानकारी बढ़ाना चाहते हैं ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप सीनियर सदस्य हैं । देखिए, विपक्ष तो ध्यान भटकाएगा । आप बह्त अच्छा बोल रहे थे, आप इधर आइए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये लोग जिंदगी में मेरा ध्यान नहीं भटका सकते, इनको जितना बोलना है बोल लेने दीजिए । ये क्या ध्यान भटकाएंगे, मैं ही इन्हीं का ध्यान भटका द्ंगा, मेरे पा इतना ज्ञान है कि दो मिनट में खड़ा करवा कर चांव-चांव करवा दूंगा । सभापति महोदय, गौठान, नरवा, गरूवा, घ्रवा, बारी, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं चिन्हारी। गौठान में क्या है, कहां से विद्वान एडवाइज़र लाए थे। उसने कहां कहां का बेकार का एडवाइज़ किया । करोड़ों रूपया आपने बिना मद के खर्च किया । सभापति जी, मैं एक किस्सा सुना देता हूं, आप सब भी सुन लो । मैंने इस विधान सभा में गौठानों के बारे में प्रश्न उठाया था तो आदरणीय चौबे जी, जो कृषि मंत्री थी उन्होंने कहा कि एक सरकारी अधिकारी आपको गौठान का दौरा कराएंगे । मैंने कहा एक गौठान आपकी सरकार का रहेगा और एक गौठान मेरी मर्जी से जाउंगा । उन्होंने कहा ठीक है । अब दौरा श्रू हुआ और 2 आई.ए.एस. अधिकारी मेरे साथ गए । पहला गौठान उन्होंने दुल्लाप्र दिखाया जो कि ख्डिया के पास है और हमारे उप म्ख्यमंत्री जी का क्षेत्र है । वहां गया तो उन्होंने बताया कि पहले म्गीं को गोदरेज का दाना मिलता था । उसको बंद कर दिया गया है तो अब अंडा बंद हो गया । मैंने पूछा कि दाने से अंडे का क्या मतलब ? उन्होंने कहा कि गोदरेज के दाने में मुर्गी ज्यादा अंडे देती थी । अब मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है । मैंने यहां आकर विधान सभा में गोदरेज का भी मामला उठाया तो लोकल दाना दिया गया । फिर मुझे एक जगह ले गए और कहा कि यहां की महिलाओं ने आलू वगैरह लगाया है तो मैंने एक साल पहले वहां 500 रूपया एडवांस देकर आया था कि बहनजी जब आलू होगा तो मुझे जरूर देना लेकिन आज तक आलू नहीं मिला, वहां आलू हुआ या नहीं हुआ यह मैं नहीं जानता। ये सब आई.ए.एस. अफसर के सामने हुआ । इससे भी बड़ा ताज्जुब हुआ

जब मैं बिंजराकछार ले गया तो वहां पर न कोई जानवर, न कोई कार्यक्रम, न कोई कुछ था। एक महिला समूह से मिलाया गया, उनको 11 बकरा लाकर दिए थे, मैंने कहा, बहन जी, ये बकरा आप कब से पाल रहे हो तो उन्होंने कहा साहब यह तो हमको कल ही मिला है। कल कैसे मिला ? उन्होंने कहा कि खामही बाजार से लाकर दिए हैं, साहब आने वाले हैं, इसको रखिए, हम बकरा पाल रहे हैं करके बोलिए। ये हाल है, अपने आप से असत्य बोलना, अपने लोगों को धोखा देना, यह योजना कैसे सफल होगी ? कागजों में यह योजना इतना बढ़िया लग रहा था कि दुनिया के कई देश के लोग इसके लिए उत्सुक थे लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि यहां पर कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं रीपा के बारे में बताना चाहता हूं। रीपा में कहीं कुछ नहीं है। कई सरपंच आत्महत्या करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं। कलेक्टरों के दवाब में ...।

श्री आशाराम नेताम :- सभापित महोदय, एक मिनट, हमारे यहां कांकेर जिला में श्रंगपाल के सरपंच की आत्महत्या हुई है। वे डिप्रेशन में खत्म हो गए। (शेम-शेम की आवाज) वहां रातोंराम गोभी उगा।

श्री रामकुमार यादव :- ए तुंहर सरकार आए के बाद ए का कि पहली के हरे। कब के बात ए।

श्री आशाराम नेताम :- मैं आपकी सरकार की बात बता रहा हूं। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हुई है। आप पता कराईए। वहां रातोंरात पानी भरा गया। वहां एक-एक किलो की मछली भी हुई। आपके गौठान की स्थिति बहुत दयनीय है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापित महोदय, मैं आपको बता रहा हूं, माननीय मंत्री जी, आपको बताने का मतलब यह है, आप इसको संज्ञान में लीजिएगा। रीपा का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है करके आनन-फानन में कराया जाता था। सरकार बनने के बाद उसका भुगतान फिर खटाई में पड़ गया है, सरपंचों का कोई दोष नहीं है, सरकार के आदेश पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए कलेक्टरों के द्वारा कराया गया है, इस पैसे का भुगतान होना ही चाहिए। चाहे इस योजना को लागू करो या बंद करो, यह आपका विवेक है लेकिन सरपंचों का पैसा मिलना चाहिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय...।

सभापति महोदय :- बोलने दीजिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- इसी विषय में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- अनुदान मांग पर बात रख रहे हैं।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापित महोदय, बहुत सारी मिहला समूह परेशान हैं। उन्होंने आर्गेनिक खाद बनाया है और उनका कोई भुगतान नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर यह संवेदनशील मुद्दा है। इनको देखना पड़ेगा, उनकी कोई गलती नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आप सबकी ही बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, आप भाषण दे नहीं पाएंगे, आपकी बात को मैं कह रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- एक तरफ कथे कोई काम नई होए हे, एक तरफ कथे वर्मी कंपोस्ड ला बेचे बर पैसा लेना हे, उहू कलेक्टर रिहिस ना। मैं तो कभू कभू दोनों कलेक्टर ला देख के सोचथों, कलेक्टर बढ़िया हे कि ओ विधायक बढ़िया हे। मैं हमर कलेक्टर साहब ला कहना चाहत हौं, वर्मी कंपोस्ड ला बेचे बर कहात हे, ऐति बनत नई हे कहात है। कइसे बढ़िया हे तेला त्मन तय कर लेव।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनना भैया, एही कलेक्टर हा जेन रिहिस हे, ओ दिन विधान सभा में बोलिस ना, एक काम नहीं किया, एक हफ्ता में ट्रांसफर हो गे रिहिस हे। ओ जमाना में दूसर टाईप के कलेक्टर मन के पाँवर रिहिस हे। जेन कोरबा में 40 रूपया खटखट खटखट कांटे, जेन मैनुअल ला ऑनलाईन अउ ऑफलाईन ला ऑनलाईन अइसे कर दे। (मेजों की थपथपाहट) ओमन के पाँवर रिहिस हे।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, कलेक्टर मन के अतेक अपमान मत करो। कलेक्टर कलेक्टर होथे। ओ सब कलेक्टर मन देखत होही। कलेक्टर मन ला अतेक कमजोर मत समझव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, गौठान में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वह आर्थिक रूप से मजबूत बनी हैं। उसमें महिलाएं आगे बढ़ी हैं। आप उन समूहों का ख्याल रखिए। आपकी सरकार आई है, उन महिला समूहों का भी ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है।

श्री स्शांत श्क्ला :- सभापति महोदय, आज बड़े म्खर हो रहे हैं, कल तो बड़े मौन-मौन थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपकी ही बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतना बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि इन्हीं सब बातों का ख्याल रखिए। सरपंचों को पेमेंट नहीं मिला है, किसकी सरकार में नहीं मिला ? आपकी सरकार में नहीं मिला। मैं क्या बोल रहा हूं। सरकार आई है, सबको पेमेंट देंगे आप बताते जाईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी मितानिन लोगों का 4 महीने का प्रोत्साहन राशि रूका हुआ है, उनको तो दे दीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में ला रही हूं। आप लोग मितानिन बहनों का 4 महीने का पेमेंट रोककर रखे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- कम से कम पांच साल रेडी टू ईट से तो अलग नहीं किए। आपका भुगतान होगा। रेडी टू ईट से रोजगारमुक्त नहीं किए ना।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री की उपस्थिति में जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मलेन हुआ। यह तय हुआ कि उनकी 17 सूत्रीय मांग पेश हुए। उनको राज्यमंत्री का दर्जा देंगे, उनको लालबत्ती देंगे। उनको चेकपॉवर देंगे। कुछ नहीं

मिला। मिला क्या ? आपमें से कई लोग जिला पंचायत के सदस्य होंगे, अभी बनकर आए होंगे। कोई अधिकार नहीं है।

श्री प्रेमचंद पटेल :- नहीं मिला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष सी.ई.ओ. के रहमोकरम पर जिंदा हैं। आप जाईए, यू.पी. में पता करिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापित जी, हमारी सरकार में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय भी बढ़ाया गया और उनके लिए गाड़ियों की भी सुविधा दी गयी। अभी जिला पंचायत में सबकी मानदेय बढ़ी हुई है। आप पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। इस बार भी ऐसा कोई प्रोजक्ट लाईए जिसमें सबका सम्मान बढ़े। अभी दीदी ने मितानिनों की बात की। पहले उनका मानदेय दे दीजिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। वह आप सभी की बात को रख रहे हैं। वह भुगतान के लिए ही बोल रहे हैं कि सबका भुगतान हो।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापित महोदय, पिछले कार्यकाल में एक गर्भवती महिला जिला पंचायत की अध्यक्षा थीं। जिसको ध्वजारोहण करने के लिए अपने सरकारी आवास से जिला पंचायत तक पैदल जाना पड़ा। यह स्थिति थी। उनको जो गाड़ी मुहैया कराई गई थी, उसको स्थानीय मंत्री के कहने पर खींचवा लिया गया। वह गर्भवती महिला ध्वजारोहण करने के लिए पैदल गई थी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापित महोदय, यदि आप लालीपॉप से खुश हो रही हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर तो जिला पंचायत के अध्यक्ष को ध्वजारोहण करने दिया गया। लेकिन मेरे तखतपुर विधान सभा क्षेत्र, जहां से मैं पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं, वहां के जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया 5 साल में पहली बार झण्डा फहराई हैं क्योंकि आपकी विधायक के पित महोदय स्वयं झण्डा फहराते थे, जो ग्राम पंचायत के पंच भी नहीं थे। पूरे तखतपुर के 18-19 झण्डें वही फहराते थे। यह हाल था कि वह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक झण्डा फहराते थे। प्रजातंत्र में जिसे झण्डा फहराने का अधिकार है, आप उसे झण्डा फहराने का अधिकार दीजिए। हम तो एक जगह झण्डा फहराते हैं। 18 जगहों में वही झण्डा फहराते थे। भगवान जाने कि वह क्या हैं? उनसे पूछो कि आप क्या हैं तो वह कुछ नहीं हैं। वह आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं और ग्राम पंचायत के पंच तक नहीं हैं, लेकिन झण्डा वह फहराएंगे और जनपद पंचायत का अध्यक्ष झण्डा नहीं फहराएगा। बहन जी, यह तो लालीपॉप है। मैं तो पॉवर की बात कह रहा हं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की परिकल्पना कांग्रेस की देन थी। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष को अपने C.E.O. को लिखने का अधिकार था। आपकी 15 साल की

सरकार ने उन चुने हुए लोगों के सारे अधिकार समाप्त कर दिये। आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यों व सभापित के अधिकार को किसने समाप्त किया था?

श्री धर्मजीत सिंह :- यही बात तो मैं कह रहा हूं कि यदि उन्होंने समाप्त किया था तो आपने 5 साल में उसको शुरू क्यों नहीं किया? यही प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूं और मैं यही बात कह रहा हूं कि आप इसपर विचार कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- आप भारी डायलॉग वाले हों। तुम्हला मानना पड़ही। अब ओ झन करे। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बीच में टोका-टाकी न करें। सबकी बारी आएगी। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जेला ओमन बंद करे हे, तेला हमन साफ करन। सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जहां पर उमेश पटेल जी बैठे हैं, वहां पर मैं बैठा था। मैंने मंत्री जी को समग्र विकास की डेढ़ करोड़ रूपये की एक सूची दी। उसे यूं-यूं करके ऐसे कर दिया गया। मतलब, नहीं दिया गया। मैं तो सीनियर विधायक था, तब भी मुझे डेढ़ करोड़ रूपये नहीं मिले। मैं क्या करता? मैं चुप था। हम किसी काम के लिए मंत्री जी से बोलते थे और कुछ लोगों को व्यक्तिगत रंजिश थी तो वह मेरे क्षेत्र में काम ही नहीं कराते थे। उल्टे-सीधे नियम पढ़ते थे।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, प्लीज एक मिनट। सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपनी बात बोल चुके हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापित महोदय, बात आई है तो बोलना पड़ेगा। अभी आप प्रभारी मंत्री मन विधायक के फंड देथो। आप मन याद करो कि 5 साल में प्रभारी मंत्री मन कोई भी विधायक के फंड ला नहीं रोके रीहिस। मैं पहिली बार लिख के दे हो तो आप पूरा पइसा ला काट देहो। का आप एखर बारे में कुछ बोलिहो? एक विधायक ला कतेक पइसा मिलथे? मैं चौधरी साहब ला धन्यवाद दिहो कि आप सब विधायक ला दिहो । तुमन हमर मन के पइसा ला घलो काट देओ अऊ ए मेर हमन ला सिखाए के बात करथो। आप बोलत हो तो कम से कम ए बात के ख्याल करो अऊ अपन मंत्री ला सिखाओ। ठीक है। कोई बात नहीं, सत्ता मिले हे तो काट लो।

सभापति महोदय :- रामक्मार जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, हमको भी कहां मिला था। हमको भी नहीं मिला था। माननीय सभापति महोदय, तखतपुर के पास गनियारी में रीपा का एक बहुत बड़ा सेंटर है। मैं आज तक वहां पर नहीं गया हूं। पता नहीं कि वहां पर क्या होता है या नहीं होता है ? मैंने उसको नहीं देखा है क्योंकि मैं तखतपुर से

पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं। अब 2-3 महीने में यहां आऊं या वहां जाऊं करके नहीं जा सका हूं।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, काफी समय हो गया है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापित महोदय, मुझे 5 मिनट लेगेंगे। मंत्री जी, आप अपने अधिकारी को कहकर मुझे वहां पर घुमवा दीजिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना, ये दोनों ही सड़क निर्माण की बहुत महत्वपूर्ण योजना हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरूआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरूआत 23 अप्रैल, 2011 को की गई थी। यह राज्य पोषित योजना है। मंत्री जी, इसमें आपका जो प्रतिवेदन आया है, उसको देखकर मैं बहुत ही असंतुष्ट हूं। बिलासपुर जिले में पूर्ण सड़कों की संख्या 0, भौतिक प्रगति 0, वित्तीय प्रगति 0 है। यानी 0, 0, 0 है। आप ज़रा इसपर विचार कीजियेगा। मैं आपसे एक और बात का निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप अधिकारियों को यह निर्देश देंगे। मैं पहली बार वहां का विधायक बना हूं, मैं जाता हूं तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये वाली सड़क पी.डब्ल्यू.डी. की है या ये वाली सड़क प्रधानमंत्री योजना की है। पता चलता है कि मैं पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के बारे में प्रधानमंत्री योजना वाले अधिकारियों से बात करता हूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए मैं पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से बात करता हूं। मुझे कृपा करके अपने अधिकारियों से एक अधिकृत लंबाई-चौड़ाई वाली सूची, किस सड़क की मरम्मत हुई है, किस सड़क की मरम्मत होनी है, कहां पर नई सड़क बननी है, इसकी विस्तृत जानकारी लेकर मुझे आप दिलवा देंगे तो मैं उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करंगा।

सभापित महोदय, मुख्यमंत्री आन्तिरिक गली विद्युतीकरण योजना, यह प्रतिवेदन में बहुत छोटा सा छपा है, लेकिन इसका महत्व हमारे सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत है । इसमें आपने 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । आन्तिरिक विद्युतीकरण गली योजना मतलब किस गांव में कितने खम्भे की जरूरत है, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं । विधायक निधि से देना पड़ता है, कभी माजरा-टोला गांव में दो-चार खम्बा खींचना पड़ता है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इस योजना में प्रस्ताव मंगाईए, हम लोग प्रस्ताव देंगे । कई गांव में हमसे खम्भा लगाने की मांग करते हैं, इसकी पूर्ति आपके इस मद से हो जाएगी तो हमारा विधायक फंड भी बचेगा और आपके विभाग का यह प्रोग्रेस होगा । इसमें आपके प्रतिवेदन में मुख्यमंत्री आन्तिरिक गली विद्युतीकरण योजना लिखा हुआ है ।

सभापित महोदय, मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । तकनीकी शिक्षा में बिलासपुर में सबसे बड़ा आई.टी.आई. सेन्टर है, जब शायद पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं आई.टी.आई. नहीं था तो बिलासपुर में था । बिलासपुर में अंग्रेजों के जमाने के आजादी के समय का बहुत बड़ा आई.टी.आई. केन्द्र हैं, जिसमें सैकड़ों प्रकार के ट्रेड की शिक्षा दी जाती थी और इतना बड़ा कैम्पस है, इतना बड़ा शेड है, लेकिन वह मरम्मत के अभाव में जर्जर है तो एक बार फिर से उसके पुराने रूप में लाने के लिए आप

जरूर उसमें जितनी राशि खर्च हो, वह किरए, उसको बनवाईए । वह हमारे बच्चों को कुशल कारीगर बनाने के लिए, ट्रेंड बनाने के लिए वह संस्थान पूरे छत्तीसगढ़ में काम आएगा । हमारे यहां एन.टी.पी.सी. है, बालको है, रेल्वे का जोन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमारे यहां सब कुछ है । आई.टी.आई. का कैम्पस 50-100 एकड़ में है । मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार उसका निरीक्षण करने भी जाईए । यह पुराने जमाने का हमारा गौरव है, लेकिन वह गौरव देख-रेख के अभाव में खराब हो रहा है । उसे आपके सहारे की जरूरत है, आप मदद करेंगे तो वह गौरव फिर से आ जाएगा । हमारे बिलासपुर का गौरव आ जाएगा, वहां सैंकड़ों विद्यार्थी पढ़ेंगे । अभी वहां कुछ नहीं है तो सब टूट गया । तखतपुर में पॉलीटेक्निक कॉलेज है। वहां इतनी बड़ी ईमारत है, पर केवल 25-30 बच्चे हैं । वहां ट्रेड बढ़ा दीजिए, वहां पर कुछ व्यवस्था किरए । आपके पास स्टाफ है, आपके पास सब कुछ है । आप वहां प्रावधान किरए और वहां के आई.टी.आई. में तो ये हाल है कि वहां के बच्चे लोग आये थे, आई.टी.आई. भवन में पंखा तक नहीं है। यह मैं आपसे मिलकर बोल भी दूंगा।

सभापित महोदय, अब मैं जेल के बारे में कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का जेल जन चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ के जेल में अभी पिछले पाँच साल में बड़ी-बड़ी महान विभूतियां वहां पहुंची हुई हैं, वहां रहते हैं। कोई बोलता है कि ऐसे जेल में रहते हैं, कोई बोलता है कि वैसे जेल में रहते हैं। वहां तक तो हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है, वह तो आप देखेंगे, लेकिन जेल में जो आम कैदी हैं, उनके रहने के लिए जेल का विस्तार होना चाहिए। जेल में थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, तािक जो यहां बाहर के मोबाईल पहुंच रहे हैं, उससे भी जेल से बहुत से गड़बड़ के काम हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपने जेल (डी.जी.) बनाया है, वे बहुत सक्षम अधिकारी हैं, वे वहां जाएंगे और जाकर देखेंगे। आप भी एकाध बार जेल का निरीक्षण कर लिया करें। जेल में सुधार गृह के नाम से उसको समझिए। वहां आदमी कई बार अपराध करके भी जाता है, कई बार दुर्घटना में भी जाता है, कई बार धोखे से भी जाता है, कई बार निर्दाष भी चला जाता है तो वहां पर उनको सारी अच्छी सुविधाएं मिले। हमारा जेल बदनाम न रहे, इसलिए आप उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा।

सभापति महोदय, मैंने अभी दो-तीन घटना सुनी है । कवर्धा में भी नक्सलाईट की दस्तक हो चुकी है, यह मैंने अखबारों में पढ़ा है । अगर ऐसा सही है तो कवर्धा के बार्डर में जितने फोर्स लगाना पड़े, लगाईए । कवर्धा जिला तो बचाकर रखिए। पहले यहां पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। कवर्धा से बालाघाट चिल्फी से आगे लगा हुआ है। बैहर, बालाघाट, मलाजखण्ड दलम, और क्या-क्या दलम है, जो भी है। उसमें आपका जिला है, हमारा गृह जिला भी है, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। समस्या पैदा हो, उसके पहले ही खत्म कर दीजिये। उधर पंडरिया के तरफ बार्डर में सेन्द्रखार है, उस तरफ गश्त या जो भी है, करिये।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, अध्यक्ष जी का निर्देश आया हुआ है कि भाषण जल्दी समाप्त करायें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापित महोदय, मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। नेशनल हाईवे में पेट्रोलिंग गाडियों की संख्या बढ़वाईयेगा। आप नेशनल हाईवे में एम्ब्युलेंस की संख्या बढ़वाने के लिए अधिकारियों से बात करियेगा। नेशनल हाईवे में जो ब्लेक स्पॉट हैं, वहां पर क्या कार्यवाही हो सकती है, आपको पुलिस से बात करके करना होगा। आपका, पुलिस और हेल्थ और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का जब सामंजस्य नहीं रहेगा, तब तक दुर्घटनाएं घटित होंगी। छत्तीसगढ़ में जरूरत से कुछ ज्यादा दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। आप पुलिस का गश्त तेज कराईये। पुलिस का खौफ अपराधियों में पैदा करिये और पुलिस के प्रति जनता के दिल में यह बात पैदा करिये कि यह पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और जनता भी पुलिस को अपनी मदद कर सके, तब हम इस प्रदेश में अमन, शांति ला सकेंगे। सभापित महोदय, जब अमन, शांति आयेगी, जब इस प्रदेश में कानून का राज ठीक से, मजबूती से लागू होगा तभी हमारी सारी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, हम आगे बढ़ेंगे। कानून के राज्य के साये में शांति के वातावरण में हम अपने प्रदेश को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और अपने दमदार गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर सकेंगे।

माननीय सभापित महोदय, मेरी छोटी-छोटी दो मांग है। कृपा करके सकर्रा में थाने का चौकी खोल दीजियेगा, तो अच्छा रहेगा। मैं वहां बोलकर आ गया हूं, इसलिए खोल दीजियेगा। वैसे मैं थाना वगैरह खुलवाने में भरोसा नहीं रखता हूं। लेकिन फिर भी मैं बोला हूं तो आप कर दीजियेगा। सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, पंचायत विभाग, गृह विभाग के लिए प्रस्तुत अनुदान मांग के विरोध में और इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापित महोदय, आप पंचायत मंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा इस सदन में चुनकर आयें। आप पंचायत विभाग को ऐसे चलाईये ताकि पंचायत मंत्री दोबारा लौटकर सदन में आये। छत्तीसगढ़ के सदन में अभी तक जो भी पंचायत मंत्री बने हैं, उनको दोबारा इस सदन में लौटकर आने का अवसर नहीं मिला है। आप पंचायती राज से इस सदन में आये हैं और पंचायती राज से मैं भी आया हूं। अंतर यह है कि आप जिला पंचायत से आये हैं। पंचायती विभाग में पहले लीडरशीप..।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, वह तो पंचायत मंत्री हारे हैं न। यहां तो गृह विभाग भी है, तकनीकी शिक्षा है, कई सारे विभाग हैं। वह सब काट देगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, पंचायत विभाग वाले मंत्री वापस आये नहीं हैं। उनके पास और भी विभाग थे। मैं आपके हित में बोल रहा हूं, मेरी भावना गलत नहीं है। माननीय सभापित महोदय, आप भी पंचायत से आये और मैं भी पंचायत से आया हूं। एक समय था जब देश और प्रदेश में छात्र, छात्र राजनीति करके, छात्रसंघ का चुनाव लड़कर दिल्ली की सदन और प्रदेश की सदन में आते थे। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि प्रदेश में छात्रसंघ का चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए छात्रसंघ से नेता नहीं बन रहे हैं। तो जो कुछ है, वह पंचायती राज है, नगरीय निकाय है। प्रायमरी स्कूल ले लो, मीडिल स्कूल ले लो, हाई स्कूल ले लो, महाविद्यालय ले लो, सब कुछ पंचायती राज ही है, इसलिए पंचायती राज में जैसा कुछ करना था, वैसा बजट में नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब बात की शुरूआत होती है। आपकी सरकार नारी वंदन, गरीबों का आवास, आपने उस पक्ष में आंदोलन भी किया। मोर आवास, मोर अधिकार का ऐसा कुछ आपने स्लोगन दिये थे । सभापति महोदय, माननीय म्ख्यमंत्री जब शपथ लिये तो पहला दस्तखत प्रधानमंत्री आवास योजना में किया । जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से शपथ लिये तो दो घण्टे के अंदर 9500 करोड़ रूपये के कर्जामाफी पर हस्तक्षर हुआ था, यह पैसा किसानों के खाते में गया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लेक्स और विज्ञापन में आपकी सरकार ने कितना खर्च किया है ? सभापति महोदय, सच्चाई यह है कि आप बजट प्रावधान किये हैं, लेकिन केन्द्र की सरकार ने आपको 60 परशेंट की राशि मंजूर नहीं की है । अभी राशि मंजूरी नहीं हुई है, न ही करने की स्थिति में है । इस डब्ल इंजिन की सरकार में दो महीने में एक दस्तखत नहीं हो पाया है, जबकि यह आपके महत्वपूर्ण वादे रहे हैं । सभापति महोदय, आज भी जनता को गुमराह किया जा रहा है, चाहे वह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विष्णु देव साय जी की सरकार बनते ही, अगर कोई पहला काम हुआ है तो 18.50 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ह्आ है, ऐसा कहना सरासर गलत है । आप रिकार्ड देख लीजिए । केन्द्र की सरकार ने आपके 60 परशेंट की राशि स्वीकृत नहीं की है । आप हमारे ऊपर गरीबों के आवास का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, आपके डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के आवास को रोका । सभापति महोदय, गरीबों में राजनीति हुई है, दलगत भावना से राजनीति हुई है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आचार-संहिता लगने के पहले, चुनाव में जाने के पहले, 7.50 लाख प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किश्त जारी की है, जिसको आपने 18.50 लाख में शामिल किये हैं या वह अलग है, यह भी आप बताईयेगा ? सभापति महोदय, दूसरी बात....।

श्री रामकुमार यादव :- डबल इंजन में धुंआ आना शुरू हो गे हे गा ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापित महोदय, धुंआ नहीं, यह पूरा फेल हो गया है । सभापित महोदय, आप भी जिला पंचायत से आये हैं, आज अगर पंचायती राज कमजोर हो रहा है, इसका सबसे

अच्छा समय, जब हम मध्यप्रदेश में थे, मैं उस समय जनपद उपाध्यक्ष था । पंचायती राज में अगर सबसे पहले किसी ने अधिकार दिया है तो ऐसा करने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हैं । पंचायती राज में जिला सरकार का भी गठन हुआ, कई ऐसे बजट होते थे, सदन में केवल बजट होता था, लेकिन बाकी उसकी स्वीकृति से लेकर सारे कार्यवाही जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष करते थे । सभापति महोदय, आज पंचायती राज केवल पंचायत अधिनियम में रह गया है । सरकारों को जब भी अवसर मिला है, पंचायती राज में निश्चित रूप से अधिकार देना चाहिये । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिला पंचायत से आये हैं तो जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि के अधिकार होते हैं कि जिला सी.ई.ओ. के होते हैं, यह आप भली-भांति समझते हैं । पंचायती राज को आगे लाने के लिये यहां के लोग निश्चित रूप से दिल्ली के सदन में आये और छत्तीसगढ़ के सदन में भी जायें, ऐसा आप अधिकार दें, जिससे कि वह अपने जीवन में अपने राजनीतिक जीवन का सफर आगे बढ़ा सके । सभापित महोदय, मैं जब ग्राम पंचायत में था, उस समय निर्माण कार्य एजेंसी की लागत 3 लाख रूपये थी । हमारी सरकार में वह 50 लाख तक गई है, यह सही है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पंचायत विभाग और कलेक्टर सेक्टर में भी विशेष ध्यान देंगे । कलेक्टर सेक्टर से जो वर्क स्वीकृत होते हैं, उसी से ही इनको एजेंसी बनाया जाता है, जबिक एक समय था कि आपके सरकार में संकुल प्रभारी भी 30-30 लाख के बिल्डिंग बनाये हैं । आप इस सदन में 50 लाख के बजटीय प्रावधान के लिये कानून बनाईये कि उसका निर्माण ग्राम पंचायत करे और पी.डब्लू.डी., एरिगेशन के लिये कोई सब इंजिनियर है, आपके पास केवल टाईम पिपर नहीं है, आप टाईम पिपर की भर्ती करवा दीजिये। सरपंच भी 50 लाख का काम करवा सकते हैं और उसी गुणवत्ता के साथ करवा सकते हैं, जिससे पंचायती राज के सरपंच भाइयों को भी अधिकार मिले। यह 50 लाख रूपये केवल पुस्तक में रह गया है। आप विभागीय समीक्षा बैठक में देख लीजिये कि दूसरे विभाग का कार्य नहीं होने की वजह से इनको जो सम्चित लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। यदि आप दूसरे विभाग को नहीं लायेंगे तो निश्चित रूप से वह बात धरातल पर नहीं रहेगी। यह अधिकार केवल प्स्तक के पन्नों में रह जायेंगे।

सभापित महोदय, तीसरा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, यहां पर सरकार बनते ही बुलडोजर चला। यू.पी. में तो अपराधियों के घरों में बुलडोजर चला लेकिन यहां गरीबों के पेट में बुलडोजर चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आप दोनों उप मुख्यमंत्रियों के विभाग में बुलडोजर चला है। आपके साथ ऐसा क्यों ? यह आपकी जानकारी में है या नहीं ? मैं आपके ऊपर पूरा आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपको आये दो महीने ही हुए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम आपका ध्यान आकर्षित करायें। आप उसमें सहमित नहीं देते लेकिन नीचे के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उससे गरीबों के पेट में बुलडोजर कैसे चला ? आपने मनरेगा में 150 रूपये का रोजगार देने के लिये जो राशि रखी है, आप उस राशि से मनरेगा मजदूर

को 150 रूपये नहीं दे सकते, आप उसको भाग देकर देख लीजिये। इसका मतलब है कि आपके बजट में ही मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के साथ छलावा हो चुका है। दूसरा, निजी डबरी, सामुदायिक तालाब, वर्मी टंकी, कुंआ, बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, सिंचाई नाली, नदी-नाला, इसके लिये आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि आप यह योजना बंद करने जा रहे हैं। इस योजना में कोई कांग्रेस के नेता या कोई कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे थे। आप इसके आंकड़े निकलवा कर देख लीजियेगा। मैं सोचता हूं कि 50 हजार से ज्यादा महिला बहनों को रोजगार समूह से बेदखल किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग रोजगार का कार्य कर रहे थे, आप निश्चित रूप से इस पर पुन: विचार करके दलगत भावना से बाहर उठकर अनुपूरक में गरीबों के हित में, उनको रोजगार के अवसर देने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, 10 मिनट हो गये हैं।

श्री रामक्मार यादव :- सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- रामक्मार जी, उनको टोका-टाकी मत करिये। उनको बोलने दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, उधर देखिये तो सिर्फ हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बाकी स्ना है। ऐसन लागत हे कि सत्ता दल ओ मे हा अंक्श लगाथै।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि वह लोग भी आपके बजट वितरण से खुश नहीं है और उनको भी लग रहा है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- द्वारिकाधीश जी, आप पहले अपनी row को देख रहे हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप 54 सदस्य और 35 सदस्य का भाग देकर निकाल लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसका कारण वह नहीं है। सब लोग यहीं है। आज गृहमंत्री जी के सौजन्य से भोजन है और सब भोजन में लगे हुए हैं और आपको भी भाषण देने के बाद जाना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, सभी सत्ता पक्ष के सदस्य भिलाई गये हुए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कौशिक जी, पहले ये लाईन ला देखथन अउ तुंहू ओ लाईन ला देखथन। सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव जी, आप आगे बोलिये। जिस विभाग का है, उप मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित हैं, उस विभाग के अधिकारीगण यहां उपस्थित है, वह नोट कर रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापित महोदय, जब हमारी सरकार थी तो आपकी तरफ से हर बार हमारे विद्वान भांचा जी और हमारे बड़े बुजुर्ग, सबसे सीनियर कौशिक जी और कका जी बात की शुरूआत ट्रांसफर उद्योग से करते थे। हालांकि मैं जान रहा हूं कि आपने केवल इसमें सहमित दी है। ऐसी क्या अप्रिय स्थिति बन गई, क्या आवश्यकता हो गई कि उस समस्या को हल करने के लिये पुलिस विभाग में रात को 3.00 बजे 47-48 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है। यह छत्तीसगढ़ के

इतिहास में पहली बार है। आप अपने भाषण में मुझे यह जरूर बताईये कि किस वजह से आपको 3.00 बजे रात को ट्रांसफर करना पड़ा और 3.00 बजे रात को कार्यालय भी खुला रहा । यहां पर पुलिस विभाग की सजकता दिखी है।

माननीय मंत्री जी, मैं बड़े मुद्दे में बाद में आऊंगा। यहां आपके विरुष्ठ अधिकारी भी बैठे हैं। मैं सदन के माध्यम से यह ला रहा हूँ। यह आपकी जानकारी में नहीं है और मैं इस विश्वास के साथ सदन का समय ले रहा हूँ कि आप इसमें निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे। मेरा विधान सभा क्षेत्र खल्लारी है वहां धमतरी में ज्वेलर्स दुकान में चोरी हुई, सी.सी.कैमरा फुटेज में जिस व्यक्ति का फोटो आयी, वह खल्लारी विधान सभा क्षेत्र का एक गरीब व्यक्ति है। मैं आपको उसका नाम भी लिखकर दे दूंगा। महासमुंद में दो महीने पहले क्राईम ब्रांच के प्रभारी बने हैं। रोज वहां वह नया-नया इतिहास लिख रहे हैं। उन्होंने उस आरोपी को थाने लाने के बजाए, उससे सेटिंग कर, जेवरात में बंटवारे के लिए संबंधित सिपाही से जंगल ले गये और जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसके बच्चे के दिल में छेद है। यह हो सकता है कि अपने बच्चे का ईलाज करवाने के लिए चोरी कारण हो या उसकी प्रवृत्ति चोरी की रही होगी। उन्होंने उसे थाने ले जाने के बजाए, जंगल ले गये । उसको इसलिए जंगल ले गये कि उससे सौदेबाजी हो सके। उन्होंने उससे राशि की मांग की। उस सिपाही ने उसे पकड़ा था जैसे उसने अवसर पाया, उसने सिपाही से हाथ छुड़ाकर भागा । वहां एक किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बिजली का करंट लगाकर रखा था, उस करंट में वह व्यक्ति फंस गया और वहां दो दिनों तक उसका ईलाज चला। पुलिस और क्राईम ब्रांच के प्रभारी के चलते, उसकी हत्या भी कह सकते हैं और उसकी मौत का कारण भी हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा खल्लारी के क्राईम ब्रांच प्रभारी का है जो वहां दो महीने पहले ही बैठे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय द्वारिकाधीश जी, किसी एकाध दो प्रकरण का विषय हो तो आप अलग से चर्चा कर लीजिएगा। अभी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। अभी 17 सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं। मेरा, आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापित महोदय, मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात कहूंगा। यह पुलिस विभाग का मामला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आपने यह करवा दिया या आपकी सहमित से हो गया। यदि किसी ने गलती की है तो कानून के नियम के हिसाब से कार्यवाही होगी। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस पर कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापित महोदय, मैं, क्राईम ब्रांच प्रभारी के दूसरे दुकान की बात बता रहा हूँ। वहां व्यापारी अपना पैसा लेकर, व्यापार करके लौट रहा था। अब व्यापारी डकैतों से सुरक्षित हैं, लेकिन जो आपके क्राईम ब्रांच के पदस्थ अधिकारी हैं, सत्ताधारी दल के लोगों से मिलकर बताया गया कि वहां पर

यह व्यापारी इतना पैसा लेकर जा रहा है, उसे रोका गया। उसके पास 12 से 14 लाख रूपये की राशि थी। उन्होंने व्यापारी से कई तरह की बातें कीं और 14 लाख रूपये में ये 12 लाख रूपये क्राईम ब्रांच और उसके उच्च अधिकारी ने रखा, क्योंकि 12 लाख रूपये प्रभारी नहीं रख सकता। मेरा जो आंकलन है, आप इस विभाग को चला रहे हैं। आप भी यह महसूस कर सकते हैं। यह समाचार पत्रों में भी आया। वहां व्यापारी घुम रहे हैं। अगर उसमें इंकम टैक्स का मामला था तो उसका मामला बनाना था। अगर वह राशि कोई दूसरी राशि होती। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं तीसरी बात जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। आप जल्दी समाप्त करने कह रहे हैं। महासमुंद जिले की बहुत सारी बातें हैं मैं एक दिन डी.जी. साहब के पास जाऊंगा...।

सभापति महोदय :- अभी और सदस्यों को बोलना है। इसके बाद खाद्य विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल का दूसरा वक्ता हूँ। आप मुझे समय दीजिए।

सभापति महोदय :- नहीं। आप ही दल के दूसरे वक्ता भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य ला बोलन देवा न। दू दिन विधान सभा के सत्र ला अउ बढ़ा देबो, का होथे। समय-समय हे, तुंहर राहथ ले। में तोरेच बर गोठियाथो। हमर करा पर्याप्त समय हे, सत्र ला 5 दिन अउ बढ़ावव। ओति सत्तापक्ष ला आदेश करव, लेकिन सब मन बढिया-बढिया बोलबो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापित महोदय, सराईपाली नगर पालिका सी.एम.ओ. ने निविदा आमंत्रित की। वहां यादव पारा में सामुदायिक भवन बनना था। उसके लिए निविदा आमंत्रित हुई, टेण्डर स्वीकृत हुआ। उसके बाद वहां ठेकेदार ने काम चालू किया। वहां पर एक पार्षद ने आकर, उस सरकारी संपित को क्षितिग्रस्त कर दिया, उस सामुदायिक भवन को तोड़ दिया गया। वहां के मोहल्ले वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। क्या सरकारी संपित को क्षितिग्रस्त करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपराध कायम नहीं हो सकता? वहां का थाना प्रभारी अपराध कायम करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण अपराध कायम करने के लिए आवेदन लेकर घूम रहे हैं। सरकारी संपित की क्षिति हुई है। संबंधित सब इंजीनियर ने ले-आउट दिया है, टेंडर स्वीकृत हुआ है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय मंत्री जी नहीं हैं, उनके सी.एम.ओ. आवेदन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? कवधी आपका जिला है। साधराम यादव हत्याकांड हुआ है। समूचा यादव समाज की आंख से आंसू निकल रहे हैं। उसमें जितने लोगों को आरोपी बनाया गया है, वह पर्याप्त नहीं हैं। उसकी जांच में जो-जो बातें प्रशासन की ओर से आ रही हैं, वह संतोषजनक नहीं है। आप तो वहां के विधायक हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें आप सी.बी.आई; जांच करवा दीजिए। आपका भी सम्मान

बढ़ेगा और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को इसी मामले को ले करके यादव समाज की कवर्धा में बड़ी विशाल रैली है। मैं चाहता हूं कि उसके पहले आप सब सदन में घोषणा कर दीजिए। हम जंगल में रहने वाले आदमी कहां सड़क में आंदोलन करेंगे। उस पीड़ित व्यक्ति साधराव यादव की इस ढंग से हत्या की गई है। मुर्गी को काटने से भी अलग ढंग से उसकी हत्या की गई है। मुर्गी को काटने से उसकी हत्या करते हैं कि उसको एहसास न हो। लेकिन उसकी हत्या तड़पा-तड़पाकर की गई है।

सभापति महोदय :- द्वारिकधीश जी, समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, बस 2 मिनट में अपने क्षेत्र की मांग करके समाप्त कर दूंगा। डोंगरगढ़ के मंदिर में अश्लील वीडियो दिखाई देता है। यह छत्तीसगढ़ कहां से कहां चला जा रहा है। हालांकि इसमें एक भी चीज में मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता। एक ही चीज का आरोप लगा रहा हूं कि आपने यह कहा था कि मोदी की गारंटी में कानून का राज होगा, 02 महीने में कहीं पर मोदी जी की गारंटी नहीं दिख रही है। यही मेरा आरोप है। अब मैं आपसे मांग करता हूं। नर्रा में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं। नर्रा उड़ीसा बार्डर से लगा हुआ है। मैं यह जो मांग कर रहा हूं, इसमें आपको, प्रशासन को इस पुलिस चौकी के खुलने से कई तरह से लाभ होगा। उड़ीसा तरफ से गांजा, धान भी आता है। उड़ीसा के आरोपी इधर से अपराध करके भागते हैं। आप जांच करवा लीजियेगा। नर्रा में बागबहरा में, खल्लारी में आई.टी.आई., महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। पंचायत विभाग से दुर्गपाली में पंचायत भवन की आवश्यकता है। भलेसर से खैरटकला 6 किलोमीटर तक की सड़क है, ग्रामीण आज भी वैसे ही चलते हैं, जैसे पहले ग्रामीण परिवेश में चलते थे। झारा से चीतमखार तक की सड़क, यहां बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। दुर्गपाली से धनोरा सड़क भी उसी स्थिति में है। टूहलू से टेका तक की सड़क, यह कहीं न कहीं नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, अभी भी वहां पर कैंप है। सोनासिली घोंस-दादरगांव सड़क, जामपाली-गड़बेड़ा में स्गम सड़क, ममा-भांजा में स्गम सड़क, चूरकी से स्गम सड़क, टोंगोपालीकला से शिकारीपाली, पलसापानी स्गम सड़क और एक खेड़ही गांव से मोंहदा, भ्रकोनी से मोहदा सड़क काफी खराब है, इसको आप जरूर ध्यान देंगे।

माननीय सभापित महोदय, एक मिनट की सलाह देते हुए अपनी बात को विराम करूंगा, हो सकता है कि मेरे बात प्रदेश के हित में हो सके। अपराध निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षों से काफी बढ़ा है। जिस बात पर पहले छत्तीसगढ़ में धारा 351 स्तर के अपराध होते थे और यू.पी. में वह धारा 302 में तब्दील हो जाती थी। अब वह स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है। मेरा मानना है कि शराब के नशे में गैर जमानती अपराध बहुत कम होते हैं। यह जो अपराध बढ़ रहे हैं यह सूखे नशे और जो मेडिकल से नशे की गोली मिलती है, उसके कारण बढ़ रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि आप ऐसे कानून बनाईये कि अगर कोई आरोपी शराब के नशे में है तो शराब कहां से आई और अगर दूसरे नशे में

अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उस विक्रेता को सह अभियुक्त बनाया जाये। एक साल में राजधानी जैसे अपराध का हब बन गया है।

समय :

2:00 बजे

यह बंद हो सकता है। आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ आबकारी विभाग है। आप आबकारी विभाग को भी साथ लीजिये। जो सूखा नशा बेच रहे हैं, यही अपराध का कारण बन रहा है। जो सरकार से प्रतिबंधित नशा है, उसको सह-अभियुक्त बनाया जाय या तो उनके लिए कठोर कानून बनाया जाय। इससे आपकी पुलिस को मेहनत कम लगेगी। 50 प्रतिशत अपराध इसी में कम हो जाएगा, क्योंकि अगर शराबी 10 गैर-जमानती अपराध करता है, तो वह 90 अपराध करते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि जैसे आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी में कानून की राज होगी, लेकिन कानून का राज नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और कानून की राज का इंतजार करूंगा। जिस दिन धरातल में कानून की राज होगी, राजधानी सुरक्षित होगी, उस दिन मैं विपक्ष धर्म से हटकर आपको धन्यवाद भी जापित करूंगा और आपको छत्तीसगढ़ की जनता की आशीर्वाद मिलेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप उस माता को कल्पना कीजिये, जिसके 18 साल के बच्चे मौत के घाट उतर जा रहे हैं, उनके पित चले जा रहे हैं। उनकी क्या परिस्थिति बन रही होगी? आपके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी की गारंटी का परिणाम जरूर देंगे, लेकिन मैंने यह जो महासमुंद जिला का बात बोला है, वह अगर असत्य बोला होऊंगा तो आपके विभाग में जो असत्य रिपोर्ट लिखवाने की जो व्यवस्था है, वह भी आप मेरे ऊपर भी कर सकते हैं। सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके आप आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय धरम लाल कौशिक।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापित महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित मांग संख्या 3 - पुलिस, मांग संख्या 4 - गृह विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या 5 - जेल, मांग संख्या 30 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मांग संख्या 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 46 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं मांग संख्या 47 - तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, इन अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए और बोलने के लिए खड़ा ह्आ हूं।

माननीय सभापित महोदय, हमारे भारत में आबादी की दृष्टिकोण से 75 प्रतिशत से ऊपर आबादी कहें तो वह हमारी ग्रामीण आबादी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है, वह गांवों में बसती है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। इसलिए आज महत्वपूर्ण विभाग में यदि हम पंचायती राज विभाग की बात करें संपूर्ण विकास की लगभग

सारी जवाबदारी पंचायती राज विभाग की है, जिसके माध्यम से गांवों का विकास, गांवों में रहने वाले समूह का विकास और वहां पर व्यक्तिग विकास, यह सारी जवाबदारी पंचायत विभाग को दी गई । इस विभाग को जो जवाबदारी दी गई है, जिसके अंतर्गत यदि हम रोजगार गारंटी से लेकर निर्माण कार्यों तक और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास से लेकर आजीविका मिशन तक बात करेंगे तो सारी व्यवस्था पंचायती राज के अंतर्गत है। इसलिए पंचायत का महत्व, पंचायत के जनप्रतिनिधियों का महत्व, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बात को लेकर पहले जो 33 प्रतिशत महिलाओं आरक्षण था, उसको पूरे हिंद्स्तान में 50 प्रतिशत करने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब डॉ. रमन सिंह म्ख्यमंत्री थे तब 33 प्रतिशत को 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए एक बह्त बड़ा काम किया है। आज 50 प्रतिशत नहीं बल्कि हम एक और ज्यादा प्रतिशत 51 प्रतिशत आरक्षण की बात करे तो महिलाएं जनप्रतिनिधि च्नकर आ रही हैं और उनके चुनकर आने के बाद में हम अपने गांवों के विकास की गति को कैसे दिशा दे सकें, यह दृष्टिकोण आज हम देख रहे हैं कि पंचायत में महिलाएं बैठकर काम कर ही हैं, नगरीय-निकाय में जो महिलाएं काम कर रही हैं और यदि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बात करें तो पहले जो अधिकार पंचायतों में दिया गया, जो अधिकार नगरीय-निकाय में दिया गया । अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 33 परसेंट महिलाओं को सांसद का और 33 परसेंट अधिकार विधायक बनने का लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित किया गया है। निश्चित रूप से यदि हम इस बात को कहेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, सशक्तिकरण की दिशा में काम करने में यदि सबसे बड़ा कोई काम ह्आ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह काम किया है । केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन की रोजगार गारंटी की योजना थी लेकिन हम लोगों ने हमारे यहां देखा है कि सिंचाई के साधन कम हैं और सिंचाई के साधन कम होने के कारण एकफसलीय खेतों की संख्या ज्यादा है, उसका रकबा ज्यादा है। उनको हम कैसे रोजगार दे सकें ? और रोजगार केवल 100 दिन दिया जाना है तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें अतिरिक्त 50 दिन की वृद्धि की गयी । अब यहां एक परिवार को 150 दिन काम करने का अधिकार दिया गया है । जो अक्शल हैं, वे 150 दिन काम कर सकते हैं और उसमें भी यह है कि वे आवेदन लगायें और 15 दिन के अंदर में उनको काम स्वीकृत करना है । उनको एक बड़ा अधिकार दिया गया है और जिसके कारण रोजगार गारंटी में हम समझते हैं कि तालाबों का काफी काम हुआ है और मैं समझता हूं कि इसमें तालाबों के अलावा और भी जो महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकते हैं वह किया जाना चाहिए, यह 150 दिन उनको रोजगार कैसे मिले इस बात को स्निश्चित किया गया है । इस तरह से स्निश्चित करने की वजह से खासकर गांव में जो खेती करने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापित महोदय, हम सभी लोग प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। हमारे कई साथियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पहले से लागू किया गया है, कोई पहली बार इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गयी है। इस योजना को लागू करने के बाद अभी तक जो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है इसमें 11 लाख 75,146 हितग्राहियों को अभी तक इसका लाभ मिला है। पिछले 5 सालों में लगभग अवरूद्ध हो गया और अवरूद्ध होने के बाद में जो 16 लाख आवास दिये गये थे उसमें कुल-मिलाकर 1 लाख 53,000 आवास बना पाये और उसके बाद में सभी उससे वंचित रहे इसलिये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर घर तक कैसे पहुंचाया जा सके इसको लेकर के योजना बनायी और योजना बनाने के बाद काम किया तो आज हम लोगों ने घोषित किया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ में जिनका पक्का मकान नहीं है ऐसे लोगों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिये जायेंगे। हमारी सरकार के द्वारा यह निर्णय किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापित महोदय, मैं इस निर्णय से यह समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो वंचित रहे हैं। जो सूची में रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा।

समय :

2.08 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन ह्ए)

श्री उमेश पटेल :- धरम भैया, एक ही चीज है । आपने बहुत अच्छा 18 लाख किया है । एक-बार जनगणना के लिये बोल दीजिये । नयी जनगणना हो जाये । वर्ष 2011 में पहले जो जनगणना हुई है उससे कई लोग अमीर हो चुके हैं, कई लोग गरीब भी हो चुके हैं तो इसमें वह लोग भी आ जायें ऐसी कुछ व्यवस्था बनाईये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं है चूंकि अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ और स्वीकृत किये है कि 2 करोड़ और बनायेंगे । रही बात छत्तीसगढ़ की तो आप लोगों ने जो सर्वे कराया ।

श्री उमेश पटेल :- आप कृपया सुनिये न । मैं यह बोल रहा हूं कि हमने जो सर्वे कराया उसको आप छोड दीजिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोगों ने जो सर्वे कराया है उसकी कॉपी ब्लवा लेंगे न ।

श्री उमेश पटेल :- मैं एक सुझाव दे रहा हूं, आपको कोई टोका-टाकी नहीं कर रहा हूं । मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है । मेरे ख्याल से सभी सदस्य इस बात को मानेंगे कि उसमें कई ऐसे पात्र लोग हैं जिनका नाम छूट गया है और कई ऐसे लोग हैं जो अब पात्रता नहीं रखते

हैं । चूंकि वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से हो रहा है और कई साल निकल गये, उनमें से कई लोगों की स्थिति स्धर च्की है और कई लोगों की स्थिति नहीं स्धरी है ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 4 करोड़ घर बनाये, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ घर और स्वीकृत किये हैं और उसके बाद में यहां 16 लाख के पहले जो लक्ष्य दिया गया था, उसको अभी बढ़ाकर 18 लाख किया गया है और हम लोग वास्तव में चाहते हैं कि जिनके घर नहीं हैं, उनसे सिर के ऊपर पक्के मकान बनने चाहिए, छत होने चाहिए और मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, कौशिक जी, अगर जनगणना फिर से नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? वहीं सूची चलती रहेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- देखिए, जहां तक जनगणना की बात है तो आपको मालूम है कि पिछले साल कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पायी थी। अभी इलेक्शन आ गये हैं और इलेक्शन के बाद ही संभव होगा। इसलिए अभी नहीं कह सकते।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, कोविड को 3 साल गुजर चुके हैं। या तो जनगणना केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं हो रही है या आपको ऐसी कोई जानकारी होगी तो यहां करा लीजिए। लेकिन जो पात्र लोग हैं वैसे भी आप लोगों का टारगेट बढ़ गया है। तो ऐसे कुछ लोग छूटे हैं। मैं इसमें किसी प्रकार आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई छूटे।

श्री उमेश पटेल :- मैं इसमें किसी तरह का वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कई पात्र लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता रखते हैं और उनका नाम किसी कारण से सूची में नहीं है। सारे विधायक यहां पर मानेंगे। ऐसे लोगों को किस तरह से पात्र की जाये, इसके लिए कुछ योजना बनाया जाये।

श्री धरम लाल कौशिक :- निश्चित रूप से हम लोग इस विषय को लेकर कि कोई न छूटे, प्रधानमंत्री जी का भी यही दृष्टिकोण है कि एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए और उसी के तहत जो 16 लाख है, उसे बढ़ाकर 18 लाख किया गया है। 18 लाख के बाद में आप लोगों ने भी जनगणना कराया था, पता नहीं कहां पर है? मुझे नहीं मालूम। अब तो अधिकारी वहीं है..।

श्री उमेश पटेल :- तो आप मंगा लीजिए न।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं मंत्री जी, मांग लेंगे और हम लोगों ने भी उसमें फार्म भरवाया था, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद में हम सबकी कोशिश यही है कि एक भी हितग्राही वंचित न रहे। सभी को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। ये सरकार की और हमारी घोषणा भी है और उसे हमने आत्मसात भी किया है और उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं वाकई इसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वाकई इसमें ऐसी स्थिति है कि जो पात्र लोग हैं, उनकी सूची में नाम नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसके लिए आप या तो कोई कमेट बना लीजिए या आप कोई उसमें नया कुछ करेंगे। देख लीजिए जो पात्र लोग हैं उनको किसी तरह से वो मकान मिल जाये। जो लोग अब अपात्र हो गये हैं, उन्हें वहां से निकाला जाये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना था, अभी डेढ़ साल पहले राज्य की सरकार ने पूरा सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर 47 हजार 90 ऐसे नाम निकलकर आये थे। उनको विगत सरकार ने आवास दिया हुआ है और विष्णु देव जी की सरकार ने भी उन पूरे लोगों को आगे की पूरी किश्त देने की घोषणा की है।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, वे सर्वे को ऑथेंटिक कर रहे हैं तो आप लोग यह बोलना बंद कर दें कि सर्वे में यहां है या कहां है।

श्री धरम लाल कौशिक :- ऑथेंटिक नहीं है न। आप खुद ही उसे करवा रहे थे। आपने सर्वे कराया।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, इस विषय पर प्रश्न भी आया था और उस दिन शायद माननीय सदस्य नहीं रहे हैं। इसमें दो विषय हैं। जो सर्वे पूरा हुआ है, उसमें तो ऐसे आंकड़े उभरकर आये हैं या सर्वे में वे आंकड़े हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 14 लाख ऐसे आवास हैं, जहां पर शौचालय नहीं हैं। यह भी उस सर्वे में दिख रहा है। मसला ऐसा है कि उस सर्वे के भौतिक सत्यापन की बात आयी थी तो विभागीय जानकारी के आधार पर यह हुआ था कि ये 47 हजार 90 जो शून्य कमरे के या कच्चे कमरे वाले एक कमरे का मकान, जिन्हें आवास दिया जाना था, सिर्फ इन्हीं का भौतिक सत्यापन किया गया है। सर्वे में अन्य बिंदुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

श्री उमेश पटेल :- उनका भी करा लीजिए। चूंकि आपका टारगेट बहुत बढ़ गया है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि टारगेट और बढ़ गया है। आप लोगों को तो देना ही है। तो इस बार आप लोग जो करेंगे, उसमें यह जरूर देख लीजिए कि जो पात्रता रखते हैं, उन्हें जरूर उसमें मिल जाये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, आवास के संदर्भ में तो भौतिक सत्यापन हो गया। अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि इतने लोगों का हमारा टारगेट बढ़ गया है, माननीय सदस्य कह रहे हैं तो आवास के संदर्भ में टारगेट बढ़ा है। आवास के संदर्भ में भौतिक सत्यापन हो चुका और अभी एक-डेढ़ साल पहले तो सर्वे हुआ है।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना कांग्रेस की सरकार की रही है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। रीपा। रीपा हर ब्लॉक में दो और ऐसा करके लगभग 300 रीपा सेंटर्स बनाए गए, जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रूपए है । 2 करोड़ तक दिया जाएगा, क्ल 600 करोड़ । अभी आप जाकर देखेंगे । मैंने देखा है वहां ताला लटका हुआ है । उसको खोलकर भी नहीं देखा गया है । मुख्यमंत्री जी साल-डेढ़ साल पहले सरगांव गए थे । जल्दबाजी में उसका लोकार्पण कर दिया गया, पता नहीं उसमें मशीन है या नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ है । मैं समझता हूं लगभग पूरे प्रदेश में यही स्थिति है । मैंने रीपा को लेकर प्रश्न भी लगाया था तो उसमें जवाब आया है, उससे पता चलता है कि इसमें कितनी लापरवाही हुई है जिसके चलते उसकी जांच की घोषणा की गई । निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए । 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में 80 लाख रूपए प्रोजेक्ट बनाने के लिए ही लगे । मैंने 3-4 जगहों का उदाहरण दिया था, जशप्र का, कोरिया का, कोंडागांव का, गरियाबंद का ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं । मेरा कहने का आशय यह है कि एक महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलना था, वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और वह गांव में लोगों को रोजगार देने का एक साधन बन सके । लेकिन योजना बनने के बाद उसकी अभी जो दुर्गति हुई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि सारे सेंटर्स की ऐसी ही स्थिति है । दो जगहों पर आप गौठान में बिजली जला रहे थे, एक चौबे जी के क्षेत्र में और दूसरा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में। कहा गया कि अब गौठान से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। हमने कहा कि सारे विधायकों को एक दिन दिखा दीजिए कि बिजली का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे कितना लाभ हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है ? लेकिन पूरे पांच सालों में दिखाने के हिम्मत नहीं हुई । आपको समय मिला होगा तो आपने देखा होगा, आपने मुझे तो नहीं दिखाया । गौठानों की भी लगभग वही स्थिति रही । इसलिए रीपा के संबंध में यदि हम चाहते हैं और यदि हमारी नीयत ठीक है तो योजना जो भी बने, उस योजना का शत् प्रतिशत क्रियान्वयन हो और वह सफल हो तब उसका लाभ मिलेगा । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जैसे ही ये जीतकर आए और महामहिम राज्यपाल का पहला अभिभाषण हुआ । उस अभिभाषण में ही आया कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरूवा, घ्रवा, बारी । मैंने म्ख्यमंत्री जी से कहा था कि आप मेहनत करके आए हैं, संघर्ष करके आए हैं । लेकिन सलाह देने वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं । उस म्ख्यमंत्री को जो जिन्होंने सलाह दी थी उस समय आप मंत्री थे । जिन्होंने प्रथम म्ख्यमंत्री को सफेद मूसली की सलाह दी, तीन सालों तक उसका क्या परिणाम आया और आज सफेद मूसली कहां है। मैंने कहा कि इस चक्कर में आप मत पड़ो तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया योजना है । नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी और उसके बाद सबको भूल गए संगवारी । इन्होंने इतनी बढ़िया योजना चलाई कि सरकार को ही सब भूल गए और इन्हें इधर आना पड़ा । रीपा जैसी योजना जिसमें इतनी लागत लगाई गई और उसके बाद रीपा को जो हाल हुआ है । मुझे लगता है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री जी, मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि रीपा सेंटर की समीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में कितनी जगह मशीन लग गई है, कितनी जगह उत्पादन शुरू हो गया है, कितनी जगह नहीं हुआ है, ताला लटका हुआ है, मशीन चोरी हो गई है लोगों ने बेच दिया है। ऐसे केन्द्रों की एक बार समीक्षा करनी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- धरमलाल जी, समीक्षा जल्दी से जल्दी कराईए। कुछ लोगों को यह भी बोल दिया गया है कि अब रीपा बंद हो गयी है। कलेक्टरों के माध्यम से सब बुलाया जा रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार की तरफ से मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि रीपा बंद हो गयी है, सरकार की तरफ से अधिकृत जानकारी नहीं आई है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने यह बात उस दिन स्पष्ट कह दी थी कि रीपा बंद नहीं ह्ई है।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको बता रहा हूं। जिम्मेदारीपूर्वक बता रहा हूं। अधिकृत क्या है, वह मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां से कोई आदेश है, मैं यह भी नहीं बोल रहा हूं लेकिन कलेक्टरों के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जांच कराईए और जो सही है कम से कम उसको चालू कराईए।

सभापति महोदय :- पटेल जी बैठिए। 20 मिनट हो गए, थोड़ा संक्षिप्त करिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी श्रू किया है। मैं जल्दी खत्म करता हं। स्वच्छ भारत मिशन। इसका उद्देश्य क्या है ? लोग उस समय यह सोचते थे कि भारत जैसे देश में यह कैसे संभव होगा ? यहां पर हमारी स्वच्छता सफल होगी ? लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस योजना को इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, इस योजना को बनाने के बाद आज हम लोग देख रहे हैं कि आप सबेरे घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण ह्आ, उस सर्वेक्षण में कंपीटिशन ह्आ। हमारे कौन से शहर प्रथम, द्वितीय आ रहे हैं, कौन सा नगर प्रथम आ रहा है, कौन सा प्रदेश प्रथम आ रहा है, मैं समझता हूं कि लोग केवल तन से नहीं मन से स्वच्छता को अपनाएं हैं। अपनाने के कारण आज परिणामकारी योजना दिखाई दे रही है। आप लोग भी राष्ट्रपति से प्रशंसा पत्र लेकर आए हैं, हमारे मंत्री जी भी लेकर आए हैं। ऐसी योजना को हम सब लोगों को प्रयास करके सफल बनाना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी स्निश्चित हो। केवल उतना ही नहीं है इसमें दस हजार से ज्यादा स्वच्छता दीदीयों को भी लाभ मिल रहा है। आज उनका आजीविका का साधन हो गया है। मैं समझता हूं इसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई के पात्र हैं। हमको बधाई देना चाहिए। यह बहुत अच्छी योजना है। ऐसी योजना का क्रियान्वयन हुआ है। घर-घर शौचालय। हम पहले गांव में तालाब की स्थिति देखते थे, आज गांव में भी जाकर देखेंगे तो आपको बदली हुई परिस्थिति दिखाई देगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, आज भी कई परिवार इससे वंचित हैं।

सभापति महोदय :- आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो वंचित हैं, उनको मिलना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह बात अगर मंत्री जी को कह दें तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- टोटा टाकी न करें, अपनी पारी में बोलिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि भारत को विकसित श्रेणी में ले जाना है तो अगर बाल्टी लेकर जाओगे तो भारत को कैसे विकसित श्रेणी में ले जाओगे ? लोटा लेकर जाओगे तो कैसे ले जाओगे ?

श्री उमेश पटेल :- कब तक करना है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इसको 2047 तक करना है।

श्री उमेश पटेल :- ट्रिलियन इॅकोनामी हो गया ? किसानों की डबल आमदनी हो गयी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी होने वाला है। अभी किसानों की आमदनी जो पहले बेचते थे और अभी बेचते हैं उसको देखिए।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, इनका पंचायत अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गयी कि सरपंचों को 50 लाख तक काम करने का अधिकार होगा। हम उनको अधिकार दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी इसको ध्यान में रखिए। सरपंचों को 50 लाख रूपए तक अधिकार दिया। अध्यक्षों को गाड़ी देने की घोषणा की, उनको गाड़ी दी जाएगी, हमारी गाड़ी कहां हैं करके जनपद अध्यक्ष लोग घूम रहे हैं। जिला पंचायत को कहा गया कि विकास के लिए इतनी रकम दी जाएगी, जिला पंचायत वाले घूम रहे हैं। उसके साथ ही सरकार के बजट में 1200 करोड़ रूपए स्कूल की पोताई के लिए, रंगरोगन के लिए, उसकी मरम्मत के लिए राशि आई। किसी स्कूल में 3 लाख लगना था, किसी स्कूल में 5 लाख देना था, सरपंचों को 3 लाख, 5 लाख का भी काम करने का नसीब नहीं हुआ। केवल कमीशन के कारण 1200 करोड़ रूपए को ठेका में दे दिया गया। सरपंचों से तीन लाख रूपए में कैसे कमीशन मिलेगा। 1,200 करोड़ रूपये को ठेका में दे दिया गया। यह सरपंचों के साथ में ज्यादती हुई है। जब आपने उनको 50 लाख रूपये का अधिकार दिया है तो उनके लिए जो 10-20 लाख रूपये की राशि आती है, उसमें काम करने दीजिए। लेकिन आपने उनको काम करने नहीं दिया। इसलिए मैं पंचायत मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि हमने उनको अधिकार दिये हैं तो उनको उनके अधिकार का उपयोग करने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- आप बोल रहे हैं कि उनको कमीशन के कारण दिया गया है तो यदि आपके पास सबूत हो तो उसको पटल पर रख दीजिए और उसकी जांच करा लीजिए। यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो कोई सबूत रखिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- 50 लाख रूपये, आपके एकाध सरपंच को यहां पर खड़े कर देते हैं।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, आपने यह कहा।

श्री सुशांत शुक्ला :- धरम भैया, थोड़ा टोक रहा हूं। माननीय सभापित महोदय, मैंने पंचायत मंत्री जी को एक पत्र लिखा। धरमलाल जी जिस 1,200 करोड़ रूपये की बात कर रहे हैं तो वह मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के नाम पर स्कूलों में जारी किये गये थे और चूना में गुलाबी रंग करके बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के 141 स्कूलों को पोत दिया गया। 3 लाख रूपये के बजट में 7 लाख रूपये का भुगतान हुआ है। मैंने उसकी जांच की मांग की है।

श्री उमेश पटेल :- स्शांत जी, आप उसको पटल में रखिये और उसकी जांच कराइये।

श्री स्शांत श्क्ला :- उसकी जांच हो रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हम तो बोल रहे हैं कि आप 5 साल की जांच करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- भैया, हम लोग भी पंचायत में थे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप सबकी जांच कराइये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम 5 साल की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। आप जांच का आदेश करवाइये। हम तैयार हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। श्क्ला जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, क्या मेरे वरिष्ठ साथी जांच का स्वागत करेंगे ? (ट्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं जिस दिन आरोप लगाऊंगा, उस दिन पटल पर रखूंगा। मुझे कानून मत समझाइये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यदि मैं आरोप लगा रहा हूं तो क्या मेरे साथी जांच का समर्थन करेंगे ? (ट्यवधान)

सभापित महोदय :- शुक्ला जी, बैठिये। सब बातें आ रही हैं। आपके बारे में बोल दिया। (व्यवधान) श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, यह हर बात में आरोप लगाते हैं तो हम इसको कैसे बर्दाश्त करें ? गोबर खरीदी में आरोप लगाते हैं, हर चीज में आरोप लगाते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, आप इसमें भी एस.आई.टी. का गठन कर दीजिए। (व्यवधान) श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, क्या उमेश पटेल जी इस जांच का स्वागत करेंगे? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- हां, आप बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल।

श्री स्शांत श्क्ला :- धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल :- जहां-जहां भी जांच करनी है। अभी P.S.C. में गलत उत्तर लिया गया है, आप उसकी भी जांच कराइये। आप C.B.I. को दे रहे हैं तो उसमें इस प्वाइंट को भी जोड़िये कि P.S.C. में 11 प्रश्न ऐसे आये हैं। सबकी जांच होनी चाहिए। जांच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि जांच होगी तो सबकी जांच होगी। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- भाई साहब, अभी पंचायत की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या आप उसकी जांच का स्वागत करेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शुक्ला जी, जब आपका नाम आएगा, तब आप उसमें उल्लेख करियेगा। आपका चर्चा में नाम है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, जहां तक जांच की बात है तो आपको 15 साल की जांच कराने का अवसर दिया गया था। यदि आप उसकी जांच नहीं करा पाये तो हम क्या करे ? आपने 5 साल में क्या किया ? आपको 15 साल की जांच करानी थी। यदि आप उसकी जांच नहीं करा पाये तो वह हमारी जिम्मेदारी थोड़ी न है। हमको जिसकी जांच करानी है तो हम आपसे पूछकर उसकी जांच नहीं कराएंगे। हमें जिसकी जांच करानी है, उसकी जांच कराएंगे और जिसकी जांच नहीं कराएंगे।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, 27 मिनट से ज्यादा हो गये हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, मैं यह बोल रहा हूं कि अभी P.S.C. में जो 11 प्रश्न गलत आये थे तो क्या आप उसकी भी जांच कराएंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- किसकी ?

श्री उमेश पटेल :- P.S.C. की।

🕬 धरमलाल कौशिक :- आप उसकी मांग कीजियेगा।

श्रीमती रायमुनी भगत :- पटेल भैया, जितने काम हुए थे, उनका आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। उनका पेमेंट रूका हुआ है। हम लोग भी पंचायत में थे। श्री धरमलाल कौशिक :- आप पंचायत को छोड़िये। आप P.S.C. की बात कर रहे हैं तो P.S.C. में तातापानी का प्रश्न आया था कि तातापानी कौन से जिले में है ? उसका उत्तर भी आपकी सरकार में आया था। जिस जिले में तातपानी नहीं है, उस जिले का प्रश्न आया था।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, अभी 5-10 पहले P.S.C. की जो परीक्षा हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सबकी जांच की मांग कीजिए।

श्री उमेश पटेल :- मैं जांच की मांग करूंगा।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है। आपको इसीलिए यहां पर बैठाया गया है कि आपको जिसमें संदेह हो, उसकी जांच की मांग कीजिए। माननीय सभापित महोदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कुल मिलाकर N.G.O. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण कार्य में 102 लोगों को काम दिय गया था। 102 लोगों को काम देने के बाद 102 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 7 लोगों के विरूद्ध F.I.R. किया गया। आजीविका मिशन में केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि उसकी जांच कराइये। उसमें जो F.I.R. हुआ है, उसको मैंने नहीं कराया है, बल्कि आपने कराया है। इस सरकार के द्वारा योजनाओं का कैसे बंदरबांट किया गया ? इसलिए मैं चाहता हूं कि 102 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनको एडवांस राशि दी गई और एडवांश राशि देने के बाद 7 लोगों के विरूद्ध F.I.R. किया गया। यदि आप इस प्रकार की योजना चलाएंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए इन सारी चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है।

माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पिछले 5 सालों में सड़कों की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपने 300-400 सड़कों को लेने का प्रयास किया है, लिया है। लेकिन जब हम लोग विभाग से बात करते हैं तो विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम मरम्मत नहीं कर सकते । कलेक्टर से बात करते हैं कि आप इस सड़क की मरम्मत करवा दीजिए, हम कलेक्टर को 4-5 सड़कों के बारे में बताएंगे तो किसी सड़क में 5-10 लाख रूपए का काम करा देते हैं । उस योजना में मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है ।

श्री उमेश पटेल :- धरम भैया, मंत्री जी ने पी.डब्ल्यू.डी. में 5 हजार करोड़ का बजट पास किया है । उसमें मंत्री जी क्या-क्या कर लेंगे ? जितना मिला है, उतना ही करेंगे ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 30 मिनट से अधिक हो गए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, पुलिस विभाग में चर्चा हुई है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है । श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ शांति का टापू नहीं है। सभापित महोदय :- संगीता जी, आपका भी नाम आने वाला है, आप उस समय बोलिएगा । टोका-टाकी न करें, जल्दी खतम करना है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, पिछले पांच साल में जो सरकार रही है, वह अपराध को नियंत्रित नहीं कर पायी । छत्तीसगढ़ छोटा सा स्न्दर प्रदेश है, शांति का टाप् है । पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया। आये दिन रायप्र की पहचान चाक्प्र के रूप में होने लगी । कोई बारात में निकल रहे हैं, ग्टका खाने के लिए पैसा मांगे और नहीं दिए तो चालू निकालकर चाकू मार दिए । कहीं कोई बैठे हुए हैं, वे शराब के लिए पैसा मांगे, उसको चालू मार दिए । रायप्र का नाम चाकूप्र के रूप में परिवर्तित हुआ। आये दिन जो घटनाएं हो रही थीं और जिस प्रकार से प्रदेश में जो अपराध बढ़ा और अपराध बढ़ने के बाद में लोग स्रक्षित नहीं हैं, लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद में चाकू की घटनाएं बंद हुई है, कम हुई है । (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि जिस प्रकार से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है । निश्चित रूप से जो अपराधी है, उनको पुलिस से खौफ खानी चाहिए । इनके सरकार में प्लिस वाले काम ही नहीं कर पा रहे थे । इनके समय में तो जैसे ही प्लिस वाले किसी अपराधी को मेहनत से पकड़कर थाने में ले जाते थे तो तत्काल फोन आ जाता था, फिर उस अपराधी को छोड़ना पड़ता था । उस समय प्लिस का मॉरल डाऊन था और इसके कारण अपराध लगातार बढ़ता गया । मैं गृहमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बिलासप्र में जो हत्या हुई और हत्या के मामले में मॉ-बाप ने गृहमंत्री जी से उम्मीद की और गृहमंत्री जी ने आदेश दिया कि जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उसमें ब्ल्डोजर चलाकर उसको हटाने की कार्रवाई की गई है । अब यह नहीं चलेगा । कोई भी आदमी अपराध करे और चले जाये. अब ऐसा नहीं होगा ।

सभापित महोदय, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने 5 हजार से ऊपर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और आवेदन मंगाए हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा । जहां कम पद है, उसमें भर्ती होगी । दूसरी बात, जो साईबर क्राईम हो रहे हैं, उसके लिए साईबर थाने खोल रहे हैं । जहां साईबर थाने नहीं खोल रहे हैं, उसके लिए अतिरिक्त बल बढ़ा रहे हैं, जिससे वहां पर चुस्ती-दुरूस्ती आ सके । जब मैं बस्तर की बात करूंगा तो निश्चित रूप से बस्तर में काम करने वाले जो लोग हैं चाहे वे पुलिस हो, चाहे सी.आर.पी.एफ. के जवान हों, उन सबका मनोबल बढ़ा है और वहां के नक्सलियों का मनोबल गिरा है । इसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी । इसके लिए हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, साथ ही अन्य राज्यों को भी बुलाकर बैठक कर रहे हैं और नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं । वहां सड़क बनाने का काम हो, फाईवर आप्टिकल हो, स्कूल की संख्या बढ़ाने, बिजली के बड़े सब स्टेशन का काम चल रहा है । वहां जो रूका

हुआ काम है, उस काम में गति भी आएगी और एक बार पुन: हमारा बस्तर शांति की दिशा में जाएगा। पिछले 15 साल के हमारे कार्यकाल में नक्सिलयों का मनोबल गिरा हुआ था।

सभापति महोदय :- चिलये, समाप्त करिये। 35 मिनट हो गए हैं। प्लीज, थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, जेल, जितने हमारे जेल हैं और उन जेलों में जितने बन्दी होने चाहिए, उससे ज्यादा बंदी वहां पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जब आप यह व्यवस्था सुधारेगे तो निश्चित रूप से जो दिक्कतें आ रही हैं, वह दिक्कत भी कम होगी। सभापित महोदय, दूसरा, वहां जेल में बहुत सारा उत्पात होता है। वहां पर जो काम किया जाता है, वहां पर जो उत्पात होता है, उस पर थोड़ा पब्लिसिटी की ज्यादा आवश्यकता है। लोग खरीदना चाहते हैं, खरीद कर ले जाते हैं। जब खरीद कर ले जाते हैं तब वास्तव में उनको राशि भी मिल जाता है। जेल नहीं, बल्कि सुधार गृह के रूप में व्यक्ति को काम करने का अवसर मिलता है। जेल में ही काम करने का अवसर मिलता है। जेल जाते हैं। जब व्यक्ति जेल से छूटे तो उनको बाहर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। तो व्यक्ति जेल से निकलने के बाद वापस फिर जेल जाये, उनके दिमाग से वह बात निकलेगा और उसको उसका लाभ होगा।

सभापति महोदय, हम लोग देखें है कि कई ऐसे मामलें हैं, जिसमें बंदी आजीवन कारावास के होते हैं। उनकी कारावास की सजा पूर्ण होने के बाद भी जेल में वे बंद हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए, लेकिन वह रिहाई नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों पर भी विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापित महोदय, ऐसे प्रकरणों पर विचार करने के बाद उनकी रिहाई होनी चाहिए। जब उनकी रिहाई होगी तो जेल में दबाव भी कम होगा और दूसरी तरफ जो न्याय की बात आती है, तो जिनकी रिहाई होने की बात आती है, उनको रिहा करेंगे तो उनको न्याय भी मिलेगा।

सभापति महोदय :- चिलये समाप्त करें। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, आपने अवसर दिया। मैं इन अनुदान मांगों पर सभी से आग्रह करूंगा कि इसे सर्वसम्मित से पारित किया जाये। प्रदेश के विकास को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री भाई विजय शर्मा और विष्णुदेव साय जी को इस बजट के माध्यम से सहयोग मिलेगा। सभापित महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापित महोदय जी, मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के विभाग की मांग संख्या-3, पुलिस, मांग संख्या-4 गृह विभाग, मांग संख्या-5 जेल, मांग संख्या-30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास, मांग संख्या-80 त्रिस्तरीय पंचायती राज, मांग संख्या-46 विज्ञान एवं तकनीकी तथा मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

आदरणीय सभापित महोदय जी, मैं अपनी चर्चा की शुरूआत के पहले अपनी एक बात रखना चाहती हूं। एक सोने की अंगूठी की क्या कीमत होती है ? 10 हजार, 20 हजार ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आपको माल्म है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 10 हजार रूपया ? माननीय सभापति जी, एक सोने की अंगूठी 20 हजार रूपये में मिलता है। यदि उसी सोने की अंगूठी में एक हीरा लगा दें तो उसका रेट डेढ़ से दो लाख रूपये तक होगा। तो आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहती हूं कि हम वही हीरा हैं। आपके सोने में हम लगते हैं, तब वजन बढ़ जाता है।

श्री स्शांत श्क्ला :- हमारे दल में आपका स्वागत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ राज्य अपराधों का गढ़ बनते जा रहा है। मैं कहना चाहुंगी तक जब से विष्ण्देव साय की सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा जो घटनाएं घट रही हैं, वह नाबालिंग लड़िकयों के साथ हो रहा है। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिला बालोद जिले की बात करूं तो बालोद जिले में 4-4 घटनाएं हुई हैं। गुण्डरदेही विधानसभा के अन्तर्गत 17 साल की लड़की के साथ 3-3 लोगों ने अनाचार किया है। साथ ही मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में दो साल की लड़की के साथ अनाचार किया गया है और 23 वर्षीय महिला के साथ भी इस प्रकार की घटनायें हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनायें सामने आ रही है । सभापति महोदय, आप भिलाई की घटना देख लीजिए, यहां 13 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ है । मैं यह सोचती हूँ कि जब से विष्णु देव साय जी की सरकार आई है, महिलायें तो क्या दो साल की बच्ची स्रक्षित नहीं है ? सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ, आप सोचिये कि इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कार्यवाही करेंगे ? यदि कोई व्यक्ति द्ष्कर्म करता है तो उसे 20 साल की सजा होती है, यह कोर्ट द्वारा निर्धारित है । जब प्लिस उसे केस में ले जाती है तो फिर वहां उसका कार्य खत्म हो जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि जब वह बच्ची कोर्ट में पेश होती है, वहां पर पुलिस की कार्यवाही होनी चाहिये, उनके साथ पुलिस रहना चाहिये । पुलिस के पकड़ने के बाद उसकी जिम्मेदारी खतम हो जाती है, अब उसे परिवार का संरक्षण होता है । जब वह कोर्ट में पेश होती है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जो अनाचार किये रहते हैं, वह उन पर दबाव डालते हैं, केस को वापस ले लें । सभापति महोदय, 15 वर्ष पूर्व आपके द्वारा कारगर एजेंसी बनाया जाता था, मैं उसके लिये मांग करती हूँ कि कोई भी अगर बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वह एक कारगर समिति होती थी, जब तक उसमें कार्यवाही नहीं हो जाता था, तब तक वह काम करता था । सभापति महोदय जी, मैं उसके लिये मांग करती हूँ । सभापति महोदय, अगर 20 साल की सजा है, मुझे नहीं लगता है कि सभी को 20 साल की सजा होती है और इसीलिए 5

परशेंट को सजा मिलती है, वह अपराधी बाहर निकलकर फिर से वही काम करता है । सभापति महोदय, मेरे बोरतरा ग्राम में 4 दिन पहले यह घटना हुई है। एक महिला लाखड़ी लूने गई थी, वह अपने घर के खेत में गई थी, लाखड़ी लूने गई थी और उसके साथ अनाचार करने का प्रयास ह्आ था । सभापति महोदय, इसमें स्धार करने की बात की जाये तो वह जमानत पर छूट जाता है, आपसे मेरा निवेदन इतना है कि उसमें इतनी सख्त कार्यवाही की जाये, ताकि लोगों में दहशत रहे । वहीं व्यक्ति जेल से छूटकर प्न: उसी कार्य से जुड़ जाता है । सभापति महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि जो 20 साल की सजा है, उसको सख्त किया जाये, ताकि लोगों में दहशत व्याप्त हो, ताकि दूसरी बार ऐसे कृत्य करने के पहले उसको सोचना पड़े । सभापति महोदय, जो ऑनलाईन की ठगी है, मेरे ख्याल से यहां जितने बैठे हैं, सभी ऑनलाईन ठगी से एक न एक बार सामना किये होंगे । मुझे इस पर दुख भी ह्आ कि महतारी वंदन योजना जो लागू है, मेरे बालोद जिले की बात है, मेरे पास कटिंग भी है, इसमें महतारी वंदन योजना के तहत 60 हजार की ठगी हुई है । आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब घर से विधान सभा आ रही थी, मेरे पास एक कॉल आया, उसमें यह कहा गया कि मैडम दो झन के नाम ला बता, मैं नौकरी लगा दुहूं । मैं 3200 रूपया वोला बैंक में तनख्वाह दुहूं । सभापति महोदय, मैंने कहा कि हम 10 मिनट में नहीं दे सकते, आप केबिन पर आईये, हम नाम बता देंगे । सभापति महोदय, जब हम उसको हू कॉलर में डालकर देखें तो वह मध्यप्रदेश का था । मेरे ख्याल से ऑनलाईन ठगी सबसे ज्यादा हो रहा है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापित महोदय, इसमें थोड़ा बोलना चाहूँगा । आपसे ऑनलाईन के संबंध में आग्रह है, यह जितने भी साईबर क्राईम हो रहे हैं, जो यूपीआई नंबर पूछते हैं, कोड नंबर पूछते हैं, मोबाईल नंबर पूछते हैं, आधार कार्ड का नंबर पूछते हैं, सारे लोगों का जो कनेक्शन है, पश्चिम बंगाल और झारखंड से रिलेटेड जामताड़ा जो स्थान है, जब हमारी पुलिस यहां से जाती है तो संबंधित राज्य से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है । सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सेंट्रल से एक स्कीम बना है, यहां से हमारा पुलिस बल जो पश्चिम बंगाल जाता है तो झारखंड की पुलिस उनको सहयोग नहीं करती है, अतः जितने भी साईबर क्राईम हो रहे हैं, खासकर जो यूपीआई नंबर मांग कर बैलेंस जीरो कर देते हैं, इनका संबंध पश्चिम बंगाल और जामताड़ा से जुड़ा है, आप उसमें ध्यान देंगे, यही आपसे आग्रह है ।

श्रीमती संगीता सिनहा :- सभापित जी, जो ऑनलाईन की घटना है, पैसे का लेन-देन इधर-उधर जाता है, मेरे ख्याल से 40 प्रतिशत घटनाएं ऑनलाईन ठगी की है। इसमें जिन पीड़ित लोगों का पैसा यहां से वहां जाता है, जब वह लोग थाने में जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के एफ.आई.आर पर ही कार्रवाई होती है। इसकी कार्रवाई में पुलिस लगती है लेकिन उन्हें ढूंढने में इतना समय लग जाता है कि वह मामला वहीं पर रूक जाता है। यह ऑनलाईन ठगी की घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 95

प्रतिशत लोग स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह साइबर अपराध तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से मांग करती हूं कि हर जिले में एक साइबर थाना होना चाहिए। जिसमें यदि ऑनलाईन ठगी हो रही है तो आप उसमें तुरंत रिपोर्ट करके विवेचना करें। उसमें पुलिस का एक विभाग हो, एक तकनीक हो, जिसके माध्यम से वह लोग काम कर सके और जहां से पैसा ऑनलाईन ट्रांसफर हुआ है, वह उसको पकड़ सके। मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि आज की आधुनिक स्थिति को देखते हुए जो ऑनलाईन ठगी हो रही है, उसके लिये विशेष तौर पर हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाये।

सभापित महोदय, पुलिस अपना घर, अपना परिवार, सब चीजों को छोड़कर जनता के लिये काम करती है, हम इस बात को मानते हैं। हमारी पुलिस देश के लिये समर्पित रहती है। मैं उनके लिये आवास की सुविधा चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो गुरूर ब्लॉक है, वहां पर पुलिस वालों के लिये घर की सुविधा नहीं है। वहां बहुत बड़ा एरिया है और वह इतना जर्जर है कि पुलिस वहां नहीं रह सकती। पुलिस उन घरों में नहीं रहती और जब हमको रात में पुलिस की आवश्यकता होती है तो वह समय पर नहीं आ पाती। मैं इसमें पुलिस वालों की गलती नहीं मानती क्योंकि वे दूसरी कॉलोनी में रहते हैं और उनको वहां से आने में समय लग जाता है। पुलिस के आवास की समस्या हर जिलों में है। यदि मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले की बात करूं तो हर जिले में पुलिस वालों के लिये पुलिस ग्राउण्ड में आवास की सुविधा होनी चाहिए। उसके साथ ही जो पुलिस थाने की बिल्डिंग होती है, मैंने कई बार देखा है कि पुलिस वाले चोरी के सामान को थाने में रख देते हैं और वह सामान थाने से भी चोरी हो जाता है। थानों में पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है। मैं चाहती हूं कि आधुनिक समय को देखते हुए थाने में एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। वहां पर जितना चोरी का माल है, उसको पकड़कर रखने के लिये सुसज्जित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हमारे सभी पुलिस साथियों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस मांग को लिखवाना चाहती हूं कि मेरे गुरूर ब्लॉक में जो गुरूर थाना है, यदि आप वहां पर पुलिस वालों के लिये आवास की घोषणा कर देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापित महोदय, अलग-अलग कामों की विंग होनी चाहिए। हम यह देखते हैं कि यदि हमारे क्षेत्र की जनता थाने में रिपोर्ट लिखवाने गयी है तो वहां थानेदार अनुपस्थित रहते हैं। वहां एक ही थानेदार होता है, जो सब कामों को देखता है। यदि हम किसी थानेदार से पूछे कि आप कहां हैं, तो वह थानेदार व्ही.आई.पी. इ्यूटी में लगे रहते हैं। यदि वह थानेदार व्ही.आई.पी. इ्यूटी कर रहा है तो हमारे यहां जो चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, चाक्बाजी हो रही है, इन घटनाओं को कौन देखेगा ? इसके लिये मैं एक और निवेदन कर रही हूं कि सब कामों के लिये अलग-अलग विंग्स होनी चाहिए, कार्य अलग-अलग विभाग में बंटा होना चाहिए। मेरा आपके लिये एक सुझाव है कि पुलिस विभाग में जितने पद खाली है, आवश्यक रूप से उनकी भर्ती ले ली जाये।

सभापित महोदय, बस्तर में जो हमारे निरीक्षक, उप निरीक्षक रहते हैं, उनमें कई लोग हमारे क्षेत्र से भी गये हैं। उसमें तीन साल तक बस्तर में कार्य करने का नियम रहता है परंतु वे लोग वहां तीन साल, चार साल, पांच साल, छः साल और दस साल से वहीं पर हैं। उन लोगों के भी परिवार हैं। मैं इस बात के लिये आवाज उठा रही हूं और पूरे छत्तीगढ़ राज्य के लिये इस बात को कह रही हूं कि यहां पर जो मैदानी क्षेत्र में पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक हैं, उनका वहां पर ट्रांसफर किया जाये।

सभापति महोदय :- चिलये, समाप्त करिये। यदि आपके क्षेत्र की मांग है तो 10 मिनट में रखियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापित महोदय, बहुत सारी बातें हैं। यहां मैदानी क्षेत्र से बस्तर क्षेत्र में जिनका भी ट्रांसफर होता है, वे एप्रोच लगाकर अपना ट्रांसफर रूकवा लेते हैं। मैं निवेदन करती हूं कि जो लोग वहां बस्तर के जंगल में हैं, उनको यहां लाया जाये और यहां के कुछ लोगों को वहां भेजा जाये तािक वे लोग भी अपने परिवार के साथ रह सके।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापित महोदय, अभी पंचायत विभाग के विषय में कहना बचा है। मैं मनरेगा के विषय में कहना चाहूंगी। मनरेगा में जो 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का रेसियो होता है, उसको बढ़ाया जाये। मनरेगा में कोई भी कार्य मिट्टी का कार्य होता है तो वहां पर स्टॉप डेम है, यह सब जो छोटे-छोटे काम हैं वह रूक जाते हैं तो मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि उसमें यह मुरम का काम बढ़ाया जाए। अभी यहां पर गौरव पथ के संबंध में बहुत सारी बातें हुईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ में एक समस्या है अगर इस योजना में नई सड़कों को जोड़ा जाता है, गौरव पथ में सिर्फ नई सड़कों को जोड़े, जहां पर कोई सड़क न हो और वह बस्ती से गुजरती हो। उस बस्ती से गुजरने वाली सी.सी. सड़क प्रानी हो चुकी रहती है।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की मांगों को रखें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, वह जर्जर है,लेकिन उसमें गौरव पथ की आवश्यकता है। मेरे यहां नवागांव में सिर्फ इसी कारण से सड़क नहीं बन रही है क्योंकि वह सी.सी. सड़क पुरानी है। इसमें कुछ संसोधन कर दिया जाए कि वहां गौरव पथ पुरानी सड़क में ही हो तो ज्यादा अच्छा है। वहां पर गांव वालों को सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापित महोदय, मैं पशुपालन के संबंध में कहना चाहूंगी कि जो पशु पालन के बकरी शेड है उनकी अंतिम किश्त की राशि बची है मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि उनको उस राशि को दिला देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यह कहना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में पुलिस विभाग कार्य तो अच्छा करती है, लेकिन उनको विशेष सुविधाएं दीं जाएं। साथ ही आप उनको रहन-सहन की अच्छी सुविधाएं देंगे तो उनकी रात को पूरी नींद होगी और वह अच्छे से सोयेंगे तो यहां की पुलिस अच्छे से काम कर पायेगी, लेकिन अब इस प्रदेश में अपराधों का गढ़ बढ़ चुका है। इस प्रदेश में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है। भगवान राम की सरकार कहते हैं, लेकिन भगवान राम के युग में ऐसा नहीं था, बलात्कार नहीं था। मैं, आपसे निवेदन करती हूँ और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि अपने...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या इतना बढि़या भाषण दे रही थी कि यहां मैं जल्दी से खाना खाकर आ गया कि मैं इनका भाषण स्नृंगा।

सभापति महोदय :- आप जल्दी से अपनी बात रखें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, मैं यह चाहती हूँ कि एक महीने नहीं, 15 दिनों के अंदर एक विधान सभा क्षेत्र में 5-5, 6-6 बलात्कार के काण्ड हो चुके हैं तो अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को देखेंगे तो यह विषय सोचनीय है। आप पुलिस विभाग को टाईट कीजिए। आप उसमें नियम लगाईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह पहला अवसर है कि माननीय सदस्या इतना अच्छा भाषण दे रही हैं और यहां कका सो रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा है कि मैं संगीता को छेड़ना नहीं चाहता। (हंसी)

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सदस्या, आप एक बार दिल में हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में माननीय विष्ण् देव साय जी से सीधा मुख्यमंत्री देखा है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापित महोदय, अगर इस प्रदेश में कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार हो, मैं तो केवल इतना निवेदन करती हूँ कि जिस जनता ने आपको विश्वास के साथ लाया है, आप उसमें खरे उतरने का प्रयास कीजिए। आप पुलिस प्रशासन को टाईट कीजिए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता में डर की भावना न हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सुशान्त शुक्ला(बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दे रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने, मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचायत और गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

माननीय सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी ने वित्त विभाग के माध्यम से नवा रायपुर अटल नगर में लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात कही है। रायगढ़ कबीरधाम, नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी सी.जी.आई.टी., नगर पंचायत कुरूद पॉलिटेक्निक, पिपिरिया जिला कबीरधाम में आई.टी.आई., ग्राम कोर्रा विकासखण्ड कुरूद में नवीन आई.टी.आई. के प्रावधान की बजट में मांग आयी है जो स्वागत योग्य कदम है, परन्तु जो विषय तकनीकी शिक्षा के विषय में चूक गया, वह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बिलासपुर में शासकीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो लगभग 100 वर्ष पुराना संस्थान है, पर वर्तमान में वह भवन और हॉस्टल की स्थिति यह है कि वहां पर 100 बच्चे भी रहकर पढ़ नहीं रहे हैं। वह सब बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर और शासकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान कोनी, जिसे आई.टी.आई. भी कहते हैं। यह एशिया के सबसे पुराने आई.टी.आई. में से एक माना जाता है। आज दोनों संस्थानों में भवन, लैब, हॉस्टल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसका बजट में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन संबंधित संस्थानों के उन्नयन...।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुंहर सरकार में तुंहर कतका चलथे, तेला तुमन देख लेव। तुंहर एक ठन नइ हे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय यादव जी, आपको क्या बताएं ? सभापति महोदय :- चिलये, अपनी बात रिखये। रामक्मार यादव जी, आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं और दोनों संस्थानों के लिए भवन की मांग करता हूं। आप यह बता दीजिए कि आई.टी.आई. कोनी में अंग्रेजों के जमाने की 16 बैरक हैं और वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, ट्रेड बंद होने की स्थिति में है। आप नवीन आई.टी.आई. तो खोल रहे हैं, लेकिन पुराने संस्थानों का रखरखाव करके उनको उन्नत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं संस्थानों में शिक्षकों की भी कमी है। सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई. आज शिक्षकों की कमी की बांट जोह रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सेट अप की व्यवस्था देने की कृपा करेंगे। वहीं रोजगार मंत्रालय से जुड़े हुए जो विषय हैं, इन्होंने रोजगार मेले के लिए बजट में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि मेरी जानकारी के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। इसको और बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में संभागीय मुख्यालय के 5 सेंटर हैं- बिलासपुर, रायपुर, जदगलपुर, दुर्ग, सरगुजा। ऐसी सभी जगहों पर रोजगार मेले आयोजित किये जाने

चाहिए जिसके लिए बजट का प्रावधान बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। रोजगार की सहायता के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना देने का काम भी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, परंतु इस विषय पर कालिंग सहायता भी हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जशपुर में बैठा हुआ जो बच्चा है और बिलासपुर और रायपुर में तकनीकी शिक्षा में क्या पढ़ाई हो रही है, इसकी जानकारी का अभाव रहता है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा की कालिंग करके भी सहायता दिये जाने का प्रावधान इस बजट में आना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ में सेना भर्ती में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि सेना भर्ती में पूर्व सैनिकों का सहयोग लेते हुए कोई ऐसा प्रशिक्षण संस्थान उन्नत किया जावे जिससे हम सेना भर्ती में छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था दे सके।

माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग में कहना चाहता हूं कि साइबर क्राईम के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए 4 नये नवीन साइबर थाने खोले जा रहे हैं जो स्वागत योग्य कदम है। डायल 112 को संपूर्ण प्रदेश में क्षेत्राधिकार के साथ काम करने का अवसर दिया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है। सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी रोकने के लिए 05 नये महिला थाने खोले जाने हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। नवीन जिला रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम में नवीन सायबर थाने की स्थापना की जायेगी, इसके लिए बजट में 70 रुपये का प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान भी कम है। इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इजरायली साफ्टवेयर आता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसकी कीमत ही 1 करोड़ 65 लाख रुपये है, तो इसके लिए 70 लाख रुपये के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना सूरजपुर, पुलिस थाना खम्हरिया और पुलिस थाना सोमनी जिला राजनांदगांव, पुलिस थाना पुसौर, पुलिस थाना कुनक्री में अतिरिक्त बल वृद्धि के साथ-साथ, मेरी विधान सभा बेलतरा के 02 थाने पूर्ववर्ती सरकार ने खोले हैं- मंगला और मोपका, वहां पर भी बल का प्रावधान देते हुए नवीन भवन दिये जाने की मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करता हूं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण इस बजट का पार्ट है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे सामान्य जिला बल के सैनिक काम करते हैं, उनके लिए स्पाईक रजिस्टेन्ट बूट आपने प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया है, यह आपने में स्वागत योग्य कदम है। वहीं आप जो उनको भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं, यह भी अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। सुरक्षा कारकेट में लगे हुए वाहन कंडम हो गये हैं। वाहनों की खरीदी के लिए 39 लाख रुपये का जो प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान कम है। बस्तर और सरग्जा जैसे क्षेत्रों में स्रक्षा में लगे वाहन लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल च्के हैं। यह मैं नहीं कहता, उनकी एम.बी. बुक ही कहती है। उसको आप एक बार जांच करा कर उसकी व्यवस्था बना लेंगे। आईसेट फोन प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, अन्य में जनरेटर की व्यवस्था है। बिलासप्र में यातायात का थाना है। जयराम नगर एक

नगर है, सेठ जयराम जी के नाम पर वह भवन है और आज भी बिलासप्र का सबसे बड़ा यातायात थाना वहां किराये पर चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बजट मांग में निवेदन करूंगा कि उसके भवन निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलासपुर बढ़ता हुआ शहर है। अगर वहां पर किसी जगह में आग लग जाये तो हमको अग्निशमन के लिए एस.ई.सी.एल. और एन.टी.पी.सी. पर आधारित होना पड़ता है क्योंकि बिलासपुर में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि सर्वस्विधायुक्त फायर स्टेशन की स्थापना बिलासप्र में स्निश्चित हो। कभी कोई गंभीर आगजनी की घटना हो जाये तो हमको किसी दूसरे का मुंह न देखना पड़े। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज दैनिक भास्कर में एक लेख छपा है। मैंने पूर्व में भी इस विषय पर माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था। सदन में यह विषय नहीं आ पाया क्योंकि समय की कमी थी। विषय तबादला उद्योग को सरकारी संरक्षण है। प्लिस विभाग तबादले के नाम पर मनोबल खोता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में थाने नीलामी में थे। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, दैनिक भास्तर में हेडलाईन क्या है? वन टाइम प्रमोशन पाने वाले 98 इंस्पेक्टर 24 साल से नक्सल प्रभावित बस्त में हैं। 200 प्लिसकर्मी शहीद हो गये हैं, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाये। स्थिति इतनी भयावह है कि वह लोग अंतिम समय में माता-पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाये हैं। अगर सिर्फ लिफाफा पद्धति के आधार पर प्लिस व्यवस्था, पदस्थापना उद्योग के रूप में चलेगी तो यह अपने आप में यह चिंताजनक विषय है कि जिस बल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको हम मनोबल नहीं दे पा रहे हैं और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम क्रिया में उनके दर्शन लाभ की व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। यह बह्त चिंताजनक विषय है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी पूर्ववर्ती सराकर में झीरम घाटी हत्याकांड हुई थी, उसमें हमारे प्रदेश के बहुत से मूर्धन्य नेता शहादत को प्राप्त किये थे। आज झीरम घाटी हत्याकांड की सच को जेब में लेकर चलने वाली नेता पांच साल काट दिये परंतु प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में बनने वाली न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आज दिनांक तक सार्वजनिक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि यदि इस सदन के लगभग सदस्य सहमत होंगे तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं-नहीं, अभी विषय है। मंत्री जी का लंबा विषय है। जेल विभाग में बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है। बिलासपुर में एक नवीन जेल नगोई, जो मेरे बेलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आता है, उसका निर्माण होना है परंतु चिंताजनक विषय यह है कि उस निर्माण में एक ठेकेदार ने फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र लगाकर टेंडर प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई और आज दिनांक तक उसी गृह विभाग के अधीन जेल में चलने वाले में मामले में उसके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं हो पाया है और संबंधित निर्माण आज दिनांक तक लंबित है। बढ़ती संख्या एक तरफ चिंताजनक है, दूसरे तरफ हम निर्माण

कराना चाहते हैं और जो निर्माण कराने वाली एजेंसी है, वह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे विषय पर जांच कराकर व्यवस्था देंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं, अभी पंचायत विभाग का विषय बचा है। पंचायत विभाग के अधीन तालाबों के उन्यीकरण की घोषणा होनी चाहिए। मैं यह विषय क्यों गंभीरता से उठा रहा हूं? क्योंकि लगभग बिलासपुर जिला में 18 ऐसे तालाब हैं, जो 8 एकड़ और 8 एकड़ से ऊपर के तालाब हैं, जो आज भी निजी नाम पर चल रहे हैं। वर्ष 1962 जल संग्रहण अधिनियम के तहत् उनको सरकारीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन निजी होने के कारण उनको निस्तार और पंचायतों से होने वाले निर्माण से वह तालाब वंचित हैं। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि पंचायत के अधीन जो तालाब आते हैं, जो आज भी निजी नाम पर चल रहे हैं, उसको राजस्व विभाग से चर्चा करके उसको सरकारीकरण किया जाना चाहिए, जिससे उनका उन्यीकरण हो सके।

सभापति महोदय, गांवों का मास्टर प्लान हो। यह आपके माध्यम से सदन में मेरी मांग है। क्योंकि हम शहर का मास्टर प्लान बनाते हैं, लेकिन गांवों में बेतरतीब निर्माण करके शासकीय राशि का दुरूपयोग होता है। इसलिए गांवों में गांवों का मास्टन प्लान बनना चाहिए, जिससे वहां पर होने वाले सरकारी और जनहितैषी योजनाओं के निर्माण कार्य सुनिश्चितता के साथ व्यवस्थित निर्माण के साथ प्राप्त कर सकें।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर का सदन में आगमन)

श्री राम कुमार यादव :- सभापति जी, महाज्ञानी भैया जी हाजिर होए हे, ओला प्रणाम। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापित महोदय, स्वच्छता अभियान के तहत पेयजल के लिए देखने में यह आ रहा है कि धीरे-धीरे भू-जल का स्तर गिरता जा रहा है तो गर्मी के समय में प्रति पंचायत कम से कम एक पानी का टैंकर का प्रावधान होना चाहिए। सुख और दुख दोनों में पानी की आवश्यकता पड़ती है तो मैं इस बजट में मांग करूंगा कि उसको जोड़ा जाए कि प्रति पंचायत एक टैंकर हो। स्वच्छता अभियान के तहत पंचायतों में या जनपद पंचायतों में पैसा पड़ा हुआ है, उनको टेंकर की मांग की पूर्ति गांवों में हो। खासकर जहां पर भू-जल का स्तर बहुत नीचे है और गर्मियों में पानी की आवश्यकता पड़ती है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने महिलाओं के लिए पृथक से महिला सदन बनाने की घोषणा की है। यह अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि उनकी पंचायतों से हमेशा लड़ाई चलती रहती है क्योंकि उनको बैठक के लिए कक्ष नहीं मिल पाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आर.ई.एस. के इंजीनियर है, जो बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्यों से

हजारो-करोड़ों रूपये की बंदरबांट करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट में मांग करूंगा कि ऐसे कोई प्रावधान या ऐसी कोई क्रियान्वयन एजेंसी बनाई जाय, जिसके तहत इन इंजीनियनरों की व्यवस्था सुधर जाये।

सभापति महोदय :- श्क्ला जी, समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- साहब, अभी कुछ बचा है। आपने सफाई व्यवस्था के लिए 900 नवीन पदों के सृजन करने की बात कही है। इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब कहीं न कहीं देखने में यह आएगा कि पूरे शहर की गुंडागर्दी को समेटने वाला का पुलिस विभाग के थानों में खुद का बाथरूम बहुत गंदा होता है। मैं चाहूंगा कि थानों में सफाईकर्मियों के लिए जो 100 पद मृजित किए गए हैं, वह कम से कम 500 पद सृजन किए जाए ताकि थानों की कम से कम बाथरूम की व्यवस्था हो क्योंकि जो लोग हमारी 24-24 घंटे सेवा करते हैं, वह बाथरूम के नाम से तरसते हैं। खासकर महिला पुलिसकर्मी बाथरूम के लिस तरसते हैं। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि 100 पद है, वह कम से 500 पद हो और इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस पूरी बजट में गृह, पंचायत, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की बजट को और उनकी मांग को मैं अपना समर्थन जापित करते हुए सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बजट को पास करने में सहयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या- 4 गृह विभाग से संबंधित अनुदान मांगों का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं ।

माननीय सभापित महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने विभागीय बजट में चौकी कच्चे हेतु नये भवन के लिये 44 लाख 83,000 रूपये का प्रावधान किया है इसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद । चूंकि मैं अतिसंवेदनशील क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं तो इस लिहाज से संबंधित विभाग पर मेरा ज्यादा हक बनता है और मैं इसी हक के साथ यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत 5 थाना और 4 चौकियां आती हैं । जिसमें क्रमशः थाना चारामा में पेट्रोलिंग हेतु वाहन और स्टॉफ हेतु भवन इसी प्रकार भानुप्रतापपुर में नया थाना भवन और स्टॉफ के लिये भवन, इसी प्रकार कोरन में थाना भवन की मरम्मत और स्टॉफ के लिये भवन, बैरक निर्माण और दुर्गकोंदल में थाना प्रभारी हेतु भवन और स्टॉफ के लिये भवन और कच्चे में बैरक निर्माण और महिला स्टॉफ के लिये भवन की महती आवश्यकता है जिसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है । चूंकि यह मेरा अतिसंवेदनशील ईलाका है और आधे ईलाके में पूरा नक्सली क्षेत्र आता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन समस्याओं पर गौर करते हुए बजट में शामिल करने की कृपा करेंगे ।

माननीय सभापित महोदय, ठीक इसी प्रकार मांग संख्या- 30 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुदृढ़ीकरण अंतर्गत मेरे क्षेत्र में केवल 5 सड़कों के निर्माण में सतह मजबूतीकरण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है लेकिन बहुत सारी सड़कों की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो मूलभूत मौलिक और सुविधाओं के विस्तार हेतु जिला पंचायत विकास निधि के तहत् जिला पंचायत अध्यक्षों को जो 15 लाख रूपये, उपाध्यक्षों को 10 लाख रूपये और सदस्यों को 4 लाख रूपये का प्रावधान है उसे भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार अधिकारी-कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश में इसकी बहुत कमी है । चूंकि अधोसंरचना के कार्य समयाविध में पूर्ण नहीं हो पाते हैं ।

माननीय सभापित महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत् जो ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को समूह के रूप में संगठित कर उनको बैंकों के माध्यम से जो 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है । निश्चित ही यह स्वागतयोग्य है लेकिन यह जो 3 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित किया गया है उसे शून्य प्रतिशत होना चाहिए था क्योंकि स्वयंसहायता समूहों के ऋण माफी का इसमें कोई प्रावधान नहीं है । माननीय सभापित महोदय, स्वच्छता के क्षेत्र में जो स्वच्छताग्राही हैं । उनका मानदेय भी मिलना चाहिए तािक ग्राम पंचायत में जो महिला समूह हैं वह अच्छे से काम कर सकें । आपकी सरकार में वाहवाही लूटने के लिये पूरे प्रदेश को जो ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया है लेकिन प्रदेश में शौचालय की स्थिति काफी खराब है । चूंकि अब आपकी डबल इंजन की सरकार है तो उसका कार्य पूर्ण करिये । चूंकि अभी गांव में शौचालयों में लकड़ी वगैरह रखने का कार्य किया जा रहा है तो मैं चाहूंगी कि इस पर भी ध्यान दिया जाये । माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज ।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन काबर डरात हओ ? आप जब इंहां बर्ड्ठथओ ता ओमन डराथे । आप बोलओ । आप ला हमन कोई नइ रोकन ।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापित महोदय, मैं आज गृह विभाग की मांग संख्या-3, पंचायत विभाग की मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज विभाग की मांग संख्या-80 और मांग संख्या-47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के संबंध में और मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापित महोदय, सबसे पहले मैं ग्रामीण विकास विभाग पर बात करना चाहूंगा । विकास की जो कड़ी है वह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र को हम सभी केंद्रित करते हैं और भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से योजनाएं तैयार होती रही हैं और ग्रामीण आबादी भारत देश में ज्यादा है, इसकी वजह से वहां ज्यादा ध्यान हुआ है। शहरी क्षेत्रों के लिए जो आबादी के हिसाब से उसके विकास

की योजनाएं बनती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का जब तक समग्र विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास संभव नहीं है और उस दृष्टिकोण से समस्त योजनाएं बनीं। पंचायती राज संस्थान का गठन ह्आ। त्रि-स्तरीय राज पंचायत भी बनी और बीच में 73वां संशोधन, 74वां संशोधन भी ह्आ और ग्रामीण विकास के लिए 73वां संशोधन में लगातार पंचायतों के चुनाव ह्ए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और सब प्रकार के लोगों को उसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। जहां तक विकास का दृष्टिकोण है और उस दिशा में पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों के हिसाब से उनके जो वित्तीय अधिकार हैं, उसके अन्सार भी विकास होते रहे हैं, लेकिन अभी जो त्रि-स्तरीय पंचायती राज में जो व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्था जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत के हिसाब से है। सबके अपने-अपने अधिकार हैं। लेकिन मूल रूप से धरातल पर जो विकास का काम होना है और पंचायतों को जो सशक्त करना है, वह उसकी कड़ी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में जो अधिकार है, विकास है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अभी हम सब देखते हैं कि पिछली सरकार में पंचायत विभागों को, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार थे, विशेष रूप से तो जमीनों का मामला रहता था, फौती नामांतरण और सब चीजों का और इन सारी चीजों के लिए जो ग्राम पंचायत में, ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिये गये थे, उन अधिकारों में कटौती की गई है और उसका द्ष्परिणाम यह हो रहा है कि जहां फौती नामांतरण के लिए पंचायतों से ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत में जो हम स्वीकृत करते थे, उनको न करके अब सीधे पटवारी, तहसीलदार और एस.डी.एम. के माध्यम से करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार का कारण बनता है। छोटे-छोटे नामांतरण और फौती उतारने तक के लिए छोटे-छोटे पटवारी स्तर पर भी पैसे की मांग होती है, उसके बिना फौती नामांतरण नहीं हो पाता है। हमारा क्षेत्र ग्रामीण विकास क्षेत्र है, वह गांव, जंगल और पहाड़ों का क्षेत्र है और मेरा जो सरगुजा जिला क्षेत्र है, वह भी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में आता है और 5वीं अन्सूची और पेसा कानून लागू है, लेकिन पेसा कानून का और 5वीं अन्सूची का भी पालन नहीं हो रहा है। उन क्षेत्रों में जहां अधिकार पंचायतों और आदिवासियों को है, वहां इन सारी योजनाओं का जो काम होना चाहिए उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जो फौती नामांतरण और सारी चीजें जो ग्राम सभा से होती थीं, जातियों का बड़ा विषय आता है, जो जातियों की समस्या के निराकरण के लिए त्र्टियां हैं, सब चीज हैं, ग्राम सभा में उसे पास करके उनके जाति प्रमाण पत्र बनते थे, वे सब काम नहीं हो पा रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा है, पण्डो है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो छोटी-छोटी मात्रात्मक त्र्टि के कारण उनकी जातियां नहीं बन पा रही हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में जो रेवेन्यू के मामले हैं, उसमें पहले पंचायतों को अधिकार थे, वो ग्राम पंचायत को प्न: दें ताकि उनके बाकी जाति प्रमाण पत्र हो या छोटे-छोटे जो काम हो, फौती नामांतरण के हैं, उसका अधिकार उन्हें प्नः मिले ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को विकास करने के लिए उन्हें अवसर मिल सके। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का एक बात की ओर ध्यान भी दिलाना चाह्ंगा। सुशांत जी ने भी कहा कि हम सब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक निश्चित दिशा में नहीं कर पाते। आज हम सब लोग गांव के विकास के लिए हमारे नेताओं के ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे छोटे-छोटे सी.सी. रोड, नालियां और इस तरह के प्ल-प्लिया की मांग करते है। कभी 20 लाख का, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख की हम मांग करते हैं और छोटे-छोटे पैच में निर्माण करते हैं जैसा आवश्यक होता है वैसे। लेकिन उसमें द्ष्परिणाम यह हो रहा है कि आज हम कहीं नाली बना दे रहे हैं तो उसका स्लोप किधर है, वह पता नहीं रहता। हम सी.सी. रोड बना रहे हैं, वह कहां जाकर समाप्त होगा, वह पता नहीं है और तालाबों का निस्तार कहां है? वहां का पानी कहां जायेगा, बरसात में कैसे ड्रेनेज का सिस्टम होगा? वह नहीं पता है। उसके चलते क्या होता है कि जो पंचायतें चेंज होती हैं। जो सरपंच हैं और ग्राम सभाएं हैं, वो विस्तृत प्लान नहीं कर पातीं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध था कि इस दिशा में यदि प्रॉपर डिटेल प्लान बने, लांग टर्म प्लान बने कि किस तरह से हम उस गांव को कैसे उस विजन के साथ आगे बढ़ायें, चाहे सड़क, पानी, नाली, बिजली का हो या सामाजिक रूप से हो, उसमें समाज के कौन से वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उस दिशा में पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने जो लंबे समय के लिए उसी दिशा में काम हो जैसे शहरों में हम डी.पी.आर. बनाते हैं और नगरीय निवेश का वहां जो मास्टर प्लान रहता है, उसके अन्रूप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। मैं नहीं कहता कि छोटे-छोटे गांवों का, लेकिन ऐसे बड़े गांव हैं, जहां उसकी आवश्यकता है, एक मास्टर प्लान बनाकर उसे उस दिशा में चलना चाहिए। तो उस दिशा में भी मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे प्रयोग करके उस दिशा में काम करना चाहिए। कहीं सी.सी. रोड़, सड़कें बन रही हैं, तो आधी न रहें, पूरा काम हो । सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपदा राहत की योजना भी है । लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में आपदा राहत की राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है । उसका कारण यह है कि जिला या प्रदेश स्तर पर जो कमेटी है, जो यह निर्धारण करती है कि कहां आपदा है, कहां नदी नालों की दिक्कत हो रही है, उस कमेटी की बैठक न होने के कारण बह्त से प्रस्ताव पड़े ह्ए हैं, जहां राशियों का आवंटन नहीं किया जा सक रहा है । उस कमेटी की बैठक कराकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राशि जारी की जानी चाहिए । सभापति जी, आज पंचायत की बात कर रहे हैं तो मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद् करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजातियां कोरवा, पंडो आदि हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हुई है । मेरे क्षेत्र में 50-52 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली है । ऐसी जनजाति की बसाहटों को चिन्हांकित करके उनको योजनाओं का लाभ पह्ंचाना, उन तक प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना आदि की सुविधा पहंचाना है । इस दिशा में भी प्रॉपर क्रियान्वयन की जरूरत है । वह आदिवासी वर्ग जंगल, पहाड़ों में रहता है, वहां तक घाट कटिंग, ड्रेनेज की व्यवस्था, रिटर्निंग वॉल प्रॉपर एस्टीमेट न होने के कारण, वहां का एस.ओ.आर. प्रॉपर न होने के कारण काम करने में दिक्कत होगी । उसमें भी संशोधन करने की

जरूरत है । महिला सशक्तिकरण के लिए भी बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । इसमें महिला समूहों की बैठकें करना और उनके लिए जो सदन बनाए जाने हैं । मंत्री जी से अनुरोध है कि छोटे-छोटे अतिरिक्त कमरों का स्वरूप देकर, ग्राम पंचायत भवन के साथ महिलाओं के लिए अतिरिक्त भवन बनाएंगे तो कम राशि में भवन बन जाएगा तािक महिलाएं वहां अपनी बैठकों का संचालन कर सकें, महिला समूहों के साथ योजनाएं तैयार कर सकें । युवाओं के लिए भी युवा क्लब के माध्यम से एक अतिरिक्त कमरा पंचायत भवन में भी बन जाए । मुझे लगता है कि डेढ़-दो लाख की राशि में एक अतिरिक्त भवन बनेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- भइया, भूपेश बघेल जी के सरकार में ग्रामीण स्तर बढ़ाए के लिए समिति बनाए रहिस, उहीच ला चालू कर दौ । तुमन तो युवा मितान ला बंद करत हौ । युवा मितान ला चालू करौ ।

श्री प्रबोध मिंज :- रामक्मार जी, आप चिंता न करें, हमारी सरकार है । आप अपनी सरकार में तो कर नहीं पाए, हम करेंगे । हमारे बजट में प्रावधान रखा गया है। सभापति जी, य्वाओं का विषय था । युवा क्लब कोई अलग से नहीं, उसी पंचायत का रहेगा, वहीं के नवजवान हैं । उनके बैठने के लिए, वहां बैठक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी । वह करने की जरूरत है । ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हमारे क्षेत्रों में जो काम ह्ए हैं । मैं ध्यान दिलाना चाह्ंगा कि हमारे पहाड़ी कोरवा के लिए जनमन योजना में 24 सड़कों का प्रावधान रखा गया है । उसी तरह से हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना और पीडब्ल्यूडी योजना के नाम से दो सड़कें फंसी हुई हैं । एक सड़क नवापारा से पटक्रा जो पीडब्ल्यूडी को पीएमजीएसवाय से ट्रांसफर होना है। लेकिन वह फाइलों में अटका ह्आ है जिसके चलते इतने बड़े-बड़े गड़ढे हैं उसमें वह ट्रांसफर नहीं होने के कारण वह सड़क न तो पीएमजीएसवाय से बन पा रही है और न ही उसको पीडब्ल्यूडी बना रहा है । यथाशीघ्र उसका ट्रांसफर करा दें । वैसे ही हमारा करजी से सोहगा होते हुए महेशप्र मार्ग लगभग 17 किलोमीटर का है, उसमें भी बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं । उसे भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से ट्रांसफर करने के लिए फाइल चली है । वह पीडब्ल्यू डी को चली जाएगी तो वे सड़कें, दोनों सड़कों के चलते पूरे क्षेत्र में आवागमन में दिक्कत हो रही है । आज उनको भी करने की जरूरत है । सभापति जी, मैं एक बात इंगित करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग की ओर से 112 और 108 योजना चलती थी । पिछली सरकार में कंडम होकर बंद हो गई है । वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बह्त उपयोगी थी । उसको भी ठीक ठाक से चालू करवाएं ताकि पहले की तरह उसका लाभ मिले सके । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, हमारा जो सरगुजा और जशप्र क्षेत्र है, वह क्षेत्र मानव तस्करी के लिए और खासकर विशेष रूप से लड़कियों के लिए बह्त चिंताजनक क्षेत्र है। बड़े-बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई जगहों से कई ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां आती है, उन बच्चियों को बरगलाकर काम करने के बहाने से, य्वाओं को काम करने के बहाने से ले जाते हैं,

उसके बाद उनका पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे मामले सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज तक बहुत सारी बिच्चयों का अता पता नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को ढूंढ ढूंढकर रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले पड़े हैं। उनको भी रोकने की जरूरत हैं। वहां महिला थाना खोलने से उनको विशेष रूप से महिलाओं और बिच्चयों पर जो आक्रमण हो रहा है, उनकी जो तस्करी हो रही है, उसके विशेष जांच करने के लिए, उनके परिवारों को लाईनअप कर वे जहां भी महानगरों में हैं, वे जहां गुम गये हैं, वे जिस परिवार से भी लोग हैं, ऐसे हजारों बच्चे, बिच्चयां हैं, जिनका अता पता नहीं चल रहा है, मां-बाप परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं, उनको भी ढूंढने का प्रयास करें। आगे भविष्य में इस तरह की तस्करी न हो पाए, उसको रोकने के लिए स्पेशल महिला थाना स्थापित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय थे, समय भी कम है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इन सब बातों के साथ इस प्रस्ताव में जो अनुदान मांग है, उसमें मैंने जो मांग रखी है, उसको शामिल करने की कृपा करें। सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापित जी, आज गृह विभाग की अनुदान मांगों पर मैं बजट में कटौती प्रस्तुत करती हूं। क्योंकि आज सैनिकों और पुलिस बलों के लिए सभी लोगों ने उनकी सुविधाओं के बारे में बात कही है। उनको खाने से लेकर, उनकी हर सुविधा को देखते हुए, उनकी रहने की सुविधा को देखते हुए, हम सब तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। उनको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी सुविधा दी जाए। जैसे कि मैंने अपने क्षेत्रों में देखा है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर न वाहन की सुविधा है, न ही वहां पर कर्मचारी पदस्थ हैं, बहुत कम लोग है जिसके कारण उनको असुविधा होती है। डोंगरगढ़ जैसी जगह, जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहां पर नक्सल प्रभावित एरिया है, वह नक्सल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, वहां पर कहीं न कहीं आक्रमण के तौर पर काम करते हैं। वहां पर नशा का सेवन होता जा रहा है, हर जगह नशा की बढ़ोत्तरी हो रही है। जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको रोकने के लिए कभी भी चेकपोस्ट की स्विधा नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- बहन जी सुनिए तो, नशा तो भूपेश बघेल जी की स्टीटअप है। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह तो 15 साल पहले से है।

सभापति महोदय :- नये सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- डोंगरगढ़ ऐसी धर्मनगरी है, ऐसी जगह है, जहां पर 15 साल से नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आज तो आपकी सरकार है, उसके बाद भी वहां पर नशा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- ओ मन दारू पीये ला आही ओखर मन बर पूजा करे के अगरबत्ती के व्यवस्था करे हो। अउ हमन ला कहत हौं। पहली केबिनेट में वइसने करे हे। श्री अजय चंद्राकर :- आपको तो बंद करवाने के बजाय चखना की मांग करना चाहिए कि चखना कैसे हो।

सभापति महोदय :- यादव जी बैठिए। नये सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिएगा।

श्री रामक्मार यादव :- दारू के व्यवस्था ए मन करे हे अउ हमन ला कथे।

श्री अन्ज शर्मा :- दारू तो दारू त्मन खोखा बरोबर कर दे हौ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपको पता है, इसमें कितना बजट बढ़ाया गया है। इसमें 11 हजार करोड़ रूपए का अनुमान लगाए हैं। आप समझ रहे हैं।

सभापति महोदय :- नये सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो बोलने दे रहा हूं, रामकुमार जी खड़े हुए, मैंने उनको कहा। चखना की बात करना चाहिए, दारू बंद करवाने की बात नहीं करना चाहिए। चखना की क्वॉलिटी अच्छा हो।

सभापति महोदय :- आप बोलिए, इनकी बात मत स्निए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपको अवगत कराया था कि वहां पर चेक पोस्ट की कमी है, वहां पर वाहन की कमी है, वहां पर पेट्रोलिंग बहुत कम होती है और पेट्रोलिंग की कमी के कारण वहां पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहा है। अभी कुछ समय पहले स्कूल और कॉलेजों में कुछ असामाजिक लोग घूसकर अपराध कायम किए हैं। एक बच्चे को स्कूल के अंदर जाकर मार दिया गया। उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पुलिस विभाग को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाए। हर स्कूल और कॉलेज में सी.सी.टी.व्ही कैमरा लगे हों तािक उनको सुविधा हो और जो आपराधिक गतिविधि सामने आ रही हैं, उसकी पुख्ता से जांच हो सके।

समय :

3.25 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

साथ-साथ हर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ हमारे सैन्य बल को बुलेटप्रुफ जैकेट प्रदान किये जाएं और जो सैनिक लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, उनको स्थानांतिरत करके दूसरी जगहों में पदस्थ किया जाए। हमेशा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने के कारण उनको नक्सली पहचाने लेते हैं कि यह वही पुलिस कर्मचारी है जो हर समय हमारे काम में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए नक्सली ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करके मारने की कोशिश करते हैं। वह जहां पर भी पदस्थ हैं, उनको 2-3 साल के अंतराल में स्थानांतिरत किया जाए। मैदानी क्षेत्र में पुलिस विभाग के कर्मचारियों का भी समय-समय में परिवर्तन करना बहुत अनिवार्य हो गया है। एक ही जगह पर रहने से वह बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। उनको सुविधा नहीं नहीं मिलने के कारण वह उस जगह में अपराध

को कम नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे और भी मांगें करना चाहूंगा कि आपको मेरे डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जगहों में चेकपोस्ट के साथ-साथ महिला थाना का भी गठन करना है। बेलगांव क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसलिए वहां पर एक महिला थाना स्थापित हो। डोंगरगढ़ का ग्राम मुढ़ीपार वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और उसके एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर भी मैं आपसे पुलिस चौकी की मांग करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में हमारी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है। 5 सालों में हमारी पंचायतों को बहुत सारी सुविधाएं मिलीं। आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जहां पर पंचायत भवन जर्जर हो चुके हैं और किसी भी स्थिति में उनको नहीं बनाया गया था। पिछले 5 सालों में बहुत सारी मांगें आई थीं। उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन 30 साल की अविध पूर्ण नहीं होने के कारण उनको नहीं बनाया गया। उसकी 30 साल की निर्धारित अविध रहती है। मैं आपसे मांग करती हूं कि काकेतरा और कलेवा में पंचायत भवन का निर्माण किया जाए, ताकि वहां के ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। वहां पर पंचायत भवनों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वह वहां पर बैठ नहीं पाते हैं और उन्हें बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनको बाहर में बैठकर ग्राम सभा लगानी पड़ती है इसलिए वहां पर ग्राम पंचायत भवन बनाना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दे तो मेरी एक छोटी सी मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बिल्कुल अनुमति दे देंगे। लेकिन आपकी छोटी मांग होनी चाहिए।

श्री अनुज शर्मा :- बिल्कुल छोटी मांग है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाह्ंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मैंने इनका नाम पुकार लिया है। इसलिए माननीय सदस्य बोल लें, उसके बाद आप बोलियेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं यहां पर मांग संख्या - 3, 4, 5, 30, 80, 46 और 47 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम-2007 के मामले में आकर्षित करना चाहूंगा। माह सितंबर, 2007 में यह अधिनियम लागू तो हुआ, लेकिन अभी भी इस अधिनियम में नये नियम नहीं बने हैं। अंग्रेजों के समय वर्ष 1861 में जो अधिनियम लागू था, लगभग लंबे समय से संशोधन करके वह चला आ रहा था और इसलिए वर्ष 2007 में हमने एक नया अधिनियम बनाया कि पुराने समय की कार्यशैली बदले और उसमें स्वतंत्र भारत की झलक भी दिखनी

चाहिए। उन नियमों को बनाने शक्ति धारा- 50 और धारा- 51 में प्रदान की गई है। लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बने हैं। कहीं न कहीं इस अधिनियम में सोशल प्लिसिंग का एक बह्त बड़ा प्रावधान है। लेकिन इसमें सोशल पुलिसिंग के भी अभी तक नियम नहीं बन पाये हैं। जहां पर हमेशा नागरिक सहयोग और नागरिक संगठनों का दबाव प्लिस थानों और चौकी पर बना रहे। यह अधिनियम तब तक पूर्ण रूप नहीं लेगा, जब इसके नियम बनकर हमारे बीच में न आ जाएं। कहीं न कहीं हर प्लिस पर नागरिक संगठनों को दबाव हो, ताकि हम लोग किसी भी आपराधिक गतिविधि को कहीं भी संरक्षण न दे पाये। जैसे ही आज स्बह रेत का मामला आया तो लगभग सभी सदस्य उसके बारे में अपने-अपने क्षेत्र की चर्चा करने लगे। लगभग यही मामला कोयले का भी है। जिस क्षेत्र में कोयले का आदान-प्रदान हो रहा है, वहां पर गाड़ियां चल रही हैं। वहां पर लगभग यह स्थिति बनती है कि गाड़ियों में लाईट नहीं है, ओव्हर स्पीडिंग हो रही है और हेल्पर नहीं हैं। कहीं न कहीं सामाजिक संगठनों का दबाव नहीं होने की वजह से यहां पर ये गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 112, 108 और 102 नम्बर की जो गाड़ियां चल रही हैं, इनके विषय में भी मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा । बह्त समय से यह कार्य टेण्डर प्रक्रिया से होते थे, लेकिन कुछ समय से शायद कारणवश टेण्डर नहीं हो पाये हैं । 112 नम्बर की गाड़ियां लगभग सरकारी हैं, लेकिन उनके टेण्डर्स को अभी बढ़ाया जा रहा है । अगर एक फ्रेश टेण्डर होगा तो उसमें एक्सचेकर का लॉस कम होगा और एक नई स्विधा के साथ 112, 108 और 102 नम्बर की गाड़ियां, जिसमें अभी 112 नम्बर की गाड़ी का टेण्डर नहीं ह्आ है । इसमें एक्सचेकर को फायदा मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों से गौ तस्करी के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, पुलिस कैम्प पर नक्सली हमला, शराब जैसे मामले काफी बार सदन में उठाए जा चुके हैं। मैंने बार-बार इस बात को आपके माध्यम से सदन में उठाया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे जिले में, यहां सदन में बुल्डोजर की बात होती है, पर मेरे जिले के चखना सेन्टरों पर बुल्डोजर नहीं चल पा रहा है। वह क्यों नहीं चल पा रहा है, किसके संरक्षण में है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकलतरा विधान सभा में दिसम्बर माह में एक बड़ा मामला घटित हुआ । 10 दिसम्बर को 37 गौ की हत्या कर दी गई । सरकारी रिपोर्ट में यह बात आई कि जहर भी दिया गया, धारदार हथियार से भी मारा गया और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से 37 गायों की मृत्यु हुई, उसमें आजतक एक भी कार्रवाई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है । यह एक बहुत बड़ा मामला है । हम गाय को गौ माता मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आजतक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पायी । अकलतरा नगर और उसके आसपास चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं । यदि हम पंचायत के मामले में बात करें तो नल-जल योजना से हम घर-घर पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं,

लेकिन एक मामला ऐसा भी है, जिसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हर गली में पानी बह रहा है। पानी पहुंच तो रहा है, लेकिन उसको निकालने की व्यवस्था नहीं है। नल-जल की पाईप और नालियां लगभग साथ में है, जो कि डायरिया और सेनिटेशन की बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हम लोगों को दिखेगी क्योंकि यदि पाईप में लीकेज़ होता है और वहीं से नालियां बह रही हैं तो वह कहीं न कहीं बीमारियों का जड़ बनेगा। हमें पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए भी हर ग्राम पंचायत में व्यवस्था देनी होगी क्योंकि हम नल-जल योजना से टंकी में पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाईप लाईन बिछी हुई है। मंत्री जी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि वह पानी कहीं दूषित न हो जाये क्योंकि हमें नाली की समस्या का भी निदान करना होगा और सेनिटाईजेशन के साथ-साथ हमें पानी की गुणवत्ता को भी जांचना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने समय में तालाब और पैठू हर गांव में मौजूद थे, लेकिन अभी विगत कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि पैठू पर काफी बेजा कब्जा के मामले सामने आ रहे हैं। यह एक नेचुरल फिल्टरेशन का प्रोसेस था, जहां पर पानी जाता था और पानी छनकर उसके बाद तालाबों में चला जाता था, लेकिन बेजा कब्जा होने की वजह से, अवैध निर्माण होने की वजह से या तो पानी रूक रहा है या फिर कहीं न कहीं फिल्टर होकर तालाबों में नहीं जा पा रहा है तो यह पूरे राज्य में एक व्यवस्था देने की आवश्यकता है कि हम लोग तालाब को संरक्षित करें और उस पानी का उपयोग कर गांव में हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही जांजगीर जिले के जेल में लोगों के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ था। मैं उस ओर भी आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा । किसी परिस्थितिवश, कारणवश, समयवश कई ऐसे लोग हैं, जो जेल में बंद हैं, लेकिन उनको लीगल एड नहीं मिल पा रही है इसलिए वे आज भी जेल में हैं । कहीं न कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है और अमानवीय स्थिति में वे वहां पर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है कि जो लोग लंबे समय से सजा काट रहे हैं और उनको बाहर आने की पात्रता है, उनको एक लीगल एड एक काऊंसिलिंग की आवश्यकता है, तािक वे जल्दी बाहर आ सकें । वे लोग बहुत समय से वहां पर हैं । महिलाओं के विषय में यह बात आई है कि वे लोग जेल में बंद तो हैं, लेकिन बाहर आने के बाद कहीं न कहीं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काऊंसिलिंग और परामर्श केन्द्रों की ज्यादा आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है । मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर भी ध्यान आकर्षित करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हर जगह तकनीकी कालेजेस हैं। यदि तकनीकी शिक्षा के बारे में बात करनी हो तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। हालांकि यह रोजगार, उद्योग और कई विभागों से जुड़ा हुआ मामला है। जहां पर हमारे कालेजेस हैं, वहां पर कई उद्योग भी स्थापित हैं। लेकिन कहीं न कहीं डोमेसाइल रूल नहीं होने की वजह से उनको वहां पर स्थानीय लोगों को कम नौकरी मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात दोनों-तीनों विभागों को भी कहना चाहता हूं और आदरणीय मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि उन कालेजेस में डोमेसाइल की व्यवस्था की जाए ताकि लोकल लोगों को प्राथमिकता मिले, उनको पहले नौकरी मिल पाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे थीं, जिसको मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। हम लोगों के यहां कोटमीसोनार गांव में कई बार धार्मिक-सामप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। करीब 8 हजार की आबादी वाला गांव है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिए। हमारे यहां के बरगंवा चौक से कटघरीपचरी झिरिया मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज-4 में जोड़ने का आपसे निवेदन है। लिटया कल्याणपुर से फरहदा मार्ग, इसे भी जोड़ने का निवेदन है। ग्राम जर्वें के आसपास जितने भी ग्राम हैं, वहां पर आसपास के गांव में समरसता भवन की मांग है, जिसका आवेदन मैं मंत्री जी को दे चुका हूं। अकलतरा में एक पॉलीटेक्निक कालेज खोलने की मांग आपके माध्यम से कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अनुज शर्मा, बह्त संक्षिप्त में अपनी बात रखें।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारा एरिया इण्डिस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। वहां से देर रात तक कर्मचारी आते-जाते रहते हैं। उसमें लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बहुत सी घटना की रिपोर्ट हो पाती है, बहुत सी घटना की रिपोर्ट नहीं हो पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद हमारे यहां कोई तकनीकी संस्थान नहीं है। हमारे क्षेत्र ना पॉलीटेक्निक कालेज है ना आई.टी.आई. है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिलतरा में एक पॉलीटेक्निक कालेज और मांढर में एक आई.टी.आई. की घोषणा कर दें तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा हो जायेगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। वह आसानी से पढ़ाई करके इण्डस्ट्रीज में शामिल हो पायेंगे। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में इण्डस्ट्रीज हैं। अध्यक्ष महोदय, बस इतना ही ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद, आप संक्षिप्त में अपनी बात बोलेंगे। भूमिका नहीं, सीधे मांग में आ जाओ। श्री कुंवर सिंह निषाद (गुणडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ में जब से भा.ज.पा. की सरकार आई है, तब से लगातार कानून व्यवस्था का क्या हाल है, हम देख रहे हैं। यह शासकीय रिपोर्ट है। मैं आपको 3 दिसम्बर से 15 जनवरी तक की 42 दिन की ही रिपोर्ट बताता हूं। बाकी एक महीने का रिपोर्ट बाद में बताऊंगा। अभी हत्या के 81 मामले और बलात्कार के 210 मामलें दर्ज हुए हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी नक्सली हमले बढ़े हैं। लगातार निरीह और लाचार आदिवासी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि मासूमों को भी गोलियों का निशाना बना दिया जा रहा है। पुलिस कैम्प पर भी लगातार हमलें हो रहे हैं। आज हमारे जवान दहशत में जिन्दगी जी रहे हैं। कल की सुबह की रोशनी के बारे में उनको पता नहीं है। आज का दिन कैसे कट जाये, उनको यह चिंता खाये जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण में कोई प्रभावी कार्ययोजना इस अनुदान मांग में उल्लेख नहीं है। लगातार हत्या, बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सरकार विफल होते नजर आ रही है। अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजधानी मेट्रो सिटी कल्चर की गिरफ्त में आ गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, मेट्रो सिटी कल्चर क्या होता है ?

श्री कंवर सिंह निषाद :- महानगर में जो अपराध होते हैं। आपको सब पता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, मेट्रो सिटी कल्चर सिर्फ अपराध भर में होते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- और बह्त सारी चीजें हैं।

श्री अजय चन्द्रांकर :- आप संस्कृति वाले आदमी हो। जब बता रहे हो तो पूरा बताओं कि मेट्रो सिटी में क्या होता है ? सिर्फ अपराध भर में मेट्रो सिटी ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं अभी सिर्फ अपराध की बात कर रहा हूं। गृह विभाग की चर्चा है तो मैं गृह विभाग पर चर्चा करूंगा। संस्कृति पर तो बात नहीं करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई, मेट्रो सिटी कल्चर तो बताओगे, मेट्रो सिटी कल्चर में सिर्फ गोली-बन्दूक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी गृह मंत्री के अनुदान मांग पर गृह मंत्री के विभाग पर चर्चा करूंगा।

श्री अजय चन्द्रांकर :- सभापित महोदय, मेट्रो सिटी कल्चर में सिर्फ अपराध होते हैं, संस्कृति वाले आदमी हो तो संस्कृति कल्चर को पूरा बताओं ? अपराध भर में मेट्रो सिटी-मेट्रो सिटी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं अपराध की बात कर रहा हूँ । अब गृह मंत्री की बात है तो गृह पर चर्चा करूंगा । संस्कृति में तो बात करूंगा नहीं ? संस्कृति में बात आपस में कर लेंगे । श्री अजय चन्द्राकर :- मेट्रो सिटी कल्चर में तो बोलोगे ? मेट्रो सिटी कल्चर में गोली-बंदूक भर है ? छत्तीसगढ़ को, रायपुर को इतना बदनाम मत करो । पूरा वसूली का अड्डा बना दिये थे ।

श्री रामकुमार यादव :- जब ले सरकार बने हे, जनता दहशत में आ गे हे । एती सरकार बने हे, मंत्री नई बनाय हे तो दहशत में ए मन आ गे हे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर शहर के युवा ब्राऊन शुगर, कोकीन एवं अन्य मादम पदार्थों के।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां कोरोना के टाईम पर खुले आम ब्राऊन शुगर बिक रहा था, दारू बिक रहा था, गोली चल रही थी । तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते थे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, अभी भी तो गोलियां चल रही है, इसीलिए तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ धर्मजीत भईया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्री भूपेश बघेल जी के घर के सामने उनके लोगों के द्वारा गोली चलाई जा रही है । मालूम है ? मौली श्री विहार से क्वीन्स क्लब कितनी दूर है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 6-6, 7-7 मंत्री रहते हैं, वहां भी गोली चल रही है । जहां पर आप लोग रह रहे हैं, वहां भी तो गोली चल रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हांकने में टाईम लग रहा है ना ?

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- और भी तो गोली चल रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जो गोली चल रही है, उसको पुलिस मुंबई छोड़ने गई थी । मालूम है ? सुरक्षित पहुंचाने बंबई गई थी । आपका यह राज था ?

श्री धर्मजीत सिंह :- पूरे होटल को बेच दिये ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी तो इतने ज्यादा संख्या में अपराध बढ़े हुये हैं, जिसके बारे में कहना लाजिमी नहीं होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रापर रायपुर में जहां बच्चा गिरोह सिक्रय है, अभी दो महिलायें पकड़ाई हैं । उनके साथ 6 दलाल भी पकड़े गये हैं । यहां प्रापर राजधानी की बात कर रहा हूँ । रायपुर राजधानी में सबसे बड़ा गौ तस्करी का मामला सामने आया है । कंटेनर में भरकर लगभग 100 गाय ले जा रहे थे, 13 गाय मर चुकी है । रायपुर जैसे महानगर में भी यह अपराधी इतने सिक्रय हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं यहां कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भाषण देंगे तो इस बात का जरूर उल्लेख करेंगे कि गौ तस्करी की जो बडी घटना हुई है, 100 गायों की तस्करी हो रही थी और 13 की हत्या हुई है । आप उसको जरूर बतायेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है ? अभी तक जांच किस स्थिति में है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, मुंबई के मॉल में घूम रहे हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, आजकल अपराधी खुले आम घूम रहे हैं । जशपुर हत्या का मामला देख लें, कवर्धा हत्या की बात हो, गुंडरदेही में हत्या का मामला हो, मासूम के साथ भिलाई में बलात्कार हो, गुंडरदेही के सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो....।

श्री अजय चन्द्रांकर :- निषाद जी, मेरे को यह बताओं कि जिस मंत्री महोदय के डिमांड मांग में बोल रहे हो, उसके पास कौन-कौन सा विभाग है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग है, तकनीकी विभाग है, जेल विभाग है, सब में बातें करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस । इतना ही विभाग है ना ? बस इतना ही विभाग?

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- मुझे करना है, उसमें करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री रामक्मार यादव :- तोरे कस महाज्ञानी थोड़ी हे भई ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी तो चालू नई करें हंव अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में टोकथे।

अध्यक्ष महोदय :- आपको एक्सट्रा जोड़ दिया गया है । आप अपने क्षेत्र का मांग रख दीजिए । भाषण तो आप रोज देते हो ? जो डिमांड है, बता दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में अगर पुलिस विभाग की बात करूं तो हल्दी में पुलिस चौकी का पिछले समय प्रावधान था, अनुशंसा हो चुकी है, खोलने की प्रक्रिया भी चालू हो गयी है, लेकिन आपके नये बजट में भवन बनने का प्रावधान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हल्दी पुलिस चौकी के रूप में उन्नयन हुआ है, उसमें भी ध्यान देंगे । माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वह एक सेंटर है, जहां से 30-40 गांवों के बीच में है, अगर वहां चौकी अतिशीघ प्रारंभ हो जाये तो निश्चित ही वहां पर अपराधों का नियंत्रण होगा । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा का मोखा, रजोली है, वह भी सेंटर जगह है । पाटन, धमतरी, बालोद, गुंडरदेही यह चौगड़ड़ा है और वहां पर लगातार अपराध और दुर्घटनायें होते रहते हैं । मैं आपसे चाहूंगा कि वहां पर नवीन पुलिस चौकी निर्माण हो जाये तो बहुत अच्छा होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के बारे में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति को केन्द्रबिन्दु मानकर ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने का एक जरिया मानते हैं । लेकिन लगता है कि बजट में इस ग्रामीण जनजीवन को सशक्त बनाने के लिये हमारे पास कोई ठोस या कारगर प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ की आत्मा गांवों में बसती है और लोग गांव में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पूर्व में नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जा रही थी और वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा था और साथ ही उसमें काम करने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही थी। लेकिन अभी वर्तमान में चार महीने से उन सारे कामों में अंकुश लग गया है। कोई भी परिदृश्य समझ में नहीं आ रहा है कि वर्तमान सरकार के द्वारा इसमें कोई प्रावधान रखे गये हैं या नहीं रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति से हटकर यह योजनाएं चालू होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने रीपा के संदर्भ में कहा है कि वह योजना बंद नहीं होगी, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोगों ने रीपा के माध्यम से गांवों में जो लघु उद्योगों की परिकल्पना की है, वह एक सशक्त माध्यम था कि समूह की महिलाएं और हमारे युवा साथी रीपा से जुड़कर बहुत-सी योजनाएं एवं बुलंद कार्यों को अंजाम दे रहे थे। यह योजना लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह रीपा योजना संचालित होती रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मनरेगा के माध्यम से जो कार्य किये जाते हैं, उसके विषय में कहना चाहूंगा। हम लोग मनरेगा के माध्यम से मुक्तिधाम शेड के लिये तो स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा प्रतीक्षालय की जरूरत होती है। वहां बरसात में और गर्मी में बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि जब तक अंतिम क्रिया और पांच लकड़िहया न हो जाये तब तक वहां से हमन जायेन नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें मुक्तिधाम शेड का तो प्रावधान है, परंतु यदि उसमें उसी कनवर्जेंस के माध्यम से मनरेगा के तहत प्रतीक्षालय का भी निर्माण कर दें तो ग्रामीण लोगों की जो मांग होती है, हम उसके लिये भी एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। मनरेगा में मिट्टी का काम तो दिया जाता है परंतु मुरूम के लिये बहुत ज्यादा परेशानी आती है। मिट्टी की सड़कें बना दी जाती है लेकिन जब पानी गिरता है तो वह धरसा कीचड़नुमा हो जाता है, यदि उसमें मुरूम का भी प्रावधान कर दें तो पंचायतों में और खासकर सरपंचों द्वारा मनरेगा के माध्यम से जो छोटे-छोटे काम कराये जाते हैं, उनके लिये भी आसानी हो जायेगी। साथ ही हम लोग विधायक निधि के माध्यम से कनवर्जेंस में राशि देते हैं, उसमें 50-50 का प्रावधान है, यदि उसको 75-25 कर दिया जाये तो जो काम पंचायत के माध्यम से या मनरेगा के माध्यम से नहीं हो पाता, उसको भी हम अपनी विधायक निधि के माध्यम से जोड़कर करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में थोड़ा-सा बजट बढ़ा दिया जाये। अभी आपके बजट में उसकी राशि बहुत कम दिख रही है। आज कल गांव में ऐसी सड़कें हैं, जिनको इस योजना से जोड़ना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर तकनीकी शिक्षा के विषय में बात करना चाहूंगा। मैं 9 साल तक तकनीकी महाविद्यालय में as a counselor के पद पर कार्यरत् था। मुझे व्यवस्था के बारे में बहुत करीब से पता है। पहले जब काउंसलिंग होती थी तो एक लाईन लगती थी। लोग ब्रांच के लिये सोर्स लेकर आते

थे लेकिन अभी वर्तमान में यह स्थिति है कि छात्रों को ब्लाना पड़ता है कि आईये आप इस कॉलेज में एडिमिशन लीजिये। उनको शुल्क माफ करने का लालच दिया जाता है और कई प्रकार की बातें की जाती है। मैं चाह्ंगा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये यदि हम सबसे पहले कोई बात करें तो रोजगार की बात करें। हम बगैर रोजगार के तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने की जो परिकल्पना कर रहे हैं, वह संभव नहीं हो पायेगा। यदि हम सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी समावेश, जो आध्निकीकरण को बढ़ावा देता है और जिस विज्ञान के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, कहीं न कहीं हम उनको उसमें रोजगार देने में पिछड़ रहे हैं, जिसके कारण अब य्वाओं का रूझान तकनीकी क्षेत्र से हटकर दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर जा रहा है। चूंकि अभी आध्निकता के दौर में हमको सबसे ज्यादा जरूरत तकनीकी की पड़ेगी। हम कैसे उस तकनीकी को एक अच्छी व्यवसायपूरक योजना बनाकर किस रूप में उन बच्चों को रोजगार दे सके, सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं क्रियान्वित होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाह्ंगा और यह निवेदन भी करना चाह्ंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाह्ंगा कि प्लिस थाना अर्जुन्दा देवरी एवं सुरेगांव में आवास की मांग करता हूँ। वहां पर बाउण्ड्री खुली हुई है वहां आज तक बाउण्ड्री नहीं बन पायी है वहां तार के माध्यम से स्रक्षा के इंतजाम किये गये हैं। वहां पर भी मैं बाउण्ड्री वॉल की मांग करता हूँ। पहले से निर्मित जो पंचायत भवन हैं वह जर्जर हो चुके हैं उसके भी प्नर्निर्माण की मांग करता हूँ। साथ ही ही मैंने मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए कहा है उसके माध्यम से बहुत से गांवों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि चिचलगोंदी मुख्य मार्ग से कला मंच तक, बीजाभांठा, सिब्दी, टेकापार, बोरगहन, गर्ड़नडीह और साथ ही ही सियनमरा में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अतिरिक्त कार्य नहीं हो पाये हैं उसके लिए प्रावधान करें ताकि इससे तमाम् गांवों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे धरसा के माध्यम से पहुंच मार्ग बनायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की मांग करता हूँ। फरदडीह, हतौद, भण्डेरा, गणेशखपरी, सुरसुली, बेंगारी, गोरखापार, मोहले और सरेखा में मांग है। मैं जहां निवास करता हूँ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे निवास स्थान नगर अर्जुन्दा में एक आई.टी.आई. या एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अर्जुन्दा नगर बड़ा गांव है उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे भी एक निवेदन किया था कि मेरे यहां अपराध हुआ था जिसमें एक अबोध बालक को हत्या करके, मारा गया था। मैंने उसके बारे में एक मांग की थी कि उसे मुआवजा राशि दी जाये, लेकिन अभी तक उस बारे में शासन की तरफ से अधिकृत कोई बात नहीं आयी है तो एक बार फिर, मैं आपके माध्यम

से निवेदन करना चाहूंगा कि उस पीडि़त पिरवार को 5 लाख रूपये की मुआवजा राशि दी जाए ताकि हम लोग उनके परिवार को एक संबल दे सकें।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपना नाम नहीं दिया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं एक विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर अपने जवानों को दो लाईनें समर्पित करना चाहूंगा। जो हमारी सुरक्षा और पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए पूरा अपना समय, ऊर्जा और ताकत लगाते हैं। हमें उनकी सुरक्षा, आवास और उनके भत्ते को बढ़ाने के लिए यहां सदन से मांग करता हूँ। मैं उन जवानों को इन दो लाईनों के माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा कि :-

"जीवन की सुमधुर गाथा को सरे आम बदनाम न करना अगर रही दरिया तो उसमें लहर और तूफान भी होंगे चीर तक साथ रहे जीवन में साहस को मेहमान न करना। "

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट बोल लीजिए।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाससपुर का एक बहुत संवेदनशील मामला है। चूंकि वहां बुलडोजर की बात चली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अटल जी आपका 5 सालों के लिए कोटा पूरा हो गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक संवेदनशील मुद्दे पर कहना चाहूंगा कि बिलासपुर के खमतराई में एक घटना हुई जिसमें पंकज उपाध्याय के साथ, दो लोगों ने विभत्स तरीके से उसका मर्डर कर दिया। उस घटना के बाद पुलिस ने कार्यवाही की। वहां दोनों गिरफ्तार हो गये। पर जिन लोगों ने हत्या की, वे पुलिस की गिरफ्त में आ गये और जो-जो भी लोग इस हत्या में इंवाल्व थे, उनके खिलाफ पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की। इस देश में कानून और संविधान है एक आदमी ने गलती की, एक आदमी ने कानून तोड़ा, पर उसकी सजा उसके पूरे परिवार के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। दो दिन बाद उनके बुजुर्ग परिवार, एक अनब्याही बहन, उन सबके घर को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी पर लटका दीजिए, पर उसके परिवार के सदस्यों का जो घर है उसे न तोड़ा जाए, उन्हें बेघर न किया जाए। क्योंकि कानून और देश का संविधान बना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक भी अपराधी न छूटे। पर इस बात के लिए जो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर की संस्कृति चल रही है, कहीं पर वह छत्तीसगढ़ में लागू न हो। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अकेले ही काफी हैं। इसमें मन में शंका नहीं है। यह विभाग भी आपका ही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कवासी लखमा, श्री अजय चन्द्राकर, श्री दलेश्वर साहू, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री रामकुमार यादव, श्री धर्मजीत सिंह, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री सुशान्त शुक्ला, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री प्रबोध मिंज जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी और कुंवर सिंह निषाद जी आदि सभी साथियों ने बहुत ही विस्तृत रूप से बजट के इस पूरे विषय पर चर्चा की। सबने बहुत सारे मूल्यवान विषय कहे हैं और मैंने ध्यानपूर्वक सुन करके सबको नोट भी किया है। मैं सोचता हूं कि सबके इस प्रयास से इस गंभीर चर्चा से बहुत सारे सुधार होंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, कटौती प्रस्ताव में तो वह लोग हाथ उठाये नहीं हैं, सुझाव देने से इनके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात आप बोले कि इनके सुझाव नोट किया, इनके सुझाव को भी नोट करने का मतलब नहीं है, इनके कटौती प्रस्ताव का उत्तर भेज दीजिये, हो गया। बाकी आप हम लोगों की बात को बता दीजिए। बात खत्म हो गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो मांग की है, उसको शामिल भी किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कटौती प्रस्ताव दिया है, उसका उत्तर दे दीजिये, हो गया।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, यह महाज्ञानी आथे, तभी सब बात सुरता आथे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने क्षेत्र की समस्यायें बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कटौती प्रस्ताव का उत्तर आपको मिल जायेगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, अपने क्षेत्र की मांग तो रखनी पड़ेगी।

श्री उमेश पटेल :- आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष न रहे। आप यह कहना चाहते हैं कि हम जो इस सदन में चर्चा करते हैं, क्या हमारी बातों का कोई मूल्य नहीं है ? अगर हम यहां कोई बात रख रहे हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं। आपने कहा कि कटौती प्रस्ताव का जवाब दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो तकनीकी बात कही। मूल्य या अमूल्य की बात नहीं कही।

श्री उमेश पटेल :- आपके कहने का आशय यही था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आशय को बिगाडिये मत।

श्री उमेश पटेल :- मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारी बातों का कोई मूल्य ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कटौती प्रस्ताव का उत्तर दे दें, हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अगर आप चाहते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, बहिष्कार कर देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने ऐसा कहा ही नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव तकनीकी विषय है, लेकिन अभी जो सभी में चर्चा हुई है, वह छनकर जो समस्या आई है, माननीय मंत्री जी, उसका निराकरण करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत भैया, अगर आप विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहते, इन्होंने कहा कि कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे दो, बात खत्म। यहां पर अगर इतने माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है तो आप क्या यह कहना चाहते हैं कि इनकी कही गई बातों का कोई मूल्य ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तकनीकी बात कही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपकी बात गलत है। आपने तकनीकी कटौती प्रस्ताव दिया है, आपको कटौती प्रस्ताव का उत्तर मिल जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गलत है। लेकिन अगर इस सदन में कोई माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहा है, माननीय मंत्री जी उसको बोल रहे हैं कि मैंने नोट कर लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, आप यह किहये कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या वह गलत है ?

श्री उमेश पटेल :- कोई गलत नहीं है, लेकिन आप किसी भी बात को अवमूल्यन मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, बस ठीक है। उसको आप घूमा क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कह दीजिए कि जो चर्चा में है, उसको शामिल किया जायेगा, उसकी घोषणा की जायेगी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमने कटौती प्रस्ताव में संशोधन करके निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत हो गया।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन इस तरह से किसी की बात का अवमूल्यन मत करिये।

श्री रामक्मार यादव :- अजय चन्द्रकार जी, ज्ञानी भैया हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, बस हो गया, मंत्री जी खड़े हैं, आप भी अब छेड़खानी मत करिये। चलिये, माननीय मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम गृह विभाग की चर्चा से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत सारे मूल्यवान विषय आये हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, जैसा कि सर्वप्रथम चर्चा में भाग लेते हुए माननीय सदस्य कवासी लखमा जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सल की समस्या है। मैं सोचता हूं कि इस बात से हम सब इत्तफाक रखते हैं। वस्तुत:

नक्सल की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मुझे यह बात अभी भी समझ में नहीं आई, विभाग में कार्य संभाले कुछ दिन ही हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 258 ऐसी सड़के हैं जो 5-6 वर्षों से लंबित हैं, वह पूरी नहीं हो पाई, उसमें से आधी बहुत सी प्रारंभ भी नहीं हो पाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसको प्रारंभ करने की, पूरा करने की चिंता भी नहीं हुई ? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ स्थिति अभी है, उसके आधार पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद अभी सरकार को बने हुए 10 हफ्ते हुए हैं, इन 10 हफ्तों में नक्सलियों के उस गढ़ बस्तर में 15 कैंप खोले गये हैं। मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2021 में पूर्ववर्ती सरकार में टेकलगुड़ा में जब कैंप लगाने की कोशिश की गई थी तो उसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। उस समय वहां कैंप नहीं लग पाया था। अभी हर्ष के साथ इस विषय को सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि अब टेकलगुड़ा में भी कैंप है और आसपास के गावों में विकास की गंगा पहुंच रही है और इतना ही नहीं, पूवर्ती नामक गांव, जिसको तथाकथित तौर पर नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जिसमें बहुत बड़े-बड़े नक्सली हुए हैं, ऐसा बताया जाता था, उस नक्सली गांव में बड़े-बड़े नक्सलियों के घर में उनके माता-पिता, उनका भी मेडिकल टेस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो आप सबने देखा होगा।

समय : 4:00 बजे

यह पूवर्ती गांव है, जहां 40 वर्षों के बाद तिरंगा लहराया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्सली ऑपरेशन की दिशा में विष्णु देव की सरकार कितनी संजीदा है और कितने महत्व के साथ यह काम किया जा रहा है। यह सरकार विष्णु देव जी की पालनहारी सरकार है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बस्तर के कोने-कोने तक विकास की गंगा पहुंचेगी। माननीय सदस्य ने मुझे यह भी कहा था कि नये-नये हैं और उन्होंने कहा है कि मार देंगे, काट देंगे। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा परंतु मैं आज सदन में पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहता हूं कि बस्तर के कोन-कोने में विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो भी बाधक बनेंगे, उनको सख्ती के साथ दूर किया जायेगा, इस बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि गृह विभाग के संदर्भ में बहुत सारी बातें आई हैं, जिसमें कुछ चौंकियों के लिए पहले ही बजट में कुछ प्रावधान है। साथ ही साथ जूनापारा में एक थाना भवन का निर्माण किया जाना है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। सकर्रा जो तखतपुर विकासखण्ड में है, उसमें एक चौंकी बनाने की घोषणा करता हूं। ऐसे ही खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में एक नर्रा स्थान है, वहां पर भी चौंकी बनाने की घोषणा करता हूं। कोटमीसोनार में ..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- विजय जी, हमारे बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में जो अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड है, वहां एक चौकी की घोषणा कर देंगे क्या?

श्री विजय शर्मा :- बिलासप्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक चौकी बनाने की घोषणा करता हूं।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले स्न लीजिये।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ इस बात को भी सदन के समक्ष रखन चाहता हूं कि जो जेल में दीर्घकाल तक बंद है, उस पर माननीय सदस्य की चिंता थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी है।

श्री विजय शर्मा :- मैंने सबसे पहले सकर्रा बोला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने तखतपुर विधान सभा क्षेत्र का बोला है?

श्री विजय शर्मा :- हाँ, मैंने तखतप्र विधान सभा क्षेत्र का बोला है। मैंने पहले आपके क्षेत्र का बोला, दूसरा उनके क्षेत्र का बोला। दोनों सकर्रा है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जेल में दीर्घकाल से बंद है, उनकी पूरी चिंता है कि उनको कैसे लीगल ऐड मिले और वह सिर्फ इस कारण से अंदर है तो शीघ्रातिशीघ्र रिहा किया जाए, इसके लिए समिति बनाकर काम करेंगे। अनाचार और दुष्कर्म के संदर्भ में जिन घटनाओं की चर्चा हुई है, उस पर सब संजीदा है, सबकी चिंता है परंतु मनोबल की बात है। थोड़ा और मनोबल बढ़ने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि यदि पुलिस का मनोबल और बढ़ेगा तो आने वाले समय में सब क्छ ठीक होगा। जामतारा या अन्य किसी क्षेत्र पर जो कार्रवाई का विषय आया था, उन विषयों के संदर्भ में भी यह सच है कि जो सायबर क्राईम है, वह सिर्फ छत्तीसगढ़ से जनरेटेड नहीं है, वह देश के अन्य कुछ ऐसे हब बन गए हैं, जहां से वह एनिशिएट होकर हमारे यहां इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और देश के दूसरे भागों में भी इम्प्लीमें हो रहे हैं। इन क्षेत्रों के लिए भी केन्द्र से बात करके इसमें क्या किया जा सकता है। जो भी संभव होगा, अधिक से अधिक जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी होगी, उस पर पूरा कोशिश करके इस काम को करेंगे। पति-पत्नी के स्थानांतरण के संदर्भ में भी बात कही गई थी। आरक्षण और प्रधान आरक्षकों के लिए विशेष रूप से ऐसा कोई अधिकार नहीं है परंत् अगर कहा जाय तो कभी नहीं नहीं कहा जाए। मैं इस बात को भी आपको आश्वासन देता हूं। कोई अधिकार नहीं है परंत् यह तो स्वाभाविक है कि अगर पति-पत्नी आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ए.एस.आई., एस.आई. है, तो उनको अवश्य उस दिशा में पोस्टिंग दी जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जिलों में शांति समिति का एक अच्छा प्रस्ताव आया था कि किस तरीके से प्लिस को समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए। जिलों में शांति समिति के औपचारिक गठन और गठन के उपरांत उसकी नियमित बैठकें हो ताकि समाज और प्लिस विभाग, दोनों ही मिलकर साथ काम कर सकें, इस बात के

लिए मैं इस बात की घोषणा करता हूं। बिलासपुर में एक फायर स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। इस बात के लिए भी मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न और बातें आई हैं। पुलिस में शैने-शैने उसकी गरिमा कम हो रही है। यह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और घोषणा जो महत्वपूर्ण है कि 10 वर्ष के तोरण साहू, जो चीचा, जिला बालोद के रहने वाले हैं, जिनके संदर्भ में अभी माननीय ने कहा पांच लाख रूपये उनके परिवार को प्राप्त हो, इस बात की भी मैं घोषणा करता हूं।

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाकर रखना तो हम सबका दायित्व है, हम सबका धर्म और कर्तव्य है । जिस तरीके से मजाक बनाया जाता है, जिस तरीके से कुछ भी कह दिया जाता है इससे बचने की आवश्यकता है । पुलिस विभाग है तो आप बहुत आराम से सड़कों पर घूम पाते हैं अन्यथा सड़कों में क्या हाल हो रखा है यह आपके ध्यान में है । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि विगत् 5 सालों में मैंने खुद भी इस बात का अनुभव किया है कि पुलिस विभाग का, पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ था और इसलिये आज के समय में यह आवश्यक है कि हम सबको आगे बढ़कर के और इस विषय को ध्यान करते हुए जब भी उनके संदर्भ में बोलें तो सम्मान के साथ बात होनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है । मैं थानों में गाड़ियों के संदर्भ में एक-बार जरूर समीक्षा कर लूंगा, चूंकि माननीय सदस्य ने इस बात के लिये ध्यानाकर्षित किया है । मानवाधिकारों के प्रकरणों के संदर्भ में है तो मानवाधिकार संबंधी जो प्रकरण होंगे उनकी एक-बार समीक्षा करके और जो प्रकरण ऐसे हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखते हैं कि इन प्रकरणों को जानबूझकर उलझाने के लिये यह किया गया है उस पर जल्दी निर्णय लिया जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि बस्तर से अधिकारी और कर्मचारियों के आने की चिंता चूंकि यह सभी सदस्यों की चिंता है। मैं सोचता हूं कि यह चिंता सभी अधिकारियों की भी है, यह चिंता सभी कर्मचारियों की भी है और यह चिंता सारे समाज की है लेकिन अभी तक इसमें निर्णय नहीं हो पाता है, मैं इसको नहीं समझ पाता हूं कि क्यों ? परंतु मैं यह जरूर कहता हूं कि कानून बनाकर के, नियम बनाकर के बस्तर के अधिकारियों को फिर किसी नेता या किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, कर्मचारियों को जाने की जरूरत नहीं होगी । उनके पास स्वयं ऑफर आ जायेगा कि भैया आपका इतना दिन पूरा हो चुका है, अब आपको स्थानांतरण लेना है, आप अपने 3 ऑप्शन बताईये कि कहां जाना चाहते हैं वहां उनका स्थानांतरण किया जायेगा । इस बात की व्यवस्था स्निश्चित करेंगे और इसे जल्द ही स्निश्चित करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा के संदर्भ में बहुत प्रबलता के साथ अभी पुलिस ने कार्यवाही की है । यहां तक कि नशे के पूरे चेन को खत्म करने के लिये, नशे के चेन में अंतिम कड़ी तक पहुंचने के लिये छत्तीसगढ़ की पुलिस, दिल्ली, राजस्थान और देश के अनेक स्थानों तक पहुंची है । वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है यह सारे घटनाक्रम हुए हैं । नशे के संदर्भ में जो चिंता है कि यदि नशा खत्म होगा तो फिर जाकर अपराध कम होंगे यह बिल्कुल रिलेवेंट है ऐसा ही एक अध्ययन पुलिस विभाग का भी है कि नशे का व्यापार, नशे का सेवन जिन स्थानों पर है, उन्हीं स्थानों पर चाक्बाजी की घटनायें ज्यादा हैं, मेप बनाकर के जब ओवरलेप किया गया तो वह चीजें स्पष्ट हुई हैं तो यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर सहमत हूं । इसमें और तेजी लाकर कार्यवाही करेंगे, मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूं कि इसमें पूरे सदन का और सभी का सहयोग होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के निरीक्षण के संदर्भ में बात आयी । पूर्ववर्ती सरकार में मतलब यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज मैं खड़े होकर आपके सामने बोल पा रहा हूं । मैं जेल के निरीक्षण के लिये गया था और मैं उसी जेल के निरीक्षण के लिये गया था चूंकि मेरे विरूद्ध फर्जी एफ.आई.आर. करके मुझे खुद जिस जेल में रखा गया था, मैं गृहमंत्री के नाते उसी जेल के निरीक्षण के लिये गया था । मैं जब वहां गया था तो मैं मन ही मन प्रसन्न था, प्रफ्लित था और यह सोच रहा था कि हमारी भारतीय परम्परा में, हमारे लोकतंत्र में कितनी ताकत है । आज मैं उसी जेल में गृहमंत्री के नाते आया हूं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मैं जेल में गया और मैंने बह्त सारी चीजें देखीं तो वहां पर बहुत सारी सीखने, समझने और आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं । रायप्र के सेंट्रल जेल में जो प्रेस है उसका पिछले साल प्रिंटिंग प्रेस का टर्नओवर 2 करोड़ का है, मुझे यह लगता है कि यह सेल्फ सस्टनेबल (self Sustainable) हो जायेंगे और इसलिये विभिन्न योजनायें बनायी गयी हैं । मैं इसके संदर्भ में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जेल के उत्पादों की मार्केटिंग अच्छी हो जाये, इसकी भी चिंता हम लोग आगे करेंगे । सायबर थाना और अन्य विषयों के संदर्भ में, चूंकि अभी मैं सीधे अपने बजट के विषय पर आ जाता हूं । इस विषय में एक-दो बातें और हैं परंत् गृह विभाग के बजट के संदर्भ में वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 में 15.26 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हुई है । रामायण में एक दोहा है - बरषत, हरषत सब लखयें अउ करषत रखै न कोइ । त्लसी प्रजा स्भाग ते भूप भान् सो होइ । त्लसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से जो राजा है वह सूर्य की तरह होना चाहिए क्योंकि सूर्य कैसे होते हैं । सूर्य सारी जल राशियों से कर इकट्ठा कर लेते हैं, यहां तक कि हमारी त्वचा से भी कर इकट्ठा कर लेते हैं और जब सूर्य यह कर इकट्ठा करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है और जब वे बारिश करते हैं, जब बारिश होती है तो सब हर्ष के साथ उसको देखते हैं, उसमें हर्ष महसूस करते हैं। तो "बरसत हरषत सब लखै और करसत लखै न कोय", जब कर लेते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। मैं आज इस बजट के संदर्भ में जरूर यह कहना चाहता हूं कि हमारे म्ख्यमंत्री माननीय विषण् देव साय जी, उनके नेतृत्व में और हमारे क्शल वित्त मंत्री माननीय श्री ओ.पी. चौधरी जी, जिन्होंने ऐसा ही कर प्रावधान किया है कि इस पूरे बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और किसी कर की दर में वृद्धि नहीं की गयी है, फिर भी बजट के आकार को बड़ा करके सभी विभागों को समुचित अवसर मिला है। यह बहुत बड़ी बात

है। बड़ा प्रशंसा का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के गृह विभाग के बजट में पूंजीगत व्यय 69.05 परसेंट है। बजट में पूंजीगत व्यय सबसे बड़ा विषय है, इसमें 70 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है और नक्सलवाद के संदर्भ में माननीय सदस्यों की और सभी की जो चिंता थी तो "नियद नेल्ला नार" एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से कैंप जहां पर जायेगा, उसके आसपास के गांवों में सारी सरकारी योजनाएं पूरी की जायेंगी। saturation के प्वाइंट तक पूरी की जायेंगी, ऐसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्ण् देव साय जी ने की है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारे जवान जब ऑपरेशन में जाते हैं तब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे अनेक दिन लग जाते हैं तो रेडी-टू-ईट फूड भी उनके पास नहीं होता था, मैंने प्रवास के दौरान यह विषय समझा और जवानों ने बताया। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो ऑपरेशन में जवान जाते हैं, उनको रेडी-टू-ईट पैकेट अब दिया जायेगा। स्पाईक रेजिस्टेन्ट बूट, इसकी भी आवश्यकता जवानों के बीच में थी। वे ऑपरेशन में जाते हैं तो नीचे आजकल नक्सली आई.डी. तो लगाते ही लगाते हैं, वे स्पाइक (कांटे) लगा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने अपने म्ख्यमंत्रित्व कार्यकाल में चिंता की थी कि वनांचल में जो लोग हैं, वे जो तेंदूपत्ता संग्रहण करने के लिए जाते हैं, उनके पैर में कांटा नहीं गड़ना चाहिए और आपने चरण पाद्का योजना लायी थी, उसी से प्रेरित होकर वे जब ऑपरेशन में निकलेंगे तो स्पाईक रेजिस्टेन्ट बूट भी अब जवानों को दिया जायेगा। विशेष अधीसंरचना के लिए 60 करोड़ रूपये का प्रावधान है। स्रक्षा संबंधी व्यय के लिए 321 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सैटेलाइट फोन की अभी वहां पर आवश्यकता है, उसके लिए भी डेढ़ करोड़ का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय :- उप मुख्यमंत्री जी, जेल की क्षमता। आप मंत्री बन गये हैं, आपकी जानकारी में आ गया होगा और कैदियों की संख्या और हमारी कैपेसिटी, ये दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो आज भी हमारी क्षमता के अनुसार मुझे लगता है कि 40 परसेंट जेल मैं और कमरे और बैरक बनाने की जरूरत है। तो हर साल कुछ बैरक बन जाये तो जो जेल की हालत है, वह स्धरेगी।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं जेल के सदर्भ में ही स्पष्ट करता हूं। 5 केन्द्रीय जेल, 20 जिला जेल, 8 उप जेल हैं। कुल क्षमता 14,383 बंदियों को परिरूद्ध रखने की है और अभी वहां पर 18,442 लोग हैं। तो 4 हजार ऐसे ही ज्यादा हैं तो इसमें 58 बंदी बैरक बनाने की और प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत 17,333 इतने हो जायेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आपसे कहना चाहता हूं जितने आवास बनने हैं, आवास के लिए भी ये है कि जितने पदस्थ हैं माने स्वीकृत पदों को छोड़ दें, जितने पदस्थ हैं, जितनी भर्ती हो चुकी है, उसके भी 24 प्रतिशत का ही आवास उपलब्ध है। आगे आवास उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ कैदियों को रखने की जो जगह है, वह भी कम है तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कोई आइडिया लेकर आना होगा, रूटीन से अलग हटकर कोई योजना बनानी पड़ेगी तािक सब के लिए आवास की व्यवस्था हो सके। अच्छे जेल की

व्यवस्था हो सके और जेल जिस तरह से माननीय सदस्य धरम भैया की चिंता थी कि जो जेल है, वह बंदीगृह नहीं, वह सुधारगृह होना चाहिए। तो जेल के अपने प्रोडक्ट हों, इस बात की चिंता करेंगे। जेलों को वी.टी.पी. (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) बनाकर ऐसा उन्हें श्रेणी देकर वहां पर स्किल डेन्लपमेंट करके और जेल में मैं रहा हूं। जेल में समय काटना कितना कष्टप्रद होता है, यह मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। उस समय हमसे कोई मिलने आ जाता था तो मन में इतना उत्साह होता था कि अभी थोड़ा बाहर देखेंगे, जाकर थोड़ा आसमान देख लेंगे। वहां तक पहुंचेंगे। आयेंगे, जायेंगे, धीरे-धीरे चलते थे कि थोड़ा और समय लग जाये, थोड़ा और समय बाहर रह जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल में समय काटना बड़ा मुश्किल होता है और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जेल में स्किल डेवलपमेंट करते हैं और इसके बाद उनको काम पर लगाते हैं तो जब वे जेल से निकलेंगे तो कुछ कमाई उनके हाथ में होगी, जेल से निकलेंगे तो एक स्किल उनके हाथ में होगी। तब हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे दुनिया में सभ्य समाज के बीच में जब वे वापस लौटेंगे तो अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने खुद के काम को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जेल में स्किल डेवलपमेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो, जिसकी मार्केटिंग हो, जिसके चलते वे जेल में रहते रहते कमाई भी कर सके। ऐसी व्यवस्था भी इसमें की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, 112 योजना अभी 16 जिलों में संचालित है । नए जिलों के आधार पर उसको समूचे प्रदेश में एक साथ लागू करने की योजना है, उसके लिए 147 करोड़ का प्रावधान है । मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसके लिए 1000 नए पदों का सृजन भी किया गया है और उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी । इसमें 26 नग नए वाहन खरीदे जा रहे हैं । अधोसंरचना, निर्माण में भी 02 आई.जी.ऑफिस, 01 एस.पी.ऑफिस, 02 एडीशनल एस.पी.ऑफिस कार्यालय, 15 चौकी, 20 थाने ऐसी बह्त सारी चीजें हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के घोषणा पत्र के आधार पर महिला थाना की बात हुई थी, माननीय सदस्य की चिंता भी थी । महिला थाना प्रारंभ किया जा रहा है । वर्तमान में 04 जिलों के साथ इसको प्रारंभ किया जा रहा है। कालान्तर में इसको सभी जिलों, एक महिला थाना सभी जिले में पूर्ण किया जाएगा । एक और चिंता थी किरायेदार आए हैं और क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता था । विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है । मान लीजिए कोई लैंड लॉर्ड है उसके पास 3-4 प्रॉपर्टी है तो हरेक प्रॉपर्टी में किस किरायेदार को रख रहा है, इसका पूरा डिटेल उस ऐप में पोस्ट करना होगा । थाने तक जाकर लिखित में दर्ज कराने वाला सिस्टम थोड़ा कष्टप्रद होता है । लोग नहीं जा पाते हैं, थाने वालों के पास भी समय नहीं है तो इसका डाटाबेस बनना बड़ा म्शिकल होता है । इस एप्लीकेशन के माध्यम से वे टाइप करके खुद ही पोस्ट कर देंगे । डीटेल डाटाबेस के रूप में पुलिस के पास भी रहेगा कि कहां-कहां कौन-कौन किरायेदार है । अभी पहले स्टेज में यह है और बाद में इसको आगे बढ़ाते ह्ए किस होटल के

कमरे में कौन रूका है यह भी उस ऐप के माध्यम से ट्रेस किया जाएगा । हर होटल वाले की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जब अपने होटल के रजिस्टर में लिखता है कि होटल के किस कमरे में कौन रूका है तो उसे इसकी एंट्री उस ऐप में भी करनी है, ताकि यह जानकारी पुलिस के पास भी पहुंच जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि महिला थाने जो खोले जा रहे हैं, उसके लिए भी 300 नए पदों का सृजन करके उसकी प्रक्रिया की जा रही है । अधोसंरचना के विकास के लिए पुराने पांच सालों में जितना बजट दिया गया था उससे अधिक बजट इस बार दिया गया है । सायबर क्राइम के प्रति सबके मन में चिंता है और वाजिब भी है । इस बारे में पूरे समाज को मिलकर सोचना ही होगा । 04 नए सायबर प्लिस थाने इस बारे खोले जा रहे हैं । उसमें भी 96 नए पदों की स्वीकृति हुई उन्हें भरा जा रहा है । सॉफ्टवेयर के संदर्भ में भी इसमें सवा तीन करोड़ का प्रावधान है । हमारे सदस्य स्शांत शुक्ला जी चिंता कर रहे थे । सवा तीन करोड़ का सिर्फ सॉफ्टवेयर है, इसके लिए भी 24 पदों पर भर्ती की जा रही है । पुलिस बल में 219 नए पद पांच नए थानों में, दूरसंचार के 50 पद, ऐसे कुल मिलाकर 1889 पदों की स्वीकृति है । उस पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं । इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 6 हजार आरक्षक के पदों की भर्ती की प्रक्रिया भी अभी चल रही है । प्रशिक्षण, नवीन वाहन आदि अन्य चीजें भी हैं । मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडियन पैनल कोड की जगह में भारतीय न्याय संहिता आया है, जिस तरह से सी.आर.पी.सी. की जगह भारतीय नागरिक स्रक्षा संहिता ने लिया है और जिस तरह इंडियन इवीडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून प्रावधानित है । स्वीकृत है परंत् उसको लागू होना शेष है । यह लागू होगा तब क्या होगा । उसके प्रावधानों में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं हमारी बहन जी, सदस्य महोदया कह रही थीं कि 20 साल की सज़ा वह पूरी नहीं काट पाता है । नए प्रावधान में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सदन ने इसको पारित किया है । नए प्रावधान में बलात्कारी को, अनाचारी को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है (मेजो की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजय शर्मा :- मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि 07 साल से अधिक की सज़ा किसी को हुई है तो वहां पर फोरेंसिक लैब के द्वारा टेस्टिंग किया जाना जरूरी है तो एफ.एस.एल., यानी न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की बढ़ोतरी बहुत आवश्यक है । मैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी एफ.एस.एल. के अध्ययन के लिए विभिन्न केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है जो वर्तमान में आने वाले इन प्रावधानों के समय इसकी बहुत आवश्यकता होगी। एफ.एस.एल. के आधुनिकीकरण के लिए, उसके साईबर अपराध के साफ्टवेयर के लिए साढ़े पांच करोड़ रूपए है। अन्य बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जेल के संदर्भ में सारी बातें आपके सामने रखी हैं। हम लोग जेल में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं। ये कुछ जेलों में है, कुछ जेलों में बढ़ाना है, अगर इसमें आगे सबकी सहमति बन जाती है तो प्रिजन कॉलिंग सिस्टम को वीडियो कॉलिंग के थू पर करना है। मैं जेल में था तो अपने घर में बात करता था, उसमें फोटो नहीं दिखता था, मैं देखना चाहता था, मन में इच्छा होती थी कि एक बार फोटो देख लूं, कोई घर वाला दिख जाए। यह प्रिजन कॉलिंग सिस्टम है, इसमें सिर्फ आडियो नहीं, वीडियो हो जाए। हम लोग आने वाले समय में इसको पूरा करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) केन्द्रीय जेलों में व्यवस्थाओं के लिए नॉन लाईनर मेटल डिटेक्टर है, जनरेटर है, वासिंग मशीन है और विभिन्न चीजें हैं, जिनको किया जाना है। वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, बजट में साढ़े सात करोड़ रूपए का प्रावधान है। जेलों में आवासीय परिसर को बढ़ाने के लिए 14 करोड़ का प्रावधान है और भी विभिन्न चीजें हैं। अग्निशमन के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें हैं। में गृह विभाग के संदर्भ में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। एक विषय आया था, कुल 83 पशु थे, जिसमें से 11 मृत पाए गए, 72 जीवित मिले हैं, सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 83/24 धारा 283, 420, 467, 468 भा.द.वि. पशु अधिनियम आदि क्र्रता नियम के अंतर्गत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके विवेचना में लिया गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 37 गायों की मृत्यु हुई है, उसमें भी कुछ पुलिस एक्ट के बारे में नये नियम के बारे में कुछ कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत विभाग के संदर्भ में भी जरूर कुछ बातें सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। जो बजट के प्रावधान हैं और विशेष रूप से चर्चा में कुछ चिंता सामने आई हैं, उसमें विशेष बात यह है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होनी चाहिए। यह बात एकदम परफेक्ट है। उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होनी चाहिए। मैं सुना करता था, बहुत कन्फर्म नही हूं लेकिन यह जानता था कि बजाज के बल्ब की कोई फैक्ट्री नहीं है। वह अलग-अलग घरों में बनती है और एक स्टैंडर्ड का बजाज को खरीदना होता है, घर वाले ला करके बजाज का बल्ब देते हैं, वह स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको अपना मार्कर लगाकर बेच लेते हैं। घर-घर में उद्योग हो, इसकी चिंता है, एस.एच.जी. के माध्यम से इस चिंता को जरूर दूर किया जा सकता है। रोजगार को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, रीपा के संदर्भ में एक बात कही गयी है कि इसमें काफी भुगतान रूका हुआ है। मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि एस.एच.जी. का भुगतान रीपा में उपकरण खरीदने या किसी को प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई भुगतान हुआ हो तो उसका नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर स्व सहायता समूहों का कोई भुगतान बचा होगा तो उसको शीघ्र एक हफ्ते, 10 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। (मेजों की

थपथपाहट) परंतु बाकी बातों के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे पिछली चर्चा में यह विषय आया था, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक समिति बना करके उसकी पूरी जानकारी की समीक्षा तीन महीनों के अंदर करना है। वह समीक्षा भी की जाएगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने समीक्षा कहा, उस दिन आपने जांच कही थी, दोनों में से कौन सी बात सही है।

श्री विजय शर्मा :- जांच है। अब मैं जिंदगी भर के लिए यह बात ध्यान रखूंगा कि समीक्षा कब कहना है और जांच कब कहना है। (हंसी)

श्री रामक्मार यादव :- ओ महाज्ञानी ए ना, चूक नई करय।

श्री विजय शर्मा :- नहीं भाई, ओखर मेर हम सीखथन।

श्री अजय चंद्राकर :- का हे, पानी में काय करथे ता उफलबे करथे। समझ गेस नहीं। डर मत ते नई फसस। ओ दशहरा के नीलकंठ..।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला स्व सहायता समूह के संदर्भ में मार्केटिंग के संदर्भ में कहा गया है तो हम लोग इस कोशिश में हैं कि स्वीगी में भी हमको हमारे महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट मिल जाएं। हम इस कोशिश में हैं कि जोमेटो में भी हमको हमारे महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट मिल जाएं। यदि हम इसमें सफल होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम यह कोशिश करेंगे कि स्वीगी और जोमेटो की तरह इसका स्वयं का भी एक एप्लीकेशन बन जाए। जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों के प्रोडक्ट हों और उनको घर की महिलाएं उपयोग कर सकें। इसी के साथ ही साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय अजय चंद्राकर जी 'सरस मेला' की चिंता कर रहे हैं। आज भी इस विभाग के कोने-कोने तक इनकी धमक स्नाई देती है। आज से ही 'सरस मेला' का प्रारंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए साइंस कॉलेज मैदान में जाएंगे। मेरा संपूर्ण मंत्रीगण, संपूर्ण सदस्यगण, संपूर्ण अधिकारीगण और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि यह 10 दिन का कार्यक्रम है तो आप कोई 1 दिन का समय निकालकर जरूर पहुंचे और 'सरस मेला' देखें। इस बार इस मेले में जो विशेष किया गया है, वह मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बार 'सरस मेला' में फूड ब्लॉगर्स को भी ब्लाया है। इस बार 'सरस मेला' में यूट्यूबर्स को भी ब्लाया गया है। आप टी.व्ही. चालू करते हैं तो आता है कि यह बना लीजिए, वह बना लीजिए। हमने उन लोगों को भी ब्लाया है कि आप भी इसमें कुछ बनवा लें। फूड प्रोडक्ट के निर्यातक और अन्य निर्यातकों, जैसे कपड़े के निर्यातक को भी ब्लाया है। हम उनको भी मंच में बैठकार माला पहनाकर इस बात का आग्रह करेंगे कि हमारे महिला स्व सहायता समूह के साथ मिलकर उनके प्रोडक्ट भी बाहर कहीं जाएं और उनका भी निर्यात हो सके। वह इस बात की भी चिंता करेंगे। इस काम को किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नरेगा में ही अकेले 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नरेगा में 2,788.33 करोड़ रूपये का बजट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख आवास बनाने की घोषणा की है। उसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में हम 7-8 लाख आवास निर्माण तक पहुंचते हैं तो उसमें 7-8 करोड़ मानव दिवस भी सृजित होंगे। कुल मिलाकर 14 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। मैं आधी संख्या को इस वर्ष में लेता हूं और आधी संख्या को आगे लूंगा। यदि हम आगे तक पहुंचते हैं तो उसमें 7-8 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। इसी तरीके से अमृत सरोवर के लिए एक विशेष बात है। पूर्व में 1 जिले में 75 स्थानों पर, ऐसा निर्णय करके आगे बढ़ा गया था। इसके स्थान पर अब हम यह कोशिश करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया जा सके। वह कम से कम 1 एकड़ का हो और उसमें पानी भराव की क्षमता 10,000 घन मीटर तक हो। इसलिए मैं यह सोचता हूं कि इसमें भी हमको कम से कम डेढ़ करोड़ मानव दिवस प्राप्त हुंगे। इस तरीके से विगत वर्ष में नरेगा के माध्यम से लोगों को 10 करोड़ मानव दिवस प्राप्त हुंग इस बार मैं उम्मीद करता हूं, इस बात का प्रावधान है और हम इस दिशा में क्रियाशील हैं कि पूरे प्रदेश में नरेगा के माध्यम से 15-17 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास विषय बह्त स्पष्ट है। किसी के मन में चिंता थी। माननीय सदस्य महोदया यह कह रही थी कि केन्द्र की सरकार से राशि नहीं आई। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं। इससे पहले केन्द्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी का भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम पर लिखा हुआ पत्र है। अभी वर्तमान में केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह जी का भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम पर लिखा ह्आ पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने 6 लाख आवास ले लें, क्योंकि वर्ष 2022 तक इसको समाप्त करना था और एक साथ 6 लाख आवास देने की आवश्यकता थी। विगत 4-5 सालों से क्छ नहीं लिया गया था। इस बात को कहा गया था और इस बात का प्रमाण केवल केन्द्र से लिखे गये पत्र ही नहीं हैं, यहां राज्य में केबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने स्वयं इस बात को पत्र में लिखा है कि मैंने 8 लाख आवास को लेने के लिए बार-बार आग्रह किया, परंत् उस पर आगे कोई बात नहीं बढ़ सकी और इसलिए मैं अपने इस दायित्व का त्याग करता हूं। उन्होंने अपना मंत्री पद नहीं त्यागा था, बल्कि उन्होंने अपना एक विभाग त्याग दिया था। वह बातें बहुत स्पष्ट हैं कि कहां से रूका हुआ था और क्या हुआ था। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 2023-2024 में एक अनुपूरक बजट आया, जिसमें 3,799 करोड़ रूपये और दूसरे और तीसरे अन्पूरक बजट में 38 करोड़ रूपये और इस बार वर्ष 2024-2025 में जो बजट आया है, उसमें 8,369 करोड़ रूपये अर्थात् 12,206 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री आवास के लिए विष्णु देव जी की सरकार बनने के बाद प्रावधानित किये गये हैं। इस तरीके से वर्ष 2011 की स्थाई प्रतीक्षा सूची, वर्ष 2016 की आवास प्लस की सूची और अन्य जो 47090 आवास हैं, जिसको पिछले सर्वे के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिस अकेले विषय पर फिजिकल वेरीफिकेशन कराया गया था और उसको लिया गया है, वह 47090 आवास, जिसको पुरानी सरकार ने पहला किश्त दिया था, उसके भी सारे किश्त पहुंच जाएं । वह गरीब का आवास है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए । इसके लिए भी प्रावधान किया गया है और 2,46,215 आवास निर्माणाधीन हैं । इस तरीके से 18,12,743 आवास को बनाने का संकल्प लिया गया है । (मेजों की थपथपाहट) विगत सरकार में भी इस बात की आवश्यकता थी कि इस संकल्प को लिया जाये, संकल्प को पारित करके दिल्ली भेजा जाये, वहां बजट के प्रावधान को बताया जाये, फिर उसके बाद केन्द्र से पैसा आ जाएगा, परन्तु वह नहीं किया गया था । मैं ग्रामीण आवास विभाग के हिसाब से यह बताना चाहता हूं कि जो 47090 हैं, उसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इन सारे आंकड़ों से अतिरिक्त पी.एम. जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत 14818 आवास भी बनने के लिए तैयार है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत संचालनालय के बजट के आकार में भी 9.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कितने जनपद हैं, कितने जिला हैं, उन विषयों पर मैं नहीं कहना चाहता, पर इस विषय पर जरूर कहना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना प्रदेश में प्रारंभ हुई है । माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने इस बात की घोषणा की है । उसके फार्म भरवाये जा रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है । महतारी वंदन योजना में फार्म 6 बजे बंद कर दिया जाएगा तो उसमें समय वृद्धि की घोषणा कर देंगे तो बह्त कृपा होगी ।

श्री गजेन्द्र यादव :- जो आफ लाईन फार्म भरेंगे, उसको ऑनलाईन वर्चुअल करेंगे तो वह पोर्टल में एक दिन बढेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- एक दिन के का बात है, जतने फार्म आवथे, ओतके बढ़न दौ भई । श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक दिन को एक सप्ताह कर दीजिए, सर्वर डाऊन रहता है । श्री गजेन्द्र यादव :- सर्वर के कारण ही एक दिन बढ़ाया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपकी सरकार का सर्वर तो वैसे ही डाऊन था । आप कल यह मत बोल दीजिए कि फिर छूट गए हैं । जितने लोगों का फार्म भरवाना है, आज हांका पारकर सब भरवा दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वर डाऊन की बात मोहले जी के सामने मत करिए, वे 24/7 एक्टिव आदमी हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी सदन एक ऐसी आवश्यकता थी, जिसको सबने महसूस किया होगा । जब भी हम गांव में जाते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि गांव में जाते हैं तो माताएं बहिनें इस बात को जरूर कहती हैं कि हमर उठे बइठे बर जगह नहीं हे । ये बात हमेशा सामने आती थी तो जो ग्राम संगठन है, वह ग्राम संगठन एक जगह बैठ जाएं, अपनी चिन्ता करें, विचार करें

और किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस बात पर चर्चा करें, इसके लिए सभी 11 हजार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के उठने-बैठने के लिए एक अलग महतारी सदन बनाया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि गांव का भी एक मास्टर प्लान बनना चाहिए तो 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो भी गांव हैं, उन सभी गांव का मास्टर प्लान बनाया जाएगा (मेजों की थपथपाहट) मास्टर प्लान बनाकर गांव के पंचायत को सौंपा जाएगा । उसको किस तरह से लागू करना है, कितना रिलैक्स करना है, नहीं करना है, यह पंचायत का निर्णय होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय हैं जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें पंचायत के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आदि विषय हैं । मैं विशेष रूप से इस बात की पुन: घोषणा करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी योजना, जिसके अंतर्गत मैं भी एक बार यहां आया था, वह है-हमर छत्तीसगढ़ योजना । हमर छत्तीसगढ़ योजना को फिर से प्रारंभ करके पूरे प्रदेश के कोने-कोने से जनप्रतिनिधियों को राजधानी में लाकर पूरी राजधानी को दिखाया जाना, पूरे विषय को बताया जाएगा, इस बात को फिर से प्रारंभ किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा है कि इन्होंने तो किसी को पावर नहीं दिया था। चना है तो दांत नहीं, दांत है तो चना नहीं । इन्होंने ऐसा वाला पावर दिया था । मंत्री जी, आप विचार कर लीजिए और जिला पंचायत के अध्यक्षों का पावर बढ़ा दीजिएगा।

श्री विजय शर्मा :- जी ।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी सदन के संबंध में मैं भी एक मांग रखना चाहूंगा । बहुत सारे आश्रित ग्राम हैं, वहां भी महिलाएं रहती हैं । अगर उनके लिए भी महतारी सदन की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा है ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण के विषय पर ढाई गुना बजट बढ़ा है। पिछली बार यह 30 करोड़ था, अब इस बार 80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मूलभूत की राशि, जिला पंचायत विकास निधि, जनपद पंचायत विकास निधि, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय और 15वें वित्त, इन सारे विषयों पर पर्याप्त प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- चन्द्राकर जी, आप conversion के बारे में थोड़ा भी चर्चा नहीं है। कैसे चुप बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे conversion में चर्चा मत हो तो मत हो। इनका (श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य) conversion हो जाये तो काफी है। माननीय मंत्री conversion में भैय्या लाल जी का भी नाम शामिल कर लीजिये, पुन्नूलाल जी, भईया लाल जी को शामिल कर लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं सबकी तरफ से भईया लाल जी से आग्रह कर रहा हूं कि अभी तक दो-चार विभाग बचे हैं। आपका एक क्रान्तिकारी भाषण हो जाये, एक बार यहां से भाषण दिए थे, वैसा भाषण सुनने को नहीं मिला है। कल आप राम विचार नेताम जी के विभाग में बोल दीजिये।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- चिलये, समय आयेगा तो बोलेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अभी क्छ बोल दो।

- श्री भईयालाल राजवाड़े :- अभी क्या बोलूंगा ?
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्छ conversion कर दो।
- श्री धर्मजीत सिंह :- आजकल आपकी आवाज ही नहीं सुन रहे हैं। विधानसभा में 10 दिन हो गया।
 - श्री भईयालाल राजवाड़े :- इंतजार कीजिये। फिर बढ़िया स्नायेंगे।
 - श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी उनके लिए घूमकर आईये, तब conversion होगा।
- श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, पुन्नूलाल जी के जीतने का मतलब उनके क्षेत्र में पूरा conversion ही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चना है तो दांत नहीं, इनके ऊपर लागू नहीं होता है और ना भईया लाल जी के ऊपर लागू होता है। तो conversion कर दो तो फिर देखो। क्यों भाई ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय में आगे बढ़ते हुए एस.आर.एल.एम. के सन्दर्भ में बहुत सारी बातें की हैं। कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, जो पहले ही प्रतिवेदन में दिया जा चुका है और बजट के प्रावधानों में भी स्पष्ट है। तो उन तथ्यात्मक विषय पर ना जाकर स्वच्छ भारत मिशन जो एक अभियान है, उसमें भी व्यक्तिगत शौचालय के लिए भी प्रावधान है। एक लाख शौचालय बनाय जा सकते हैं, अगर किसी को दिया जाना है तो पूरे सदन के सदस्य इसका उपयोग कर सकते हैं। 2,893 ऐसे सामुदायिक शौचालय भी बनाये जा रहे हैं। गृह विभाग के सम्बन्ध में एक और चर्चा आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि थानों में शौचालय नहीं है। तो थानों में प्रत्येक थाने के साथ सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। वहां पर भी आवश्यकता है तो थाने के साथ सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो जो सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं, उसके माध्यम से थाने की वह आवश्यकता पूरी हो जायेगी, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हं।

अध्यक्ष महोदय, बायो गैस प्लाण्ट लगाना, प्लास्टिक मैनेजमेंट का यूनिट करना, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन आदि-आदि है। इन सारी बातों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान बजट में हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए भी 35 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में भी हुई है। पहले 11 सौ करोड़ का प्रावधान था, अभी 1491 करोड़ रूपये का प्रावधान है। पी.एम. जनमन के माध्यम से हमारे 476 बसाहटों, जिसमें primitive tribes रहते हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनके 476 बसाहटों को

जोड़ने के लिए 398 सड़कें हैं, जिनकी लंबाई 1464 किलोमीटर की है, वह 1046 करोड़ रूपये प्रावधानित है। बनने के लिए तैयार भी हो गये हैं, कुछ श्रू भी हो गये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, म्ख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी और गौरव...।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जनमन योजना में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन रहे हैं, उसमें वन विभाग की अनुमित नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कई सड़क पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सारी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति मिली है, माननीय मंत्री जी, उसमें भी नहीं हो पा रहा है।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा, उसका पूरा ध्यान करता हूं। मैं पूछता हूं कि कहां क्या हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे रिक्त पद हैं, जिसको भी इस बार भरे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ग्रामीण आवास योजना के लिए विकास आयुक्त कार्यालय, पंचायत संचालनालय, राष्ट्रीय ग्राम सुराज अभियान कार्यालय, स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय के लिए ऐसे 1801 रिक्त पद हैं, वे भी भरे जा रहे हैं। अभी नये पदों का भी सृजन हुआ है, वह 1824 पद हैं। इन नये पदों के सृजन के उपरांत इनको भी भरने की प्रक्रिया की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत विभाग के साथ-साथ एक और विषय रह जाता है, उसक आपके समक्ष लाना है, वह है तकनीकी शिक्षा और रोजगार। मैं इस विषय को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। विशेष रूप से बिलासपुर-कोनी के लिए बात आई थी। उसके बारे में माननीय धर्मजीत सिंह जी और माननीय सुशांत शुक्ला द्वारा जी आई.टी.आई. के सन्दर्भ में बताया गया। तो मैं खुद भी उसको देखने जाऊंगा। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 18 लाख का प्रावधान उसी के लिये बजट में अभी भी है। नौकरी के लिये जो रोजगार कार्यालय हैं, वह रोजगार कार्यालय स्थूल न हो, वहां फार्म भरने की जरूरत न हो, कम्प्यूटर द्वारा फार्म भरने की जरूरत न पड़े, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार एप्लीकेशन, यह शीघ्र ही सबके सामने आ जायेगा, सभी के मोबाईल पर आ जायेगा और वह अपना पंजीयन खुद करा पायेंगे, अपना डाक्यूमेंट खुद अपलोड कर पायेंगे, अपना फोटो अपलोड कर पायेंगे और एलिजीबिलिटी के आधार पर सारी बातें नोटिफिकेशन में भी आयेगी और एप्लीकेशन के टेक्सट मैसेज के थू आयेंगे, इसके अतिरिक्त एक मांग और थी कि उनको कॉल भी किया जाये। इसमें एक टेली कॉलिंग सेंटर की व्यवस्था करके फोन के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी जायेगी कि आपकी ऐलिजीबिलीटी के आधार पर यह नौकरी सामने आई है और आप इसमें पार्टिसिपेट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विषय ऐसा आ गया है कि रोजगार की बात करनी होगी, भत्ते के भरोसे काम नहीं चल सकता है, घोषणा पत्र के परिपालन में

हम लोगों ने सी.जी.आई.टी., जिस तरह से आई.टी.आई. के तर्ज पर सभी लोक सभा क्षेत्रों में एक आई.आई.टी. देना है, इसका प्रावधान ह्आ था, इसमें 5 सी.जी.आई.टी. का प्रारंभ इसी सत्र से किया जाना है, उसके लिये प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, प्रायवेट और गवर्नमेंट मिलाकर पूरे प्रदेश में 310 आई.टी.आई. है, 197 शासकीय है, उसमें से 160 के उन्नयन के लिये 52.59 करोड़ का प्रावधान है । 105 आई.टी.आई. हैं, वह स्टेट काऊंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एस.सी.वी.टी. है, उसे एन.सी.वी.टी. बनाना है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह होगा कि जब तक एस.सी.वी.टी.सर्टिफिकेशन का होगा, तब तक जो छत्तीसगढ़ में निकलकर स्किल डेवलपमेंट हुआ है, वह बच्चे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पार्टिसिपेट कर पायेंगे । जब इनका एन.सी.वी.टी. का सर्टिफिकेशन हो जायेगा, वही बच्चे पूरे भारत में पार्टिसिपेट कर पायेंगे, इसलिये इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि 105 आई.टी.आई. को निर्धारित किया गया कि अब एस.सी.वी.टी. से एन.सी.वी.टी. तक जायेंगे और उसके लिये जो भी प्रावधान करने होंगे, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये जो भी खर्च करने होंगे, सब कुछ किया जायेगा । 100 नये ट्रेड की लिस्टिंग की गई है और उसके लिये आई.टी.आई. में 10 नये ट्रेड श्रू किये गये हैं, इसमें थ्री डी प्रिंटिंग है, ड्रोन टेक्निशियन का काम है, मैन्फैक्चरिंग टेक्निशियन का काम है, असिस्टेंट टेक्नीशियन का ट्रेड है, ड्राई वॉल और फॉल सिलिंग के लिये मैन्फैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एवं आटोमेशन का काम है, मेकेनिक ऑटोबॉडी पेंटिंग का है, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का है । इस तरह 10 नये तरह के ट्रेड प्रारंभ किये गये हैं, जो आज के बाजार के लिये आवश्यक है । आज की आवश्यकताओं के आधार पर नवजवानों को उसमें एन्गेज करके प्रशिक्षण देकर उसे रोजगार से जोड़ा जाये, इस बात की आवश्यकता है । इस 10 नये ट्रेडों को शुरू करने के लिये 52 पदों का मृजन भी किया गया है और उसकी भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृह मंत्री महोदय, मैंने आपको नये ट्रेड खोलने के लिये बॉयलर अटेंडेंट और मिल ड्रायवर के बारे में बात की थी । जो मिल ड्रायवर के कोर्स हैं, उसमें इक्विपमेंट आज तक नहीं खरीदे गये, एक ही जगह शुरू हो पाया।इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे तो आपको शायद फीडबैक मिला होगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन चर्चा में यह बात आई थी, चूंकि इसमें पदों का सृजन करना है, काफी आगे तक की कार्यवाही करनी है, इसिलये तुरंत में इसको शुरू न करके मैं आपसे मार्गदर्शन लेकर अगले अनुपूरक बजट तक जब भी होगा, आगे बढ़ा देंगे । अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर जैसे स्थान है, वहीं पर अबूझमाड़ का क्षेत्र लगा हुआ है, नारायणपुर में जो रामकृष्ण मिशन की जो संस्था है, हम सब उसको जानते हैं । अनेक वर्षों से वहां पर कुछ भी नहीं हो पाया था । मैं वहां पर सब से जाकर मिला हूँ, वहां पर 8 पदों का सृजन किया गया है, जो कि वहां की आवश्यकता थी । वह शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्थान हैं, उनके सभागार हेतु 90 लाख का प्रावधान भी किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, 59 नये आई.टी.आई. में नये उपकरणों के लिये 33 करोड़ रूपये है और मैं विशेष रूप से एक बात जो आपको कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की अधोसंरचना के लिये 16 करोड़ रूपये, सी.एस.वी.टी.यू. के लिये 20 करोड़ रूपये एवं व्यापम को 25 करोड़ रूपये विभिन्न एग्जाम के लिये दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमें रोजगार से नौजवानों को जोड़ना है और इसलिये यह जरूरी है कि अभी जो अग्निवीर वायु परीक्षा हो रही है, इसमें पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है और मैं बड़े हर्ष के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि कभी-भी यह पंजीयन 2200 से अधिक नहीं गया परंत् इस बार पूरी कोशिश की गयी कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक युवा इसमें पंजीयन करायें और इस बार अग्निवीर वाय् में 4181 लोगों ने पंजीयन कराया है (मेजों की थपथपाहट)। हमारे प्रदेश में किसी भी एक वर्ष में जो पंजीयन ह्आ था, इस बार उसका डबल पंजीयन हुआ है। इसमें इनका कम्प्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होना है। अब रिटन टेस्ट के लिये उन बच्चों को ऐसी छोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि यह जो 4181 बच्चे हैं, जिन्होंने पंजीयन कराया है, इनकी ट्रेनिंग के लिये प्रदेश में एक ट्रेनिंग का ग्र्प ब्लाकर उनको ट्रेन करके फिर जिलों में एक ट्रेनिंग कैंप लगाकर इनका जो कम्प्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होना है, उसके लिये तैयार किया जा रहा है। अर्थात् सभी जिलों में इनको असिस्टेंस दिया जायेगा। यह जितने भी लोग हैं, जो अग्निवीर वायु में पंजीयन कराना चाहते हैं, अगले चरण में इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। दूसरा, एक अग्निवीर थलसेना है, इसके लिये 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक पंजीयन की प्रकिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षा होगी, इसमें एक विशेष उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इन तीन जिलों में ही इसके परीक्षा केंद्र हुआ करते थे परंतु अब से इसके एग्जाम का केंद्र जगदलपुर भी होगा और आने वाले अगले वर्ष में सरग्जा में भी एक एग्जाम केंद्र प्रारंभ होगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि सरकार का कोई भी विभाग यदि कोई बड़ा निर्माण कार्य कराना चाहता है और उस बड़े निर्माण कार्य की सेटेलाईट से फोटोग्राफी कराना चाहता है, सेटेलाईट ईमेजनरी कराना चाहता है तो प्रत्येक पांच दिन में सेटेलाईट से उस प्रोजेक्ट की फोटो खींचकर विभाग को भेजी जा सकती है। यहां पर यह व्यवस्था खड़ी हुई है। इसके लिये सबकुछ तैयार है। sentinel- 2a&b, यह देश के दो उपग्रह हैं, जिसके माध्यम से यह काम किया जा सकता है। कोई भी 5 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर का काम हो, जिसको ऊपर से देखा जाना हो तो वह सेटेलाईड इमेज के माध्यम से हर पांच दिन में अपडेटेशन करके देखा जा सकता है। इसके माध्यम से उसका काम कितना आगे बढ़ा है, यह देखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, रायपुर में जो साईंस सिटी की स्थापना हुई है, उसके लिये बजट का प्रावधन है। विशेष रूप से अभी 34 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आप जिसे साईंस सिटी बना रहे हैं, उसे माननीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में रिजनल साईंस सेंटर बनाया गया था। आप उसको साईंस सिटी बनाने की घोषणा कर दीजिये। वह बजट में है कि उसको अहमदाबाद और कलकत्ता की तर्ज पर साईंस सिटी बनाया जायेगा।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, मैं उसी पर कहना चाह रहा हूं कि अभी तक देश में सिर्फ तीन स्थानों पर साईंस सिटी है, अब चौथा नया स्थान हमारा रायपुर होगा, (मेजों की थपथपाहट) जहां पर साईंस सिटी की स्थापना की जायेगी। इसके लिये बजट में 34.9 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा चुका है। यह काम बड़े बजट का है परंतु अभी इसे प्रारंभ करने के लिये 34.9 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वह क्षेत्र जिला सूरजपुर, तहसील प्रतापपुर, ग्राम मायापुर है। जो जीरो नॉन शेडो डे होता है, उसमें एक एस्ट्रो पार्क बनना है, उसके लिये 02 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जहां विद्यार्थियों के नवाचार के लिये इनोवेशन किया जा सकता है, वह सेंटर बनकर तैयार है। यह सी.जी. रीजनल साईंस सेंटर सड्डू में स्थित है। मैं माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय अपनी बात कहकर फिर सुनते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि रायपुर के सड्डू में जो रीजनल साईंस सेंटर है, वहां पर साईंस की अच्छी गैलरी है, थ्री-डी थियेटर है, तारामंडल है, यह दर्शनीय स्थल है, यह पास में ही है। आप यहां सदन में एक महीने का समय बिताते हैं, मेरा माननीय सदस्यों से छोटा-सा निवेदन है कि जब भी समय मिले तो एक बार वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। वहां सबका उत्साहवर्धन होगा, वह बहुत अच्छी जगह है, वहां बहुत अच्छा काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसी नौजवान ने एक इनोवेशन किया। उसने एक नये ढंग का प्रोडक्ट बना लिया और उसे उसको पेटेंट कराना है या उसने एक प्रोसेस खोजा है और उस प्रोसेस को पेटेंट कराना है तो वह कहां पेटेंट कराएगा। वास्तव में यह भी वही जगह है जहां पर उसको पेटेंट कराने के लिए आवेदन देना होता है। आने वाले समय में हम लोग एक नंबर जारी करने वाले हैं एक मोबाईल नंबर होगा जिस पर फोन करके, वहां वह संपर्क कर सकते हैं। वह पूरी जानकारी लेकर, अपने पेटेंट कराने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहां पर यह भी प्रारंभ होगा। 12 विज्ञान केन्द्र, जो विज्ञान के लोकव्यापीकरण आदि-आदि के लिए किये जा रहे हैं। मैं इन सारी बातों के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सदन से अनुरोध है कि विभागों की मांग संख्या- 3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 पर अनुदान की मांगों की राशि को सर्वसम्मित से स्वीकृत करने का कष्ट करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या -3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि :- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

- मांग संख्या 3 पुलिस के लिए सात हजार चार सौ छत्तीस करोड़, तिहत्तर लाख, तीस हजार रूपये
- मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक सौ इकतीस करोड़, सड़सठ लाख, सताईस हजार रूपये,
- मांग संख्या 5 जेल के लिए दो सौ अड़तीस करोड़, पचहत्तर लाख, सत्तानवे हजार रूपये
- मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए सात हजार सात सौ बयासी करोड़, सत्रह लाख, इकतीस हजार रूपये
- मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए चार हजार छिहत्तर करोड़, बासठ लाख, तेईस हजार रूपये,
- मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए साठ करोड़, बीस लाख तथा
- मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए चार सौ तैंतीस करोड़, उन्नीस लाख, सत्ताईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयाल दास बघेल):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए - तीन हजार तैंतीस करोड़, अड़तालीस लाख, अठासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत ह्आ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितिरत की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमित देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 39

खादय,	नागरिक	<u>5 आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभाग</u>	<u>से</u>	<u>सर्बाधित</u>	टय
	1.	डॉ. चरणदास महंत	5		
	2.	श्री लखेश्वर बघेल	5		
	3.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1		
	4.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	2		
	5.	श्रीमती अंबिका मरकाम	2		
	6.	श्री कुंवर सिंह निषाद	3		
	7.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	4		

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों पर कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री उमेश पटेल।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य विभाग की मांग संख्या 39 पर चर्चा के लिए खड़ा हूं। माननीय अजय चन्द्राकर जी, खाद्य विभाग में बजट प्रावधान 6427 करोड़ रुपये किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, क्या है कि उधर तो सिर्फ नाम मिटाये हो। खाद्य में जो भ्रष्टाचार हुए हैं न, आप उसमें जांच की मांग कर दीजिए, सामने वाले का नामोनिशान मिट जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- आप टेंशन मत लीजिए, सबका नाम ऐसे ही पुतवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल का जो बजट अनुमान है, 6427 करोड़ रुपये का है। माननीय मंत्री जी इस साल तो बजट बढ़ा है और बजट कितना बढ़ा है, जो अनुमान लगाया गया है, उससे 22 प्रतिशत ज्यादा का बजट बढ़ा है। आपके विभाग के बजट में कटौती की गई है। पिछले साल 6464 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था और इस बार 6428 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। अगर टोटल बजट का प्रतिशत देखेंगे, खाद्य विभाग को जो बजट मिला है, वह इस साल के बजट अनुमान में 4.37 प्रतिशत है। इतना ही बजट लगभग पिछली बार अनुमानित था और खर्च हुआ। अगर उसका प्रतिशत निकालेंगे तो वह लगभग 6 प्रतिशत के आसपास होता है, आपका डेढ़ प्रतिशत बजट कम हुआ है। अब यह डेढ़

प्रतिशत बजट कम होने का क्या कारण है ? क्यों आपके विभाग का बजट इतना कम हुआ ? आपके विभाग की जितनी सारी योजनायें चल रही हैं वह तो पूर्ववर्ती सरकार से चल रही है। कोई नई योजना जुड़ी नहीं है। इसमें जो खर्च लगेगा वह तो लगेगा ही। इसमें आपने बजट कम करने का निकाला कहां है, मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने बजट कम कहां किया ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा प्रति एकड़ में 15 क्विंटल धान की खरीदी होती थी और आज 21 क्विंटल खरीदी की जा रही है, यह अंतर है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बोल रहा था। माननीय मंत्री जी, आपका बजट तो बढ़ना चाहिए था न, आपका बजट कम हो गया। बजट का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि टोटल बजट का आपको कितना प्रतिशत दिया गया है। आपको टोटल बजट का साढ़े 4 प्रतिशत दिया गया है। 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में से आपको सिर्फ 6 हजार करोड़ रुपये दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया था, उसमें भी आपके विभाग को 6467 करोड़ रुपये कुछ बजट आवंटित किया गया था। अगर आप वह निकालेंगे तो लगभग साढ़े 6 प्रतिशत के आसपास आ रहा है। उस हिसाब से देखेंगे तो इस बार के बजट में आपको डेढ़ प्रतिशत कम दिया गया है। मैं आपसे यह बताना चाह रहा था। आप बढ़ा दिये हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बजट उस अनुमान से नहीं बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को ही देख रहा था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन 3-4 लोग ही दिख रहे हैं।

सभापति महोदय :- सब आ गये। कृपया जारी रखिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो रहे थे, जब आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें कहा गया कि हम प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में सब्सिडी देंगे। आपके केन्द्रीय नेतृत्व ने भी यहां आकर कई बार कहा, आप लोगों ने भी खुद कहा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए बजट प्रावधान 3 हजार रुपये का है। माननीय मंत्री जी, आप 3 हजार रुपये में क्या करेंगे ?

समय :

5:00 बजे

यह आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें तो आपको लगभग 400 रूपये सब्सिडी देनी है तो आप 3000 रूपये में कहां सब्सिडी दे पायेंगे? कर लेंगे? 3000 हजार रूपये में हो जाएगा?

श्री दयालदास बघेल :- हाँ।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 21 क्विंटल में धान खरीदी किया है। आपने बिल्कुल 21 क्विंटल में धान खरीदी किया। पहले 20 क्विंटल की घोषणा थी, वह 21 क्विंटल हो गया और इसी तरह से आपने जो टोटल खरीदा है वह 145

करोड़ है। लेकिन आपने उस दिन प्रश्नोत्तरी में यह माना कि कुल पंजीकृत किसानों का बेचा गया रकबा कम हुआ है। रकबा कम हुआ है, यह आपने कहा था। आपके प्रश्नोत्तरी में उत्तर आया है पिछली बार 29.06 लाख हेक्टेयर धान बेचा गया। जहां तक मुझे याद है इस बार आपने कहा कि इस बार हमने 27.64 लाख हेक्टेयर बेचा है। मैं ठीक हूं न? नहीं? अगर मेरी बात आप सही करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं रूक जाता हूं।

श्री दयालदास बघेल :- मैंने उस दिन धान खरीदी के संबंध में कहा था कि जो बेचने वाले किसान 24.72 लाख है।

श्री उमेश पटेल :- नहीं। माननीय मंत्री, मैं फिर से वही चीज को बोल रहा हूं कि पंजीकृत किसानों के बेचे गये रकबा जो वर्ष 2022-23 में था, वह 29.06 लाख हेक्टेयर था, यह आपके उत्तर में आया है। मैं अपने से उत्तर नहीं बना रहा हूं।

समय :

5:02 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने भी कहा कि आप लोगों ने 15 क्विंटल के हिसाब से खरीदी किया है। अंतर तो है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, रकबा कम थोड़ी ह्आ है।

श्री दयालदास बघेल :- मैं बता रहा हूं। सुनिये न। हम लोग 21 क्विंटल में धान खरीदी किये हैं तो रकबा तो घटेगा न।

श्री रामकुमार यादव :- खेत तो ओतके रिही, मोर बबा गा। खेत हर कइसे कम होही?

श्री दयालदास बघेल :- हम लोग 21 क्विंटल में धान खरीदे हैं, आप लोग 15 क्विंटल में धान खरीदे हैं। अंतर तो है।

श्री उमेश पटेल :- रकबा तो उतना ही है। रकबा कैसे कम होगा? मंत्री जी, मेरे पास जो जमीन है, वह जमीन है।

श्री रामकुमार यादव :- खेत कइसे कम होही?

श्री उमेश पटेल :- खेत कम थोड़ी होगा। आपने दो लाख हेक्टेयर कम धान खरीदा। मंत्री जी, मेरा यह आरोप है आपने जो यह दो लाख हेक्टेयर रकबा कम किया है, इसको आपने साजिश करके कम कराया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपके अधिकारियों ने वह सारे हथकंडे अपनाये हैं, जिससे लोगों का धान बेचना कम हो गया। तहसीलदार धान खरीदी केन्द्रों में जाकर प्रबंधकों को बोलता है कि आप किसानों से समर्पण कराईये। एक-एक सोसाइटी में 25-25 हेक्टेयर कम होना चाहिए और जो 25 हेक्टेयर कम नहीं करा पाया, उसके लिए जांच करने के लिए भेजा गया।

यह पहला काम है। दूसरा काम, समर्पण कराया गया, उसमें आपके मुख्यमंत्री जी ने आदेश यह आदेश करवाया कि धान खरीदी के लिए चार दिन और ओपन होगा। लेकिन क्या वह चार दिनों में धान खरीदी हुई? नहीं हुई। आपके पोर्टल में यही कहा गया कि सर्वर डाउन है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? यही कहा गया कि सर्वर डाउन है। कई लोग वह चार दिनों में धान बेचने से वंचित रह गये। किसी तरह का धान खरीदी नहीं हुई। बालोद से यह शिकायत आई, जांजगीर-चांपा से शिकायत आई, रायगढ़ से शिकायत आई, सब जगह से यह शिकायतें आई कि हम लोग धान नहीं बेच पाये। सभापित महोदय, धान खरीदी में माननीय पुन्नूलाल मोहेल जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था। इनका प्रश्न उस दिन पूरा नहीं हो पाया। मोटा धान और पताला धान। आप मोटा धान और पतला धान आप खरीदी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोटा धान का समर्थन मूलय 2183 रूपये है और पतला धान का समर्थन मूल्य 2203 रूपये है।

श्री रामक्मार यादव :- एक तो ओला मंत्री भी नइ बनावा अउ ओला प्रश्न भी पूछन नइ देवौ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापित महोदय, अभी जैसा उमेश जी ने बताया िक सर्वर डाउन के कारण धान खरीदी नहीं हुई, जिसके कारण रकबा कम हुआ और जो महतारी वंदना योजना है, उसका आज फार्म भरने का आखिरी दिन है। सब जगह से फोन आ रहे हैं िक सर्वर डाउन है, जिस कारण से फार्म नहीं भर पा रहे हैं। उन्होंने सर्वर डाउन अच्छा तरीका निकाल ितया है। जब देखो तो सर्वर डाउन रहता है। इसके कारण न किसान धान बेच पा रहे हैं, न महतारी वंदन योजना में फार्म भर पा हरे हैं।

श्री रामक्मार यादव :- बैंक मा पैसा नइ रहय ता किसानों मन ला कइथे कि सर्वर डाउन है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, पिछली सरकार में जैसे ही फरवरी का महीना आये तो सर्वर डाऊन हो जाता था । इनका सर्वर काम ही नहीं करता था । उसी को याद करके बोल रहे हैं कि सर्वर डाऊन हो गया है । हमारे यहां सर्वर डाऊन कभी नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- भैया, अभी चलत हे । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अभी कुम्हारी से नगरपालिका अध्यक्ष का फोन आया है कि सर्वरडाऊन है, महिलायें बैठी हुई हैं । रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है तो उसको कम से कम चूंकि आप सत्तापक्ष से हैं । आप एक-बार मुख्यमंत्री जी को इसकी तारीख बढ़ाने के लिये थोड़ा बोलिये कि डेलीगेशन भेजना पड़ेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- धान का हम लोगों को लगा कि इसकी तारीख बढ़ानी है तो हम लोगों ने बिला बोले उसकी तारीख बढ़ायी । 4 फरवरी तक बढ़ाकर के धान की खरीदी की ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापित महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिये कुछ पत्रकार गये थे तो तय हुआ कि पहले डेलीगेशन आयेगा, जब मिलेगा और उसके बाद उसकी तारीख बढ़ाने की घोषणा करेंगे लेकिन हुआ क्या कि पत्रकार पहले आ गये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले डेलीगेशन आने दो फिर मुझे आवेदन देंगे तब मैं उसकी तारीख बढ़ाउंगा, तब उसकी घोषणा करूंगा, यह पत्रकारों को बोल

रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सहज हैं लेकिन क्या तारीख बढाने के लिये भी महिलाओं का डेलीगेशन भेज रहे हैं ?

श्री राजेश अग्रवाल :- महोदय, बिना डेलीगेशन के बढ़ा दिया है । आज के लिये तारीख बढ़ा दिये हैं, एक दिन बढ़ गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- एक दिन के लिये ?

श्री राजेश अग्रवाल :- जी ।

श्री रामक्मार यादव :- भारी करै हओ ।

सभापति महोदय :- चलिये, उमेश जी आगे बढिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापित महोदय, मैं धान खरीदी में बात कर रहा था तो इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाये जिससे धान खरीदी और किसानों को तकलीफ हो । माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने प्रश्न उठाया था जिसमें मोटा धान और पतले धान की बात थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- (श्री भूपेश बघेल, सदस्य के सदन से बाहर चले जाने पर) अउ कतेक बोलबे गा ? तोर बात ला स्निच नहीं, उठ के चल दिस ।

श्री उमेश पटेल :- तें तो हस न । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अब तें हा कतेक बोलबे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- उमेश भैया, आपकी बात आपके नेता लोगों को पसंद नहीं आयी इसलिये वे उठकर चले गये ।

श्री उमेश पटेल :- कोई बात नहीं, ये हैं न ।

सभापति महोदय :- चलिये, उनको बोलने दीजिये । टोका-टाकी न करें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपकी सरकार के समय सर्वरडाऊन था इसीलिये चले गये ।

सभापति महोदय :- प्न्नूलाल जी इनके बाद आपका ही है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापित महोदय, मोटा धान और पतला धान । चुनाव के समय इन्होंने खूब चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी चारमुश्त में पैसा देती है, हम एकमुश्त में देंगे । हम गांव-गांव में जाकर पैसा देंगे, हम पंचायतों में बैंकों का स्टॉल लगायेंगे और लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पडेगी, हम वहां पैसा देंगे । लेकिन क्या हो रहा है, अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है । आपने अन्पूरक बजट में प्रावधान कर दिया, आप दिलवा दीजिये । आप क्यों रूके हुए हैं ?

आप पैसे का प्रावधान करिये । कृषक उन्नत योजना के तहत् जब आपने अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है तो उसको करिये । लोग अपेक्स बैंक में भीड़ लगाकर रखे हैं । अपेक्स बैंक का आपका जो अधिकारी है वह कहता है कि हम इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, एक लिमिट कर दिया गया है । सहकारी बैंक में लिमिट कर दिया गया है कि हम इससे ज्यादा पैसा आपको

एक दिन में नहीं दे सकते, आप इसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते ? आपने लोगों से यह क्यों कहा कि हम गांव-गांव में पंडाल लगायेंगे और वहीं पैसा बंटवायेंगे । अब करने की बारी आयी तो आप कर नहीं रहे हैं । क्यों अग्रवाल जी, क्या यह गलत है ? क्या आपके यहां पैसा मिला ? (व्यवधान)

श्री राजेश अग्रवाल :- मिल रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- सेठ जी, आप धान ला जानथा काला कथें ? आप तो सेठ आदमी हओ, आप जानथओं कि नांगर काला किहथें ? (व्यवधान)

श्री राजेश अग्रवाल :- सौ एकड़ जमीन है । अपन हाथ ले नांगर जोतथओं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- नांगर जोतथे तेकर अइसनहे पेट नइ निकले रहय । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापित महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि अपेक्स बैंक में किसानों की भीड है तो अपेक्स बैंक में तो कभी किसान जाता नहीं है, सहकारी सोसायटी में जाता है । आप गलत बोल रहे हैं ।(व्यवधान) धान देने के लिये सोसायटी में जाते हैं, अपेक्स बैंक में कैसे जायेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- भैया, अपेक्स बैंक में जाता है । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापित महोदय, मेरे विधानसभा पामगढ़ में 21 दिसम्बर को धान बेचा गया लेकिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है । (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माटीतेल की लाईन लगती है उस टाईप से अभी तक किसानों की लाईन लगी है । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, 21 दिसम्बर को धान बेचा गया है उसका पैसा पामगढ़ विधानसभा में किसानों को अभी तक नहीं मिला है।

श्री उमेश पटेल :- सभापित महोदय, ऐसा है कि कई जगह सहकारी बैंक नहीं हैं । जैसे हमारे रायगढ़ में अपेक्स बैंक है उसको जरा आप समझ लीजिये तो सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक में लाईन लगी हुई हैं । वहां के मैनेजर कह रहे हैं कि हम 13,000 से अधिक पैसा आपको दे नहीं सकते । किसान कितनी बार पैसा निकालने के लिये जायेगा ? आप उसकी व्यवस्था कराईये । एकमुश्त देने की बात की थी, अभी तक आपका पैसा बंटा नहीं है, पंडाल लगाने की बात थी, पंडाल लगा नहीं है । आप किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? समर्थन मूल्य में आपको जो माननीय पुन्नूलाल जी ने पूछा उसे बार-बार भूल जा रहा हूं, इनका ये पूछना था कि मोटा धान और पतला धान। (हंसी) मोटा धान में जो समर्थन मूल्य है, वह 2183 का है और पतला धान है 2203 तो आप दोनों में 3100 रूपये देंगे या इस पतले धान में बढ़ाकर देंगे? यही पुन्नूलाल जी पूछना चाहते थे और वे पूछ नहीं पाये थे, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब भी समर्थन मूल्य बढ़ता था, उसके अनुपात में कुल धान की जो राशि थी

वह पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ाया। तो क्या आप 3100 रूपये तक ही सीमित रखेंगे या समर्थन मूल्य के बढ़ने पर या पतला धान की खरीदी पर आप समर्थन मूल्य को बढ़ायेंगे? टोटल मूल्य को बढ़ायेंगे? इसका भी जवाब आप मुझे दीजिएगा। मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या जब आती है, वह है सूखत की। सूखत एक बहुत बड़ी समस्या है और खासकर जो सोसाइटियों में धान उपार्जन करते हैं या प्रबंधक, जो धान का धान का समर्थन मूल्य में खरीदी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द यही होता है कि सूखत कितना आ जायेगा? हालांकि मेरे ख्याल से 1 परसेंट तक का सूखत मान्य है। सरकार इसे मान्य करती है। मंत्री जी, मैं गलत तो नहीं हूं? 1 परसेंट तक सूखत मान्य करती है, लेकिन उससे ऊपर का सूखत जितना दिन आपका उठाव डिले होगा, प्राकृतिक रूप से सूखत आना तय है और जितना सूखत आयेगा, उसके हिसाब से ही उस प्रबंधक के ऊपर उतना फाइन लगेगा। सभापति महोदय, इसको देखते ह्ए पिछली बार हमने ये जो मिलिंग चार्ज था, उसे 120 रूपये प्रति क्विंटल किया था और उसका असर यह हुआ कि पिछले 2 बार में बहुत तेज गति से उठाव हुआ। बहुत ही तेज गति से और तेज गति से उठाव होने के कारण क्या हुआ कि कोई भी धान में सूखत के कारण कमी आने नहीं दिया और उसमें बह्त कम हुआ, लेकिन इस बार मुझे जो देखने को मिल रहा है जो मैंने इस बार सोसाइटियों में जाकर देखा है तो सोसाइटियों में अभी भी धान पड़ा ह्आ है। सोसाइटियों में डी.ओ. कट रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन धान का उठाव उस तरह से नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इसे हमें स्धारने की जरूरत है। क्योंकि यह हमारा अन्न है और ये जितना कम होगा, जितनी इसमें कमी आयेगी, हमें ही उसे झेलना पड़ेगा। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगा था कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी, लेकिन अभी इन्होंने सूखत की क्षतिपूर्ति के लिए जो बजट प्रावधान किया है, वर्ष 2022-23 में 1200 करोड़ था। इस बार इन्होंने 1400 करोड़ से ऊपर का प्रावधान किया है। तो इसका मतलब, इसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप उसी तर्ज में चलने की कोशिश कर रहे हैं। उतना ही सूखत आयेगा। उतनी ही क्षतिपूर्ति आयेगी। उतना ही होगा। जबकि 120 हम लोगों ने जब किया था तो उसके बाद जो उठाव होना था, वह बह्त द्रुत गति से ह्आ था और बह्त अच्छे से ह्आ था। सभापति महोदय, आपका जो राइस मिलरों की प्रोत्साहन राशि है, वह दो साल का नहीं मिला है। उसे भी मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये राइस मिलरों का जो पैसा है, उसे आप जल्द से जल्द रिलीज करें, क्योंकि इसके कारण से कहीं पर भी जब एक गाड़ी है, जब गाड़ी चल रही है धान खरीदी एक बह्त बड़ा सिस्टम है और मैं इसे गाड़ी मानता हूं। इस गाड़ी का अगर कोई भी चक्का में हवा कम है तो वह गाड़ी सही से नहीं चलती है तो ये राइस मिल भी इसका अभिन्न अंग है, क्योंकि ये कस्टम मिलिंग आपको इन्हीं से करना है। तो इसलिए राइस मिलरों के पैसे को जल्द से जल्द आपको रिलीज करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। माननीय सभापति महोदय, आप पूरे प्रतिवेदन को देखिए। धरम भैया, प्रतिवेदन में कोई भी नई चीज नहीं है। वही है, जो पिछले साल चल रहा था।

श्री धरम लाल कौशिक :- का हे राइस मिल वाले मन ना 120 किहके तो होगे रिहसे पैसा पाइस नहीं ओहा इंतजार करथे कि कब देही करके अउ तुमन दिये नहीं अउ सरकार बदल गे, अउ तुमन पैसा नहीं दे हो।

श्री उमेश पटेल :- उसी को तो मैंने बोला । आपकी ही बात को पहले रखा था, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने कहा था 120 रूपए बढ़ाएंगे । उसके बाद उनसे ले लिया और उनको 120 रूपया मिला नहीं ।

श्री उमेश पटेल :- जो भी सिस्टम था, वह सिस्टम इतना बिट्या था । आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ गित से धान का उठाव हुआ था । इस बात को आप माने या न मानें, लेकिन यह तो सच्चाई है । इसी तरह से पीडीएस में राशन कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है । इसके कारण राशन कार्डधारियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं । अंगूठे का निशान नहीं आने के कारण बुजुर्गों ने किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया था । उसके कारण नवीनीकरण के चलते नॉमिनी का नाम हट गया । अब न तो उस बुजुर्ग का अंगूठा चल रहा है और न उसके नॉमिनी का अंगूठा चल रहा है । इस तरह की परेशानियां हैं। आप उसमें जो जांच कराना करा लें, आधार कार्ड जुड़वाना है तो जुड़वा लें लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जो हितग्राही हैं, राशनकार्डधारी हैं उनको किसी तरह की परेशानी न आए । नवीनीकरण जरूर हो, उसमें आपको जो भी बदलाव करना हो, फोटो बदलना है बदलें, लेकिन इसके साथ साथ हितग्राहियों को किसी तरह की परेशानी न हो इस बात का ध्यान दें । सभापित महोदय, हमारा जो पीडीएस है इसमें उचित मूल्य की दुकानों में कई जगह शक्कर वितरण की समस्या है । मैं आपको उन दुकानों का नाम लिखकर दूंगा और मेरी अपेक्षा है कि आप उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे क्योंकि यह सीधे हितग्राहियों से जुड़ा हुआ मामला है । इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापित महोदय, मैं, खाद्य विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा । मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 3800 करोड़ का प्रावधान है, महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड राइस के वितरण हेतु 209 करोड़ का प्रावधान किया गया है । शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़, गुड़ वितरण हेतु 81 करोड़, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय हेतु 400 करोड़ रूपए, रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु 139 करोड़ का प्रावधान है । उपभोक्ता संरक्षण अंशदान योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसका मैं समर्थन करता हूं । सभापित महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूर्व से लागू है । गरीब भाईयों की आर्थिक स्थिति की होगी रक्षा, उसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा । हमारी सरकार थी, उस समय डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012-13 में लागू हुआ । उस

समय की परिस्थितियां यह थीं कि जितने मजदूर थे वे खाने-कमाने के लिए दिल्ली, भोपाल, म्म्बई में जाते थे । उनको वहां कठिनाई होती थी, समय पर उनको राशन नहीं मिलता था, समय पर उनको भ्गतान नहीं होता था । लोग इससे परेशान थे और उन परिस्थितियों को देखते हुए गांवों में अधिकतर भुखमरी थी, लोग बीमार पड़ते थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती थी । बीमारी के कारण लोग काम भी नहीं कर सकते थे । इन परिस्थितियों को देखकर हमारी तत्कालीन सरकार ने खाद्यान्न स्रक्षा योजना लागू की । इसमें एक रूपए किलो में चावल देने की योजना बनी । एक रूपए में चावल के माध्यम से गरीबों का कल्याण ह्आ । आज की परिस्थिति में यदि मैं कहूं तो कितने लोगों को राशन दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अन्त्योदय राशन कार्ड परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो नि:श्ल्क चावल, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड को 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल, पात्रता निर्धारित की गयी है जबकि राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय कार्डधारी परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह नि:श्ल्क चावल देना तथा प्राथमिकता राशन कार्ड वाले एक सदस्य वाले को 10 किलो, दो सदस्य वाले को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले को 35 किलो और पांच से अधिक सदस्य वाले कार्ड पर 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से प्रतिमाह चावल नि:श्ल्क दिया जा रहा है। हमारी सरकार में 1 रूपए प्रति किलो चावल दिया जाता था, अब म्फ्त में चावल दिया जा रहा है। जो राशनधारी नहीं है स्स्त, उनको चावल मिल रहा है एकम्श्त। म्फ्त चावल देने से जो राशन कार्डधारी हैं, वह अब स्ख में हैं, उनको तत्काल चावल मिलता है, ऑनलाईन द्वारा मिलता है, साईन नहीं करना पड़ता। हमारे पूर्व वक्ता पटेल जी ने कहा कि राशन कार्डधारियों को समय पर अंगूठे का निशान नहीं मिलने से चावल नहीं मिल पा रहा है, साईन है, फोटो है, फोटो खींचा जाता है, अंगूठे के निशान से चावल दिया जाता है। अगर अंगूठे का निशान नहीं है तो जो दूसरे नॉमिनी हैं, उसके द्वारा दिया जाता है, अगर वह भी नहीं है तो पंचायत के द्वारा सरपंचों के माध्यम से या सचिव के माध्यम से तस्दीक करने पर उसे चावल प्राप्त होता है। प्रत्येक महीना के पहली 6 तारीख को बाजार में भी चावल देने की योजना है, बाजार उत्सव मनाते हैं। 7 तारीख को पूरे प्रदेश में एक ही दिन राशन दुकानदार के पास जाएगा। वह उत्सव है। उत्सव मतलब एक त्यौहार है। सरकार का कैसा है व्यवहार और चावल के लिए मना रहा है त्यौहार। उस दिन तत्काल वहीं चावल दे दिया जाता है, 2, 3, 4 दिन में वितरण हो जाता है। इस परिस्थिति में किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो एक शिकायत हेल्पलाईन नंबर 1800 233 6373 है। इन बातों को ध्यान रखिए। अगर हम प्लिस की हेल्पलाईन की बात करें। इसमें 112 प्लिस हेल्पलाईन नंबर है। अगर इनमें शिकायत करते हैं तो शिकायत का निराकरण होता है। दोनों के लिए हमारी सरकार जवाबदेह है। लोगों को राशन देना आवश्यक है। अगर मैं राशन कार्डधारियों की बात करूं, आज की स्थिति में अन्त्योदय परिवार के लिए पीला कार्ड लागू है। इसमें 14,99,275 परिवार हैं। प्राथमिकता वाले 52,80,767 परिवार हैं जिनका कार्ड लाल है। एकल निराश्रित 37,652

परिवार हैं, जिसका कार्ड स्लेटी है। नि:शक्तजन कार्ड 15,438 है, जिसका कार्ड काला है। सामान्य परिवार 8,77,033 है जिसका कार्ड सफेद है। सामान्य परिवार के लिए चावल की कीमत दस रूपये है। इस तरह पूरे प्रदेश में 77,10,165 राशनकार्ड जारी है। हमारे पूर्व वक्ता पटेल जी ने कहा कि राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड का नवीनीकरण हो रहा है। सरकार पूर्व में बनी थी, हमारी नयी सरकार है। उसका नवीनीकरण हो रहा है। अभी तक 3,75,000 नये कार्ड बने हैं। मैं कार्ड के परिवार की परिभाषा बता रहा हूं। कार्ड कैसे बनते हैं। परिवार में पति, पत्नी और उनके बच्चे का एक कार्ड बनता है। एक मुखिया है, उनके चार बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनके बहू बेटे आ गये हैं, अलग रहना चाहते हैं, अलग हो चुके हैं, इन परिस्थितियों में उनका कार्ड बनाना आवश्यक है। कोई बाहर चले गये हैं, किसी की मृत्य हो गयी है, नई शादी हुई है, नई बहू आ गयी है, इनका कार्ड कैसे बनेगा ? इनका कार्ड नवीनीकरण खाद्य सुरक्षा कानून में कार्ड बनना जरूरी है। हमारी पिछली सरकार थी, उस समय महिलाओं के नाम में कार्ड थे, प्रूषों के नाम में कार्ड क्यों नहीं है, उन सबको बताने की जरूरत नहीं है। प्रूष वर्ग उसको समय में किसी न किसी कारण से उठा देते हैं। महिला घर की जिम्मेदार है और महिलाओं को सशक्तिकरण में आगे बढ़ाना है, उन्हें सम्मान देना है, इसलिए महिला के नाम से राशनकार्ड बना है। इस तरह राशन कार्ड में अड़चन न आए। इतनी कठिनाईयों को दूर करने लिए राशनकार्ड महिला के नाम से बना है। इस तरह से बना है, इसी कारण से कहते हैं खाद्य स्रक्षा और उनके आर्थिक हितों की रक्षा, यह है - कानून खाद्य स्रक्षा। मेरी दूसरी बात धान खरीदी के संबंध में है। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए क्या काम किये? मैं धान के समर्थन मूल्य से शुरू करता हूं। किसान, उनको नहीं होना है परेशान। उनसे 3,100 रूपये के भाव से 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिया जा रहा है धान। अब किसान को नही होना है परेशान। हमारी सरकार बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेताओं और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दवारा गारंटी योजना लागू की गई। वह गारंटी क्या है? पिछले समय समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात चल रही थी। । इनकी सरकार में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान लिया जाता था। उसे बढ़ाकर अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान किया गया है। यह धान का समर्थन मूल्य 2,500 रूपये प्रति क्विंटल दे रहे थे, हम लोगों ने 3,100 रूपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की। हमारे माननीय मंत्री दयाल दास बघेल जी ने उस घोषणा का पूरा पालन किया। केबिनेट की बैठक में वह पास हुआ और पैसा देने की घोषणा लागू हुई। आप बोल रहे थे कि धान का समर्थन मूल्य क्या है? मेरा पूछने का उद्देश्य नहीं था। किसान के मोटे धान का समर्थन मूल्य 2,183 रूपये प्रति क्विंटल और पतले धान का समर्थन मूल्य 2,203 रूपये प्रति क्विंटल है। यह समर्थन मूल्य में खरीदी करने का नियम है। हमारी सरकार ने धान की खरीदी की है।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं किसानों के पंजीयन की बात करूं तो कुल कितने किसानों का पंजीयन हुआ? वर्ष 2023-2024 में 26 लाख, 63 हजार किसानों का पंजीयन हुआ। धान खरीदी केन्द्रों की क्या व्यवस्था है? कुल 2,739 धान खरीदी केन्द्र हैं। धान की खरीदी की अविध 1 दिसंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक थी। हमारी सरकार ने देखा कि किसान परेशान है और धान की खरीदी नहीं हो पा रही है पानी गिर गया तो उस परिस्थिति में किसान अपना धान नहीं ला पाये थे और उसे समय पर टोकन भी जारी हो चुका था, जिससे किसानों की संख्या बढ़ गई क्योंकि 3,100 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से धान लिया जाता है। किसानों की संख्या बढ़ गई और उनमें उत्साह बढ़ा, जिससे किसान एकसाथ जाना शुरू कर दिये। इस कारण से धान खरीदी में थोड़ी किनाई हुई और उसे 4 दिन के लिए बढ़ाया गया। 4 दिन बढ़ने से किसानों के पूरे धान को लिया गया। धान को किस लाइन से लिया गया? बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की गई। धान खरीदी के लिए पहली बार इसे लागू किया गया। टोकन सिस्टम ऑनलाइन, किसी को नहीं करना पड़ेगा साइन और धान लेते थे - ऑनलाइन और किसी का नहीं हुआ फाइन। यह धान लिया गया ऑनलाइन। इसके माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था हुई।

माननीय सभापित महोदय, बारदाने और कांटे की पर्याप्त व्यवस्था की गई। यदि हम पिछली सरकार की बात करे तो वह सरकार न समय पर बारदाने दे सकी, न समय पर कांटा दे सकी और आधुनिक कांटा भी नहीं लगा सकी।

श्री रामकुमार यादव :- ऐ बबा, ए दारी तुंहर सरकार बने ले बहुत होथे अगवाह अऊ तुंहर धान खरीदी में कट गेहे हमर मन के रकबा।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, इनके बाद आपका नंबर है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापित महोदय, किसान का कोई रकबा नहीं घटा। बात सिर्फ इतनी है कि किसान से धान खरीदी की गई। किसान ने शिकायत नहीं की, लेकिन आप इसकी शिकायत कर रहे हैं। किसका रकबा कटा है, उसकी जांच हो जाएगी और उसपर अभी कार्रवाई हो जाएगी। बात ही बात में कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि मैं धान खरीदी की मात्रा की बात करूं तो मोदी की गारंटी में प्रति एकइ 21 क्विंटल धान 3,100 रूपये के भाव में लिया गया। पर धान कैसे खरीदा गया? धान खरीदी में रिकॉर्ड धान खरीदी की गई कि 1 लाख, 44 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। कितने किसानों ने धान बेचा? कुल 24 लाख, 72 हजार किसानों ने धान बेचा। किसानों ने इतना धान बेचा है। 4 दिन अभी टाइम है, उसके बाद कौन सा आपका टाइम है, आपका बेटाइम है। आप उस समय धान खरीदने के लिए जाते। आप विधायक हैं, आप वहां पर बोलते। ऑनलाइन था, पुलिस का हेल्पलाइन था, किसानों की शिकायत का भी हेल्पलाइन था। क्या आप लोगों ने इस बात को कहा? क्या आप वहां पर खरीदी केन्द्र और पेमेन्ट केन्द्र में गये? क्या आपने वितरण केन्द्र में देखा ? यह सिर्फ कहने की बात है। कहां-कहां पर शिकायत का निराकरण हुआ? यह शिकायत की लिस्ट है कि 2,800 शिकायतकर्ताओं का निराकरण हुआ। ऐसा नहीं है कि निराकरण नहीं हुआ। मैं

आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर भी कार्रवाई हुई। चेक पोस्ट स्थापित थे, उसमें 220 लोगों का निराकरण हुआ। विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इस तरह से धान के अवैध भण्डारण, परिवहन संबंधी निर्मित प्रकरण की संख्या में 870 लोगों की कार्रवाई की गई और उनका भी निराकरण हुआ। इस तरह से धान की खरीदी हुई। किसान को नहीं है परेशानी, विपक्ष है परेशान। किसान की समस्या सरकार कर रही थी आसान।धान की खरीदी इस तरह हुई। किसान को नहीं है परेशानी, विपक्ष है परेशानी, विपक्ष है परेशानी, विपक्ष है परेशान किसान की समस्या सरकार कर रही थी आसान।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल जी, थोड़ा जल्दी समाप्त करिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं पहला वक्ता हूं ।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम 4 के उपपद (2) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री विक्रम मण्डावी :- मोहले जी, किसानों को अभी तक 31 सौ रूपए का रेट नहीं मिला है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मिल जाएगा । अभी बजट पास हो रहा है, आप देख रहे हैं । इसी कारण तो आप आये हो । मिलेगा, फिक्र क्यों करते हो ? सभापित महोदय, समर्थन मूल्य में उनके पूरे धान का पैसा दे दिया गया है, अब जो अतिरिक्त है, वह भी मिलेगा, फिक्र क्यों करते हो ? आपने खजाना खाली कर दिया। घोषणा हुई है, अब खजाना आएगा । सब मिलेगा, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय, धान का जो खरीदी केन्द्र है और सहकारी समिति है, उनका धान खरीदेंगे तो कहां से पैसा पाएंगे ? इसके लिए उसको कमीशन दिया जाता है । अगर मोटा धान है तो 31.25 रूपये और पतला धान में 32 रूपए, इस तरह से कमीशन मिलता है । कमीशन से उनका हौसला बढ़ता है और जब तक कमीशन नहीं पाएगा तो कैसे खरीदी करेगा । उनको ताकत मिलती है, वह जाता है और वह सही ढंग से खरीदता है । खरीदी केन्द्र में सरकार की बढ़ी है पोजीशन और पतला धान में 3200 दिया जाता है और मिलिंग में आपकी सरकार ने 120 रूपए तो दे दिया । आपकी सरकार ने मोटे धान का 10 रूपए और पतले धान का 20 रूपए दिया जाता था, पर आपने डायरेक्ट 120 रूपए बढ़ा दिए । बढ़ाने के बाद क्या हाल हुआ ? आप समय में धान नहीं खरीद पाये और मिलर भी परेशान हुए । आपके ही पटेल जी ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में मिलरों का पैसा भी नहीं मिला है । यह लज्जाजनक है और धांधली भी हुई है, चांवल खरीदी में घोटाले भी हुए हैं । चांवल के वितरण में 5 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है । उसकी जांच के लिए विशेष दल बना है, मैं इस कारण कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार में

इन्होंने किया - भुगतान के बाद काम किए हैं उटपुटांग ।कहते हैं भाजपा की सरकार दे मिलरों का भगतान। ये खुद हैं परेशान और सरकार करेगी हर काम को आसान, नहीं होना है आपको परेशान।

सभापति महोदय, कस्टम मिलिंग के बारे में आपको बता दूं। कस्टम मिलिंग कितने का हुआ ? अभी तक 111.57 टन क्विंटल धान का उठाव अभी तक हो चुका है । 77 प्रतिशत धान का उठाव किया जा चुका है । मिलर के द्वारा 110.3 लाख टन तथा परिवहनकर्ता के द्वारा 1.54 लाख टन धान का उठाव किया जा च्का है । अब उठाव करने के बाद कितना धान बचा ? अगर 145 लाख मीट्रिक टन धान लिए, वैसे 144.92 लाख टन धान लिया गया है तो हम बात करें कि वह उठाव के लिए बह्त कम बचा है, अभी समय है । अभी सिर्फ एक महीना धान लिए हुआ है, जल्द ही एक, दो महीने में बचे ह्ए धान का भी उठाव हो जाएगा । इससे बचत होगी । इन्होंने कहा कि इतनी राशि बजट में क्यों रखी गई है, किसके लिए रखा गया है ? शार्टेज के लिए । आपके समय में संग्रहण केन्द्र में शार्टेज 1 प्रतिशत था, अब वह शार्टेज 0.5 प्रतिशत है । इससे अब कम होगा क्योंकि हमारे शासनकाल में बोरे रख दिए गए हैं । अगर किसी प्रकार के सूखत का कार्य करना है और सूखत को कैसे करना है तो हर संग्रहण केन्द्र में बोरे रख दिए जाते हैं । पूरे प्रदेश में पहले 1335 सोसाटियां थीं और संग्रहण केन्द्र 18 थे । अब उस संग्रहण केन्द्र में पता चल जाता है कि एक बोरे में कितना सूखत है तो इनके समय में सूखत ज्यादा होता था, पर अब सूखत 0.5 प्रतिशत है । सूखत कम होगा तो सरकार को घाटा कम होगा । अब कस्टम मिलिंग की बात करूं तो 26.16 लाख टन चांवल जमा हो च्का है । नागरिक आपूर्ति निगम में 13.42 टन चांवल जमा ह्आ है और भारतीय खाद्य निगम में 12.74 मीट्रिक टन चांवल जमा हो चुका है ।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल जी, आपको बोलते ह्ए 20 मिनट से ज्यादा हो गए ।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापित महोदय, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर दूं। अगर हम अपने शासनकाल की बात करें तो पंजीकृत किसानों की संख्या 26.23 लाख है और इनके सरकार के कार्यकाल में 24.98 लाख किसान पंजीकृत हुए थे। हमारे सरकार के कार्यकाल में 1.65 लाख किसानों को अधिक पंजीकृत हुआ है। पंजीकृत किसानों का रकबा की बात करूं तो हमारे सरकार के कार्यकाल में 35.39 लाख हैक्टेयर रकबा है, जबिक इनके सरकार के समय 32.21 लाख हैक्टेयर रकबा था। हम फिर तुलना करें तो 1.18 लाख हैक्टेयर ज्यादा रकबा पंजीकरण किया गया। अगर हम धान बेचने वाले किसानों की संख्या को छोड़ दें तो हमारी सरकार के कार्यकाल में धान उपार्जन की मात्रा 144 लाख मीट्रिक टन थी, जबिक इनकी सरकार ने 107 लाख मीट्रिक टन धान लिया था। हमारी सरकार ने 37.39 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीदी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपके वर्ष 2013 में 79 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीदा गया था, जबकि हमारे शासनकाल में खरीदी में बढ़ोत्तरी हुई थी। श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापित महोदय, अगर हम धान की राशि की बात करें तो हमारी सरकार के समय 31,635 करोड़ रूपये है जबिक इनके शासनकाल में 21,963 करोड़ रूपये की धान खरीदी हुई थी। अर्थात् 9,702 करोड़ रूपये की ज्यादा खरीदी हुई है। अगर इस तरह हमारी सरकार और इनके सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो पता चलेगा कि अंतर कितना है।

माननीय सभापित महोदय, हमारे यहां खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता सरंक्षणिनयम लागू है। उपभोक्ता सरंक्षण क्या है ? चाहे कोई भाई हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई कम तौल का माल देता है, अधिक कीमत में देता है, बेकार माल देता है, घटिया माल देता है उनके लिए खड़ा होता है उपभोक्ता, उनका काम करेगा चोखता, ये नियम है उपभोक्ता।

सभापित महोदय, आज हमें इस बात की आवश्यकता है। इस नियम के अन्तर्गत हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। किसी भी प्रकार का गलत होने पर कार्यवाही होती है। सभापित महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कितने प्रकरणों में कार्यवाही हुई है, वह तो मंत्री जी बतायेंगे। इसी तरह उपभोक्ता सरंक्षण के बाद नाप-तौल विभाग है। नाप तौल विभाग में कम वजन का किलो बांट होना है। कम वजन होता है, यहां तक समय पर लायसेंस नहीं बनवाते हैं, उसका नवीनीकरण नहीं करवाते हैं, गड़बड़ी होता है, कम वजन का माल देते हैं, उनके किलो बांट में प्रत्येक वर्ष सील वगैरह लगाता है, नाप तौल चेक करने के लिए जाते हैं, कार्यवाही होती है और गड़बड़ करने वाले के ऊपर कार्यवाही होती है।

श्री रामक्मार यादव :- सभापति जी, हमर भईया के का गवा गय हे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको मिले तो आप भी देख लीजियेगा। मेरी मोबाइल मिस हो गई है।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- सभापित महोदय, इस तरह किलो बांट का वजन कम ना हो, उसका नवीनीकरण सही समय पर हो, समय तौल बांट का सत्यापन हो। उपभोक्ता सरंक्षण में एक और नियम है कि अगर कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसमें चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनके 50 लाख रूपये तक के मामले निराकरण के लिए जिला उपभोक्ताआयोग बना है। उसमें वह आवेदन देगा, उनकी कार्रवाई जिला स्तर पर होती है। प्रदेश स्तर पर दो करोड़ रूपये के अधिक के प्रकरणों की सुनवाई होती है, वहां अपील भी होता है। इस तरह खाद्य सुरक्षा कानून की, लोगों की रक्षा, लोगों को गारन्टी देने का नियम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 53 लाख से अधिक कार्डधारियों को 1 लाख 15 हजार से अधिक टन चावल प्रति माह मुफ्त दे रही है। इसमें दो करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले समय की तुलना में मुफ्त में चावल देने की योजना बनाई। अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। खुद जायेगा, फोकट में खाद्य पायेगा, अच्छे ढंग से जीवन बितायेगा, ये है खाद्य सुरक्षा कानून फोकट में नून, मोहले के बात ला सुन, दिमागा मा कुछ गून,

सरकार रही पुन, लगा लो धुन। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

सभापित महोदय :- दोनों पक्षों से अपनी-अपनी बातों की ओपिनग हो गई है। आगे 8 सदस्यों को और अपनी बात कहना है। मै माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप कम शब्दों में अपनी जितनी बात कह सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए कहें। श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय जी, मैं अपन बात शुरू करंव वोखर पहिले जो महाप्रूष मन गरीब मन बर कोटेशन बोले हे, वो बात मोला याद आथे । देश के महान संत श्री रविदास जी कहे रहिसे, ऐसे राज चाहुं मैं, सवन को मिले अन्न, छोट बड़ सम रहे, रविदास प्रसन्न । छत्तीसगढ़ के धरती में जनम लेके ग्रूधासीदास जी ए बात ला बोले रहिसे, रोटी-कपड़ा और मकान, ये तीनो हे सतलोक समान । सभापति महोदय, अगर आज पी.डी.एस.सिस्टम के बार करे जाय, येहा अइसना विभाग ए, जहां लाखों-करोड़ों गरीब आदमी मन, पी.डी.एस. ला झांकत रहिथे कि कब चंऊर आही त चंऊर ला झोका के अपन-अपन लोग लईका के पेट म चारा डालबो । अइसे भी ए परदेश में, बह्त सारा गरीब आदमी हे । माननीय सभापति महोदय जी, आज हम वही गरीब आदमी अन, अंतिम छोर ले आय हन, हमर घर म एक ठन राशन कार्ड रहाय, वही राशन कार्ड हमर लिये सब कुछ रहय । न हमर कन कोई खेत के परचा, न कोई धन दौलत, न कोई सोना-चांदी, सिर्फ राशन कार्ड हमर जिंदगी रहाय । हमर घर के मुखिया मन कहीं जाय त घर के सदस्य ला चेता के जाय, राशन कार्ड ला देखे रहिहव । वईसन घर के हम व्यक्ति हरन । सभापति महोदय, वोखर खातिर मैं कहना चाहथंव कि सरकार आत रइथे, जात रइथे, पहले कांग्रेस के सरकार रहिसे, फिर भाजपा के सरकार आईस, जब सरकार बदलथे त राशन कार्ड बदले जाथे । राशन कार्ड के बदलना तुंहर-हमर लिये बह्त साधारण बात हरै, लेकिन वोला पूछ के देखव कि जेखर घर के मुखिया मन जम्मू काश्मीर कमाय-कोड़े गे हावय, एती तो मोबाईल के सिस्टम चालू हो जाथे, लेकिन जम्मू काश्मीर में मोबाईल नई चलय त वोमन कतका दुख पाथे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, कार्ड बने चलथ रहिसे, सब ला मिलत रहिसे, काहे तुमन बदले हव ?

श्री रामकुमार यादव :- वही ला त मैं तुमन ला कहाथ हंव ।

श्री धरमलाल कौशिक :- काहे बदले हव ?

श्री रामकुमार यादव :- अभी काबर बदलथव ? तुमन ला अभी काय खुजली होगे हे ? बदले के खुजली हो गे हे का ? सभापित जी, वो गरीब आदमी ला पूछ के देखव जो जम्मू काश्मीर गे हे, ईटा बनाथे, अपन शरीर के खून ला पानी बहाके, अपन घर के लोग लईका ला चलाय बर कमाय ल गे हे, राशन कार्ड बर इंहा ले फोन जाथे, दई तुमन जल्दी आवव, त काबर बेटा ? अभी त कमाय ला आय हन । राशन कार्ड के फोटो करथे तेखर पायके बलावत हे । जम्मू काश्मीर ले आवथे त राशन कार्ड

बदलही? सभापित महोदय, सिर्फ फोटो के चक्कर में गरीब आदमी मन परेशान होवथे, एला आपला अक हमला देखना है । मैं ज्यादा विषय के आंकड़ा में नई जावथंव । मैं ये भी किहहंव, चंकर कई प्रकार के हावय । हमर बड़े-बड़े वक्ता मन धान खरीदी के सिस्टम म बोलिसे, काबर कि महुं देखे हंव । धरती के सीना ला चीर के अन्न हा उंहैं ले उपजथे, लेकिन गरीब के खाय के अलग चंकर अक तुंहर मंत्री, मिनिस्टर, बड़े-बड़े अधिकारी के खायके अलग चंकर । गरीब के चंकर कहां जाथे, गांव के पी.डी.एस. में, त कैइसना चंकर जाथे, लाल चंकर, किरया चंकर, पानीपाया चंकर, जम्मो ला जोर के ले जाथे । तुंहर हमर एक ठन दाना रिह जाही त नौंकर ला घंटी मार बो, वोला बोलबो ए काय चंकर लाय हो, इसको हटाओ । लेकिन कभु सोचे हव, वो गरीब आदमी कोन ला बोलय । आज मोर क्षेत्र म खुद शिकायत करें हांवव । मोर क्षेत्र के कई ठन सोसायटी में अइसना चंकर गे हावय, जेला तुंहला हमन ला दे दिये जाही, त भले भूखा रह जाहव, लेकिन खावव नहीं । अइसने चंकर ला सोसायटी म भेजे जाथे । सभापित महोदय, मोर आपसे निवेदन हे कि वो भी इंसान हरें, वोमन हा हमन ला इंहा तक पहुंचा के भेजे हे, कइसे चंकर जाथे महोदय जी, हम देखथन । आज वो मन के चंकर म माटी रइथे, गोटी रइथे, वइसने चंकर ला भेजे जाथे । सभापित महोदय, आपसे निवेदन हे कि मंत्री जी आप भी गरीब के बेटा आवव, आप अपन विभाग ला बोल के भेजव कि मेरे पी.डी.एस. में किसी भी प्रकार का कोई भी लाली चंकर, किरिया चंकर, गोटी-गाटे वाले चाउर नहीं जाही।

सभापित महोदय, ये हा नमक के बात करथन। तुंहर अउ हमर आयोडिन नमक झाड़थन अउ का-का बड़े-बड़े कंपनी के नमक खाथन अउ ओ पी.डी.एस. में कैसन नमक जाथे ? ओ पी.डी.एस. के नमक ला बासी में डाल दिहा तो ओ नमक हा घुलत नइ हे। वाह रे नमक। वो गरूआ, बछड़ा मन नइ खाये ओ नमक हा पी.डी.एस. में देथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो वही पुरानी सरकार का स्टॉक बाकी है, वही नमक है।

श्री रामकुमार यादव :- तो तुमन बदल देवव ना। तुमन ला का खुजली हे ? आप मन ला बदल देवव ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम टाटा नमक खिलायेंगे। आप चिंता मत करिये।

श्री रामकुमार यादव :- खिला देवव, आपके जय जयकार होही। काबर के इहां जतका कन भेजे हन। सभापित महोदय, मे हा आपसे एक ठन अउ बात बोलथव कि एक ठन कानून बना देवव जो सोसाईटी में नमक जाथे, ओ ही नमक हा जतका मंत्री अउ मिनीस्टर हवय, सब के घर में भेजही, हमन खाबो। ओ गरीब घर जाथे तेकर अलग नमक अउ तुंहर अउ हमर के अलग नमक। मोर आपसे प्रार्थना हे अउ मे हा देखथ रेहन ये जतका वक्ता मन हे, ये हा गरीब के सुधार के लिये बोलही किह के। ये मन ला गरीब के कोई चिंता नइ हे। ओ मन ला तो यहां हमन ला भेजे हन तो हमन यहां गरीब के चिंता करे बर आये हन। लेकिन गरीब के पी.डी.एस. सिस्टम में, ओकर चाउर में, दाल में, यह सब में सुधार होना चाहिए।

हमन शिकायत करे हन, ओ मा जरूर जांच कराबे। अइसने सोसाईटी में जो भेजने वाला ट्रांसपोर्टर हे, वइसने अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई करव कि क्यों ऐसे चाउर ला भेजथन।

सभापति जी, मे हा आपके माध्यम से अउ कहना चाहथव जो पी.डी.एस. में चाउर अउ चना दिये जाथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- चल अब बइठ जा, हो गे हे।

श्री रामक्मार यादव :- राह न गा बबा। आप मन स्न तो लेव। तुंहर बर कहत रेहेव।

सभापित महोदय, जैसे हमन देखे हव कि जंगल के कई एरिया मा चना अउ गुड़ दिये जाथे। तो हमन मैदानी एरिया के मन हा का नठवा डाले हन ? मे हा मैदानी एरिया में घलोक अइसने-अइसने गरीब बतावव, चाहे ओ हमर अजय चंद्राकर जी के क्षेत्र हो, चाहे हमर दयाल दास जी के क्षेत्र हो, हमरो एरिया में तो गरीब हावय लेकिन हमन एरिया के मन बर कभी चना नइ मिलीस, न कभी गुड़ मिलीस। जब बजट सत्र हो जाही तहान चंद्राकर जी अपन क्षेत्र में जाही, तो मे हा ओकर क्षेत्र के आदमी ले आवेदन दिलवाहूं कि काबर हमर एरिया मा चना अउ गुड़ नइ देवाये। माननीय महोदय, आपसे निवेदन हे कि आप चिन्हांकित करव कि कौन गांव ला देना हे कही के लेकिन आप मन ला मैदानी एरिया में भी जो चना अउ गुड़ बाटे के जो करथन, ओला मैदानी एरिया में भले ही परिवार चिन्हांकित करव लेकिन उहु एरिया में आप मन ला चना अउ गुड़ देना चाहिए।

सभापित महोदय, में हा ओकर बाद राशन कार्ड में नाम जोड़े के बारे में कहना चाहथव। चंद्राकर जी, तुमन महान जाता हन। सभापित जी, ओला पूछ के देखव जेकर परिवार हा बढ़त-बढ़त जाथे। हमर सरकार रिहसे, भूपेश बघेल जी के सरकार रिहसे, ओ पहली सरकार रिहसे जेकर परिवार बढ़त जाये, बहु आ जाये, ओकर बेटा आ जाये, ओ मन बर नया राशन कार्ड बनाय। लेकिन जैसे ही ये मन के सरकार बिनस ओ ला बंद कर दिये हवय। मोर आपसे प्रार्थना हे कि ये गरीब के बात है। वइसने आपके क्षेत्र में भी हवय। उहां राशन कार्ड हा बनाये जाये अउ नाम जोड़े के कार्य किये जाये। आप मन ला नाम जोड़े बर तो अइसने लागथे कि गरीब आदमी तुंहर अउ हमर बर कुछू नइ हवय। लेकिन गरीब आदमी ला पूछ के देखव कि जे हर पढ़े नइ हे ओकर कोई ज्ञान नइ हे, ओ मन हर कैसे अपन नाम ला जोड़वाये। आप ऐसे सरल प्रक्रिया कर देवव तािक ओ मन हर ग्राम पंचायत में जाकर फॉर्म लेकर ओला कहीं आये जाये के जरूरत नइ पड़य, में हा आप मन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहथव कि आप मन ऐसे राशन कार्ड में नाम जोड़े बर भी प्रक्रिया ला सरल करे के काम करव

माननीय सभापित जी, में हा माटी तेल के बात भी बोलव। जब हमन लड़का रहेन, तहान माटी तेल के पहली के क्वािलटी ऐसे रहेन कि हमन दूरिया ले कहराईन अउ माटी तेल ला ऐसे छिता तहान भंग ले आगी धर डालय। अब के माटी तेल तुमन देत हवव, ओ माटी तेल हा तुमन दू ठन काड़ी जलावव तहान आगी धरथे। अइसने तोर माटी तेल में घलोक क्वािलटी कम हो गे है। चाउर में क्वािलटी कम हो

गे हे, शक्कर अइसने हे कि झन पूछव, नून तो घुलत नइ हे। आप मन माटी तेल की क्वालिटी में घलोक देखव। मे हा सही बात कहाथव माटी तेल हा पहली भंग ले दूरिया ले आग धर डालय, अब दू ठन काड़ी मा लट पट धरथे। हर चीज में क्वालिटी कम हो गे हे। आपसे निवेदन हे, चूंकि मे हा गरीब घर के हन, इसलिये मे हा गरीब के बात ला जानथव।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा सुनिये तो गरीब। ते गरीब घर के हन अउ गरीब ला जानथन। मे हा देखे रेहव कतका ऊंचा रिहीसे ओ हा। तेला बता ना। सबो गरीब ला वइसने देखे ला मिलही ?

श्री रामकुमार यादव :- ये रामकुमार यादव ना ओ महतारी की कोख मा जन्म ले हे। तुमन कतको बड़े षडयंत्र कर लेवव, ए विधान में तुमन नोट के गड्डी भी बताहूं ता रामकुमार यादव हा मिथुन चक्रवर्ती कस छलांग लगाके आ जही, लेकिन ए सदन में आ जही।

माननीय सभापति जी, ए गरीब के लड़का ला..।

श्री अजय चन्द्राकर :- कतका दिस तेला बताना?

श्री रामक्मार यादव :- माननीय सभापति जी, ए गरीब के लड़का ला....।

श्री अजय चन्द्राकर :- फेर गरीब कहात हस तेहा। तेहा कार गरीब मन के मजाक उड़ात हस ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कतको कुछ कर लो, नोट बता दो, सोना-चांदी बता दव, लेकिन जब तक मोर चन्द्रपुर के जनता चाही, आप मन चिंता मत करव, तुंहर नोट के गड्डी से भी ढांकके आ जहूं।

माननीय सभापित जी, मय आज कहना चाहत हों कि धान खरीदी में जब किसान मन धान ला बेचे बर जाथे। ओ किसान मन बर कोई प्रकार के कानून नइ हे, हमन देखे हन। कोनो कहात हे कि बोरा के एक किलो वजन चाहिए, कोना कहात हे कि ए में गीला हे, सूखा हे। ओ मन के वहां पर मन राज चलथे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहत हों कि इहां एक समभाव कानून बनना चाहिए तािक कोई भी किसान के एक दाना भी धान ऐती ले ओती झन हो। काबर, आप ओ किसान ला पूछके देखव। हम तो देखे हन। जब सिर में धान ला बोह के आवत रहिथे ओ हा धकधकात रहिथे अगर एक धान के बाली भी गिरे रहिथे तो किसान हा ओला बिन लेथे, ओकर धान बर दिल में दर्द रहिथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय रामकुमार जी, ए सब समस्या अभी 3 महीना ले आए हे कि एखर पहिली भी रिहिस। पहिली कम रिहिस का।

श्री रामकुमार यादव :- ए तुमन सरकार में आए हो ते मेर ले ज्यादा होए हे। हमन अतका अकन स्धारे हन, लेकिन आप मन का कहात हौ। पहले अइसे रिहिस, पहले वइसे रिहिस त्मन कब आएव।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय रामकुमार जी, हमन जेन कहात हन ते ठीक हे। भईया, थोड़ा तारीख तो बता कि ए 3 महीना में ए खराबी आईस, अइसे बोल। श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी,हमन 10 क्विंटल धान ला 15 करेन। तुमन 1400-1500 लेवत रहाव तेला हमन करेन। हमन सब ला करत जावत रेहेन।

माननीय सभापित जी, दूसरा कहना चाहत हों कि एक ठन गांव में बहुत बड़े दु:ख के बात हे कि जइसे हमर चन्द्राकर जी के सुने हन कि ओ हा 200-300 एकड़ के गौटिया है। अब ओ खेती तो नइ करए। किसान तीन प्रकार के होथे। एक होथे किसान जो घर में बइठ के हिसाब करथे ओला खेत जानाच नइ है। ओ हा लिखा पढ़ी करथे कि फलाना के कतका धान आईस अउ कइसे आईस। ओ रेगहा-कूटहा दे देहे। एक किसान होथे जे मेड़ पार में जाथे अउ कथे कि थोड़ा देख के काम करिहाँ गा, उहू किसान है। एक ठन किसान ओ होथे जो स्वयं नांगर जोततथे । इहां तीन प्रकार के किसान होथे। ता हमर अजय चन्द्राकर जी किसान न हरे, ए मालिक वाला किसान है।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय रामकुमार जी, आप कौन से नंबर के किसान हैं? तें कौन से नंबर के किसान अस।

श्री रामकुमार यादव :- मैं बताहौं। में वही ला बतात हौं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रामकुमार जी, यदि आपके नेता माननीय भूपेश बघेल जी यह कह देंगे कि मैं कुछ पैदा नहीं करता, मैं किसान नहीं हूँ तो मैं मान लूंगा कि मैं किसान नहीं हूँ। तोर बात सच हे कि ओकर बात सच हे एखर परीक्षण हो जाए।

श्री रामकुमार यादव :- आप किसानी के बात करिहौं ता भूपेश बघेल जी जइसे कोई नइ जाने। सूंपा में धान ला असो बर जिनहौं, ए हा धान ला असो देथे। एहर अइसे करके अउ अइसे करके धान ला देखके बता दिही अउ बता दिही कि ए धान हा पके हे या नइ पके हे। ओ किसानी के बात बर तुंमन ला ओखर बर दू जनम ले ला लागही।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, 15 मिनट हो गे हे, लेकिन मोर बात हा छूट गे है।

सभापति महोदय :- मैं आपको समय याद दिला रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापित जी, तीन प्रकार के किसान के बात बोले हौं। आप एक प्रकार के किसान के बात ला अउ सुन लो। एला कोई नहीं बोले हे तेला में बोलत हौं। ए मोर दिल के बात है। एक प्रकार के किसान ओ होथे जे गौटिया मन के अधिया, रेगहा, गनहा धरथे। अब ओ गरीबी के नाम से काकरो गहना गूठा धर दिस। कोई मालिक हा किहस कि तें बूता करके एक एकड़ ला खेती कर ले, लेकिन ओ धान ला बेचे तो बेचे कहां। ओ ला कोचिया मन करा धान ला बेचे बर लागथे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करत हों ओखरे लिए एक ठन कोई हल निकालए। तािक गरीब आदमी जेन रेगहा, कूटहा, गहना धर के काम करथे, जेकर नाम में जमीन नहीं रहाए, उहू ला धान बेच

सकए। आप ला अइसे कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहत हौं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं इनका उत्तर दे रहा हूँ कि अगर कोई अधिया रेगहा लेता है तो रेगहा अधिया देने वाला प्रमाण पत्र दे दे कि अगर रेगहा अधिया दिया हूं तो उनका धान लिया जाएगा, ऐसे में नहीं लिया जाएगा।

श्री रामक्मार यादव :- माननीय सभापति जी, आप राजस्व ला बोलिहौ ता ए मोर नइ हे कहि। धान के हरे किह अउ धान वाले हा ओ ला किह। ता हमन त्हला किहबो का। मैं ज्यादा नइ बोलव बस यही कहना चाहत हौं कि मंत्री जी, आप सब समझव, ए व्यावहारिक बात है। में अपन दिल के बात ला बताए हौं। आप ए अच्छा काम करिहौ। कोई गरीब आदमी धान ला बेच डारही ता तुंहरे जइसे कार हो ही। राशन कार्ड के फोटो लगाए के चक्कर में अगर राशन कार्ड ला नइ करिहौं तो जम्मू कश्मीर ले आथे। भले ओ मन कतका अकन तकलीफ में हे तेला हमन जानत हन। ट्रेन ला बदलत-बदलत आथे। मोर आपसे निवेदन हे कि आप ए ला करिहाँ मोर एरिया में एक दू ठन मांग हे। एक ठन बांधापाली गांव हे, महोदय जी, उहां धान ला बेचे बर बह्त दूर जाए ला लगथे। ओ ला एक ठन बांधापाली ला उपकेन्द्र बना दव। आपके लिए एक छोटे से काम हे। ओ ला उप केन्द्र बन देतेव । आपके माध्यम से कहना चाहत हौं कि ए भले आपके विभाग नो हरे, पर मोला कहना पड़त है । एक ठे ध्रकोट में, ओ समय के तत्कालीन म्ख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर कोऑपरेटिव बैंक खोल देईस रहे हवै। लेकिन वो बैंक ख्ले के बाद भी, ओमा सब कुछ हो गये, बैंक ला चालू करना रहिस हे, आचार संहिता लग गये, आज तक वह किंजरत है। आपके जो भी संबंधित अधिकारी होही या जो भी सुनत होईहा। आपसे निवेदन है कि किसान बह्त परेशान हे, 15-20 किलोमीटर पैसा निकाले बर डभरा में आथे। 10-15 हजार रुपया पाथे। आपके माध्यम से निवेदन करत हन कि एक ठे ध्रकोट में बस थोड़ा सा जरूरत हे, वहां बैंक खूल जाही। सभापति महोदय, मैं जरूर चाहत हौं कि गरीब मन के लिए इहां निर्णय होही, आप मोला बोलै के मौका देव, अब सब लो बह्त-बह्त धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 7 लोग और बचे हैं, कृपया अपनी मांगों पर बात रखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापित महोदय, मेरा नाम नहीं है। मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं। माननीय दयालदास बघेल जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आप नये मंत्री बनने के बाद अनुदान मागों को रखे हैं। मैं 3-4 छोटी-छोटी बातें आपके ध्यान में लाऊंगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस शासन की एकमात्र उपलब्धि रही कि प्रदेश की पूरे राशन दुकानों को तिरंगे रंग में पुतवाया और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। कोई कलर सेट कीजिए, राशन दुकान की तिरंगा कोई पहचान नहीं होती। दूसरी बात यह है कस्टम मिलिंग में 120 रुपये दर है, उसकी वसूली

में बहुत लोग जेल में हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह के 120 रुपये बेचारे लोगों को मिलना चाहिए, उनके नाम में कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। आपसे यह आग्रह है कि जिन लोगों ने वसूली की है, ई.डी. के अतिरिक्त आप खुद विभागीय स्तर में उसकी जांच संस्थित करिये।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात यह है कि कोरोना काल के 28 महीने में 5 किलो खादय स्रक्षा कान्न, 5 किलो राष्ट्रीय खाद्यान्न स्रक्षा कान्न, टोटल 10 किलो हो गया। 5 किलो अतिरिक्त राशन कोरोना के नाम से 28 महीने तक दिया गया। पर मेरा यह आरोप है कि पूरे 28 महीने 10 किलो चावल ही दिये गये, वह 5 किलो चावल कहां गये ? क्या इसकी जांच करवायेंगे, मैं आपके भाषण में जरूर स्नना चाह्ंगा। दूसरी बात आप जब पहले दिन उत्तर दिये, एक प्रश्न के क्रम में छपा था कि यह फलाना धान कस्टम मिलिंग, कुटाई वगैरह जो भी है, रखरखाव में, के संबंध में अजय चन्द्राकर की P.I.L. है । इससे पहले वाले मंत्री महोदय थे, वह भी यहां बैठते थे तो बोलते थे कि इसमें अजय चन्द्राकर की P.I.L. है। आप बता सकते हैं कि कौन से विषय में PIL है ? क्या आपके कोई अधिकारी बता सकते हैं कि वह P.I.L. लगी है या नहीं लगी है ? बात को टालने के लिए उसको P.I.L. बोला जाता है। अभी वह लिस्टिंग ही नहीं हुई है। मेरी P.I.L. लगी है। आप क्या इसकी जांच करायेंगे कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के धान कितनी खराब ह्ई ? मैं अपनी P.I.L. वापस लेने की सदन में घोषणा करता हूं। मैंने यह 4-5 विषय बोले हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसमें जरूर बात करेंगे। मैं सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि P.I.L. वापस लूंगा। आपके अधिकारियों से आप पूछकर बताईये कि किसमें P.I.L. है ? अभी लिस्टिंग हुई है या नहीं हुई है ? आपके उत्तर से उसमें कोई प्रभाव नहीं पडेगा। जब उत्तर देंगे तो उत्तर को टालने के लिए बोलते हैं कि उसमें P.I.L. लगी है। अभी वह लिस्टिंग ही नहीं हुई, उसमें सुनवाई ही शुरू नहीं हुई है। मैं इस सदन में P.I.L. को वापस लेने की घोषणा कर रहा हूं तब जबकि आप उसकी जांच करवाने की घोषणा करेंगे। या नहीं तो यह माना जायेगा कि इस प्रदेश में यह काला-पीला चलता रहेगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप दमदार आदमी हैं, अच्छे वोट से जीतकर आये हैं। इन गरीबों के नाम में.. वह [XX] कहां है ? [XX]2 I

सभापति महोदय :- चलिये, अजय जी, समाप्त करिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति है। कोई भी सदस्य को इस प्रकार से कहना...।

🗝 श्री अजय चन्द्राकर :- मजाक भी नहीं कर सकते ?

श्री भूपेश बघेल :- इस प्रकार से मजाक मत करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने खुद को अपने आपको [XX] कहा कि मैं [XX] हूं।

श्री भूपेश बघेल :- [XX], यह कहने का क्या तरीका है ?

_

² [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने खुद अपने आप को कहा है कि मैं [XX] हूं।

श्री भूपेश बघेल :- कहा है, ठीक है। आपने आपको कहा। लेकिन इसका मतलब यह थोडी है कि आप किसी सदस्य को इस प्रकार से बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने खुद को [XX]³ कहा, वह उचित है। उन्होंने अपने आपको संबोधित किया, उसको मैं नहीं बोल सकता।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, यह गलत बात है। इसको विलोपित किया जाये। इस प्रकार से न कहें।

सभापति महोदय :- चिलये, ठीक है। अजय जी, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- चिलये, इसको विलोपित कर दीजिए। आप विलोपित कर दीजिए, मुझे उसमें कोई आपित नहीं है। माननीय महोदय, आपसे यह आग्रह है कि गरीबों के नाम में 05 साल तक अनाज की लूट हुई, हेराफेरी हुई, मिलर से वस्ली हुई, षडयंत्रपूर्वक धान सड़ाये गये। इसिलए उसकी जांच किरिये। माननीय सभापित महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री गजेन्द्र यादव जी।

समय :

6:00 बजे

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- सभापित महोदय, धन्यवाद। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मांग संख्या 39 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय सभापित महोदय, जब हम राशन दुकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। बचपन में जब हम सुनते थे कि राशन दुकान में मिट्टी तेल आया है तो हम सब काम छोड़कर, स्कूल जाना बंद करके राशन दुकान की ओर दौड़ते थे, भागते थे और हम लोग एक लंबा लाईन लगाकर राशन वितरण का सामान लेते थे। हम सब राशन दुकान की ओर निगाह रखते थे कि कब शक्कर आये, कब चांवल आये, कब गेहूं आये। पता चलता था कि राशन दुकान में चावल आया और दूसरे दिन चावल खत्म भी हो जाता था। उस व्यवस्था को एक क्रांतिकारी पहल हमारे वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो पी.डी.एस. प्रणाली में एक जबरदस्त बदलावा किया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और दुर्ग शहर की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। पहले राशन दुकानों में कब सामग्री आता था और कब खत्म हो जाता था, यह किसी को पता नहीं चलता था। उन्होंने पी.डी.एस. प्रणाली में बहुत अच्छे ढंग से बदलाव किया कि पीला

-

³ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशान्सार विलोपित किया गया।

गाड़ी से ही नान के वेयर हाऊस के गोदाम से संबंधित राशन द्कान तक कोई चावल या खाद्यान का कोई भी सामग्री पीली गाड़ी से जायेगी, दूसरे गाड़ी से जाने पर कार्रवाई होगी, इसका उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून के तहत सारे लोगों को राशन समय में मिला। पी.डी.एस. द्कानों में जो चावल चोरी होती थी, जो विभिन्न चोरियां होती थीं, उसमें लगाम लगाया, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हम पी.डी.एस. में अंत्योदय नाम का शब्द की बात करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पार्षद था तो पहली बार अंत्योदय के तहत् हितग्राहियों को माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जिसका कोई नहीं है, उसके लिए 10 किलो चावल देने का एक योजना लांच किया था। उस समय हमने पहली बार अंत्योदय नाम सुना था, जिसमें ऐसे हितग्राही के लिए माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत चालू हुआ, जिसका कोई नहीं है, उस हितग्राही को उन्होंने 10 किलो नि:शुक्ल चावल देने की व्यवस्था प्रदान की। बाद में श्रद्धेय डॉ. रमन सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए पहले हम लोग पी.डी.एस. में सवा तीन रूपये किलो चावल और 6 रूपये किलो में चावल खरीदते थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में उसमें एक साथ 55 लाख हितग्राहियों को 3 रूपये किलो में चावल देने की व्यवस्था प्रारंभ की। उसका क्रांतिकारी परिणाम यह आया। मैं ग्रामीण अंचल का भी हूं, चूंकि मैं दुर्ग अंचल में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरा परिवार ग्रामीण अंचल में रहता है। पहले गर्मी का ज्येठ, बैशाख का महीना आता था। गांव में भतखउहा चोर कहते थे। वह चोर पका हुआ चावल को भी उठा कर ले जाते थे, चोरी कर लेते थे। लोगों में जो लगातार भूखमरी और चावल, खाद्यान्न की कमी थी, जो चोरियां बढ़ती थी। यह जो पी.डी.एस. में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उसका सुखद परिणाम यह रहा कि गांव में जो गर्मी के दिनों में जो छोटी-छोटी चोरियां ह्आ करती थीं, उस चोरी में सरकार ने रोक लगाई। जनता चोरी करना बंद कर दी, उसके लिए चोरी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ह्आ। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसढ़ का पी.डी.एस. सिस्टम ऐसा रहा कि पूरे दुनिया और भारत भर के लोग उस पी.डी.एस. सिस्टम को देखने आये, उसके लिए मैं खाद्य मंत्री जी को, माननीय म्ख्यमंत्री जी को और पूर्व म्ख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे पूर्व सदस्य ने कहा। सभापति महोदय, यह जो आयोडीन युक्त नमक की बात कही। मैं जब 1998 में साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था तो वहां के वाचनालय में मैं एक बुक पढ़ रहा था । उस ब्क में एक रिसर्च आया था, वह रिसर्च में पता चला कि पूरे भारत में अगर सर्वाधिक आत्महत्या के केसेस होते हैं तो बस्तर वनांचल क्षेत्रों में आत्महत्या के केस होते हैं। मैं जब बुक के अंदर में उसका कारण पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आत्महत्या करने वाला कोई गरीब, मजदूर या वनवासी नहीं बल्कि जो वहां सरकारी पोस्टिंग किए हुए अधिकारी लोगों के बीच में, कर्मचारी लोगों के बीच में आत्महत्या की प्रकरण बढ़ी हुई है। लोगों को यह लगता था कि हम कैसे जगह में है? जहां पर हमको खाद्यान्न नहीं मिलता, नमक नहीं मिलता। इस भाव से उनकी मनोदशा बिगड़ जाती थी और कई

लोगों ने आत्महत्या की है। एक सर्वे रिपोर्ट था। माननीय डॉ. रमन सिंह जी द्वारा वर्ष 2004 एवं वर्ष 2007 में 25 पैसा में आयोडीनय्क्त नमक प्रदाय की व्यवस्था चालू की गई, उसका स्खद परिणाम यह रहा कि गांव में पहले एक डल्ला नमक के बदले में द्कानदार लोग जो चिरंजीव और वनोपज चीजें हैं, उसको आदान-प्रदान करते थे, उसमें रोक लगी। लासा, जो मिलता नहीं है, वह बड़े-बड़े लासा एक डल्ला नमक के बदले में हम उनका ले लेते थे, मैंने उस समय वनोपज का जो तत्कालीन सर्वे देखा, वह क्ल बजट 27 करोड़ रूपये था । 3 साल बाद जब मैंने एक लेख पढा, उस लेख में उस समय 290 करोड़ का हमारे वनोपज का बजट बढ़ा । यह तो बजट की बात है लेकिन नमक से हमारी अर्थव्यवस्था स्धरी और हमारे गांव के लोग जो नमक के लिये भी तरसते थे उस नमक को माननीय तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने जो लागू किया है। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में जो नि:श्ल्क नमक प्रदाय योजना की बात चल रही है, उसके लिये मैं बह्त-बह्त धन्यवाद देता हूं । अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2023 को यह घोषणा की कि पूरे देश के 80 करोड़ लोगों के लिये उन्होंने नि:श्ल्क चावल की व्यवस्था पूरे 5 साल के लिये की जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा उसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय म्ख्यमंत्री जी का, माननीय खाद्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे गांव के, शहर के मजदूर, हर प्रकार के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा । उनको कम से कम भोजन की व्यवस्था की चिंता नहीं रहेगी । साथ ही साथ हम जो पढ़ते हैं कि क्पोषण की दर अन्य राज्यों की त्लना में हमारे यहां भी पर्याप्त है उसके लिये आपने फोर्टिफाईड राईस के वितरण के लिये जो 209 करोड़ रूपये का प्रावधान किया उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं ।

माननीय सभापित महोदय, मैं इसके साथ ही साथ आपसे एक आग्रह करता हूं कि यह जो हम फोर्टिफाईड चावल गांव में देते हैं, शहरों में देते हैं, राशन दुकानों में देते हैं । अभी पूर्व सदस्य ने कहा कि लोगों में यह दुष्प्रचार हो रहा है कि यह चावल नहीं है, यह प्लास्टिक है । हम कहीं न कहीं जनता के लिये अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन उनके मन में एक भ्रम है । मैं चाहता हूं कि जो फोर्टिफाईड चावल है उसको प्रसारित होना जरूरी है । लोगों के बीच में उसका प्रचार-प्रसार बढ़े जिससे कि लोगों के मन में जो बात है कि यह चावल है कि नहीं है, ओरिजनल है कि नहीं है या डुप्लीकेट है ? इस प्रकार की जो बातें हैं वह दूर रहे । माननीय सभापित महोदय, मैं एक और निवेदन करता हूं कि प्रदेश में जो 13,767 राशन दुकानें संचालित हो रही हैं जिसमें 77 लाख 10,000 राशन कॉर्ड हैं और आपने 283 नयी राशन दुकानें खोलने की बात कही है । मैं इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि कहीं न कहीं इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है । मैं नगरीय क्षेत्र से आता हूं, आज भी राशनकॉर्ड ज्यादा है, दुकान कम है । मैं चाहता हूं कि आप दो दुकानों को मिलाकर एक और नयी दुकान, नगर निगम का विशेष रूप से दुर्ग विधानसभा में राशन दुकान बढायें । इसके लिये मैं आपसे आग्रह

करता हूं । साथ ही साथ महिला स्वसहायता समूह के द्वारा हमारी सरकार ने राशन दुकान संचालन करने की जो व्यवस्था प्रारंभ की । बीच में सरकार बदलने के बाद ऐसा हुआ कि यह मेरा कार्यकता, वह कार्यकता उसके कारण हमारे बहुत से महिला स्वसहायता समूह के हाथ से वह काम छूटकर अन्यत्र लोगों को मिला । माननीय सभापित महोदय, मैं इसमें आपसे केवल यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे दुर्ग जिले में और बहुत सारे जिलों में उपभोक्ता भंडार हैं । चूंकि माननीय मंत्री जी आप बहुत पुराने समय से यह जानते हैं । सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बहुत सारे हैं जो 40 सालों से काम कर रहे हैं । मैं इसमें आपसे यह आग्रह करता हूं कि यह राशन दुकान अर्थात् हम उनको भी प्राथमिकता के आधार पर दुकान चलाने का, संचालने करने का काम सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ जो केरोसीन की बात आयी । थोक केरोसीन डीलर व्यवस्था चूंकि मैं जब बजट में पढ़ रहा था तो पूरे प्रदेश में दुर्ग जिला, बालोद जिला, बेमेतरा जिला में मात्र एक डीलर है । माना कि गैस का समय है, डीजल-पेट्रोल का उपयोग बढ़ गया है लेकिन आज भी बहुत सारे व्यापार-व्यवसाय में, बहुत सारे कामों में, घरेलू कामों में भी हमको केरोसीन की आवश्यकता पड़ती है ।

माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो थोक केरोसीन डीलर की व्यवस्था है उसको बढ़ायें । मैं एक और आग्रह करता हूं कि गैस के साथ-साथ जो प्राकृतिक गैस हम घरेलू गैस के साथ करते हैं । माननीय सभापित महोदय, खाद्य विभाग से मेरा एक आग्रह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी गैस की व्यवस्था खासकर हमारे भिलाई-दुर्ग में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जा रहा है, आप वहां भी गैस की व्यवस्था प्रदाय करने के लिये एजेंसी खुलवायें तो बह्त कृपा होगी ।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, 10 मिनट हो गये हैं । समाप्त करें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापित महोदय, बस-बस दो मिनट और हैं। आदरणीय सभापित महोदय, आपने अपने बजट में जो छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुजापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 जो लागू किया है और वर्ष 2009 से आपने राज्य में प्रभावशील किया है, जिसके तहत् हम लोग कालाबाजारी रोकने की दिशा में जमापूंजी को रोकने की दिशा में काम करते हैं, लेकिन सभापित महोदय, एक चिंता जिसकी ओर किसी की नजर नहीं है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं। आजकल बड़े-बड़े शहरों में छोटे मंजिले महानगरों में भी ये Dmart, Kmart नाम की बहुत बड़ी-बड़ी संस्थानें आ रही हैं। सभापित महोदय, जब कोरोनाकाल आया तो शहर में रहने वाले छोटे-छोटे फुटकर, छोटे-छोटे व्यापारी, छोटे-छोटे दुकानदारों ने समाज की सेवा की। आधी रात को भी वे पीछे बैक-डोर से जाकर लोगों को राशन पहुंचाये। आज ये बड़े पूंजीपितयों के द्वारा जो Dmart चलाया जा रहा है, पूरे शहर में, मेरे दुर्ग में दो भाग में Dmart है। एक बायपास रोड में है और एक दूसरे बायपास में है। इसने लगभग शहर के आधे से ज्यादा व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर दिया है। हम

सिर्फ व्यापार नहीं चलाते, व्यापार में एक व्यापारी रहता है, लेकिन 5-10 परिवार उस पर आश्रित रहते हैं। आपसे आग्रह है कि ये जो अंधाध्ंध Dmart हमारे प्रदेश में ख्ल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं रोक लगानी चाहिए। ये Dmart का प्रचलन बड़े महानगरों में चल सकता है, पैकेट में जो फूड लेते हैं, उनके लिए चल सकता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा छत्तीसगढ़ आज भी छोटे व्यापार का सेंटर है। छोटे व्यापारियों को बढ़ाने की दिशा में Dmart पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता के समस्या निवारण के लिए आपने जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग बनाया है। सभापति महोदय, दुर्ग में पिछले 8 महीने से कोई भी जिला उपभोक्ता फोरम का अधिकारी नहीं है। आप किसी भी विषय को लेकर मैं दुर्ग को उदाहरण के तौर पर बोला, किसी भी जिला में उपभोक्ता संबंधी हम अगर याचिका दायर करें तो उसके निर्णय के आते तक चूंकि वह अधिकारी नहीं हैं, दूसरे जिले से आयेगा, अन्यत्र स्थान से आयेगा, दो दिन बैठेगा और हजारों मामले पेंडिंग में रहते हैं और उस पेंडिंग के दिन के आते तक कई साल लग जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे लोगों के लिए उपभोक्ता मामले में तत्काल त्वरित कार्रवाई हो, उसके लिए व्यवस्था स्निश्चित करने के लिए आपने जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग बनाया है, उसे आप बह्त अच्छे ढंग से चलायें। एक अंतिम यह बोल रहा हूं कि कोरोनाकाल में पिछली सरकार ने जो धान में बोरा की कमी थी, उस बोरे की कमी को दूर करते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसान लोग अपने बोरे से धान बेचे, उसका हम पैसा देंगे। सारे राशन द्कानों से बोरा मंगा लिया गया। हम सब जानते हैं कि राशन द्कान में लाभांश बह्त कम मिलता है। जो बोरा है, वह उसके इनकम का साधन रहता है। सभापति महोदय, मेरे जिले के अधिकांश राशन द्कानदारों को पिछले 2 साल से बोरा का पैसा नहीं मिला। वो पैसा तत्काल मिले, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बह्त-बह्त धन्यवाद देते ह्ए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय श्री विक्रम मंडावी। माननीय धरम लाल कौशिक जी।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापित महोदय, विस्तार से बातें आ गयी हैं और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं। वास्तव में पी.डी.एस. सिस्टम, इस योजना के चालू होने के पूर्व प्रदेश की क्या स्थिति थी ? लोग अपने घर में या तो कांटा रौंदकर और नहीं तो घर के बुजुर्ग को छोड़कर कमाने-खाने के लिए उदर के पोषण के लिए बाहर जाते थे और बाहर जाकर उनका क्या हाल होता था? कितना शोषण होता था? किसी से छिपा हुआ नहीं है। कई बार यहां से पुलिस भेजकर उन्हें बुलवाने की आवश्यकता पड़ती थी। बंधक बना लिया जाता था और कारण क्या है तो खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं इसके लिए यदि पी.डी.एस. का किसी को जनक कहा जाये और पी.डी.एस. को पूरे हिन्दुस्तान में कोई लागू करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब पी.डी.एस. सिस्टम को लागू किया गया। (मेजों की थपथपाट) लागू करने के

बाद लोगों के सामाजिक जीवन में कितना अंतर आया, आज देखने को मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है । लेकन गरीब के घर तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है । इस बात को लेकर कई बार ऐसा अवसर आया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केन्द्र में बैठी हुई सरकार को फटकार लगाई गई कि आखिर गरीबों को चावल क्यों नहीं मिल रहा है ? जब छत्तीसगढ़ में चावल वितरण प्रारंभ हो गया उसके बाद केन्द्र के दवारा उसको स्वीकार किया गया और 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीडीएस वहां पर लागू किया गया । इसलिए मैंने कहा कि हिंद्स्तान में प्रारंभ करने वाली सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है । उस समय हमने 3 रूपए में 35 किलो की व्यवस्था की थी । उसके बाद उसको 1 रूपए किया गया उसके बाद राशन कार्डधारी लगातार चावल उठा रहे थे इस तरह प्रतिमाह उनको खाने के लिए अनाज मिल जाता था । इतना ही नहीं, बल्कि चावल के साथ नमक, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य के द्वारा किया गया कि वनोपज के बदले किस तरह नमक दिया जाता था । उस समय बहिगांव में इमली को लेकर एक बड़ी घटना हुई थी, वह आज भी हमें याद है । वहां शोषण हुआ था इसी कारण वनोपज की सपोर्ट प्राइज तय किया गया और उनका शोषण रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया । एक किलो नमक मुफ्त में और बस्तर और सरग्जा के माडा पॉकेट एरिया में चना देने की योजना बनाई गई, इसके बाद गुड़ की योजना बनाई गई । जिससे कि उन्हें पूरा पोषण आहार मिले और यह पूरे पीडीएस में स्धार किया और स्धार करते करते, आज मोहले जी ने बताया कि 07 तारीख तक प्रत्येक व्यक्ति को चावल मिल जाए, यह तय किया गया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय । सभापति महोदय :- इसके बाद आपका नाम है, उस समय रखिएगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- तुरंत में कुछ अलग होता है महोदय, बाद में बोलने का कोई मतलब नहीं रहता । आपके कार्यकाल में बस्तर में इतनी क्रांतिकारी योजनाएं हुईं लेकिन इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी बस्तर में एक ही चीज की आवाज आती थी, केवल गोली की । केवल गोली की ही आवाज गूंजती थी । अगर वास्तव में आदिवासियों के उत्थान में काम होता, जैसा आप बोल रहे हैं तो शायद वहां गोली की आवाज बंद हो जाती, जैसे हमारी सरकार में गोली की आवाज बंद हुई थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- शायद आपको मालूम नहीं है । हमारी सरकार के पहले सुकमा में कोई सड़क की व्यवस्था नहीं थी, बीजापुर के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं थी, वहां कलेक्टोरेट खोले गए । वहां के बच्चों का टैलेंट देखोगे तो रायपुर के बच्चे पीछे हो जाएंगे और सुकमा और बीजापुर के बच्चे आगे आ जाएंगे । आप दंतेवाड़ा के बच्चे अधिकारी बन रहे हैं । यह तो परिवर्तन आया है यह सरकार की दूरहष्टि और सोच के कारण आया । इसलिए आज यह कह सकते हैं कि वहां आज बेहतर स्थिति है । वहां दूरसंचार से जोड़ने का काम, इस तरह बहुत सारी योजनाओं को मैं गिना सकता हूं । सभापित

महोदय, केवल इतना ही नहीं बल्कि द्कानों की संख्या भी बढ़ाई गई और उनके लिए व्यवस्था की गई। वन नेशन, वन राशन कार्ड। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं । हम लोगों ने कोविडकाल और उसके पहले भी देखा है कि राशन कार्ड तो उसके पास है लेकिन उसके बाद भी, यदि वह अपने गांव में नहीं है तो उसे चावल नहीं मिल पाता था । जो व्यक्ति दो महीना, चार महीना अस्थायी रूप से कमाने के लिए अन्य प्रदेशों में चले जाते थे, झारखंड के लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, पूरे देश में इसी प्रकार के हालात हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड रहने के बाद भी राशन से वंचित रहना पड़ता था । इसको लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के दवारा प्रारंभ की गई । इसको प्रारंभ करने के बाद आज ऑनलाईन किया गया है, अब लोग यदि बाहर हैं तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि चावल लेने के लिए वे जिस प्रदेश में हैं, वहां से अपने घर को वापस जाना पड़े, प्रदेश में वापस जाना पड़े और चावल उठाना पड़े। यह उनको चिंता से मुक्त किया गया। मुक्त करने के बाद आज उनको पूरा लाभ मिल रहा है। इसमें 13768 उचित मूल्य की द्कानों में ई-पास मशीन की भी स्थापना की जा च्की है। उसमें स्धार की व्यवस्था की गयी है, उसके कारण उनको राशन मिल सके, राशन की अफरातफरी न हो, उस राशन को बचाया जा सके और सीधे जो हितग्राही हैं, वहां तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है और उसका लाभ उचित रूप से मिल रहा है। राईस की बात आई, शुरू में अफवाह हुई कि यह जो चावल है, वह प्लास्टिक का है, खाने के लिए नहीं है, इसमें कुछ मिलाया गया है।

सभापित महोदय, पूरक पोषण आहार योजना है। इस योजना के अंतर्गत फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना प्रारंभ की गयी, प्रारंभ करने का कारण यह है कि उनको पूरक पोषण आहार मिल सके, जो उनमें कमी है, चाहे आयरन की कमी हो, फोलिक, एसिड, विटामिन की कमी हो, ऐसे 12 फोर्टिफाईड चावल की व्यवस्था बनाई गयी है। व्यवस्था बनाने के बाद आज लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको खाने से क्या लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कि उसमें धीरे-धीरे सुधार की बात आ रही है। इसी प्रकार से आज हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, जहां पर कुपोषण और सुपोषण की बात आई, पी.डी.एस. सिस्टम और पूरक पोषण आहार के माध्यम से जो लाभ मिला है, उस लाभ में कुपोषण से सुपोषण की दर में वृद्धि हो, उसका लाभ आज दिखाई दे रहा है। कोविडकाल में जब लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, उस समय महिलाओं के खातों में लगातार तीन महीनों तक 500 रूपए उनके खाते में डाला गया। उसके बाद उनको चावल देने की व्यवस्था की गयी। उसमें लगातार वृद्धि करते हुए वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गयी कि हम पी.डी.एस. सिस्टम से उनको पांच साल तक मुफ्त में चावल देंगे और पांच किलो प्रति व्यक्ति चावल देंगे। मतलब 80 करोड़ व्यक्ति को प्रति महीने के हिसाब से चावल देने की घोषणा हुई। अब उसको 5 साल के लिए बढ़ाई गयी है। मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश के लोग अब निश्चंत हो गए हैं। यदि हम इसको जोईंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब

हम 80 करोड़ की बात करते हैं तो हम केवल हिन्दुस्तान की बात करते हैं। लेकिन आप यदि यूरोप के कई देशों को जोड़ेंगे और उनकी पूरी आबादी को जोड़ देंगे तो उतने लोगों को पांच साल तक मुफ्त चावल दे सकते हैं, कोविड काल में 2, 3 साल चावल दिया गया। मैं समझता हूं, पूरे विश्व में केवल भारत की सरकार होगी और नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी बड़ी आबादी को फ्री में चावल दे करके उनको संकटकाल में उबारने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, हमारे खाद्य मंत्री जी के द्वारा, केन्द्र के द्वारा घोषणा होने के बाद यहां भी चावल देने की योजना की गयी। पांच साल के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा भी मुफ्त में चावल दिया जाएगा। मैं इसके लिए खाद्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों की चिंता की और चिंता करने के बाद उनको मुफ्त चावल देने की योजना में जोड़ने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, सारे विषय आ गये हैं, इसलिए मैं इस विषय में नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाह्ंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया। उसमें हम लोगों ने लिखा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 साल का रूका हुआ बोनस तत्काल प्रदान करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम 3100 रूपए क्विंटल में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। दो साल के रूके हुए बोनस को हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमने च्नाव में जो घोषणा किया था और घोषणा करने के तत्काल बाद उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और यदि हम इस साल का विचार करें तो आज तक जो धान खरीदी हुई है, उसके सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 1 लाख, 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उसके लिए मैं हमारे म्ख्यमंत्री जी और खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं हम लोगों ने वायदा किया था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे तो हमने उस हिसाब से धान की खरीदी की है। पतले और मोटे धान की बात आई तो केन्द्र के द्वारा जो समर्थन मूल्य तय किया गया है, उसमें Grade-A धान 2,183 रूपये प्रति क्विंटल और Grade-B धान 2,203 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर धान का उपार्जन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जहां तक धान का समर्थन मूल्य 3,100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने की बात है तो हमारे अनुपूरक बजट में उसके लिए 12,000 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मंत्री जी उसके लिए नियम बना रहे हैं और नियम बनाने के बाद हमने कहा था कि हम 4 किश्त में नहीं, बल्कि 1 किश्त में पैसे देंगे। मैं आज भी कह सकता हूं कि हम लोगों ने डिफ्रेन्श की राशि को 4 किश्त की बजाय 1 किश्त में देने की जो घोषणा की है तो हमारे

किसानों के खाते में एकमुश्त राशि जाएगी। मैं उसके लिए हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापित महोदय, इतना ही नहीं बल्कि हम कई सालों की धान खरीदी का रिकॉर्ड देखेंगे। यदि हम रकबा की बात करे तो हमारे रकबा में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यदि हम किसानों की बात करे तो हमारे किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि पैसे की बात करे तो पैसे में भी वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ की पहचान धान के फसल से है। अब धान का कटोरा लबालब भरा हुआ है और छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाली की दिशा में जा रहे हैं। जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी घोषणा है। हमारी सरकार की घोषणा और वचन के कारण आज किसानों में प्रसन्नता का भाव है। हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि धान के बदले और दूसरी उपज ली जाए, लेकिन यदि आप पूरे रकबा को देखते जाएंगे तो दूसरी फसल में रकबा घटते जा रहा है और धान की फसल का रकबा बढ़ते जा रहा है। धान का रकबा बढ़ने का कारण उसकी उपज का उचित मूल्य देना है। धान का उचित मूल्य देने के कारण आज किसानों में इस बात का हर्ष है। उसके कारण से हमारे किसान धान की उपज की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, 15 मिनट हो गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापित महोदय, मैंने उस दिन मंत्री जी को आगाह किया था। श्रीमती अनिला भैंडिया :- धरम भैया, रकबा कब से बढ़ रहा है ? हमारी सरकार ने धान की उपज का अच्छा दाम देना श्रू किया, उसके बाद से ही धान का रकबा बढ़ा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, वैसा नहीं है। जैसे जोगी जी ने खरीदा तो हम लोगों ने धान के रकबा को बढ़ाया। हम लोग धान के रकबा को 70 क्विंटल तक ले गये थे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी तो हम लोगों ने बढ़ाया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग आये तो आप लोगों ने बढ़ाया। पूरे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हम लोग उसको और आगे ले गये। रकबा बढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया था और रकबा हम लोग बढ़ा रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 20 क्विंटल तो हमर चालू होए रीहिस गा। एके क्विंटल ला बढ़ाए हस। हमन 1 नवंबर से धान खरीदन। हमन तो 20 क्विंटल कर दे रहे हन। ते ता एके क्विंटल ला खरीदे हस। ओखरे बर झुलाए हस। 4 दिन बढ़ाए हस, तेन में एक दिन के डी.ओ. कटीस अऊ तीन दिन कटबे नहीं करीस।

श्री धरमलाल कौशिक :- वही एके क्विंटल में तो एती ले ओती आ गेओ।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह जी, इसके बाद आपका नंबर है। आप अपने समय में अपनी बात रखियेगा। श्री धरमलाल कौशिक :- अइसे झुल गेओ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ला झुलाही। किसान मन देखत है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, आप ला जनता मन झुला दीस। माननीय सभापित महोदय, धान खरीदी के बाद में कस्टम मीलिंग शुरू हो गई है। अभी कुछ धान बाहर में रखे हुए हैं। मंत्री जी उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसम और बाकी चीजों को देखते हुए या तो राईस मिल या स्टेकिंग प्वाइंट में हमारा धान सुरक्षित हो। इस बात की चिंता सरकार कर रही है। उसके बाद भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मौसम इतना खराब है लेकिन धान का उठाव भी तो नहीं हो रहा है।

श्री धरमलाल कॉशिक :- नहीं, धान का उठाव हो गया है। कस्टम मीलिंग के लिए जो धान दिया गया है, उसका उठाव हो गया है। जो बचत धान है तो बचत धान का निर्णय करके उस धान का उठाव करना है। उसके लिए मंत्री जी चिंता करेंगे तािक उसमें शार्टज न आये। आज इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी सरकार आने और हमारे खाद्यमंत्री दयालदास जी के बनने के बाद वे किसानों के लिए लगातार चिन्ता कर रहे हैं और चिन्ता करते हुए हमारे पी.डी.एस. सिस्टम को बहुत अच्छी व्यवस्था में ले जाना, धान खरीदी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, किसानों को समय पर धान का भुगतान करने का काम किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों में और खुशहाली आये। हमारे किसान आर्थिक रूप से परिपक्व होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सदस्य जो बैठे हुए हैं, उन सबके लिए मंत्री जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, आप लोगों को भी बढ़ी हुई राशि मिलेगी। आप लोग बिल्कुल चिन्ता मत करिए क्योंकि आप लोग हम लोगों का नाम पेपर में छपवाते थे कि धरम कौशिक को इतना मिला, डॉ. रमन सिंह जी को इतना मिला, बृजमोहन जी को इतना मिला। हम लोगों को छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को सर्वसम्मित से पारित करें। मैं मंत्री जी की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापित महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- सभापित महोदय, माननीय खाद्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या-39 वर्ष 2024-25 के खाद्य विभाग के बजट और राजस्व व्यय 6393.91 लाख, पूंजीगत व्यय 33 करोड़ कुल बजट 6427 करोड़, 87 लाख, 82 हजार के प्रस्तुत बजट के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापित महोदय, मैं केवल इस बात के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि मैं विपक्षी दल से हूं। विरोध इस बात का है कि आपने मोदी जी की गारंटी पर 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान की एक मुश्त देने की बात कही, आपके दल और आपके नेता और आपके द्वारा बोला गया। केवल और केवल यह भी

नहीं कहा, बल्कि यह भी कहा गया कि अगर ग्राम पंचायतों में व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो टैंट लगेगा और ग्राम पंचायतों से किसानों का भ्गतान होगा । आपकी धान खरीदी का समय सीमा समाप्त हुए एक महीना होने वाला है, लेकिन आपने अभी तक अंतर की राशि का एक रूपए भी भ्गतान नहीं किया है। दूसरी बात, आपने धान खरीदी की अविध तो निश्चित रूप से बढ़ाई है, लेकिन धान खरीदी का रकबे के लिए राजस्व विभाग के प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई कि त्म्हारी पोस्टिंग या प्रमोशन इस बात पर तय होगी कि आप कितने किसान को धान बेचने से वंचित कर सकते हैं । किसानों के यहां जांच की गई कि आपके यहां धान है या नहीं, वह तो रिकार्ड से प्रमाणित है कि जिसके पास 10 एकड़ खेत है, वह कितना क्विंटल धान बेच सकता है । किसानों को दहशत में लाया गया, उसका परिणाम यह हुआ । इसी सदन में रिकार्ड में उल्लेखित है और लालजीत सिंह राठिया जी और माननीय उमेश पटेल जी के प्रश्नों में जवाब आया है कि केवल और केवल रायगढ़ जिला में 8 हजार क्विंटल की खरीदी की गई । इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में क्या स्थिति बनी है । मोदी जी की गारंटी की शुरूआत तो लोकसभा चुनाव से पहले हुई । किसानों की आय दोगुनी की बात उस समय भी हुई और इस चुनाव में भी हुई । आय दोगुनी का मतलब केवल और केवल 7 हजार? आय दोग्नी का मतलब यह होता है कि जब हमारी सरकार बनी तो 1870 रूपए का दाम दो घंटे के अंदर 2500 का दाम हुआ । बात यहीं नहीं रूकी, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अपने धान को किसान बेच च्के थे, आपकी सरकार में 1857 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बेच च्के थे, उसकी भी अंतर की राशि को 2500 रूपये के हिसाब से भ्गतान करने वाली कोई सरकार है तो हमारे पूर्व म्ख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, यह इतिहास रहा है। सभापति महोदय, किसानों की बात है, धान खरीदी में तो स्पष्ट रूप से किसानों के साथ धोखा ह्आ है। मंत्री जी, आप सीधे, सरल हैं, इसीलिए आपको बैठा दिया गया कि अगर किसान गलत समझे, अगर किसान नाराज हो तो आपसे हो। होशियार लोग दूसरे विभाग के मंत्री हैं, आप सीधे-सज्जन व्यक्ति है, अगर किसान किसी से नाराज होंगे तो किसान किससे नाराज होंगे, आपसे नाराज होंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

सभापित महोदय, दूसरी बात, कृषि प्रधान देश में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लोग कृषि उत्पादक किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपकी केन्द्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून भी बनाये, जिसे उन्हें वापस भी लेना पड़ा। किसानों के साथ अन्याय की शुरूआत तो वहीं से हुई थी। मैं सोचता हूं कि आप अपने विवेक से नहीं किए हैं। सरकार में अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वे किसान का हित नहीं चाहते हैं। किसानों के लिए 3 काला कानून बना, जिसे उन्हें वापस लेना पड़ा। वह कानून किसके लिए आया था, आप जान रहे हैं ? इन उद्योगपितयों के लिए आया था। वह किसान कि हितैषी नहीं हैं। माननीय सभापित महोदय, मोदी की गारन्टी, 3100 रूपया, लेकिन अभी तक एक रूपया नहीं मिला है। किसानों की धान खरीदी की बात करते हैं लेकिन किसानों के खेती के रकबे में कमी आई है, किसान कम नहीं

हुए हैं। धान बेचने की बात रिकार्ड में अंकित है, उनके रकबे में कमी आई, आपने किसानों को धान बेचने से वंचित किया। छत्तीसगढ़ में फिर से वही स्थिति बनी जो आज से 30 या 40 साल पहले, जब हम लोग छोटे-छोटे हुआ करते थे, उस समय सब चीजों का दाम केवल और केवल व्यापारी या मालिक तय करते थे। लेकिन यह पहली परिस्थिति थी, जब किसान के धान का दाम व्यापारी दोनों हाथों से रगड़कर तय करते थे, फिर से छत्तीसगढ़ में वही परिस्थिति वर्षों बाद बनी है। आज किसानों का रकबा घटने से किसान मजबूर हुए, व्यापारी के पास बेचे हैं। छत्तीसगढ़ में 30-40 साल पहले किसानों को छला जाता था। पहले व्यापारी धान रगड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करते थे, इस समय अंतर केवल इतना ही रहा कि हाथ की जगह व्यापारी ने मशीन का उपयोग किया और किसान ठगे गये हैं।

माननीय सभापित महोदय, चावल की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तुरन्त राशन कार्ड बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? मंत्री जी, आप अपने भाषण में जरूर बतायेंगे। आपको तुरन्त क्यों राशन कार्ड बनाना पड़ा ? अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो उनका नया राशन कार्ड बना देते। अगर किसी के राशनकार्ड में त्रुटि है तो उसको सुधरवा देते। मैं जो समझ रहा हूं कि केवल और केवल राशनकार्ड में तस्वीर का खेल है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापित महोदय, यही तो आपित का विषय है। लोकहित और जनिहत के विषयों पर किसी एक व्यक्ति का फोटो छपवाकर श्रेय लेने की व्यवस्था क्यों बनाई जाती है ? इसी बात पर तो आपित है। यह हमारे पी.डी.एफ. से जुड़ा विषय है। "भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, डॉ. रमन सिंह की यही कहानी" डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में डॉ. रमन सिंह जी की फोटो राशन कार्ड में नहीं छपी, तो 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की फोटो छपवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह प्रश्न उठता है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापित महोदय, आपकी फोटो और माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो से मुझे बिलकुल आपित नहीं है। आपका स्वाभाविक हक बनता है, जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, हक है। लेकिन अभी तो आपके वित्त मंत्री ने जो नये टेक्नॉलाजी से जो बजट प्रस्तुत किये, उसमें आप माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फोटो छपवा सकते थे। राशन दुकान के पास एल.ई.डी. चल सकती थी, जिसमें आपका फोटो देख सकते थे, लेकिन जिन तस्वीर के लिये अगले सदन में जब हम आयेंगे तो यह जरूर बतायेंगे कि यह तस्वीर छपाने में, राशन कार्ड छपाई में शासन की धनराशि कितनी खर्च हुई ? आप शायद धन राशि का हिसाब देखेंगे, आपको भी लगेगा कि मेरे से निर्णय लेने में चूक हुई है, अभी हमारे बहुत सारे साथी 15 साल की पी.डी.एफ. की बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इसी सदन में, इसी राज्य में चंऊर वाले बाबा बने, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 20 से 25 रूपये के चावल को 3.25 रूपये में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया। आप केवल 1.25 रूपये देकर चंऊर वाला बाबा बने

और जो 22 रूपये, 25 रूपये दिये, उसका नाम लेना जरूरी नहीं समझा । माननीय सभापित महोदय, यह आपितजनक बात है । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको ऐसे विभाग में बिठा दिया गया है कि कभी भी 36 जो हैं, 45 हो जायेगा । आप संभल कर रहिये ।

सभापति महोदय :- 10 मिनट हो गये, द्वारिका जी । समाप्त करिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापित महोदय, चिलये मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ । मैं बाकी बात को कृषि विभाग में बोलूंगा, लेकिन माननीय सभापित महोदय, जो आंकड़े का खेल किया गया है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है । कृषि में बोलेंगे, लेकिन कर्जा माफी की कोई बात नहीं हुई है । सभापित महोदय, आपने जो समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्री आशाराम नेताम जी ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, मेरा क्रम नहीं है, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- क्रम के बाद बोल लीजिएगा । आशाराम जी ।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है, यहां कहने की जरूरत नहीं है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाह्ल्य क्षेत्र है। हमारा जो क्षेत्र है, यह कृषि प्रधान है और हमारा मुख्य फसल धान है । सभापति महोदय, पहले धान के फसल कटाई के बाद उसे बचाकर रखना बहुत कठिन होता था, छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है । यहां के किसान कड़ी मेंहनत करके फसल तैयार करता है, वह एक-एक दाना को संजोकर, संभालकर खेत पर रखता है और खेत में सूखने के बाद उसे वह अपने घर ले जाता है और वह हमारे लिये एक लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और हमारी सरकार उस फसल का उचित दाम किसानों को देने के लिये संकल्पित है । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान के एक-एक दाना की कीमत किसानों को देने के लिये संकल्पित है । सभापति जी, वर्तमान में गरीब खाद्यान्न वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल दिया जा रहा है । हम लोग एक समय चावल के लिये तरसते थे, जब हम लोग कमा कर आते थे और खाने के लिये स्बह-शाम चावल खरीदी करते थे । हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं । सभापति महोदय, हम खाद्यान्न के लिये संकल्पित हैं कि हम चावल वितरण करेंगे । आज प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई परिवार है, जो भूखा पेट सोता हो । सभापति महोदय, जब हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुखिया डॉ.रमन सिंह ह्आ करते थे, तब भी खाद्यान्न वितरण किया जाता था । उस वख्त छत्तीसगढ़ की जनता उसे चांऊर वाले बाबा के नाम से पुकारते थे और खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर चावल और नमक आसानी से दिया जाता था । आपके म्ख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में लोकहित में बह्आयामी कार्य किये गये, जिसकी प्रशंसा समुचे देश में होती रही। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह था कि उपभोक्ताओं को

रियायती दाम पर आवश्यक उपभोग की वस्तु प्रदान करना ताकि मूल्य वृद्धि का प्रभाव गरीब पर न पड़े तथा नागरिकों के न्यूनतम पोषण की स्थित बनायी रखी जा सके। आज वही सुविधा उपलबध है कि व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी रहता हो, वह अपने राशन कार्ड से किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से आसानी से अपना राशन प्राप्त कर सके। हमने किफायती मूल्य पर निश्चित मूल्य, न्यूनतम मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति की गारंटी देकर कम आय वाले समूह की रक्षा भी की है। सभापित महोदय, निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों की फसल का उचित दाम देकर उनको सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं आगामी दिनों में हमारी सरकार किसानों की सिंचाई व्यवस्था एवं जल संसाधनों के उचित प्रबंध के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिये नई कार्ययोजना बना रही है और जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, उसमें किसानों की आय डबल हो। ऐसी योजना तैयार करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर किसान परिवार सुख समृद्धि और सम्मान भाव से अपना जीवनयापन करें इसलिये पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिये कृतसंकिल्पत है।

सभापति महोदय, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द और तकलीफ को करीब से समझता हूं। इसलिये इस सदन के माध्यम से यह अपेक्षा भी करता हूं कि वर्तमान सरकार की नीति किसानों के साथ-साथ आम जनता को भी राहत देने वाली नीति है। मुझे इस बात की ख्शी है कि हमारी सरकार की नीति आम जनता के हितों को संरक्षित करने वाली नीति है, इसके लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कसते हुए जीरो टॉलरेशन की श्रेणी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार इसी राह पर चलते ह्ए भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीगसढ़ बनाने के लिये काम कर रही है। ऐसी इच्छाशक्ति हम सभी में होनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ की जनता की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करें और माननीय प्रधानमंत्री जी दवारा दिसंबर, 2023 में घोषणा की गई थी कि जनवरी, 2024 से आगामी 5 वर्ष तक अंत्योदय प्राथमिकता श्रेणी राशनकार्डधारी परिवारों को नि:श्ल्क खाद्यान्न देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया यह चाहते हैं कि कोई भूखा पेट न हो, कोई भूखे न सोये, इससे बह्त तकलीफ होती है, ऐसा सोचकर नि:शुल्क खाद्य वितरण प्रणाली के तहत राशन दिया जाये, ऐसी योजना के तहत राज्य में 2 करोड़ हितग्राही सदस्यों को नि:श्ल्क चावल वितरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत शामिल अंत्योदय प्राथमिकता श्रेणी से सभी 5384 राशनकार्डधारियों को शामिल कर 2 करोड़ हितग्राहियों को चिन्हांकित कर राशनकार्ड पहले ही जारी किया जा च्का है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिमाह 1 लाख 15 हजार 338 टन चावल आवंटन प्राप्त हो रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय आशाराम जी थोड़ा जल्दी समाप्त करें। अपने क्षेत्र की मांगें हो तो यहां आप रख लें। श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापित महोदय, अंत में कहना चाहूंगा कि यहां के जो खाद्यान्न मंत्री जी हैं जिन्होंने सबकी चिन्ता की और इनकी जो योजनाएं हैं उसमें सभी को नि:शुल्क देने की योजना है, यह बहुत ही अच्छा कार्य है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रदेश में माननीय मंत्री जी हर परिवार, हर समूह को खाद्यान्न दे रहे हैं। उन्हों के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भूखा पेट न रहे। हमारे किसानों की आय बढ़े। किसानों की आय वृद्धि को देखते हुए, उन्होंने 21 क्विंटल धान खरीदी की बात कही। केवल उन्होंने यह कहा नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ वालों को यह दिया और वह उन्हें 3100 रूपये भी देंगे, जिससे यहां किसानों की आय में वृद्धि हुई है और उनके चेहरे बहुत खिले हुए महसूस हो रहे हैं। उनके मन में बहुत खुशी है। यह छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। माननीय सभापित महोदय, मैं अंत में धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ कि सदन में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया और उसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अंतिम व्यक्ति की चिंता की कि उनके पेट को कैसे भरें। यहां उनका विकास कैसे हो ? जब किसी का पेट भरता है उसकी भूख की समस्या खत्म होती है तब उसका विकास होता है। ऐसी चिंता करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री विष्णु देव साय जी हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बह्त-बह्त धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी। आप अपनी बात 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, मुझसे एक लाईन छूट गई थी। आपने जो सत्यापन करवाया है, उसमें 2 अरब 16 करोड़ रूपया जो निकला। वह लगभग 6 हजार दुकानों का 14-16 करोड़ रूपये है। आपके पास लगभग 13 हजार और 14 हजार के आसपास दुकानें हैं। आप बाकी दुकानों का भी सत्यापन करवाईये। वह तो पाताल तक, आप जितना हाथ डालेंगे, उतना जाएगा आप उसी अविध का करवा दीजिए।

माननीय सभापित महोदय, दूसरा जो यह कानून में नहीं है कि कहीं पर शार्टेज पाया जाए, वह साबित हो जाए और उसको जमा करें। यह उत्तर देते हैं कि हमने जमा करवा दिया। बिल्कुल, उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में लिया जाए। उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। इस प्रदेश में दुकान आवंटन के लिए कोई स्पष्ट नीति बनायी जाए, जिन लोगों ने बेच खाया और दूसरे नाम से चला रहे हैं उनको काली सूची में डालिये। आप बाकी द्कानों का भी सत्यापन करवायेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग संख्या 39 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमर छत्तीसगढ़ हा धान के कटोरा के नाम से जाने जाथे। देश के हृदय स्थल में छत्तीसगढ़ बसे हे। जब किसान धान ला ओसाथे, मिंजथे। जब ढेर बनाथे अउ ढेर बनाए के समय जब हमन पहिली काठा निकालथन तो सबले पहिली हमन राम के नाम में अर्पित करथन अउ आज धान खरीदी के संबंध में व्यवस्था ला लेकर या अन्य चीज ला लेकर जेन सदन में एक सामान्य चर्चा निश्चित ही छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, किसान मन के हित बर एक निर्णय होना चाहिए। इहां ओखर बर सब, बात करे बर हमन अपन-अपन राय के अनुसार बात करत हन। सरकार अपन घोषणा पत्र में बड़ अकन घोषणा करे है। अपन घोषणा पत्र में किसान मन बर भी केहे हे, लेकिन ओखर पहिली ए कहना चाहूं कि अतेक का जरूरी पड़ गे रिहिस कि राशन कार्ड ला बदले बर घलो लाईन लगाए के जरूरत पड़ गे। आजकल तो आध्निकता के दौर है। तकनीकी के माध्यम से आप शासन के योजना, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के फोटो ला घलो लगा सकत हे, लेकिन अचानक केवल फोटो लगाए बर, पूरा प्रदेश के जनता ला लाईन में लगवाके खड़ा कर दे हे, ए सरकार के एक व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह है। साथ ही जेन नमक बर आज एक-एक व्यक्ति ला बिहानिया ले लाईन लगाये के जरूरत पड़त है। सांझ हो जाथे तो पता चलथे कि नमक खत्म हो गये, काली फेर आहं। तो काम बूता ला छोड़ के दू पॉकिट के नमक बर ओमन खड़े रहिथे। आज नई मिलिस, फिर काली के बाट जोहत रहिथे। ये व्यवस्था ला स्निश्चित करै जाये ताकि गरीब जनता ला एक दिन के रोजी छोड़ के, दूसरैया दिन केवल नमक और शक्कर लेय बर लाईन लगाये के जरूरत मत पडय।

माननीय सभापित महोदय, हमारी विद्वान साथी मन कहत रहिन कि सरकार घोषणा किरस और 3716 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में दो साल के अंतर की राशि डालिन। आप किसान मन के खात में राशि डालेव हो, स्वागत है। लेकिन आधा ले जादा किसान के खाता मा केवल एक साल के पैसा आये हे अउ कहूं-कहूं किसान के खाता में केवल 6 महीना के पैसा आये है। कतको किसान ऐसे हे, जेन ओ समय पंजीयन कराये रहिन, जे मन फौत होगे, ओकर मन के संबंध में कोई शासन के स्पष्ट निर्देश नई हे। माननीय मंत्री जी से भी ये संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। धान खरीदी केन्द्र में धान मन तो आ गये हे। धान के बढ़िया खरीदी होय हे। 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन के हिसाब से खरीदी होय हे। लेकिन धान मन खुल्ला में रखाय हे। परिवहन के व्यवस्था चौपट हे। हम अभी रोज अपन क्षेत्र में दौरा करथन, देखथन, आधे ले ज्यादा धान मन तो धान खरीदी केन्द्र के बाहर में खुल्ला रखाय हे। कहूं-कहूं बारदाना मा तोपाय हे लेकिन आधे से जादा धान मन पूरा खुल्ला में रखाय हे। यदि परिवहन व्यवस्था ठीक नई होईस तो निश्चित ही ये समय समिति सूखत के कारण घाटा में जाही और बड़ा गोलमाल होई। एकर पूरा तैयारी शासन स्तर पर कर चुके हे। परिवहन के व्यवस्था ला सुदृढ़ करना बहुत जरूरी हे। में माननीय मंत्री जी से ध्यान आकृष्ट करना चाहूं कि जतका जल्दी हो सके, परिवहन के

व्यवस्था ला करय। नई तो सूखत के कारण समिति ला घाटा से कौनो नई बचा सकय। अजय भैया, अभी हमारे क्षेत्र में नवा-नवा एक बढ़िया चीज चालू होय हे। जेन राईस मिल मन अभी नवा बने हे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय खाद्य मंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य कहीं नहीं हैं, आपके कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब तरफ उदासीनता है।

सभापति महोदय :- अभी मंत्री जी बैठे हैं और अधिकारीगण भी नोट कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापित महोदय, अभी नवा-नवा राईस मिल बने हे। जेमे अभी मशीन इंस्टाल नई होय हे। लेकिन ओ मन ला डी.ई.ओ. के ऊपर परिवहन करय के अनुमित देय देहे। पूरा राईस मिल के बाहर धान ला बिढ़या इंप करके रखे हे। का अइसन खलव व्यवस्था हो सकथे कि बगैर मशीन के इंस्टाल के अइसन स्थिति निर्मित करय जाथे। हमर इहां बालोद जिला में 54 ठन समिति मन ला एकर बर नोटिस दिये गईस कि तुमन हा जेन सरकार 20 क्वटिल के पहिली 15 क्विंटल के हिसाब से खरीदी करत रहिन, ओ खरीदी के बाद 20 क्विंटल, 20 क्विंटल के बाद 21 क्विंटल खरीद डारे हे। तो अतका कन क्षमता से जादा धान काबर खरीद डारे हव? समिति प्रबंधक मन भागे-भागे कलेक्टर कर जात हे कि हमन कइसन करना डी.एम.ओ. साहब हमन मन ला चिट्टी धरा देहे, नोटिस जारी कर देहे। समिति में धान खलौं नई उठत हे। समिति प्रबंधन मन परेशान हे। मोला फोन लगाथे, कलेक्टर के गये रहन, अभी बात करेन। ये व्यवस्था ला सुचारू रूप से संचालन करय बर एक व्यवस्था होना चाही। माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करत हवं। बालोद जिला में 54 सोसायटी ला डी.एम.ओ. के माध्यम से देहे। माननीय मंत्री जी, मैं आप ला ध्यान आकृष्ट करना चाहत हों। समिति प्रबंधक मन मन डर में आ गये हे। काबर धान सूखही ओकर अलग, सिनित के नोटिस के अलग। यदि हमन व्यवस्था ला सुचारू रूप से संचालन करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आदरणीय निषाद जी, भक्तराज, सर्वसम्मित से पारित कर दीजिए। मैं इशारे कर सकता हूं, बोल तो सकता नहीं। अब आप इशारा समझ लीजिए। खुद ही पढ़ो, खुद ही बाचो, खुद ही सुनो। सुनत हस कि नई ? ये हाल हे। तय अउ खोज के कागज धरे हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नई धरय हव गा, मैं 3 या 4 पत्ता धरय हवं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, कतेक देर बोले के तोर मूड हे ? तैंहां चारो तरफ के हालत देख ना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अतेक अकन धरे हवं, सब ला छोड़ देथौं। 3-4 पत्ता है। मैं तीन पत्ता में का चलाहूं, सब ला छोड़ देहौं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चारो तरफ के हालत तो देख तैहां।

समय :

7:00 बजे

सभापति महोदय :- अजय जी, चलने दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं धान के उठाव अउ कस्टम मिलिंग के संबंध में बोलना चाहं।

श्री धर्मजीत सिंह :- निषाद जी, कृपा करिये। इधर से भी, इधर से भी, सब कोई साफ हो गये हैं। डायरेक्ट मंत्री जी से बोलवा दीजिये।

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- वह ठीक करवा दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको सारे प्रकार के चावल मिलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिये। आप जितने प्रकार के चावल बोलेंगे, सब पहुंच जायेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं मोटा चावल ला घलौक खा लेथौ, पतला चावल ला घलौ खा लेथौ। मैं सब प्रकार के चावल खा लेथौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मछरी धरत रहेओ कड़के रामकुमार भी बताथे, तहूं बताथस। ओहर गरवा चरात रहेओ कड़थे। कोन जानि कि कतका कन कहानी तुमन दोनों करा हे? हमन काय करता रहेन, ओहा समझ में ही नइ आवै। तुंहरे कहानी के कारण हमर मन के पेरा ..।

श्री कंवर सिंह निषाद :- स्न न, मछली मा पतला चावल मजा नइ आवय।

सभापति महोदय :- सदस्यों से आग्रह है कि टोका-टाकी न करें। समय थोड़ा कम है। नेता जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- महाराज, मैं आपके आदेश पर खड़ा हुआ हूं। अजय जी, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं। आप अपने लोगों को बोल दीजिये कि वह बोलना बंद कर दें। मैं ही बंद करवा देता हूं। चलिये, चलते हैं। काहे को यहां 8 बजे तक घिसा-घिसी चलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने यह थोड़ी कहा कि बंद करें। मैंने कहा कि कुंवर जी, कृपा करिये, इधर भी साफ है, इधर भी साफ है।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने तो कहा न कि इधर-धर दोनों तरफ साफ है। हम लोग भी साफ-साफ बच चले।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन हम आपके साथ हैं। दोनों साथ हैं और हम आपके साथ इसलिए हैं..।

डॉ. चरण दास महंत :- हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम साथ-साथ हैं।

श्री अजय चनद्राकर :- सदन ताला लगाकर ही जाते हैं। आपके जमाने में भी ताला लगाकर जाते थे। श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं मना नहीं किया। मैंने यह बोला कि इधर भी साफ हे, इधर भी साफ है, सब तो साफ है।

डॉ. चरण दास महंत :- हमारे लिए थोड़ी दुःख की खबर यह है कि हमारे सीनियर सदस्य माननीय लखमा जी को थोड़ा हार्ट प्राब्लम हो गया है। वह अस्पताल गये हैं। हमारे कुछ साथी देखने गये हैं, इसलिए हम लोग दुःखी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन दु:खी है। वह पूरे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।

डॉ. चरण दास महंत :- आप लोग जल्दी खतम करेंगे तो हम भी उनको जल्दी देखने चल देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह छत्तीसगढ़ की संपत्ति हैं।

श्री स्शांत श्क्ला :- वह पसीना-पसीना हो गये थे।

डॉ. चरण दास महंत :- जी-जी। आज का यह बजट उन्हीं को समर्पित कर दीजिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं। बस निषाद जी कृपा करें, फिर हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- निषाद जी कृपा कर देंगे।

सभापति महोदय :- चलिये। निषाद जी, संक्षेप में अपनी बात रखियेगा।

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं एकदम शार्ट में बोल देता हं।

सभापति महोदय :- निषाद जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। मैं एकदम समेट ही देवत हौं। माननीय सभापित महोदय, अब राशन लेहे बर हमर श्यान मन ला बहुत परेशानी उठाय बर पड़थे काबर िक ओकर उंगली के फिंगर प्रिंट काम नइ आवत है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बहुत गंभीर बात करना चाहूं िक जेखर कारण ओमन ला राश्न नइ मिलत है। काबर एक झन परिवार में हावय तो दूसर के नाम मा नइ हे, तेमन कर लेवत हे, लेकिन सिंगल व्यक्ति ला अतका तकलीफ हो जावत हे िक ओखर फिंगर प्रिंट काम नई करत हे त ओला राशन ही नइ मिलत है। कइ झन मन के फिंगर प्रिंट के कारण आधार कार्ड ही इन बन पाथे। ऐखर बर कुछ व्यवस्था करे जाए, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहत हीं। साथ ही एक परिवार मा जेन बुजुर्ग हे, ओला हमन 10 किलो चावल देवत हन ता महीना भर मा ओखर 10 किलो चावल पूर जाही, ये हा पर्याप्त नइ हे। एमा आप जरूर आप विचार करी।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, वह कल आपको हर तरह का चावल भेजवा देंगे। आप कृपा करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं हर जेखर ला कहत हौ, जेखर फिंगर प्रिंट नई आवत हे, ओहर एक ही झन हे। अब ओला 10 किलो देवत हन ता बिचारा बुजुर्ग अकेल्ला हे, ओला कम से कम बढ़ा देओ। ओला 10 किलो के जगह मा 20 किलो कर देवौ। ऐखर लिए भी मैं मंत्री जी से कहना चाहत हौं।

सभापति महोदय :- चिलये, निषाद जी अपनी बात रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी दो-तीन पेज और बाकी है।

श्री क्ंवर सिंह निषाद :- मैं एक आखिरी बात करत हौं। दो लाईन बस पढ़त हौं। माननीय मंत्री महोदय, आप गोदाम बर 30 करोड़ रूपये के प्रावधान रखे हौ। पूरा प्रदेश में 30 करोड़ रूपये में का होना हे? एमा भी राशि बढ़ाय बर आपसे अन्रोध कर हौं। खासकर गांव-गांव में जेन पी.डी.एस. के भवन होना चाहिए, ओहा बह्त कम है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाह्ं कि बह्त अकन राशन द्कान जेन मन साम्दायिक भवन में चलत हे, कतको मन किराया मा भी चलत हे तो यदि हम जनता ला स्लभता से अगर खाद्यान्न उपलब्ध करा दे तो एक जेन राशन द्कान संचालित कर हे तेखर बर मन एक पी.डी.एस. के भवन हर पंचायत स्तर पर होना चाहिए। यह मैं निवेदन करत हौं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा नइ बोलौ। मैं बस यह कहना चाहूं कि मोर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व मा बह्त अकन धान खरीदी केन्द्र मन ख्लीन, ओमा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के कृपा रिहीस। सभापति महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से एक बार माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हौं कि मोर यहां लगभग 3-4 जगह मा धान खरीदी केन्द्र बह्त जरूरी हे, आवश्यकता हे, ग्राम सरेखा जेन पिनकापार समिति में हे, ग्राम ड्ण्डेरा जेन क्रदी समिति में हे, ग्राम संबलप्र-क, जेन सामतराई, लौण्डीलोहारा विकासखण्ड में आथे अउ साथ ही ग्राम भूरखाभाट, जेन सूरेगांव समिति में आथे, ऐमा मैं नवा धान खरीदी केन्द्र खोले बर आपसे निवेदन करता हौं, आग्रह कर हौं। बस-बस अउ ज्यादा इन कहओं। नइ तो ज्यादा में अब्बड़ अकन निकल जही । अब्बड़ अकन बात करिन कि भ्रष्टाचार ता ये तो वो, ओतका साल के निकालओ । उह् दिन ला छत्तीसगढ़ के जनता हा नइ भूले हे । जेन 36,000 करोड़ रूपया के नान घोटाला आज भी जब जनता मन देखथे तो सिहर जथे कि जरूर ओकर ऊपर बात होना चाहिए और यदि भ्रष्टाचार के बात करथे तो ओकरो भी जांच होना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आप मन मोला बोले बर समय देओ तेकर बर बह्त-बह्त धन्यवाद अउ आभार ।

सभापति महोदय :- रामकुमार टोप्पो । अनुपस्थित । एक मिनट । श्री पुरन्दर मिश्रा जी, आप एक मिनट में बोलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- हो गया ।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय सभापति महोदय, एकदम सेंसेटिव मुद्दा है । कभू तो बोलओं नहीं एखर खातिर बोलत हंओं ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप बोल लीजिये ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं खाद्यमंत्री जी की मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा ह्आ हूं और एक दूसरी चीज भी मांग रहा हूं।

सभापति महोदय :- चिलये, जल्दी जो मांगना है, मांग लीजिये ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 23 वर्ष हो गये हैं । छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 मंदिर से भी ज्यादा मंदिर हैं और लाखों एकड़ जमीन है । इन्हें धान बेचने की अनुमित नहीं है । मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया कलेक्टरों को निर्देशित करें कि मंदिर और मठ में जो धान उपजता है उसको बेचने की अनुमित प्रदान करें । मेरे मन में एक भाव आया कि रामचंद्र जी अभी अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो इन 23 सालों में मंदिर और मठ का मुद्दा कोई उठा नहीं पाया था तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं प्रभु का काम कर दूं। मंदिर और मठ के धान को बेचने की अनुमित प्रदान करें । यही मेरी मांग है । मैं आपकी मांग का समर्थन करते हुए आपको एडवांस में धन्यवाद देता हूं कि अगले समय धान की खरीदी मंदिर और मठों की हो जाये । धन्यवाद ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- महाराज, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देवभोग में जय जगन्नाथ जी के नाम से यहां कुछ जमीन है, उसमें कितना धान हुआ है ?

श्री प्रन्दर मिश्रा :- 1000 से ऊपर जमीन है ।

डॉ. चरणदास महंत :- उसका कितना चावल बेचे हो ? आप यह भी बता दीजिये कि क्या उसका कुछ चावल बेचे हैं कि धान बेचे हैं ?

श्री पुरन्दर मिश्रा :- नहीं बिका है इसीलिये तो मांग कर रहा हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं तो आप तो रामलला के लिये मांग रहे हैं न । जगन्नाथ जी के लिये भी मांग रहे हैं ?

श्री पुरन्दर मिश्रा :- रामलला जी अयोध्या में विराजमान हो गये इसलिये मेरे में सद्बुद्धि आयी इसलिये मांग रहा हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- वह तो रामलला जी हैं, अभी लला हैं । भैया, अभी तो उन्होंने खाना शुरू नहीं किया है ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- कर लिये हैं । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, नहीं किये हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय सभापित महोदय, मैं आज हमारे आदरणीय उमेश पटेल जी, सम्माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, सम्माननीय रामकुमार यादव जी, सम्माननीय गजेन्द्र यादव जी, सम्माननीय विक्रम जी, सम्माननीय धरमलाल कौशिक जी, सम्माननीय द्वारिकाधीश यादव जी, सम्माननीय आशाराम जी, सम्माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी के द्वारा इस सदन में बह्त अच्छे सुझाव आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां जो कई एक सुझाव आये हैं उसे मैं निश्चित रूप से गंभीरता से लूंगा और जो सुझाव आये हैं उसके लिये मैं हमारे सभी सम्माननीय विधायक साथियों को धन्यवाद देता हूं । आज यहां पर खाद्य विभाग का दायित्व है और इस विभाग में खासतौर पर उन गरीबों के हित में राशन भेजने का काम सोसायटी तक और किसानों के हित में धान खरीदी का काम मुख्य रूप से यह दो काम हैं । मैं कहना चाहूंगा कि आज हकीकत में बम्पर धान की खरीदी हुई है । हमारे सम्माननीय मोदी जी की गारंटी और हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर विश्वास किया । किसानों ने जो धान बेचा है, मैं तो कहना चाहूंगा कि आज तक छत्तीसगढ़ में इतनी धान खरीदी कभी नहीं हुई है । 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है । आजतक हकीकत में इतनी धान खरीदी कभी नहीं हुई थी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदे हैं और 2739 धान खरीदी केन्द्र हैं। इसके माध्यम से इसमें समर्थन मूल्य 2183 रूपये मोटे धान पर और पतला धान में 2203 रूपये के हिसाब से धान खरीदी की गई है। माननीय सभापित महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो धान खरीदी केन्द्र है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनायी है। वहां पर किसी प्रकार के बारदाने की समस्या नहीं आई। पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था उपलब्ध कराये। बारदाने की कमी की कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आर्यो।

समय:

7.11 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने धान खरीदी केन्द्र में टोकन की व्यवस्था की। एक तो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से और दूसरा डायरेक्ट समिति के माध्यम से टोकन की व्यवस्था किये थे और किसान सीधा-सीधा टोकन लेकर धान खरीदी केन्द्र में धान बेचने लाते थे और उसी दिन किसान धान बेचकर वापस हो जाते थे। ये व्यवस्था हमारे धान खरीदी केन्द्र में किया गया था। टोकन के साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, उस धान खरीदी केन्द्र में थंब मशीन, ई-पास या फिर आई के माध्यम से वहां पर व्यवस्था की गयी थी ताकि कोई भी बिचौलिया का धान न आये। ये व्यवस्था वहां की गयी थी। अध्यक्ष महोदय, यहां धान खरीदी केन्द्र में सिर्फ पंजीकृत किसान के द्वारा धान बेचा गया है और उस धान खरीदी केन्द्र में किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतर किसानों का भुगतान 48 घंटे में कर दिया गया था और बंफर अवैध परिवहन व भंडारण रोकने के लिए भी हमारे द्वारा व्यवस्था की गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर चेकपोस्ट यानी 220 बेरियर भी लगाये थे, बॉर्डर पर जहां किसी प्रकार के बिचौलिया का धान यहां इस प्रदेश में न आये, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की थी और विशेष जांच दल की भी व्यवस्था की थी। विशेष जांच में हमारे खाद्य विभाग के, हमारे सहकारिता विभाग के, वन विभाग के और मंडी से और राजस्व से इस तरह से टीम बनाकर वहां पर व्यवस्था की गई थी और उसके तहत् इस टीम के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, 817 प्रकरण वहां पर मंडी अधिनियम के तहत् 37717 क्विंटल धान जब्त

किये और उस जब्त धान में 85 वाहन भी थे। मंडी अधिनियम के तहत् उस 817 प्रकरण में से 253 प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है और शेष 564 प्रकरण का भी बह्त जल्द निराकरण कर दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बह्त-बह्त धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने किसानों की चिंता की और किसानों की चिंता करते हुए 4 फरवरी तक धान खरीदी का समय बढ़ाया और इसमें हमारे किसान का जो धान बच गया था, उसको भी किसान लोगों ने बेचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक धान उठाव के संबंध में बह्त चर्चा कर रहे थे तो मैं कहना चाह्ंगा कि 111.70 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी कर लिया गया है और लगातार यह चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है कि जितनी जल्दी हो सके धान का उठाव कर लिया जाये। करीब 77 परसेंट धान का उठाव कर लिया गया है। कस्टम मिलिंग के तहत् 26.16 लाख टन चावल जमा हो गया है, इसके लिए बजट में 16 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही साथ हमारे पास पीडीएस भी है, जिसके माध्यम से गरीबों तक राशन दुकानों से चावल पहुंचाने का काम भी करते हैं । मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पांच साल के लिए म्फ्त राशन देने की घोषणा की है (मेजो की थपथपाहट) । यह मोदी जी की गारंटी है, पांच साल तक म्फ्त में चावल मिलता रहेगा । अध्यक्ष महोदय, केन्द्र का कार्ड 54 लाख, राज्य का कार्ड 14 लाख, क्ल मिलाकर 68 लाख अन्त्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को म्फ्त में चावल दिया जाएगा, इसके लिए बजट में 3400 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, फार्टीफाइड चावल । यह चावल कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए है । हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने केवल पेट की ही चिंता नहीं की बल्कि कुपोषण एवं एनीमिया दूर हो इसके लिए भी व्यवस्था की। इस चावल को पीसकर बनाया जाता है और इसमें विटामिन्स मिलाया जाता है। इसको लेकर बहुत से मुद्दे उठे और चर्चा हुई । मैं सदन के माध्यम से हमारी सभी माता-बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह चावल वजन में हल्का होता है । 99 किलो में एक किलो मिलाकर क्विंटल होता है । पिछले दिनों इस चावल को लेकर हल्ला हुआ कि यह प्लास्टिक का चावल है और अभी भी कई जगह चल रहा है । यह चावल है जिसे सूपा में फुनने से चावल बाहर हो जाता है । हमारी जितनी बहनें हैं उनसे निवेदन है कि इस चावल को सूपे में न फुना जाए और इस चावल को बाहर न किया जाए । औंटा चावल बनना चाहिए ताकि इसका माढ़ बाहर न जाए । इससे निश्चित रूप से फायदा होता है । मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह फोर्टीफाइड चावल हकीकत में बह्त लाभदायक है, इसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, आप बाहर तो नहीं बता सकते । कम से कम सदन में हम लोगों को बता दीजिए कि वह चावल कैसे बनता है उसमें क्या मिलाते हैं और वह सामान्य चावल से किन-किन गुणों में अतिरिक्त गुण वाला है या कमजोर गुण वाला है, इतना बता दीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है । यह चावल एनीमिया, कुपोषण दूर करने के लिए है । बहुत से विटामिन्स मिलाकर पीसकर इस चावल को बनाया जाता है । यह चावल अन्य चावल से हल्का होता है ।

डॉ. चरणदास महंत :- छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने स्थानों इस तरह से चावल मिलाया जा रहा है । वह जो दवाई मिला रहे हैं, विटामिन्स मिला रहे हैं या जो भी मिला रहे हैं, वह किन-किन कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं, डुप्लीकेट है या ओरीजिनल है, इनको जांच करने की व्यवस्था है क्या ।

श्री दयालदास बघेल :- जी हां, जांच हो चुकी है । इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टेंडर होता है और टेंडर के माध्यम से बनाया जाता है । मैं आपको पूरी जानकारी भी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष को फोर्टीफाइड राईस में क्या-क्या रहता है, मिनरल्स, विटामिन्स, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देना ।

श्री दयालदास बघेल :- जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, उतना बस मत दीजिए ना। क्योंकि सोसाइटी से चावल तो लेते नहीं हैं। फोर्टिफाईड चावल को ही पहुंचा दें, एकाध महीना खाएं तो पता लगेगा कि उसमें कितना गुण है।

डॉ. चरणदास महंत :- एकाध महीने के लिए कम से कम दो चार बोरी भिजवा दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- एकाध महीने के लिए तो बोल रहा हूं। एक दिन खाने से क्या मतलब है। एकाध महीने के लिए पहुंचाईए।

डॉ. चरणदास महंत :- हां-हां बिल्कुल भेजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, हमारी ओर भी कुछ नजरें इनायत कीजिए न। हमारी मृद्दों पर भी दो चार लाईन बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- इहां विधायक मन के खाए के जो व्यवस्था हे तिहां ओ चावल ला भेज देवो ना। इहें रंधवा देवो। सब जान डारबो।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन नेशन वन राशन कार्ड। मैं इसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह योजना लागू की है। इसे आधार कार्ड नंबर से राशनकार्ड को जोड़ने का काम लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो गया है। यह जो कार्ड है, यह वन नेशन वन राशन कार्ड है। इसे आप देश के कहीं भी कोने में जा करके, किसी भी दुकान से चावल खरीद सकते हैं। इस योजना के बारे में आप सभी को मालूम है। जैसे कोरोना के समय हमारे बहुत से लेवर कमाने खाने के लिए बाहर गये थे। वहां से लीट रहे थे तो उस समय यह जो कार्ड है, जहां भी राशन दुकान मिलता था, वहां से राशन सामग्री खरीद करके हमारे मजदूर वहां से घर लीटे थे। कुछ लोग

कमाने खाने जाते थे तो इस कार्ड को या तो घर में रख देते थे या गिरवी रख देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कहीं भी कमाने खाने जाते हैं तो किसी भी दुकान से कहीं भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन दुकानों की जो जांच है, जो स्टॉक का सत्यापन है, प्रतिवर्ष मार्च में राशन दुकानों का एक बार भौतिक सत्यापन होता है। वहां पर चावल में किसी प्रकार की सार्टेज या जो भी स्टॉक है, उसका सत्यापन होता है। हमने भी बैठक लेकर विभाग के जितने भी एफ.ओ. या फूड ऑफिसर है, उनको भी निर्देशित किया है कि महीने में कम से कम 10 राशन दुकानों का निरीक्षण करें या मिलान करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, हमारे विभाग में शक्कर के लिए 150 करोड़, चना के लिए 400 करोड़, नमक के लिए 139 करोड़, गुड़ के लिए 81 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के किसानों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में धान खरीदी और पी.डी.एस. व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा में विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के हमारे साथियों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार अवश्य किया जाएगा।

अतः मैं कटौती प्रस्ताव लाने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लें और साथ ही सदन से आग्रह करता हूं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित राशि तीन हजार तैंतीस करोड़, अइतालीस लाख रूपये की मांगों को सर्व सम्मत से पारित करें।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, आप छोटे से उप केन्द्र बोले रहे हव।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार तैंतीस करोड़, अड़तालीस लाख, अठासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7 बजकर 26 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 2, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

> दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक : 20 फरवरी, 2024